राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ४५ वां दिवस [संख्या २५

शुक्रवार, दिनांक १६ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-०३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, सामान्य प्रशासन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

गोलीकाण्ड की जांच में पैरवी हेतु वकीलों की नियुक्ति

५४२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ७ मार्च, १९६७ को जयपुर में हुए गोलीकांड की जांच करने हेतु नियुक्त बेरी कमीशन के समक्ष जिला प्राशसन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य सरकार ने कुछ वकीलों को नियुक्त किया है ? यदि हां, तो किस किस को और कितनी कितनी फीस पर ?

(२) इस कमीशन पर कुल कितने खर्च का प्रावधान किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इन वकीलों की नियुक्ति गृह विभाग ने की है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए विधि विभाग वकीलों की नियुक्ति करता है ?

उप मंत्री गृह (राव श्री धीरसिंह) : (१) बेरी आयोग के सिलसिले में आयोग की सहायता देने के लिये एडवोकेट जनरल श्री गुलाबचन्द कासलीवाल और डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट श्री बी० सी० चैटर्जी नियुक्त किये गये। कार्यभार को व और पार्टीज की तरफ से आ रहे वकीलों की संख्या व स्तर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की मांग पर दो वकील सर्व श्री मुकट बिहारी लाल भार्गव व नाथूलाल जैन को लगाया गया। श्री भार्गव के अदालत में पैरवी के लिये ११००) रु० रोज व अदालत के बाहर सलाह व तैयार के रोज के ४४०) रुपये मेहनताना तय हुआ है। एडवोकेट जनरल व डिप्टी एडवोकेट को नियमानुसार मेहनताना दिया जावेगा। जो मेहनताना डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट को मिलेगा उनके रिटेनर को ध्यान में रखते हुए श्री नाथूलाल जैन को दिया जावेगा।

(२) जांच कब तक चलेगी यह नहीं

Page No. 2

(राव श्री वीरसिंह)

कहा जा सकता। इसलिए इसके आंकड़े अभी तैयार नहीं हो सके।

(३) नियुक्ति विधि विभाग द्वारा की गयी है।

(४) जी हां, सम्बन्धित विभाग की राय से विधि विभाग नियुक्ति करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर में ७ मार्च को हुए गोलीकाण्ड के सिलसिले में जांच प्रतिवेदन १ अगस्त तक राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैं समझ नहीं पाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को १ अगस्त को प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर राज्य सरकार ने जब १ अगस्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है तो इस पर संभावित खर्चे का अनुमान राज्य सरकार ने क्यों नहीं लगाया ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिस तरह से जांच चल रही है उस हिसाब से यह एक्सपेक्ट करना कि अगस्त में रिपोर्ट पूरी हो जायेगी सही नहीं लगता क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताऊं दूसरी पार्टीज की तरफ से ११८ और गवर्नमेन्ट कर्मचारियों की तरफ से ३७६ विटनेसेज सामने आये हैं। इसलिए यह कहना कि यह जांच कमीशन इतने समय में कर लेगा सही नहीं लगता। पहले दिया था तो यह समझकर दिया था कि जल्दी से इन्क्वायरी हो जायेगी लेकिन जिस तरीके से अब सिचुएशन्स डवलप हो रही है उससे यह अन्दाजा होता है कि करीब करीब रोजाना १-१ विटनेसेज की एवीडेन्स होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवोकेट जनरल बेरी कमीशन के सामने किस को रिप्रेजेन्ट करते हैं जिनकी आपने नियुक्ति की है ?

श्री बरकतुल्ला खां : एडवोकेट जनरल बेरी कमीशन के सामने बेरी कमीशन को हैल्प करने के लिए हैं और आफिसर ऑफ दी कोर्ट मुकर्रर हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री बी० सी० चटर्जी को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी और किस के लिए उनको नियुक्त किया गया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : एडवोकेट जनरल को असिस्ट करने के लिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि एडवोकेट जनरल श्री गुलाब चन्द कासलीवाल और डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री बी० सी० चटर्जी एक ही पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं याने किसी को भी रिप्रेजेन्ट नहीं करते और केवल बेरी कमीशन को असिस्ट करने के लिए हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह तो इन दी स्टेटस आफ एडवोकेट जनरल कोर्ट को

Page No. 3

(श्री बरकतुल्लाखां)

असिस्ट करते हैं और उनके जो डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट हैं वह उनको असिस्ट करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल बिलकुल साफ है.......

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने जवाब साफ दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट मिस्टर चटर्जी क्या केवल मात्र कमीशन को असिस्ट करने के लिए हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेन्ट करते हैं या गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करते हैं या फिर सिर्फ असिस्ट करने के लिए हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने अर्ज किया कि डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल को असिस्ट करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी साफ नहीं आई पोजीशन। पोजीशन यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल को असिस्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह बेरी कमीशन को असिस्ट कर रहे हैं या डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट क्या एडवोकेट जनरल को असिस्ट करेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : और उसके साथ ही साथ वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैल्प करने के लिए और उनको रिप्रेजेन्ट करने के लिए आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब आपने दूसरे व्यक्ति को नियुक्त की है तो फिर मिस्टर बी० सी० चटर्जी को नियुक्त करने को क्या आवश्यकता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जब सामने १७ प्रोमीनेन्ट लायर्स आयें इस लिहाज से जो गवर्नमेंट के कर्मचारी इसमें इनवाल्व्ड हैं और यह चाहते हैं कि सही तरीके से इन्साफ होना चाहिये—दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिये, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये, सच्चाई सामने आनी चाहिए इसलिये ऐसा नहीं हो कि कोई मामला बाई डिफाल्ट चला जाये। जब बढ़िया बढ़िया और टापमोस्ट लायर्स सामने आते हैं तो यकीनी बात है कि वह लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोर्ट हैं उनकी मदद के लिए ४ को नियुक्त किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जिस प्रकार से कर्मचारी राज्य सरकार के हैं उसी प्रकार से जनता भी राज्य सरकार की है और इसलिए जनता की तरफ से पैरवी करने के लिये राज्य सरकार को किसी वरिष्ट व्यक्ति को वकील नियुक्त करना चाहिए ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो जो भी लायर्स जाते हैं वह कमीशन के आफिसर की हैसियत से कमीशन को हैल्प करते हैं। और जनता और आफीसर्स के अन्दर भेद भाव नहीं हो लेकिन चूंकि इस मामले के अन्दर कुछ ऐसे एक्शन हुये जो पोलीटीकल तरीके से इसको ट्रेण्ड दिया गया, इसलिये आफीसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वह कसूरवार हैं तो सजा दी जाये और अगर नहीं हैं तो उनको यह

Page No. 4

(श्री बरकतुल्लाखां)

फीलिंग्स न हों कि हमने ड्यू डिस्चार्ज ग्राफ ड्यूटीज के अन्दर जो काम किया उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं मिला इसलिए इस बात की जरूरत है कि सब पार्टीज को सेटिस्फेक्शन हो और कोई भी लॉयर जो इनकी तरफ से एपीयर हो रहा है वह एन्टी पीपुल एटीट्यूड लेकर नहीं हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल यह है कि जब गवर्नमेंट यह चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी निकले और गवर्नमेंट यह चाहती है कि फैक्ट फाईन्ड हों, गवर्नमेंट फैक्ट फाईन्ड आउट करना चाहती है और जो भी इसके बारे में दोषी होगा उसको सजा देना चाहती है तो फिर राज्य सरकार ने इस लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में जनता की तरफ से कोई वकील उनकी पैरवी करने के लिए, इन्जर्ड लोगों की पैरवी करने के लिए, जो अपनी तरफ से वकील खड़े नहीं कर सकते, उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए राज्य सरकार ने यह आवश्यक क्यों नहीं समझा कि उनकी तरफ से भी कोई वरिष्ठ वकील होना चाहिए जो कि बेरी कमीशन के सामने उनकी वकालत कर सके ?

श्री बरकतुल्ला खां : यहां पर कोई दो पार्टीज नहीं हैं और कोई ऐसी अदालत भी नहीं है कि जिसके सामने इन दोनों पार्टीज का मुकदमा चल रहा हो। यह तो फैक्ट फाईडिंग कमीशन है और उसके लिए जो भी एडवोकेट जाता है, वह कमीशन को हैल्प करने के लिए जाता है, उनकी मदद करने के लिए जाता है। यह बात नहीं है कि एक पार्टी का वकील वहां पर है और दूसरी पार्टी का कोई वकील नहीं है। इसका मकसद केवल इतना ही है कि जो सच्चाई है वह सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र की ओर मुखापेक्ष) : माननीय सदस्य, मैं यह जानना चाहूंगा कि आप तो डिफेंस कौंसिल की तरफ से इस केस में वकील नहीं हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है यह कमीशन पब्लिक इन्क्वायरी कमीशन है। इसमें किसी पार्टी को रिप्रेजेण्ट करने का प्रश्न नहीं है और मैं इसमें किसी पार्टी की तरफ से एज ए प्रोफेशनल लायर इंगेज नहीं हूं। मुझे जो नोटिस मिला है कमीशन की तरफ से वह एज प्रेसीडेंट ग्राफ दी जनसंघ पार्टी मिला है और अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि जो इस तरह से अपियर होते हैं कमीशन के सामने, उनको क्रोस एग्जामिनेशन करने का अधिकार होता है, अगर वे चाहें तो क्रोस एग्जामिनेशन करें, चाहें तो न करें। I represent no party, except that a notice was issued to me as President of a Party.

श्री अध्यक्ष : Not as cross examiner ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That does not make any difference.

श्री अध्यक्ष : This is just for my information.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन की जो स्थापना की गई

Page No. 5

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है वह फैक्ट्स फाईंडिंग के लिए और मैं उसमें किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से फैक्ट्स को नेरेट करने के लिए अपियर होता हूं तो उस हालत में क्रोस एग्जामिन कर सकता हूं। मैं एक बार अपियर हुआ हूं और मैंने एक विटनेस को क्रोस एग्जामिन किया है और चाहूं तो आगे भी कर सकता हूं, इसमें कोई भी आपत्ति की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और तब इस तरह से बर्ताव किया जाता तो ठीक हो सकता था लेकिन आज के इस लोकतांत्रिक युग में जबकि हमारी सरकार समझती है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, हमारी सरकार की मंशा यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो, सरकार चाहती है कि अगर जनता ने जुर्म किया है तो जनता को सजा मिले और अगर सरकारी अधिकारी दोषी हैं तो वह चीज भी सामने आए तो फिर सरकार एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष लेकर उनको प्लीड करने के लिए तो वकील मुकर्रर करती है लेकिन जनता की पैरवी करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए यह तथाकथित लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं जनता की तरफ से कोई वरिष्ठ एडवोकेट अपोइन्ट करना नहीं चाहती। This is not a Government of the administration by the administration and for the administration, but a Government of the people, by the people and for the people. तो जब यह पीपुल्स गवर्नमेन्ट कहलाती है, पब्लिक कॉज को कमीशन के सामने पैरवी करने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग निकालने के लिए क्यों नहीं किसी वरिष्ठ वकील की नियुक्ति करना चाहती।

श्री बरकतुल्ला खां : एडवोकेट जनरल का रोल ही यही है कि कमीशन को वह असिस्ट करे और कमीशन की मदद करे, इसी बात के लिए वे हैं कि कमीशन के सामने सच्चाई आये। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कमीशन के लिए इसीलिए की गई है कि वह हर पार्टी के इण्टरेस्ट को प्लीड करें। वे वहां पर पब्लिक को भी रिप्रजण्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी रिप्रजण्ट करते हैं और कमीशन की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसीलिए वे कोई डेफिनेट ब्रीफ लेकर नहीं गए हैं। एडवोकेट जनरल इसीलिए हैं कि वे बेरी कमीशन को असिस्ट करें और सरकार ने अपनी तरफ से बड़ी फराखदिली दिखा कर यह बात की है कि एडवोकेट जनरल को वहां पर लगाया है और लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वे बेरी कमीशन को असिस्ट करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब गवर्नमेंट यह कहती है कि एडवोकेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिप्रजण्ट करते हैं और पीपुल को भी रिप्रजण्ट करते हैं तो गवर्नमेंन्ट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रजण्ट करने के लिए ग्यारह सौ रुपये रोज का इस प्रकार का वरिष्ठ वकील करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : जब ऐसा हो जाता है कि कोई मामला अदालत में जाता है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अदालत नहीं है। It is a fact finding Commission.

Page No. 6

श्री बरकतुल्ला खां : हां ठीक है, यह फैक्ट फाईडिंग कमीशन है और जब कमीशन के सामने कोई चीज है तो उसके लिये जरूरी है कि उसके सामने सारे फैक्ट्स जांय और कमीशन उन पर गौर करके अपना फैसला दे। इसलिये यह जरूरी था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये भी उनकी बात को अच्छी तरह से कमीशन के सामने रखा जा सके, और किसी टेक्निकल पोइन्ट से कोई चीज न रह जाय, इसलिये गवर्नमेंट ने यह ठीक समझा कि किसी वरिष्ट वकील को वहां पर लगाया जाय। अगर ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह समझा जाता कि गवर्नमेंट कमीशन के साथ कोआपरेट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का यह कभी मतलब नहीं है कि वह एक पार्टी की बात को रखना चाहती है और दूसरी की बात को छिपाना चाहती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये जब आप स्वयं कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन की मदद करने के लिये एडवोकेट जनरल को गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है और एडवोकेट जनरल जो कि गवर्नमेंट की नजरों में राजस्थान में जितने वकील हैं उनमें वे सबसे अच्छे वकील हैं और उसी नाते उन्हें एडवोकेट जनरल रखा गया है तो इन एडवोकेट जनरल के रहने के बाद में और उन की मदद के लिए डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के और होने के बाद भी दो सीनियर एडवोकेट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हैल्प के लिये इतने बड़े खर्चे पर आपने लगाना क्यों आवश्यक समझा है? दो एडवोकेट्स में से एक को आप जहां ग्यारह सौ रुपये रोज दे रहे हैं तो दूसरे को भी ढाई सौ, तीन सौ रुपये रोज देना ही पड़ेगा और इस प्रकार लगभग सैंतीस हजार रुपया महीना इन दोनों एडवोकेट्स पर खर्च करेगी और अगर सारे वकीलों का खर्चा देखें तो करीब तीन-चार हजार रुपया रोज का खर्चा इन पर आयेगा। इस प्रकार एक महीने में लाख सवा लाख का खर्चा गवर्नमेंट का होगा और अगर दस महीने तक कमीशन का काम चलता है तो कितना खर्चा एक्स चैकर का होगा, यह देखने की बात है। इसलिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपने एडवोकेट जनरल और डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट को नियुक्त कर रखा है कमीशन को असिस्ट करने के लिये तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये अलग से इन दो एडवोकेट्स की नियुक्त की क्या आवश्यकता है?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जांच हो रही है, उसके अन्दर बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, खास तौर से पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और ऐसे गम्भीर आरोपों को गवर्नमेंट यों ही नहीं जाने देगी जब तक उसके बारे में सच्चाई मालूम न हो जाय। इसलिये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई काबिल टॉप लायर कमीशन के सामने अपियर हो, क्योंकि जब पब्लिक की तरफ से १७ एडवोकेटस राजस्थान हाई कोर्ट के आये हैं.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई १७ एडवोकेट नहीं हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, यह आपकी गलत सूचना है। राजस्थान हाई कोर्ट के न १७ एडवोकेट हैं, न १५ एडवोकेट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं न १० हैं और न ५ हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । मन्त्री महोदय को जवाब देने दें पहले ।

श्री बरकतुल्ला खां : में कहता हूं कि १७ एडवोकेट हैं। जोधपुर से गुमानमल जी लोढा आये थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो प्रोसीजर तय हुआ था उस समय आये थे और वापिस चले गये ।

श्री बरकतुल्ला खां : चले जाने से क्या होता है। आते हैं और वे चले जाते हैं तो उनका नम्बर तो रहता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह से तो कोई भी आते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । पहले मन्त्री महोदय को जबाव दे लेने दें ।

श्री बरकतुल्ला खां : में यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पोइन्ट आफ व्यू भी कमीशन के सामने रखने के लिये, चाहे वह गलत हो या सही हो, लेकिन अपनी तरफ से अपनी बात को साबित करने के लिये अच्छे लायर की जरूरत है ताकि टेक्निकल ग्राउन्ड पर उनका पोइन्ट आफ व्यू सामने आने से न रह जाय, ऐसा न हो कि टेक्निकल ग्राउन्ड से जो समाधान वे रखना चाहते हैं वह कट जाय और जिस वक्त आप जानते हैं कि लीगल प्रोसीजर होता है तो उसको कमीशन के सामने एपियर कराने के लिए लायर को हर हालत में टेक्निकल एड लेनी होती है और टेक्निशियन्स के पीछे ही अपनी जान बचानी पड़ती है। इसलिए यह बहुत जरूरी था कि उनका पोइन्ट आफ व्यू कमीशन के सामने रखने के लिये लीडिंग लायर बार कमीशन के सामने एपियर हों । अब जो १७ नाम अपोजिट ग्रूप की तरफ से आये हैं लायर्स के, वे भी में आपको बता देता हूं ।

(१) श्री लाडलीलाल जी शर्मा,

(२) श्री जुगलकिशोर जी गुप्ता,

(३) श्री ब्रजबिहारीलाल

(४) श्री परमेश्वरदत्त माथुर,

(५) श्री कांतिचन्द्र सैनी,

(६) श्री छुट्टनलाल,

(७) श्री जगन्नाथप्रसाद माथुर,

(८) श्री चन्द्रनाथ शर्मा,

(९) श्री ओम्प्रकाश गर्ग,

(१०) श्री जगतनारायण सक्सेना,

(११) श्री बन्शीलाल लुहाडिया,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये नाम आप कहां से ले आये हैं। ये जगतनारायण सक्सैना, चन्द्रनाथ शर्मा और ये दूसरे कौन कौन हैं, इन्होंने कमीशन में आज तक शकल नहीं दिखाई है ।

श्री बरकतुल्ला खां : इनके नाम आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये नाम क्या बार एसोसियेशन की तरफ से आये हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो नाम आये हैं उनमें से ही हैं। श्री नानकचन्द्र शर्मा, श्री

(श्री बरकतुल्लाखां)

जगतप्रसाद गुप्ता, श्री लाडलीलाल शर्मा, श्री जुगलकिशोर गुप्ता, श्री चिरन्जीलाल अग्रवाल.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल । यह ग्यारह....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ११००) रु० रोज मुकटबिहारी लाल भार्गव को दिये जाते हैं उनका क्या आधार है ? क्या एडवोकेट महारावल बने हैं ? क्या सरकार यह नहीं समझती कि इतना पैसा उनको दिया जा रहा है क्या उनकी १३० हजार की इन्कमटैक्स से वकालत चल रही है। इसलिये खास तौर से ऐसे कमीशन में जो ज्यादा समय तक चलते हैं इस प्रकार इतना ज्यादा रुपया देने की क्या वजह है ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट ऐडवोकेट्स हैं और एडवोकेट जनरल हैं उनके लिये तो सरकार की तरफ से मुकर्रर किया हुआ कि उनको इतना रुपया मिलेगा। लेकिन जहां पर प्राइवेट प्रेक्टिशनर का प्रश्न आता है वे अपनी फीस होती है वह लेते हैं। वे ऑर-डिनरी एक हजार रुपये रोज और अपने ट्रान्सपोर्ट और अपने क्लर्क का लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका परिणाम क्या होगा कि जो ऐसे केसेज हैं जो साल भर या १० महीने लगातार चलने-वाले हैं। उन केसेज में इतनी ज्यादा राशि नहीं दी जा सकती है। इनडिविजुअल केसेज में जहां एक दो दिन की बात हो वहां पर भले ही दिये जा सकते हैं लेकिन जो केसेज १० महीने या १२ महीने चलें तो इस हिसाब से ४ लाख रुपये होते हैं सो आप दे रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आप इनको इतने रुपये इसलिये देते हैं कि वे आपके खिलाफ जो भी रिट पीटिशन्स हैं उनकी फी पैरवी करते हैं। आप उससे छूटे बैठे हैं और सारा इलेक्शन रिट पिटीशनों का खर्चा आप उनको सरकार के खजाने से देते हैं ! (श्री दामोदरजी को संबोधित करते हुए) आप गर्दन हिलाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जाए........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज ।

मैं कुछ मार्ग दर्शन देने के नाते सदन को निवेदन करना चाहूंगा। प्रश्न यह सार्वजनिक महत्व का है इसमें कोई संदेह नहीं मेरे मस्तिष्क में एक धारणा है यदि मैं उस धारणा को नहीं रखता हूं तो सदन को भविष्य में संभवतः कोई मार्ग दर्शन नहीं होता। जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं ; Without meaning anything to the hon. Member who has put the question. ऐसा प्रश्न यदि किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता तो परम्पराओं के अनुकूल और व्यवहारिक दृष्टि से उचित होता। मुझे यह पता लगा है कि माननीय सदस्य यद्यपि राजनैतिक दल की ओर से उसमें काम कर रहे हैं कमीशन के संमुख । मैं उसको अनुचित नहीं मानता, लेकिन फिर भी दल की ओर से जैसा इस प्रोसीडिंग में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा होता यदि यह प्रश्न अन्य माननीय सदस्य से पूछा जाता तो हमारी व्यवस्था के अनुकूल होता ऐसे मामले जिसमें स्वयं सदस्य को दिलचस्पी हो, सार्वजनिक प्रश्न है, उनमें अच्छा यह होता कि अन्य माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

पूछते । यह मैंने सिर्फ आपको मार्ग दर्शन के लिये किया है । जब आगे कोई प्रश्न उठे उसके लिये यह व्यवस्था सहायक हो । इसलिये इस प्रश्न ने बहुत समय ले लिया है मैं दूसरा प्रश्न रख रहा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो ओबजरवेशन दिया है उसके बारे में अच्छी प्रकार से जागरूक हूं कि Professional aspect दृष्टि से सदन में प्रश्न नहीं पूछना चाहिये उनके बारे में हो सकते हैं, मैं इस बारे में सजग हूं । मैं समझता हूं कि मैंने १० वर्षों में इस प्रकार का एक भी प्रश्न नहीं पूछा है । मैंने यह प्रश्न जानते हुए पूछा है । अनजाने से नहीं पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था के ऐसे शब्द नहीं हैं जिससे माननीय सदस्य व्यग्र हों

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी बात प्रोफेशनल इन्ट्रेस्ट....

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वस्थ परम्पराएं रहें इसलिये कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । यदि मैं इस प्रश्न को दूसरे रूप से लूं तो इसकी व्यवस्था दूसरी होती । इसलिये मैंने निवेदन किया है कि ऐसे प्रश्न जिसमें थोडी सी भी दिलचस्पी का प्रश्न हो, आप उठा सकते हैं लेकिन स्वस्थ्य परमपराओं के अनुकूल यदि इस प्रश्न को कोई दूसरे माननीय सदस्य उठाते तो अच्छा होगा I don't mean anything prejudicial to the hon. Member.

मैंने मार्ग दर्शन इस सदन का दिया है । इसलिये मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहूंगा । नेक्स्ट

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि क्या प्रश्नकर्ता को अधिकार नहीं है । प्रश्न कर्ता ने सदन को अवगत किया है कि जहां तक प्रोफेशनल एस्पेक्ट का प्रश्न है उससे यह संबन्धित नहीं है । अगर वे इनडाईरेक्ट पूछना चाहें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोफेशनल एस्पेक्ट का प्रश्न....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उनको अधिकार नहीं है और आप इस संबन्ध में व्यवस्था देते हैं तो मेरे ख्याल से यह....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था, जो मैंने मार्ग दर्शन के रूप में दी है उसको दूसरे ढंग से रख दिया गया है । मैंने माननीय सदस्य की तरफ कोई संकेत नहीं किया मैंने यह नहीं कहा कि माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकते । मैं आपको बातों के संबन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न जब कभी आवें साधारणतया अन्य सदस्य की ओर से लाया जावे । इसका मतलब यह कतई नहीं है ।

Page No. 10

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने कहा कि यह प्रश्न अन्य किसी के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने यह फरमाया कि यह प्रश्न अन्य व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता तो ठीक होता तो इसका अर्थ तो यही है।

श्री अध्यक्ष : में अर्थ नहीं निकालता हूं। व्यवस्था साधारण सो है। नेक्स्ट।

चित्तौड़-कोटा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण

५४३. श्री हरिसिंह (बेगूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य सरकार ने चित्तौड़ कोटा ब्रोडगेज रेलवे लाइन को चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में लिये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की ? यदि हां, तो कब ?

(२) राज्य सरकार की उक्त सिफारिश पर क्या निर्णय हुआ और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

(३) राज्य सरकार ने इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के विषय में क्या २ प्रयत्न किये हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन) : (१) जी हां, दिनांक १७-५-६५ को केन्द्रीय सरकार से चित्तौड़गढ़ से कोटा नई रेलवे लाईन चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में लिये जाने के लिए अनुरोध किया था।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि इस रेलवे लाइन को किस नम्बर की प्रायोरिटी मिलेगी।

(३) राज्य सरकार ने प्रायोरिटी के हिसाब से इस रेलवे लाइन को खोले जाने के लिए दूसरी प्राथमिकता दिये जाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चित्तौड़गढ़ कोटा लाइन अभी की योजना नहीं है। सन् ४८ में इसका सर्वे हो चुका था। इसके बाद कई बार इसका सर्वे हो चुका है। आपने फरमाया कि सर्वे अभी हो चुका है और यह भी कहा कि प्रायोरिटी में किस नम्बर पर इसको प्रायोरिटी मिलेगी यह भी निश्चित नहीं है कि कब लिया जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है उस पर प्रकाश डालें।

श्री अमीनुद्दीन : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके मुतल्लिक गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखा जा चुका है। कब ले और कब चालू हो यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया से ताल्लुक है।

श्री हरिसिंह : क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में उम्मीद रख सकते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : यह मैं कह नहीं सकता।

श्री हरिसिंह : क्या प्रॉयोरिटी में रखना नहीं चाहते ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सांभर व कुचामन सिटी के उच्च विद्यालयों का डिग्री कालेज में परिवर्तन

५४८. श्री किशनलाल शाह (नावां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सांभर और कुचामन सिटी के उच्च विद्यालयों को डिग्री कालेज में उन्नत करने में सरकार के समक्ष क्या अड़चनें हैं ?

(२) क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों के विद्यार्थियों को अन्यत्र प्रवेश प्राप्ति व अन्य आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए उक्त स्थानों पर डिग्री कालेज की स्थापना को कार्यवाही आगामी सत्र में ही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) यदि सांभर की स्थानीय जनता भवन निर्माण हेतु वांच्छित सहयोग देने के लिए तैयार हो तो चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में यहां पर कालेज खोलने बाबत विचार किया जा सकता । कुचामन सिटी से अभी भी कालेज में पढ़ने वाले छात्र सेठ बांगड द्वारा दान में दी गई बस में रोज़ाना डीडवाना आने जाने की सुविधा उपलब्ध किये हुये हैं ।

(२) धनाभाव के कारण चालू वर्ष में कालेज खोलना संभव नहीं है ।

श्री किशनलाल शाह : जैसा आपने कहा कि भवन-निर्माण की सुविधा के लिए सहयोग दे दें तो इसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विचार हो सकता है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की पाबन्दी केवल कस्बों और गांवों के लोगों के लिए ही है या सभी जगह के लिए है ?

राव श्री धीरसिंह : सांभर में पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा सकता है और एक प्रस्ताव है और इन पर कुछ प्रस्तावों के बारे में इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पंच वर्षीय योजना में इस पर विचार करेंगे तो पहली कन्डीशन बताई है वह पूरी कर दें उसके बाद में इसे पंचवर्षीय योजना में विचारार्थ लिया जावेगा ।

श्री किशनलाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कस्बों में और गांवों में स्कूल, कालेजों के भवनों का निर्माण यदि जनता द्वारा नहीं किया जा सकता तो वहां स्कूल कालेज सरकार नहीं खोलती, यह शर्त सारे राजस्थान की जनता पर है या किसी और कस्बे के लिए ही लागू है ?

राव श्री धीरसिंह : सबके लिए लागू है, धनाभाव के कारण यह रखा जाता है । अगर सरकार के पास पैसा उपलब्ध हो तो यह शर्त हटाई जाती है । बजट पोजिशन के माफिक शर्तें बदलनी पड़ती हैं ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : उपरोक्त शर्तें बताई है इसके अनुसार आपने किस-किस शहर से कितनी-कितनी धनराशि इकट्ठी की है ?

प्रश्न संख्या ५४५

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द !

बाड़मेर डिग्री कालेज भवन का निर्माण

५४६. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) बाड़मेर डिग्री कालेज को बिल्डिंग के निर्माण का कार्य कब से शुरू किया जावेगा ?

(२) इस कार्य में विलम्ब क्यों हुआ ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

(२) टेन्डर इत्यादि आमन्त्रित करने में समय लगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कितना समय लगेगा बिल्डिंग के बनने में ?

राव श्री धीरसिंह : ८ मई ६७ में कार्य शुरू हो गया है, इस साल के अन्त तक का रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा !

प्रतापगढ़ सब-डिवीजन में कत्ल की घटनाएं

५४७ श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला चित्तौड़गढ़, सब डिवीजन प्रतापगढ़ में गत दो वर्षों में कत्ल की कुल कितनी घटनाएं हुई और किस-किस थाने में कहां-कहां पर ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस अपनी लापरवाही से कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है ? यदि पकड़ पाई है तो कितने कातिलों को सजायें हुई हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि प्रतापगढ़ शहर खास में एक कुंवारी कन्या का कत्ल हुआ जिसमें पुलिस कातिलों का पता आज तक नहीं लगा पाई है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) सब डिवीजन प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में गत दो वर्षों में (दिनांक १-४-६५ से ३१-३-६७) हत्या की केवल ७ घटनाएं, ग्राम खेरोट, राजपुरिया, मोकमपुरा, कस्बा प्रतापगढ़ अधीन आरक्षी केन्द्र प्रतापगढ़ और ग्राम वीलीखेड़ा आरक्षी केन्द्र धमोत, ग्राम छापन आरक्षी केन्द्र देवगढ़ और ग्राम रीछा आरक्षी केन्द्र अरनोद में हुई हैं।

(२) इन हत्याओं की घटनाओं में से ४ मुकदमों में २० अपराधियों का चालान हुआ जिनमें एक हत्यारे को अदालत से सजा और दो अपराधियों को अदालत से बरी किया गया व शेष १७ हत्यारों के विरुद्ध मुकद्दमात अब भी अदालत में विचाराधीन हैं। पुलिस ने कातिलों को पकड़ने में कोई लापरवाही नहीं की। शेष दो मुकदमों में से एक की एफ. आर. अदम पता दी गई और एक हनोजजेर तफतीश है तथा एक में ५१२ में चालान अदालत में पेश किया गया जो वहां पेंडिंग है।

(३) जी हां। पुलिस अपराधियों की तलाश में पूर्ण प्रयत्नशील है।

श्री हरलाल मीणा : यह कब हुए, किस कारण को ले कर हुआ, मकतूला की उम्र क्या थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप लड़की के कत्ल के बारे में पूछ रहे हैं ? पुलिस स्टेशन प्रतापगढ़ में ३-२-६७ को जुबानी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिपोर्ट पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, कत्ल के कारण का अभी तफतीश से पता नहीं चला। पहले लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह भुवाजी के यहां गई थी, लौट कर नहीं आई। कुछ कारण बताया था कि बड़ी लड़की की सगाई एक जगह हुई थी वहां से छोड़ कर दूसरी जगह शादी तीन दिन बाद होने वाली थी। दूसरी जगह सगाई कर दी। वह लड़की नहीं उससे छोटी लड़की के लापता होने की रिपोर्ट की। बाद में लाश बरामद हुई, पुलिस ने तफतीश के दौरान हर मुमकिन कोशिश की पर कातिलों का पता नहीं लगा।

श्री हरलाल मीणां : कारण स्पष्ट है, सगपण पहले एक जगह हुआ, उसके बाद दूसरी जगह हुआ और उसका कत्ल हुआ है तो स्पष्ट है कि जिन लोगों के यहां सगपण करके छोड़ दिया, उन्हीं का इस कत्ल से ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ७ में से एक सजायाफ्ता हुआ ६ सजायाफ्ता नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि इन हत्याओं में से चार मुकदमों में २० अपराधियों का चालान हुआ, जिनमें एक हत्यारे को अदालत से सजा और दो अपराधियों को अदालत से बरी किया गया व शेष १७ हत्यारों के विरुद्ध मुकद्मात अब भी अदालत में विचाराधीन हैं। पुलिस ने कातिलों को पकड़ने में कोई लापरवाही नहीं की। १७ अन्डर ट्रॉयल हैं। एक की एफ. आर. अदम पता में दी गई और एक जेर तफतीश है तथा एक में ५१२ जाब्ता फौजदारी में अदालत में चालान पेश किया गया जिसमें कि मुल्जिम मफरूर हैं।

श्री हरलाल मीणां : लड़की के कत्ल करने वालों का तो स्पष्ट है, पकड़ने में क्यों देर हुई है ?

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट। श्री विजयसिंह रावत !

नसीराबाद में बस स्टेशन

श्री विजयसिंह रावत(नसीराबाद): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि अजमेर जिले के नसीराबाद में बस स्टेशन चतुर्थ आम चुनाव के दौरान वर्तमान स्थान से पुराने स्थान पर बदला गया था ? अगर हां, तो अब वापिस क्यों हटा दिया गया है ?

यातायात मन्त्री(श्री अमीनुद्दीन अहमद): जी हां, क्योंकि उस समय तक यात्रियों के लिए पानी की व पोर्टर की सुविधायें वर्तमान स्टेण्ड पर उपलब्ध नहीं हो सकी थीं, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने स्टेन्ड पर से ही बुकिंग की व्यवस्था कर दी गई थी। ये सुविधायें वर्तमान स्टेण्ड पर उपलब्ध होते ही वापिस बुकिंग की व्यवस्था कर दी गई है जो कि निगम की स्वयं की सम्पत्ति है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा। कि जहां पर बस स्टेन्ड को वापिस बदला है, वहां ये सुविधायें उपलब्ध हैं जो मंत्री महोदय फरमा रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह सवाल पूछना चाहें तो दूसरी बात है, वरना उनके कहने से ही यह स्टेण्ड अब बदला जा रहा है!

श्री अध्यक्ष : वापिस नहीं कर देंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : माननीय सदस्य के कहने की वजह से, जोर होने से, दोस्ती के नाते।

श्री अध्यक्ष : इन्साफ के नाते नहीं ?

श्री रूपसिंह !

सरदार शहर में चिकित्सा व्यवस्था

श्री रूपसिंह राजवी (सरदार शहर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि सरदार शहर में आबादी एवं रोगियों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा-व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ?

(२) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि स्थानीय नागरिक वहां एक अच्छे अस्पताल की मांग कर रहे हैं ?

(३) नागरिकों की मांग कब तक पूरी कर दी जायगी ?

उपमंत्री, चिकित्सा (राव श्रीवीरसिंह) : (१) सरदार शहर की आबादी १९६१ की जनगणना के अनुसार ३२०७२ है तथा इस समय सरदार शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है, जिसमें १२ शैयाओं का प्रावधान है।

(२) श्री छोटेलाल सेठिया कलकत्ता निवासी ने दो लाख रुपये दान में चिकित्सालय भवन-निर्माण करने प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष रखा था जो राज्य सरकार के और श्री छोटेलाल के बीच लिखा पढ़ी में है। यह धन राशि एक ५० बेड के अस्पताल भवन-निर्माण करने के लिये अपर्याप्त है इसमें करीब ८,००,००० रुपया लगने की सम्भावना है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५५०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोरधन सोनी !

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता):

प्रश्न संख्या ५५०

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है अतः १५ दिन की मोहलत और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

५५१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् १९६६-६७ में किन-किन व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित करार देकर कितनी कितनी और किस-किस प्रकार की कब कब सहायता दी गई? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने कारण वि. स. पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इस सूची में दो व्यक्तियों को ५-५ हजार की सहायता दी गई है क्या वह कलेक्टर की जांच के बाद दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फतेलाल बापू को ५ हजार की सहायता दी, इसलिये कि उनके लड़के को कैंसर की बीमारी होगई थी। कैंसर की बीमारी के इलाज कराने में बहुत ज्यादा खर्च का सवाल था इसलिए ५ हजार का अनुदान दिया। वैसे वे मासिक अनुदान प्राप्त नहीं करते, उन्होंने इसके लिये एप्लाई भी नहीं किया।

दूसरे श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय भी उसी स्थिति में आते हैं जिनको मासिक पेन्शन नहीं मिलती, रीहेबिलिटेशन के लिए रुपया दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कर्ज चुकाने के लिए रुपया दिया है ?

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संकेत से स्वीकृति दी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि राजनैतिक कारणों से उन्होंने जिस समय कठिनाइयां भुगतीं, उस समय का कर्जा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस समय मेरे पास यह सारी डिटेल्स नहीं हैं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : केन्सर की बीमारी का इलाज कहां कराया गया ?

श्री अध्यक्ष : इस पर शक न करें। ३० वर्ष के लड़के की मृत्यु हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इलाज भी करवाया गया और उसकी मृत्यु हो गयी।

एक माननीय सदस्य : इलाज कहां करवाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां भी करवाया गया और उदयपुर में भी करवाया गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या पोलिटिकल सफरर होने के नाते आर्थिक दशा खराब होने के कारण जीवनयापन नहीं कर सकते यह इसके पीछे आधार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मुख्य आधार है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : क्या यह सही है कि भरतपुर में ऐसे व्यक्तियों को यह पेन्शन दी गई है जो लाखों रुपये के ठेके के काम करते हैं और १०-१० लाख की आसामी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम कलेक्टर्स से जानकारी करते हैं और वे उनकी स्थिति के बारे में सूचना देते हैं और कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी सूचना मौके की या अधिकृत रूप से होती है, उसी के आधार पर देते हैं। जिनके लाखों रुपये के ठेके के काम होते हैं, उनको नहीं दी जाती है। अगर माननीय सदस्य किसी के बारे में जानकारी देंगे कि उनका यह इन्कम का सोर्स है और ये पेन्शन प्राप्त करते हैं तो हम पुनः विचार करने में नहीं झिझकेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : आप जानकारी लेते हैं कलक्टर्स से आमदनी की तो कौन-कौन से सोर्सिज की जानकारी लेते हैं, जमीन वगैरह की भी जानकारी लेते हैं ? अगर ऐसा है तो भरतपुर की जो लिस्ट है तो उसमें आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास ४५०-५०० बीघा जमीन है, कलेक्टर ने कैसे जानकारी दी ?

Page No. 16

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि कैसे जानकारी दी लेकिन जानकारी प्राप्त की जाती है और किसी के पास ४५०-५०० बीघा जमीन हो तो ऐसी सूचना होते हुए हम किसी को भी यह पेन्शन नहीं देते ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या केवल कांग्रेस से सहानभूति रखने वालो को यह पेंन्शन मिलती है या अन्य लोग जो विरोधी पक्ष के हैं, उस परिभाषा में आते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके अन्दर मुख्य बात यह है कि प्रिइन्डिपेन्डेन्स् पीरियड के अन्दर जिन लोगों ने कार्य किया हो और उसमें जेल जाने वाली शर्त में खास तौर में आते हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के अन्दर जेल गए और आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं हो, अपने परिवार को निभाने के अंदर, ये चीजें सामने रखी जाती हैं, तो उनको देते हैं । मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन किसी भी पक्ष या विपक्ष की दृष्टि से नहीं बल्कि इन आधारों पर देते हैं ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं समझता हूं कि यह मानवीय सवाल है और जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में कोई क्षति उठाई है तो उनकी हमें पूजा करनी चाहिए और हमारा सर स्वतः ही झुक जाता है उनके त्याग और तपस्या के सामने । परन्तु सवाल यह है कि ऐसे अवसर का फायदा उठाकर, कुछ व्यक्ति राजनैतिक कारणों से फायदा उठाएं तो ठीक नहीं । वैसे मेरे हाथ में जो लिस्ट है उसमें ये नाम काफी नहीं हैं । स्वामी भगवानदास का नाम इसमें नहीं है जिनको पैंन्शन मिल रही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह १९६६-६७ में दी गई है, पुराने और हो सकते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर के लिए मुझे जानकारी है कि इसमें आधे से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो वेल-टु-डू हैं, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा है और किसी कारण विशेष से उनको वह पैन्सन दे दी गई है । कम से कम और मुर्दों में आप कुछ भी दें लेकिन इस नाम पर कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के पीड़ितों के नाम पर व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, यह हमारे दिलों में चुभता है । तो क्या सरकार इस बारे में कदम उठाएगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य मुझे अगर नाम देंगे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तब भी उनको पैन्शन मिल रही ' तो, मैंने जैसा निवेदन किया, उस पर पुनः विचार करने के अन्दर कतई एतराज नहीं होगा । जो आधार हम सामने रखकर चलते हैं, वह मैं निवेदन कर चुका हूं ।

श्री रामकिशन: यह सूचना तो दे दो लेकिन भरतपुर के अन्दर भी अगर करा दिया, उनका सूची में नाम....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम किसी को इस नाम पर फायदा नहीं देना चाहते । जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के अन्दर हिस्सा न लिया उसको भी लाभ नहीं देना चाहते और न उनको देना चाहते जिनकी आज के दिन आर्थिक स्थित अच्छी हो । अगर इसके अन्दर गलत रिपोर्ट की वजह से गलत जानकारी की वजह से कोई कार्यवाही हुई है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो आप बता दें, मैं उनको करेक्ट करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया !

कोटा जिले में हुई चोरियों की बरामदगी

५५३. श्री देवी दत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) कोटा जिले में सन् १९६४-६५, १९६५–६६ एवं १९६६-६७ के वर्षों में तहसील क्षेत्रों में कितनी-कितनी चोरियां कितने-कितने कितने रुपयों की हुई और उनमें से कितनी चोरियों का माल मय चोरों के बरारद हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में कोटा जिले में मय चोरी के साथ पकड़े गये चोरों में से कई चोर मामले अदालत में जाने के बाद निरपराध होकर छूट गए? यदि हां, तो किन कारणों व खामियों के कारण से?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) :

(१) कोटा जिले में सन् १९६४ ६५ में ७१९, सन् ११६५-६६ में ७२४ तथा १९६६–६७ में ८४४ चोरियां हुई। जिनमें १९६४–६५ में ३६४२७१.२५ न० पै०, १९६५–६६ में ४१२८७९.४५ न० पै० तथा १९६६-६७ में ४५९४५०.८० न० पै० की सम्पत्ति चोरी गई जिसमें से सन् १९६४–६५ में ३३८ चोरियां मय ४९३ चोरों के, १९६५–६६ में ३८९ चोरियां मय ५४३ चोरों के तथा १९६६–६७ में ४३७ चोरियां मय ५८२ चोरों के बरामद हुई तथा अपराधी वन्दी बनाये गये।

(२) जी हां, ऐसे कितने ही मामले हैं जिनमें चोरी के साथ पकड़े गए चोरों में से कई चोर अदालत में जाने के बाद छूट गये इसका कारण इस्तागासे के गवाहों का होस्टाइल हो जाना माल तथा मुलजिमों की शनाख्तगी संदिग्ध हो जाना तथा गवाहों के बयानों में इख्त-लाफ हो जाना आदि हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र में जो सेठ पचोली की चोरी हुई उस चोरी के अन्दर मुलजिमों के नामों का भी पता लग चुका था लेकिन सरकारी अधिकारियों ने जान-बूझ कर उस मामले को दबा दिया?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह अलग सा प्रश्न है। ७००–८०० चोरियां इस साल में हुई हैं उनके डिटेल्स में नहीं दे सकता। आप अगर किसी खास चोरी के लिए सूचना चाहते हैं तो अलग नोटिस की जरूरत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैंने इस चोरी के संबंध में और सूची मांगी थी वह सदन की मेज पर नहीं रखी गई। इसलिए मैं सम्बन्धित प्रश्न पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने पूछा चोरियां कितनी हुई। मैंने अपराधों के नम्बर दे दिए। डिटेल्स देने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है मगर आप जिस चोरी के डिटेल्स चाहते हैं जिसमें आप समझते हैं कि पुलिस की तरफ से गड़बड़ी हुई तो स्पेसीफिकली उसके लिए आप पूछते।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या यह

Page No. 18

(श्री श्रवणलाल)

सही है कि जो चोरियों के माल आपने बरामद किए हैं, वह जिन व्यक्तियों की चोरी हुई थी उनके सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा !

टोंक एवं सवाई माधोपुर शिक्षा निरीक्षक कार्यालय।

५५२. श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शिक्षा प्रशासन दृष्टि से टोंक एवं सवाई माधोपुर दोनों जिले एक ही शिक्षा निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं ?

(२) यदि ऐसा है तो शिक्षा-निरीक्षक कार्यालय, करौली जो दोनों जिलों के एक दूरवर्ती कौने में पड़ता है किस उद्देश्य से रखा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार की दृष्टि में शिक्षा-निरीक्षक की ट्यूरिंग, ड्यूटीज एवं अन्य सम्बन्धित उक्त दोनों जिलों के अध्यापकों के यात्रा-व्यय आदि का संभार राज्य-कोष पर अधिक पड़ता है एवं उक्त स्थान पर कार्यालय रखा जाना असुविधाकर है ?

(४) सवाई माधोपुर टोंक एवं सवाई माधोपुर दोनों जिलों के बीचों बीच स्थित होते हुए भी शिक्षा-निरीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर क्यों नहीं रखा जाता है ?

(५) क्या सरकार को उक्त कार्यालय सवाई माधोपुर रखने में कोई आपत्ति है ?

(६) यदि है तो क्या ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी हां।

(२) भवन की यहां उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध थीं और हिंडौन, गंगापुर क्षेत्र के लिए करौली सुविधाजनक है।

(३) जी नहीं।

(४) पुनर्विचार हो रहा है।

(५) और (६) : (४) के उपरोक्त बिन्दु के अन्तर्गत दिये गये उत्तर से प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पुनर्विचार सिर्फ शिक्षा-निरीक्षण-कार्यालय का हो रहा है या और आज्ञाओं का भी ?

राव श्री धीरसिंह : पुनर्विचार जो शिक्षा-निरीक्षण का कार्यालय करौली में है उसके बाबत हो रहा है। यहां भवन नहीं है। जो नया भवन बनाया गया है वह पंचायत अध्ययन-केन्द्र के काम में लिया जा रहा है कलेक्टर के आदेश द्वारा। एकोमोडेशन एवेलबल हो जायगी तो इस पर विचार करेंगे। जो अध्ययन केन्द्र का भवन है करौली में वह अच्छा है। इसलिए आज जो व्यवस्था है वह उपयुक्त है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : जब हमारी मितव्ययता की बात चल रही है, बजट पर भार है तो उसमें टोंक और सवाई माधोपुर दोनों जिलों के मध्य में सवाई माधोपुर

Page No. 19

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

पड़ता है, सवाई माधोपुर में शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय की स्थापना करने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : आपत्ति बताई है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : भवन की जो आपत्ति बताई वह तो पहले भी मौजूद थी। वहां पर भवन मौजूद है। अब नया सैशन शुरू हो रहा है। मंत्री महोदय आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि जैसे भवन खाली हो जायगा फौरन शिक्षा-निरीक्षक का कार्यालय बदल दिया जायगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! उत्तर दीजिए।

राव श्री धीरसिंह : आपने यह बात बतलाई, इसका मैंने उत्तर दिया है कि यह मामला विचाराधीन है। इस पर निर्णय करने के बाद जो फाइनल पोजीशन होगी वह बताई जा सकती है। अभी निर्णय नहीं लिया गया है अभी विचार कर रहे हैं। आपने बताया कि सेन्टर में होना चाहिए। करौली दूर पड़ता है। अभी दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि वहां भवन की व्यवस्था नहीं है इसीलिए करौली में रखना चाहिए। इन सब आस्पेक्ट पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद में निर्णय लेंगे।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : क्या यह अकेला पहलू है ? भवन का ही पहलू है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट ! श्री लादूराम सुलानियां !

श्री हरिबल्लभ शर्मा : इसमें और रह गया है।

श्री अध्यक्ष : २२ क्वेश्चन और हैं, माननीय सदस्य !

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप किसी से निवेदन मत करिये।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : राजनैतिक दृष्टि-कोण से यह करौली में रख रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : और जिले के कलेक्टर हैं..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य। श्रीमती कान्ता कथूरिया !

(प्रश्न संख्या ५५४ नहीं पूछा गया)

महारानी सुदर्शन कालेज, बीकानेर में स्नातकोत्तर शिक्षा

५५५. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या शिक्षा विभाग के समक्ष महारानी सुदर्शना कालेज, बीकानेर को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उन्नत (अपग्रेड) करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

(ख) इस कार्य में कितना खर्चा होने का अनुमान है ?

उपमन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५५६

श्री अध्यक्ष, नेक्स्ट, श्री दौलतराम सारण।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ५५७

श्री दिग्विजय सिंह।

दिग्विजयसिंह (उनियारा) : प्रश्न संख्या ५५७।

गृह मन्त्री (श्री दामोदर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब आ नहीं सका है इसलिए इसको अगले टर्न पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता !

मांडलगढ़ तहसील तथा उप-जिले की कोर्ट का स्थान

५५८. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)**: क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-
(१) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील तथा उप-जिले की कोर्ट ही वहां के किले पर रह गई है और बस्ती करीब करीब नीचे आ गई है। यदि हां,तो क्या यह सही है कि ऐसी हालत में उस क्षेत्र की एक लाख जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

(२) तहसील तथा सब डिवीजन की कोर्ट कब तक बस सकेगी।

(३) यदि अब तक इस सम्बन्ध में योजना नहीं बनी है तो योजना कब तक बनेगी और काम कब चालू होगा ?

(४) जब तक भवन बन कर तैयार न हो उस समय तक कोर्ट को तथा तहसील को नीचे लाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां। इन अदालतों के किले पर होने से मुवक्किलों को असुविधा अवश्य है।

(२) नये भवन बनाना तो अभी अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं होगा।

(३) नये बनाने का प्रस्ताव तो है किन्तु अर्थ--अभाव से अभी सम्भव नहीं। आर्थिक तङ्गी कम होते ही नये भवन बनाने के प्रस्ताव पर कदम उठाया जायेगा।

(४) किराये पर भवन लेकर या फिर मवेशियों के अस्पताल की जगह इन कार्यालयों को लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऐसा है, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कि जब कभी आग लग जाती है ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, आग नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रश्न यह है कि.....

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्ट प्रश्न पूछिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आग लगती है, बाढ़ आ जाती है तो तत्काल इन्तजाम करते हैं। किले में पांच-दस मकान रह गए हैं, तो जिस तरह उसमें व्यवस्था करते हैं उसी तरह इसमें व्यवस्था होना सम्भव है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नम्बर चार में मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। फाइव फाइव नाइन !

श्री रामकिशन : ५५९, फाइव फाइव नाइन नहीं।

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

श्री रामकिशन : फाइव फाइव नाइन हिन्दी में नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : ट्रान्सलेशन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह ट्रान्सलेशन तो गलत हो गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह किताब तो अंग्रेजी की पढ़ते हैं और हिन्दी बोलते हैं।

राजस्थान अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ

५५९. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नौनगजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ ने मान्यता प्राप्त करने के लिये सबसे पहले प्रार्थना-पत्र किस तारीख को दिया ?

(२) उस प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि संघ को मान्यता न मिलने के कारण नोनगजेटेड पुलिस कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) १०-२-५७ को।

(२) राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा १९५९ व १९६२ में दिये गये फैसलों के अनुसार किसी भी कर्मचारियों को अपने वर्ग का एसोसियेशन बनाने के मौलिक अधिकार हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा उस संघ को स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

इसके बाद दिसम्बर १९६६ में पालियामेंट में एक नया कानून पुलिस फोर्सेज (रजिस्ट्रेशन आफ राइट्स) एक्ट नम्बर ३३ आफ १९६६ बनाया जा चुका है। यह कानून दिनांक २१-१२-६६ को राजस्थान में लागू हो चुका है। इसके अन्तर्गत अब इस प्रकार के संघ को केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(३) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवचरण (मांडल) : क्या माननीय गृह मंत्री जी, बतायेंगे कि क्या आई. पी. एस. एसोसियेशन बनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : पहला प्रश्न, क्या हो गया साहब !

श्री शिवचरण : मेरा प्रश्न यह है कि नानगजेटेड कर्मचारियों के संघ के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती है लेकिन आई. पी. एस. एसोसियेशन है या नहीं और है तो क्या मान्यता प्राप्त है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसकी मान्यता प्राप्त है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जब आई. पी. एस. एसोसियेशन की मान्यता प्राप्त है तो आर. पी. एस. और दूसरे कर्मचारी हैं उनको भी संघ बनाने की आशा है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

क्योंकि वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून से गवर्न होते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस पर कानून पर गौर कर लीजिये, दिसम्बर ६६ एक्ट नम्बर ३३ आफ १९६६, जो पार्लियामेन्ट ने कानून बनाया है उसमें जो कवर होते हैं उनके ऊपर सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्वीकृति देती है और वह ही एप्रूव करती है और सेंक्शन देती है ।

श्री शिवचरण : जब पुलिस का प्रत्येक कर्मचारी आई. जी. से कान्स्टेबल तक पुलिस एक्ट के तहत गवर्न होते हैं तो आई. पी. एस. एसोसियेशन तो मान्यता प्राप्त है और नोनगजेटेड की एसोसियेशन को मान्यता देते नहीं हैं, ऐसा क्यों है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आशा करूंगा कि जिस एक्ट का हवाला दिया है उसको आप पढ़ लेंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : क्या राज्य सरकार....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह दिसम्बर ६६ में बना है एक्ट ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : क्या राज्य सरकार नान गजेटेड पुलिस कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र को केन्द्रीय सरकार के पास उनकी संख्या को रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेजने के लिए सिफारिश करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो प्रार्थना पत्र आयेगा और उसके साथ में विधान वगैरह बता कर भेजेंगे, वह कानून के मुताबिक होगा तो जरूर हम केन्द्रीय सरकार को दरख्वास्त भेजेंगे ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : इस कानून में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आफ लॉ ! क्वेश्चन आफ लॉ ! आप देख लीजिये ।

प्रश्न संख्या ५६०

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रेमसिंह !

श्री देवी दत्त : ५६१ !

श्री अध्यक्ष : ५६१ ! श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

कोटा जिले के थानेदारों के तबादले

५६१. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छाबडा) (**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) द्वारा पूछा गया): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिले में दिसम्बर, १९६६ से अप्रेल, १९६७ तक कब-कब किन-किन थानेदारों के तबादले कहां कहां किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि कई थानेदारों के तबादले उक्त अर्से में कई कई स्थानों पर किये गये है ? यदि हां, तो कृपया उनके नाम व स्थान बताने का कष्ट करें जहां जहां उनके तबादले किये गये थे ।

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री देवी दत्त गाडिया - क्या यह सही है कि शाहाबाद के थानेदार का चुनाव के काल के अन्दर वहां से परिवर्तन किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है। तबादले होते हैं। बेन नहीं लगा हुआ है।

श्री देवी दत्त गाडिया : चुनाव के काल में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चुनाव के काल से मतलब नहीं है। हो सकता है उस थाने में चुनाव भी हो।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि सूची के अन्दर कई थानेदार इस प्रकार के हैं जिनका तबादला एक साल में दो तीन दफा किया गया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : हो सकता है। इस सूची में है तो तबादला हुआ होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार एक साल के अन्दर तीन चार तबादले किया जाना उचित समझती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उचित नहीं समझती है लेकिन मजबूरी सरकार के सामने आ जाती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आजाते हैं, कुछ जनता की शिकायत आती हैं, कुछ के काम में खराबी आ जाती है। कोई बात होगी जिसकी वजह से तबादला करने के लिए सरकार के अधिकारी मजबूर होते हैं।

श्री देवी दत्त गाडिया : क्या यह सही है कि शाहाबाद के कांग्रेसी नेताओं की शिकायत के ऊपर शाहाबाद के थानेदार का परिवर्तन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

नेक्स्ट ! श्री चुन्नीलाल !

बीकानेर--जोधपुर बस सर्विस

५६२. **श्री चुन्नीलाल इदालिया** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : बीकानेर से जोधपुर का सीधा बस का रास्ता होते हुए भी डाईरेक्ट जोधपुर से बीकानेर व बीकानेर से नागौर होती हुई जोधपुर बस क्यों नहीं लगाई जा रही है ? अगर लगाई हुई है तो कितनी बसें डाइरेक्ट चलती हैं और क्या जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर और बसों को लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : बस नहीं लगाई गई है क्योंकि इसरूट पर सीधी सर्विस चलाने के लिए कोई मांग नहीं थी।

अभी इस रूट पर आर. टी. ए. ने किसी को भी सीधी सर्विस चलाने का परमिट नहीं दिया है। सीधी सर्विस चलाने की योजना इस वक्त आर. टी. ए. बीकानेर और जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है।

श्री चुन्नी लाल इंदालिया : अध्यक्ष

(श्री चुन्नीलाल इंद्रालिया)

महोदय, मैं मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा; वहां बहुत से लोग बस चलाने के लिए तैयार हैं परन्तु सरकार की तरफ से इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इससे लोगों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जोधपुर में हाई कोर्ट है और बीकानेर और गंगानगर के काफी लोग आने जाने के अन्दर दिक्कत का मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान यहां के लोगों की दिक्कतों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस रोड पर बस लगाने की कृपा करें।

श्री अमीनुद्दीन : मैंने अभी अर्ज किया कि यह विचाराधीन है। इसके मायने यह हैं कि इसके परमिट्स और आर. टी. ओ. का फैसला भी जल्द करेंगे।

श्री चुन्नी लाल इन्द्रलिया : लग जाय तो हर्ज तो नहीं है ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इसमें अजीब स्थिति है जो मंत्री मोहदय को मालूम है। अनेक टाइम इस रूट पर परमिट मिले हैं और हाई कोर्ट से बंद हुए हैं। गवर्नमेंट परमिट देती है तो गवर्नमेंट वकील भी दे क्योंकि बार बार उन्हें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में लीगल मदद उन्हें नहीं मिलती और उनके परमिट वापिस लौटाये जाते हैं। दसियों दफा ऐसा प्रश्न आया है, इस लिए सरकार क्या विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री देवीलाल !

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मदनसिंह दांता : वह मंत्री महोदय, कुछ फर्माना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी नहीं फर्माना चाहते हैं। अलग से प्रश्न है।

श्री चुन्नीलाल इंद्रलिया : आप कुछ फर्माना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप फर्माना चाहते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं कुछ नहीं फर्माना चाहता। फालतू की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

चावन्ड (जिला उदयपुर) हाई स्कूल भवन का निर्माण

५६३. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा के गांव चावण्ड के हाई स्कूल के भवन के कुल कितने कमरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और कितने ऐसे कमरे हैं जो अधूरे पड़े हैं।

(२) क्या यह सही है कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ होने से वहां के लोगों के लिए स्कूल भवन बनवाना कठिन है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने चावन्ड हाई स्कूल के भवन के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो कितना ?

उपमन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): गांव वालों ने चार कमरे बनवाये हैं जो

Page No. 25

(राव श्री धीरसिंह)

अधूरे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक कमरा पूर्ण बना दिया व एक कमरे पर टीन शेड है।

(२) जी हां।

(३) धनाभाव के कारण इस वर्ष भी प्रावधान रखना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

श्री देवीलाल : जो टीन शेड वाला कमरा है क्या उसको भी पूरा कराया जायगा?

राव श्री धीरसिंह : अभी धनाभाव के कारण कोई भवन निर्माण के लिए प्रावधान नहीं रखा हुआ है। यह महसूस करते हैं कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिये इसको धन की उपलब्धि होते ही कन्सीडर करेंगे।

(१२ मध्यान्ह)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या पिछड़े हुए क्षेत्रों में भवन निर्माण में लोगों का सहयोग अनिवार्य रूपेण लेना उचित समझते हैं?

राव श्री धीरसिंह : अनिवार्य रूपेण उचित नहीं समझते हैं। बजट में प्रावधान होता है तो पिछड़े हुए लोगों से सहयोग के लिए नहीं कहते हैं। धन नहीं है इसलिए यह विचार करना पड़ता है कि वह भी सहयोग दे सकें तो वह चीज उनके काम में आ जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री पुखराज कालानी।

पीपलिया कलां रायपुर तहसील से कुशालपुरा सड़क का निर्माण कार्य

५६०. **श्री पुखराज कालानी** (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) पीपलिया कलां से कुशालपुरा का जो रास्ता जाता है उस पर सड़क निर्माण की मन्जूरी कहां से कहां तक की (कितने मील), कब व कितने रुपयों की हुई थी ?

( ) सड़क निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत शुरू हुआ था या नियमित सड़क निर्माण कार्यों के अन्तर्गत ?

(३) सड़क निर्माण कार्य कौन सी तारीख से शुरू हुआ व अब तक कितना पूरा हो चुका है ?

(४) क्या इस समय कार्य चालू है ? यदि हां, तो कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ? यदि कार्य बन्द है तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन) (१) यह काम सन् १९६३-६४ में ६,००० रुपया की लागत का और ६६-६७ में १०,००० की लागत का मन्जूर किया गया था।

(२) सन् ६३-६४ में अकाल राहत के तहत मिट्टी का काम कराया गया है और ६६-६७ में नियमित सड़क निर्माण कराया है।

(३) दिनांक २२-२-६७ से काम शुरू हुआ है और अब तक १-१।४ मील में कार्य हुआ है।

(४) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री प्रद्युम्नसिंह।

धौलपुर उप जिले की प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को वेतन

५६५. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा):- क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि धौलपुर उप जिले के जिला निरीक्षक, भरतपुर, के अन्तर्गत चलने वाली प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को प्रायः दो-दो माह तक वेतन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अध्यापकों के वेतन बिलों के अतिरिक्त अन्य बिल भी महीनों तक पास नहीं किये जाते ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, शिक्षा : (राव श्री धीरसिंह) (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो जवाब दिया गया है वह बिलकुल गलत जवाब दिया गया है। भरतपुर जिला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। टी ए. बिल....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। प्रश्न पूछिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्या ?

राव श्री धीरसिंह : भ्रष्टाचार नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : यदि माननीय सदस्य ने फरमाया उसमें कोई तथ्य है तो उसकी जांच करवा लूंगा और ऐजुकेशन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी को भेज कर उसकी जांच करवा लूंगा।

प्रश्न संख्या ४२

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न (२५-५-६७)

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित,) कृपया आगे देखिये।

श्री विट्ठल।

स्थगित प्रश्न (२६-५-६६)

बांसवाड़ा से रतलाम सड़क पर डांमर का ठेका।

७९. **श्री विट्ठल भाई** (पिपलखूंट): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा से रतलाम रोड पर डामर करने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया है। यदि हां, तो कहां से कहां तक का ?

(२) कब से उक्त ठेकेदार को ठेका दिया गया है।

(३) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

(४) यदि हां, तो क्यों ?

Page No. 27

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन): (१) जी हां। मील १५ से २० तक का ठेका दिया गया है।

(२) २२. १०. ६५ से।

(३) जी हां।

(४) धन की कमी के कारण

श्री विट्ठल भाई : क्या धन की कमी के कारण ?

श्री अध्यक्ष : हां, धन को कमी के कारण।

श्री विट्ठल भाई : जो ठेका दिया गया है २२–१०-६५ से, वहां सड़क पर डामर क्यों डाला गया है। डामर बह रहा है पिघल पिघल कर।

श्री अमीनुद्दीन : इस साल इसको तैयार करने की कोशिश की जावेगी।

श्री विट्ठल भाई : कब तक की जायगी ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने कह दिया कि इस साल कोशिश की जावेगी।

श्री विट्ठल भाई : ८, १० महीने हो गए। डामर की कोठियां वहीं डाल रखो हैं। मवेशियों ने ढोल फोड़ दिये और गर्मी के कारण डामर बह रहा है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बह रहा है क्या डामर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश कर दें तो जैसलमेर चला जाय।

श्री विट्ठल भाई : रोज जोशी साहब उधर से आते हैं उनको मालूम है।

श्री अध्यक्ष : डामर बह रहा है क्यों ?

(विराम)

वह बह रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह स्थिति है कि सड़क निर्माण के सिलसिले में जो डामर के ड्रम सड़कों के किनारे डाले जाते हैं अक्सर आधे से अधिक टूट जाते हैं और डामर आधे से अधिक बरबाद हो जाता है। जो भी सड़क से पास होता है इसको देखता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह आपकी योजना की खूबी नहीं है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नेशनल हाईवे पर चले जाइये। डामर पड़ा हुआ है। आधा बह कर चला जाता है। ठेकेदार आधे से अधिक डामर को जला देते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्वयं मन्त्री महोदय ने अनुभव किया होगा। सफर करते हैं तो मालूम हुआ होगा।

श्री विट्ठल भाई : ठेकेदार को क्यों ठेका दिया और डामर को क्यों इतने दिन पड़ा रखा जब काम नहीं कराना था तो ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न किस्म की गाड़ियों के टैक्स समय पर न जमा कराने की पैनल्टी

५४८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि समय पर टैक्स जमा न कराने की पैनल्टी कमर्शियल और गैर कमर्शियल गाड़ियों के लिए ५०) रुपया है।

(२) क्या यह सही है कि आटो साइकिल, स्कूटर तथा कारों के लिए यह पैनल्टी ५०) रुपया ही है ?

(३) क्या यह सही है कि पब्लिक कैरीयर ट्रक तथा बसों का सालाना टैक्स बहुत अधिक है और कार, स्कूटर आटो-साइकिल का सालाना टैक्स थोड़ा होता है ? कृपया इन अलग अलग प्रकार की गाड़ियों के सालाना टैक्स की दरें अलग-अलग बताने का कष्ट करें।

(४) क्या सरकार महसूस नहीं करती कि सालाना टैक्सों के अनुपात को देखते हुए स्कूटर, आटोसाइकिल और कारों पर यह ५०) रु० की पैनल्टी बहुत ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको कम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, अधिकतम ५०) रु० है।

(२) जी हां, अधिकतम ५०) रु० है।

(३) यह सही है कि पब्लिक कैरीयर ट्रक व बस के सालाना टैक्स कार्स, स्कूटर, आटोसाइकिल के सालाना टैक्स से ज्यादा हैं। ये दरें राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट १९५१ की दफा ४ के तहत परिशिष्ट १, २ व ४ में उपलब्ध है।

(४) जी नहीं।

चुरू जिले में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

५५६. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चुरू जिले में जितनी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत अब तक सड़कें बनी हैं अथवा निर्माणाधीन हैं उनके नीचे कितनी भूमि किसानों की आई है ? सड़क वार विवरण दें और यह भी बतलावें कि कौन सी सड़क की भूमि कब ली गई थी ?

(२) क्या यह भूमि अवाप्त की गई थी अथवा यों ही विभाग ने अपने कब्जे में ले ली ? तथा किसानों ने इसका विरोध किया अथवा उनकी सहमति ली गई थी ?

(३) क्या इस भूमि का किसानों को कोई मुआवजा अथवा बदले में अन्य भूमि देने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब ?

(४) सरकार अब कब तक मुआवजा दे देगी।

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No. 29

ग्राम सुमेरगंज मन्डी के मिडिल स्कूल भवन की मरम्मत

५६०. **श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम सुमेरगंज मन्डी के ग्राम वासियों ने एक भवन मिडिल स्कूल के लिए विभाग की सुपुर्दगी में दिया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भवन की सरकार द्वारा कोई मरम्मत नहीं कराई जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर :-

(१) जी हां ।

(२) यह सही नहीं है ।

स्थगित प्रश्न

(२५-५-६७)

सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाश में लाये गए मामले

४२. **श्री शंकरलाल (जैतारण) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सतर्कता आयोग द्वारा कितने ऐसे मामले गत दो वर्षों में प्रकाश में लाये गये जिनमें सरकारी अधिकारियों को दण्डित किया गया ?

(२) इसमें आई० ए० एस० और आर० ए० एस० अधिकारियों के कितने मामले थे और कितनों को दन्ड मिला ?

उत्तर

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ?

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटकों को सुविधाएं

३९. **श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में आने वाले पर्यटकों के लिये इस वर्ष क्या-क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

(२) क्या इस कार्य निमित्त कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

(३) बीकानेर जिले में पर्यटकों के लिये किन-किन सहूलियतों का प्रबन्ध किया गया है ?

(४) क्या उक्त कार्य निमित्त क्षेत्रीय प्रदर्शनियां भी आयोजित की जायेंगी ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

उत्तर

(१) इस वर्ष राजस्थान में आने वाले पर्यटकों के लिये निम्न विशेष व्यवस्था की गई है ।

(१) माऊन्ट आबू में स्थित टूरिस्ट बंगले में १९ दो शैयाओं वाले, १४ एक शैया वाले व ४ डौरमैटरीज की सुविधा बढ़ाई गई है । इसी प्रकार जयपुर स्थित टूरिस्ट बंगले में ८ दो शैया वाले कमरे एवं

(श्री मुख्य मन्त्री)

एक डोरमेंटीज बढ़ाये गये हैं और सरिसका में भी १० दो शैया वाले कमरे बढ़ाये गये हैं ।

(२) जयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में एक-एक कनडक्टेट बस टूर बस की सुविधा उपलब्ध की गई है ।

(३) जयपुर में आयोजित कृषि मेले में पर्यटकों के लिए अलग से 'पब्लिसिटी स्टाल' लगाई गई थी ।

(४) जयपुर एवं देहली के बीच ४ डी-लक्स बसें पर्यटकों की सुविधा हेतु चलाई जा रही हैं । इसमें से दो भारत सरकार के पर्यटक विभाग द्वारा उपलब्ध की गई है एवं दो राजस्थान सरकार द्वारा ।

(५) देहली में "पर्यटक सूचना कार्यालय" खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(६) इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के अन्तर्गत जयपुर में गरगौर का त्योहार विशेष महत्व के साथ मनाया गया जिसमें विदेशी यात्रियों को आमन्त्रित किया गया । इसका लक्ष्य उनको राजस्थान लोक नृत्य कला द्वारा आकर्षित एवं मनोरंजन उपलब्ध करना था ।

(७) लगभग १०० से भी अधिक ट्रेविल ऐजेन्ट, जो अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कोन्टीनैन्ट, कैनेडा, जापान होंगकोग आदि से राजस्थान में आये, उन्हें यहां समस्त दर्शनीय स्थानों तथा सुविधाओं से परिचित कराया गया । इसमें होटल निगम का भी पूरा सहयोग रहा ।

जी नहीं ।

(३) मितव्ययता के कारण बीकानेर जिले में पर्यटकों के लिये उपलब्ध सहूलियत के अतिरिक्त फिलहाल कोई विशेष सहूलियतें उपलब्ध नहीं की जा सकी हैं ।

(४) उक्त कार्य निमित्त क्षेत्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करने का विचार है, किन्तु अभी तक कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बन पाई है ।

सदर अस्पताल धौलपुर

४०. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजा खेड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सदर अस्पताल धौलपुर को 'बी' ग्रेड का बनाने का कोई प्रस्ताव या योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस अस्पताल के बी० ग्रेड का हो जाने की सम्भावना है, और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) सदर अस्पताल धौलपुर के द्वितीय श्रेणी बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

प्रसूति गृह दौसा

४१. **श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 31

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

(१) क्या दौसा अस्पताल में नगर-पालिका दौसा द्वारा लगाया गया एक्सरे प्लांट चालू हालत में है ? अगर नहीं तो कितने दिनों से ? क्या सरकार इसको शीघ्र चालू करने का प्रयत्न करेगी ?

(२) क्या दौसा प्रसूति गृह में लेडी डाक्टर है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या राज्य सरकार इसके लिए उचित प्रबन्ध करेगी ?

(३) प्रसूति गृह में वर्तमान जन संख्या को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो इस कमी की पूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, ।

(२) जी नहीं । राजस्थान में लेडी डाक्टरों के अभाव के कारण यह स्थान रिक्त है ज्योंही लेडी डाक्टर उपलब्ध होगी त्योंही नियुक्ति कर दी जावेगी ।

(२) प्रसूति गृह दौसा में ६रोग शैयाओं की व्यवस्था है जो पर्याप्त है ।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाए, उदयपुर

४२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) उदयपुर नगर में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी सार्वजनिक शिक्षण संस्थायें हैं और उनके प्रत्येक के कौन कौन पदाधिकारी हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) किस किस संस्था को शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष ६६-६७ में कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

(ग) किस किस संस्था द्वारा यह सहायता प्राप्त करने से पूर्व पिछले वर्ष की आडिट रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई ?

उत्तर

(क) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) इसकी सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई तालिका में अंकित है ।

(ग) इसकी सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई तालिका में अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हाई स्कूल भवन देवगढ़ की चाहर दिवारी

४३. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ हाई स्कूल के लिए बाउण्डरी की कोई दीवार नहीं होने के कारण खेल के मैदान पर मवेशी और गाड़ियों के आने जाने से बिल्कुल खराब हो रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि हाई स्कूल

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

के पास बायज फन्ड में यथेष्ट रकम जमा है और उस रकम से भी उक्त दीवार बनाई जा सकती है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर उचित ध्यान देने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) यह सत्य है कि हाई स्कूल देवगढ़ के लिए बाउन्डरी की कोई दीवार नहीं होने के कारण खेल के मैदान पर मवेशी और गाड़ियों के आने जाने से खराब हो रहे हैं।

(१) नियमानुसार छात्राकोष की रकम इस कार्य के लिए व्यय नहीं की जा सकती।

(३) धन की कमी होने के कारण अभी ऐसा सम्भव नहीं है। यदि आगामी वर्ष में प्रावधान हुआ तो इस कार्य हेतु विचार किया जा सकेगा।

एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल सवाई माधोपुर

४४. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सवाई माधोपुर जिले में कितने एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल हैं ?

(२) प्रत्येक ट्रेनिंग स्कूल में कितने शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है और प्रत्येक स्कूल का वार्षिक व्यय कितना पड़ता है ?

(३) उक्त स्कूलों में ट्रेनिंग हेतु छात्रों के चयन का क्या तरीका है ?

(४) क्या यह सही है कि सवाई--माधोपुर जिले में ट्रेन्ड प्रत्याशियों को काम में लगाने अथवा नियुक्ति देने के राजकीय अथवा पंचायत राज संस्थाओं के अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं में रिक्त स्थान नगण्य हैं ?

(५) यदि हां, तो फिर उक्त जिले में दो ट्रेनिंग स्कूल क्यों चलाये जा रहे हैं ?

(६) एक डिग्री कालेज का वार्षिक व्यय का क्या अनुमान है ?

(७) सवाई माधोपुर जिले में एक एस. टी. सी. तोड़ कर उसके बजाय एक डिग्री कालेज और खोले जाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(१) दो एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल हैं।

(२) प्रत्येक में प्रवेश क्षमता १२० विद्यार्थियों की है ?

वार्षिक व्यय :—	रुपयों में
सवाई माधोपुर	४७२८७ रु०
करौली	५१९२६ रु०

(३) विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। तदुपरांत विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्रधानाचार्य बेसिक एस० टी० सी० की सहायता से नये प्रशिक्षणार्थियों को, जो इन प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं। चयन करते हैं।

Page No. 33

(श्री शिक्षा मंत्री)

सेवारत शिक्षकों को विरिष्टता के आधार पर ही प्रशिक्षण हेतु भेजे जाते है। इसी तरह पंचायत समितियों में वरिष्ठता के आधार पर अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते है।

(४) जी हां।

(५) ये प्रशिक्षण कन्द्र केवल जिले के इच्छुक अध्यापकों के लिए ही सोमित नहीं है बल्कि राज्य के तथा अन्य राज्यों के प्रशिक्षणार्थी भी इससे लाभ उठाते हैं ?

(६) वार्षिकः—	कला	विणिज्य	विज्ञान
आवर्तक	०.६३	०.१६	०.२३
अनावर्तक	०.३७	०.१५	०.८१
	१.००	०.३१	१.०४

(७) धनाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है।

स्टेट रोड़वेज कारपोरेशन के कर्मचारियों के विचाराधीन मामले

४५. श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोड़वेज कारपोरेशन के विभिन्न डिपोजं पर १-४-६७ को कितने-कितने कर्मचारी निलंबित थे ? संख्या डिपोवार अलग-अलग बताने का कष्ट करें ?

(२) ये निलंबित कर्मचारी कितने-कितने अर्से से निलंबित थे ? दो महीने तक, दो महीने से ६ महीने तक, ६ महीने से १ वर्ष तक और १ वर्ष से अधिक अर्से से निलंबित कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग बतायें ?

(३) निलंबित कर्मचारियों को चार्ज-शीट निलम्बन के कितने अर्से तक देने का नियम है ?

(४) इन निलम्बित कर्मचारियों में कितनों को चार्जशीट दी गई है और चार्ज-शीट दिये कितना अर्सा हुआ है ? जिन निलम्बित कर्मचारियों को चार्जशीट दिये हुए (१) दो महीने से कम (२) दो महीने से ६ महीने तक (३) ६ महीने से १ वर्ष तक और (४) एक वर्ष से अधिक हो चुका है लेकिन अभी तक केसों का फैसला नहीं हुआ है, उनकी संख्या अलग-अलग बताने का कष्ट करें ?

(५) इन निलम्बित कर्मचारियों के कारण कारपोरेशन को कितना अतिरिक्त आर्थिक भार १९६६-६७ में वहन करना पड़ा है ?

(६) क्या कारपोरेशन ने चार्जशीट देने के बाद केस का फैसला करने का कोई अधिकतम समय निर्धारित किया हुआ है ?

(७) क्या यह सही है कि इस निर्धारित समय में केसों के फैसले नहीं किये जाते जो कि कर्मचारियों में असन्तोष का एक बड़ा कारण है ?

(८) कारपोरेशन ने इन केसों को निपटाने और आमतौर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए क्या मशीनरी बनाई हुई है ? क्या इस मशीनरी में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी शामिल किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(९) क्या कारपोरेशन ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनावश्यक देरी करने के लिए जुम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(१०) क्या सरकार कारपोरेशन को इस आशय का निर्देशन देने का विचार रखती है कि अधिकाधिक तीन महीने के अन्दर-अदर समस्त पैन्डिग केसेज का निपटारा कर दिया जावे ? तथा स्थायी रूप से समस्या का हल करने के लिए कारपोरेशन को ऐसा नियम बनाने के लिए बाध्य करेगी कि निलम्बन के १५ दिन के अन्दर-अन्दर किसी भी कर्मचारी को चार्जशीट दे दी जावे और चार्जशीट देने के दो महीने के अन्दर-अन्दर केस का निर्णय कर दिया जावे ? तथा ऐसा न करने पर निलम्बन आर्डर स्वत निरस्त समझा जावे ?

उत्तर

(१) १-४-६७ को डिपो वार निलम्बित कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

जयपुर;	५१
अजमेर,	२०
जोधपुर,	१६
आबूरोड़,	४
कोटा,	२८
उदयपुर,	१
सिरोही,	४
अलवर,	१०
भरतपुर,	५
कुल	१३९

(२) चाही गई सूचना निम्न प्रकार है :—

दो माह तक	२८
२ माह से ६ माह तक	४६
६ माह से १ वर्ष तक	६०
१ वर्ष से अधिक	५
कुल	१३९

(३) कोई समय निर्धारित नहीं है ।

(४) निलम्बित कर्मचारियों में से ६४ कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा चुकी है । जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) दो महीने से कम	३३
(२) दो महीने से ६ महीने तक	२७
(३) ६ महीने से १ वर्ष तक	४
(४) १ वर्ष से अधिक	-
कुल	६४

अब तक ४४ केसों के फैसले किये जा चुके हैं शेष २० में जांच जारी है ।

(५) करीब ४५००० रु० का अतिरिक्त खर्च निलम्बित कर्मचारियों के स्थान पर डेलीवेजेज पर कर्मचारी रखने के कारण हुआ ।

(श्री यातायात मंत्री)

(६) कारपोरेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट दी जाने के दिन से दो माह के अन्दर-अन्दर जांच पूरी की जानी चाहिये ।

(७) निगम के कर्मचारियों की जांच तो अधिकतर निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर हो जाती है, उन कर्मचारियों में असन्तोष का प्रश्न ही नहीं उठता । लेकिन जो कर्मचारी राज्य सरकार के डेपूटेशन पर हैं उनकी जांच में समय लग रहा है । इसका कारण कुछ कानूनी अड़चनें हैं । पहले यह निगम एक समय राजस्थान स्टेट रोडवेज था जो कि बाद में दिनांक १-१०-६४ से निगम बना । जो कर्मचारी राज्य सरकार के हैं वो निगम में कार्य कर रहे हैं तो ये दिक्कत आई की उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध निगम के अधिकारी जांच कर सकते हैं या नहीं तथा उनके खिलाफ किस कानून में ।

(८) अब दिनांक ७–११-६६ से राज्य सरकार द्वारा एक विशेष अधिकारी (ओ० एस० डी०) (Officer on special duty, Home Deptt.) नियुक्त कर दिया गया हो जो कि इन कर्मचारियों के केसों की शीघ्र से शीघ्र जांच कर फैसले दे रहे हैं । राजस्थान स्टेट के डेपूटेशन पर कर्मचारियों के केसों को शीघ्र निपटाने के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त निगम की तरफ से एक सहायक आगार प्रबन्धक विशेषाधिकारी की सहायता हेतु और लगा दिया गया है ।

(९) जी नहीं, क्योंकि ऐसी देरी किसी विशेष अधिकारी द्वारा नहीं की गई बल्कि कानूनी अड़चनों के कारण हुई ।

(१०) निगम के नियमानुसार चार्ज शीट देने के दो माह के अन्दर पूरी होनी चाहिये ।' उस आशय की हिदायतें निगम के अधिकारियों को दी जा चुकी हैं ।

कोटा नगर का मास्टर प्लान

४६. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : (कोटा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ? व कब तक तैयार हो जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि इस निमित्त एक सलाहकार समिति का निर्माण किया हुआ है ? अगर हां, तो कब से व इसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

(३) सलाहकार समिति के सदस्यों को किस योग्यता पर मनोनीत किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । कोटा नगर के मास्टर प्लान की रूप रेखा तैयार की जा चुकी है । तथा सालहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार उसमें संशोधन किया जा रहा है ।

जी हां । सलाहकार समिति का गठन राजकीय विज्ञप्ति संख्या एफ ३ (११६) टी : पी : ६३ दिनांक १६-११–६५ द्वारा किया गया है । सदस्यों की सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

Page No. 36

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(३) सलाहकार समिति का गठन योग्यता द्वारा नहीं किया जाता। जहां तक सम्भव हो समस्त सम्बन्धित विभाग अध्यक्ष सचिव नगरपालिका के प्रशासक या अध्यक्ष तथा नगर के विकास से सम्बन्धित विभिन्न अंगों के व्यतियों को मुख्य नगर आयोजक को परामर्श देने हेतु सलाकार समिति में रखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रतनगढ़ सालासर सड़क

४७. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या चूरू जिला स्थित रतनगढ़ से सालासर तक सड़क निर्माण के लिये कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ?

उत्तर

जी नहीं।

रीछवा-भालना सड़क

४८. श्री रामप्रसाद बोहरा भालरा पाटन : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रीछवा-भालना सड़क का कार्य बन्द क्यों है ? यह कार्य कब चालू होगा और सड़क का कार्य कब पूरा होगा ?

(२) पाटन सुनेल रोड़ का कार्य भी बन्द किया गया है ? यदि हां तो कब चालू होगा और सड़क का कार्य पूरा कब होने की आशा है ?

उत्तर

(१) अर्थभाव के कारण। कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो सकेगा अर्थभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) जी हां। कार्य पुनः कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो सकेगा, अर्थ-भाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

मकराना-खाटू, डीडवाना-डेगाना सड़क

४९. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार मकराना से खाटू, डीडवाना व डेगाना तक कोई सड़क का निर्माण जल्द से जल्द प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

(२) मकराना से मंगलाना जाने वाली सड़क के तीन मील के टुकड़े को डामर क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

जी नहीं।

काम चल रहा है।

(१२.७ म० प०)

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी याचिका उपस्थापन करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : (फुलेरा) मैं जानना चाहूंगा कि यह याचिका माननीय सदस्य की खुद की तरफ से है, दूसरों की तरफ से है ?

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय....

श्री पी. के. चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वह एडमिट की गयी है।

श्री पी. के. चौधरी : किनकी तरफ से है ? उनकी तरफ से है या दूसरों की तरफ से ?

श्री अध्यक्ष : तीन चार माननीय सदस्यों को है Counter signed by the Hon·ble member.

याचिका का उपास्थापन

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर में किले की सड़क पर स्थित बस्ती के निजी मकानों के नल बड़ी पाइप लाइन से सम्बद्ध कर दिये जाने के सम्बन्ध में चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जैसलमेर में फील्ड फायरिंग घोषित करने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटेन्शन नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष : है वह।

श्री पी. के. चौधरी : आज लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने बिजनिस के एडजस्टमेंट को देख रहा हूं।

श्री पी. के. चौधरी : इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : Every question of the House is important. प्रायोरिटी के प्रश्न पर उसको देखकर किया जाना है !

श्री पी. के. चौधरी : This is very very important.

श्री अध्यक्ष : It is very very important, and every question that is put by the hon. Members is very very important.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह यूनिक प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : उसी इम्पोर्टेन्स का विश्लेषण में कर रहा हूं।

श्री पी. के. चौधरी : सिक्योरिटी का प्रश्न है। देर होने से एवीडेन्स डेस्ट्रोय किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : अपन इस प्रश्न पर चेम्बर में विचार करेंगे। हाउस का प्रश्न नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : हाउस का प्रश्न कैसे नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मैं मौन रहता हूं। आप कहिये। मैं निरुत्तर रहूंगा इस पर इसलिए कि यह अलग से प्रश्न है।

शासकीय वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की मांग पर राजस्थान सरकार ने अपनी आज्ञा तारीख १० फरवरी, १९६६ के जरिये जैसलमेर जिले के ६९३ मील के एरिया को फील्ड फायरिंग एरिया मानकर भारत सरकार को देने का तय किया। इससे १०७३ व्यक्ति प्रभावित हैं और उनकी ४ लाख ४० हजार बीघा जमीन खातेदारी की अवाप्त हुई है। इस क्षेत्र में जितनी सरकारी जमीन थी वह गत दिसम्बर में भारत सरकार के सुपुर्द कर दी गई और अप्रेल १९६६ में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरु कर दी गई। लगभग ४.४० हजार बीघा जमीन में से २ लाख बीघा खातेदारी के मामले में भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा उनका कब्जा लिया जा चुका है। भारत सरकार ने इस काम के लिये ८९,५५, ३३७ रु० के मुआवजे की मंजूरी दी है और अब तक जितने मामले आये हैं उनमें १० हजार बीघा के मामले में अवार्ड के खिलाफ आपत्ति उठायी गयी है।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इसमें से प्रत्येक परिवार को ६.७ बीघा भूमि बारानी दे दी जावेगी और उनको मुआवजा भी ५०) बारानी का और २५०) प्रति एकड़ खड़ी का मुआवजा तै किया है।

इसके अलावा, यह भी निश्चय किया गया है कि यह लोग जो यहां से निकलेंगे उन्हें राजस्थान कैनाल के अनूपगढ सैक्टर में बसाने की तजवीज की जायगी उनके घर, पेड़, कुए, जमीन आदि सबका मुआवजा दिया जायगा।

इसके अलावा जहां पर भी यह परिवार जाकर बसेगा यहां पर उनको सारी व्यवस्था स्कूल, पीने के पानी की, उनके लिये जमीन में सुधार करने के लिये कर्जा देने की व्यवस्था, वह सरकार करेगी।

श्री भैरोंसिह : अब तक कितने गांव खाली करा दिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ३५।

श्री मूलचन्द डागा : कितने समय में ये सुविधाएं दे दी जावेंगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री भैरोंसिह : यह जो प्रश्न पूछा है, आपकी अनुमति हो, अध्यक्ष महोदय, तो इसके बारे में दो शब्द कह दूं।

श्री अध्यक्ष : कह दीजिये।

श्री भैरोंसिह : यह बात सही है कि इस स्कीम के अन्तर्गत ३५ गांवों को खाली कराने की आवश्यकता महसूस की गई। पर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि इस आवश्यकता के अनुसार जिस स्थान का एलोकेशन किया गया है वह ऐसा स्थान है जो पूरे जैसलमेर जिले का एक प्रकार का चरागाह है। जैसलमेर जिले में सारे में केवल दो चरागाह हैं जिनमें से एक वह है जो हिस्सा आज के दिन इतना खतरनाक है कि लोग वहां अपने मवेशी चराने के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

ले जाने की हिम्मत नहीं करते। जो दूसरा भाग है वह यह है जो फील्ड फायरिंग रेन्ज के कारण खाली करना पड़ा है।

जैसलमेर में चार साल से अकाल है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान के संघर्ष में जैसलमेर की यह सीमावर्ती इलाके की जनता काफी बरबाद हो गई और इस जनता के साथ किस प्रकार का बरताव किया जाय यह प्रश्न हमारे सामने है। इसमें आवश्यकता इस बात की थी कि हम जब किसी व्यक्ति का घर छुड़ावें, मकान, खेत, कुआ, जमीन छुड़ाये तो इसके पहले कम से कम सरकार इन क्षेत्रों को निर्धारित करती, भूमि का अलाटमेन्ट करती, नकद कम्पेन्सेशन देती, स्कूल, आवास, और पीने के पानी का इन्तजाम करती और यहां से उठाकर वहां पहुंचा देती। उनके पहुंचाने की व्यवस्था तक करती।

पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जबरन उनको नोटिस दे दिया गया और यह भी कहा कि हम तुम्हें आबाद करेंगे, पर जिस समय खाली कराने का प्रश्न आया और मिलिटरी के लोग पुलिस के लोगों के साथ वहां पहुंचे, साथ में जिलाधीश भी पहुंच गये और लोगों को जबरन घसीट घसीट कर निकाल दिया गया। कई एक हालात तो ऐसे हुए जो इन्सानियत के नाते भी नहीं होने चाहिये थे। एक औरत के जिसके दो तीन दिन पहले ही बच्चा हुआ था, उन लोगों को इस बात पर भी दया नहीं आई कि उससे पांच दिन बाद मकान को खाली करा लेते पर बच्चे सहित उसको भी घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। ऐसी हालत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि आप किसी का भी मकान छुड़ावें या तुड़ावें, कुछ मुआवजे की व्यवस्था करें। जेसलमेर जिले में पानी की कमी, चराई की कमी। राज्य सरकार ने कह दिया कि हम तुमको राजस्थान केनाल पर अनूपगढ़ के इलाके में आबाद करेंगे पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वे अनूपगढ कब तक पहुंचेंगे; कब उनको पीने का पानी वहां मिलेगा, और आज जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिये स्कूलों का क्या इन्तजाम सरकार ने किया, जिनके टांके पानी के बने हुए थे उनके लिये आगे आपने किस प्रकार की व्यवस्था की? न जमीन मिली, न पानी मिला; न स्कूल और दवाखाने की व्यवस्था आपने की और इन सारे गरीबों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिये कहना चाहूंगा कि जो गांव खाली हो गये उनको मुआवजा देने की तुरन्त व्यवस्था की जावे और बाकी ३५ गांवों में १२ गांव खाली कराकर बसा दिये हैं उस समय तक बाकी को खाली न कराया जाय जब तक जो नीति आपने निर्धारित की है उसके अनुसार वास्तव में वह प्रेक्टिस में न आ जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): जो राजस्व मन्त्री ने जवाब दिया वह असन्तोषजनक है। १०७३ की जो संख्या बताई वह भी सही नहीं। १३ हजार की जनसंख्या प्रभावित है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैंने तो दस हजार कही थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई: १०७३ बताई थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १० हजार ७३ बोला था। अगर १०७३ बोल गया होऊं तो गलत था। माफ करें। १० हजार ७३ उसे मानें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : १० हजार ५० मवेशी हैं। यह जैसलमेर का एक अच्छे घास का एरिया है जिसमें ज्यादातर मवेशी इसमें गुजर बसर करते हैं और इसी पर लोगों का अधिकतर जीवन यापन होता है। अगर मिलिटरी परपज के लिये उसे खाली कराया जाता है तो भारत सरकार के गृह-मन्त्री से जैसे बात हुई और जो मुआवजा तय हुआ उसके बावजूद भी कलक्टर ने आर-बिटरेरिली जनरल नोटिस देकर अवार्ड दे दिया और जबरन खाली करा लिया यह उनके साथ अन्याय किया गया है। और किसी के घर उजाड़ कर दूसरी जगह भेजने की बात है........

श्री अध्यक्ष : मैंने भाषण देने की इजा-जत नहीं दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं सच्ची बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो प्रश्नोत्तर के रूप में पूछ लीजिये, भाषण अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : महत्वपूर्ण विषय है यह अध्यक्ष महोदय। राजस्वमन्त्री ने जान कारी सन्तोषजनक नहीं दी है। मैं तथ्य रखना चाहता हूं! राज्य सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करे। सरकार उनके एक लाख पांच हजार मवेशियों का क्या इन्तजाम करेगी? कुछ गांव खाली करा दिये हैं और कुछ खाली कराने बाकी हैं तो खाली कराने से पूर्व भूमि का अलाटमेन्ट दूसरी जगह इनको कर देना चाहिए और पानी की सप्लाई का प्रबन्ध इनके बच्चों के लिए स्कूल और दवाखाने का प्रबन्ध पूर्व में करना आव-श्यक है और आरबिटरेरीली उनके खाली करा लिया है यह अन्यापूर्ण है। उनको मुआवजा पहले मिलना चाहिये था और यह सारा आगे का प्रबन्ध उनका पूर्ण हो जाना चाहिये था।

मुआवजा उनको आज की बाजार की कीमत से दिया जाय और उनको सही, ढंग से तुरन्त बसाने का प्रबन्ध करें।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : मेरा एक सुझाव है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार ने राज्य के इस हिस्से के लिये मांग की तो क्या यह राज्य सरकार ने केन्द्र से कहा कि इस से राज्य की बड़ी हानि होगी, पशु धन की भी हानि होगी और यह व्यवस्था जो केन्द्रीय सरकार सुरक्षा सम्बन्धी काम से करना चाह रही है वह इस जिले के लिए अनुपयुक्त है ऐसा आपने कहा या नहीं?

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने मुआवजे के लिये कहा। यह तो टाप प्रायरिटी का प्रश्न है। यह तो सबसे पहले तै होना चाहिये था और पेमेन्ट भी होना चाहिए था इसके बाद विस्थापित किया जाना उचित हो सकता था।

इस तरह से विस्थापित करने से क्या पशुधन की बड़ी भारी हानि होगी या नहीं जैसलमेर

Page No. 41

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में। क्या जैसलमेर जैसे जिले में घी और दूध का उत्पादन होता है उस सम्बन्ध में बड़ी भारी राजस्थान की जनता को क्षति होगी या नहीं होगी ?

यह भी जवाब देने की कृपा करें कि यह स्थान पाकिस्तान की सीमा से कितने मील अपनी बोर्डर के अन्दर है। और यह तो आपसे सम्बन्धित प्रश्न नहीं होगा, फिर भी अगर आप जवाब दे सकें तो यह भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे हिस्से पाकिस्तान में भी हैं या नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, तो उसके लिये बड़े से बड़ा भी इलाका खाली हो सकता है इसका प्रश्न यहां नहीं है कि खाली क्यों होता है ?

सवाल तो यह है कि हटने वालों को कष्ट हुआ है तो उनके लिए सरकार की तरफ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वहां से हटते ही उनको परिश्रम कुछ न करना पड़े और जगह अच्छी तरह से जम सकें। जैसे गांधीनगर बसाया गया था। तो इस तरह से पहले उनके बसाने के स्थान को निर्धारित करके और ठीक ठाक करके फिर हटाया जावे तो दिक्कत नहीं होगी और जैसे भैरोंसिंहजी ने कहा था उनके लिए पीने के पानी के टांके का भी प्रबन्ध हो तो वह होना चाहिये। इसका आगे के लिये भी लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब कभी आप और भी कहीं से खाली कराने लगेंगे तो लोगों के दिमाग पर यह असर नहीं पड़ेगा कि इससे हमें कोई हानि होगी बल्कि सुरक्षा के प्रति उनमें स्वतः ही खाली करने की इच्छा बनेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जैसलमेर का यह क्षेत्र चुनने से पहले राजस्थान के दूसरे जिले के कोई क्षेत्र चुने गये थे और उसके बाद किन्हीं प्रेशर के कारण सरकार ने क्षेत्र तो छोड़ दिये और इस क्षेत्र के बारे में स्वीकृति देने में कोई केबीनेट का निर्णय नहीं लिया गया केवल मुख्य मन्त्री जी की स्वीकृति से ऐसा हुआ है ?

क्या भारत सरकार का यह कहना है कि हमें फायरिंग के बारे में शिकायतें हो रही हैं बोर्डर की सुरक्षा की दृष्टि से जैसलमेर में रखना उपयुक्त समझा गया अन्यथा किसी और स्थान पर रखा जा सकता था ?

इसके अलावा लेन्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत जिस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए थी और उसके अनुसार मुआवजा तय होना चाहिए था और उस सम्बन्धी एतराज करने का जो अधिकार है इस्युज के कम्पलीट होने से पहले ही कुछ गांवों का कब्जा ले लिया गया था ? मेरी जानकारी के अनुसार एक कहाला गांव है उसका कब्जा ले लिया गया और उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। और वहां के लोग अभी तक बेघरबार पड़े हुए हैं। सुरक्षा काम में सब कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन जिनके गांव ले लिए गए उनको पुनर्वास की भी सुविधा और उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और इस सम्बन्ध

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाया जाना चाहिए । इस मामले में वह नहीं लिया गया । क्या सरकार इस बात का रिप्रजेन्टेशन भारत सरकार के समक्ष करेगी जहां यह स्कीम लागू की है वहां के लोगों का पुनर्वास करना है उनको प्राथमिकता देकर उन लोगों का पुनर्वास होना आवश्यक है ।

श्री बाघसिंह (जैसलमेर) अध्यक्ष महोदय............

श्री अध्यक्ष : आपने तो रामानन्द जी को अपनी बातें बता दी हैं और उन्होंने संक्षेप में उन सबको रख ही दिया है ।

श्री बाघसिंह : मुझे कुछ समय दिया जाय । अध्यक्ष महोदय मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि यह क्षेत्र जैसलमेर में खोलने से पहले बीकानेर, शेरगढ़, और उसके बाद जैसलमेर की बारी आयी । यह क्षेत्र किस कारण से चुना गया अध्यक्ष महोदय, यह आप खुद भी जानते होंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आप जब गृह मन्त्री थे उस समय से आपको जानकारी है ।

अध्यक्ष : मैं अतीत से भी अनभिज्ञ हूं ।

श्री रामकिशन : आपको राज्य सरकार के पापों की शायद जानकारी नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : पुन्यों की जानकारी है पापों की नहीं ।

श्री बाघसिंह : जब डेलीगेशन के रूप में हम लोग आपसे मिले थे उस समय आपको जानकारी दी गयी थी । जैसा कि वक्तव्य दिया गया उसके अनुसार अर्ज कर दूं इस क्षेत्र की करीब १४-१५ हजार की जन संख्या है और पशुओं की संख्या ढाई—तीन लाख के करीब है । आप उनको अनोपगढ़ में बसाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं समझता हूं ढाई तीन लाख पशुओं के लिए अनोपगढ़ स्थान उपयुक्त नहीं होगा । मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो और भी इलाके हैं । जहां पर कोई गांव खाली नहीं करना पड़ेगा । यह भी जैसलमेर क्षेत्र में ही है जहां एक दो गांवों के सिवाय कोई खाली नहीं कराना पड़ेगा लेकिन यह जो क्षेत्र बनाया गया है उसमें अव्यवहारिकता की गई है । इसमें ३८ गांव आते हैं । इसका नक्शा भी बनाया हुआ है जो मैं पेश करूँगा उस सारी जमीन को इस क्षेत्र के अन्दर ले लिया गया । मेरा अनुरोध है कि जो मवेशी गांव के किनारे पर आ गये वे वहां कैसे रहेंगे । मैं आपको उदाहरण के रूप में निवेदन करूँ । गांव जालों में मिलिटरी कुछ एम्युनिशन छोड़कर वापिस चली गयी । जो लोग मवेशी उस क्षेत्र में चरा रहे थे उस एम्युनिशन के कारण तीन व्यक्ति मारे गये थे.......

श्री अध्यक्ष : यह अखबार में भी आया था.......

श्री बाघसिंह : आज तक उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं किया गया । जो फील्ड फायरिंग क्षेत्र राजस्थान सरकार ने रखा है । उस क्षेत्र से फायरिंग की प्रेक्टिस तब तक शुरू न की जाय जब तक कि इसका फेन्सींग न कर दिया जाय । यहां पर फेन्सींग कराना बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह को जहां तक अवाप्त करने की बात है वहां की जनता द्वारा तथा हमारे जरिये भारत सरकार से इस विषय में बातजीत की गई लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और अन्त में जाकर यही जगह निश्चित हुई। जहां तक इस जगह पर रहने वाले मवेशी पालक लोगों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं वहां खेती करने वालों से ज्यादा मवेशी पालक लोग रहते हैं। इसलिये यह भी मालूम हुआ कि वे लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। यह आदेश दिया गया कि इस जिले में वे लोग आस पास की जगह पसन्द करें तो ७५ बीघा जमीन प्रति परिवार को देने का निश्चिय किया गया। जहां तक भूमि अवाप्ति का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के कानूनी पचड़े में पड़ने के लिए कोशिश न करें क्योंकि बाकायदा लेन्ड एक्वजीशन एक्ट के तहत नोटिस जारी होकर के लेन्ड एक्वीजशन की कार्यवाही की गई और अवार्ड भी हो चुका। अवार्ड के लिए मैं भी यह मानता हूं जमीन के बारे में कम हुआ है, अवार्ड के जरिये उनको जमीन का मूल्य कम दिया गया है। इस अवार्ड के पचड़े में पड़ेंगे तो बाकायदा सिविल कोर्ट में रेफरेन्स करना पड़ेगा लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है जहां बारानी भूमि ६ रुपया से आठ रुपये तक का अवार्ड हुआ है हम कोशिश करेंगे कि वह १२ रुपये तक निश्चित की जाय....

श्री रघुनाथ विश्नोई : चालीस रुपया प्रति बीघा हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं लेन्ड एक्वीजिशन के पचड़े में पड़ गए तो ज्यादा लोगों को नुकसान हो जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले तय हो चुका था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले तय हो चुका है उसमें सरकार ने यह तय किया है कि बारानी जमीन का ५० रुपया और खडीन जमीन का २५० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह तो निश्चिय हो चुका है लेकिन इसके अलावा जैसा आपने फरमाया जिस जमीन के पास गांव एक तरफ है और जमीन दूसरी तरफ यह कहना बिल्कुल ठीक है। यह न्याय संगत होगा जो जमीन छूट गयी है या गांव छूट गया वहां गांव के घर का और सम्पत्ति का मुआवजा दिया जाना मैं मानता हूं। जिसके पास जमीन नहीं रहती और खाली गांव ही रहता है तो वह आजी-विका कैसे चलायगा ? इसलिए इस बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और सहानुभूति का रुख रखेगी और इस बात का भी रुख रखेगी कि जो मुआवजा दिया जाय उसमें पीने के पानी के कुए का भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सरकार के विचाराधीन है कि जितने भी लोग दस हजार बीघे के रेफरेन्स में है जिनके ऊपर आपत्ति उठायी गई है जो १.५० हजार बीघा ऐसा जमीन है जिसका अवार्ड हो चुका, जिसका पजेशन लिया जा चुका उसके बारे में कोई न कोई ऐसा तरीका निकाला जायगा जो अवार्ड के ऊपर एफेक्ट नहीं होगा। भारत सरकार से उसकी रजामन्दी करा सकें। अवार्ड होगा तो लोगों को

Page No. 44

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उखड़कर जाना पड़ता, घरबार छोड़ना पड़ता है उनको खाली भूमि के अवार्ड से तसल्ली नहीं और भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रकम देनी चाहिए यद्यपि अवार्ड हो गया है तो भी। इसके अलावा यह बिल्कुल ठीक बात है जब तक कि उनको दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम नहीं हो उस समय तक उनको उखाड़ने से फायदा नहीं है। मैं इसको मानता हूं। मैंने इस फाइल को देखा तो उसमें स्टे आर्डर है कि जब गवर्नमेंट के नोटिस में आया तो उसी समय से आगे कार्यवाही रोकी हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके स्टे आर्डर के बाद भी कुछ निकले हैं यह भी आप जानकारी कर लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आज भी निकल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे आप सूचना दें। जिन लोगों का मुआवजा हुआ है १ लाख ५० हजार भूमि का उन्हीं भूमि वालों से कार्यवाही चल रही है बाकी दूसरे आदमियों को निकालने की कार्यवाही नहीं चल रही है।

श्री बाघसिंह : गांव पलाना में आज भी पुलिस और आर० ए० सी० के हैं उन्होंने आज तक मुआवजा नहीं उठाया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और इस प्रकार से निकालने की कार्यवाही चालू की है तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री बाघसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आश्वासन चाहता हूं कि आज ही आप उसको रोकें।

श्री अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं।

श्री बाघसिंह : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसके बारे में स्टे तो जनवरी में ही जारी कर दिया था।

श्री विजयसिंह राव : चारों तरफ फेन्सिग....

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर आ रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी पूरी जमीन अवाप्त नहीं हुई है। यह भी आवश्यकता के अनुसार वायर फेन्सिग की कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार को कहा जायेगा।

श्री बाघसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप (श्री बृजसुन्दर शर्मा) उत्तर तो दे दें, उसके बाद पूछ लीजिएगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक इनको दूसरे क्षेत्र में बसाने का सम्बन्ध है, इनकी शिक्षा की सुविधा का, पानी के टांके की सुविधा का और हाउसिंग लोन की सुविधा का इन सब बातों का सरकार खयाल रखेगी और इनको पूरी तरह से बसाने का प्रयत्न

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

करेगी। जहां भी यह लोग बसाना पसन्द करेंगे, अनूपगढ़ शाखा में पसन्द करते हैं तो जितने लोग वहां जाना चाहेंगे उनको वहां भेजा जायेगा और दूसरी जमीन पर रहना चाहेंगे वहां पर रखे जायेंगे और जैसलमेर में या, जालोर में या जो भी आस-पास के इलाके हैं वहां के लिए इन लोगों को प्रायोरिटी दी जायेगी।

श्री जसराज (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया और उसको हथकड़ियां डाली गयी.......

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव आपके पास नहीं पहुंचा.......

श्री श्रवणलाल : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव आया है.......

श्री अध्यक्ष : आपसे तो बात कर ली थी। फिर कह रहा हूं यह सब जानकारी मैं चेम्बर में जाने पर दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आप स्थान ग्रहण कीजिए। यह प्रश्न थे और माननीय सदस्य मुझसे पूछ सकते थे। जानकारी प्राप्त की है सभी माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर और मेरा विश्वास है कि कल जानकारी आ जायेगी, मैं उस पर निर्णय ले लूंगा। यह प्रश्न हल हुआ।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, सरपंच को हथकड़ियां डाली गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! क्या स्थिति है क्या फैक्टस् हैं मैंने जानकारी की है उसके बाद में मैं निर्णय ले लूंगा।

श्री जसराज : ६ दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां से विलम्ब होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव १२ दिन से है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! अनुदान की मांगें।

(१२.३५ म० प०)

अनुदान की मांगें

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनायें, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३, २७, ८७,०००) रुपया तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या २६

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक।

४३. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

(श्री हरिदेव जोशी)

४४. सिचन, नौचालन तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४५. सिचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, ८१, ३६,०००) रुपया तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या ४१

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक—

६८. बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत।

९९. सिचन, नौचालन तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

१००. सिचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०, ४६, १३,०००) रुपया तक की राशि प्रदान की जावे।

(उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

मांग संख्या २३

श्री हीरालाल (कुम्भलगढ़) : १. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Investigation and survey of surface, sub-soil and underground water and schemes for its utilisation) पर चर्चा के लिये।

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिचाई योजनाओं में Return के सिद्धान्त को लागू न करने पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिन भूखण्डों पर लगान छोड़ा गया है उन पर बैटरमेन्ट लेवी भी छोड़ी जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

४. मांग संख्या ४१. मुख्य शीर्षक १०० सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु सिचाई योजनाओं पर कम धनराशि उपलब्ध की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री पृथ्वी सिंह (बाली) : ५ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जवाई बांध से साही नदी का पानी डालने के संबंध में चर्चा के लिये)।

Page No. 47

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : ६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग में अधिकारियों को बिना D. P. C. की सिफारिश के पदोन्नति करने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या ४१

७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (उपनिवेशन विभाग के औचित्य के बारे में नीति अनुमोदन) ।

८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण पर मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के क्लेम पर आर्बीट्रेशन को नियुक्ति, निपटारा व फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिए) ।

९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण पर मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को अनुचित लाभ देने पर चर्चा के लिए) ।

१०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण में सेन्टाव कम्पनी के क्लेम्स पर चर्चा के लिए) ।

११. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९ सिचन नौचालन तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर अपव्यय करने पर चर्चा के लिए) ।

१२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उपनिवेशन विभाग, पंचायत व नगरपालिका में संघर्ष पर चर्चा के लिए) ।

१३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि की बेचान में धांधली पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : १४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पाली के लोड़िया तालाब के पानी को खेती के लिये सिचाई के काम में लाने पर चर्चा के लिये) ।

१५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई गाव व वगट बाडा गाँव के पास नदी के मोड़ के संबंध में चर्चा के लिये) !

१६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिचन, नौचालन, तटबंधन आदि में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (पाली तहसील की लघु सिचाई योजनाओं के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये) !

(श्री मूलचन्द डागा)

१७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हेमावास बांध के पानी का वितरण सही ढंग से न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : १८ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में जो इंजीनियर्स सार्वजनिक निर्माण विभाग से स्थानान्तरण करवा कर आये हैं उन्हें सरप्लस घोषित न किया जाकर पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाली स्थानों पर भेजे जाने पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या ४१

१९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू व सीकर जिलों में नहर न लाई जाने से जनता उपजाऊ भूमि के लाभ से वंचित है, इस पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में सिंचाई के लिए लिफ्ट के द्वारा पानी उठाकर नहर लाई जाने के लिए चर्चा के लिये)।

२१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में भूमि के नीचे अधिक पानी होते हुए भी जिले को कृषि, कुओं व पम्पिंग सैट्स के लिए ऋण प्राथमिकता के आधार पर नहीं मिल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री रामकिशन (वैर) : २२, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बनेड़ा तहसील के कालसांस गांव का तालाब ५० हजार रुपये में सिंचाई विभाग द्वारा खरीदा गया, इस पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (इस वर्ष मेजा बांध व सरेरी बांध से पिलाई में की गई धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : २४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भीम सागर डेम जिला झालावाड़ के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भीम सेन (लूनकरणसर) : २५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना को बीकानेर तक स्वीकृत करके क्रियान्वित करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री भीमसेन)

२६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर निर्माण की मंद गति पर चर्चा के लिये)।

२७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में राज० नहर कालोनी के निर्माण के विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : २८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबंधन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नहरों में पानी कम है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : २९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के प्रशासनिक स्टाफ में की गई कटौती पर चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पानी की दरों का समानीकरण करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

३१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई द्वारा किये जाने वाले कार्यों की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री सुवालाल (दूदू) : ३२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालख सागर की बन्ध से आसलपुरा तक नहर के तौर पर पुख्ता बनाने पर चर्चा के लिए)।

३३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम के छोटे २ तालाबों का निर्माण कार्य सिचाई विभाग की देखरेख में होना चाहिये, पंचायत व तहसील के पास बन्धे नहीं रहें, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

३४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालख सागर में हर साल पानी नहीं आने से पानी की कमी पर चर्चा के लिए)।

३५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालख सागर जो पुराना बन्धा है—सप्लाई—कट बनवाने पर चर्चा के लिये)।

३६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में

(श्री सुर्वालाल)

से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बड़े प्रयोजन नदी योजनाओं पर भारी मात्रा में पैसा खर्च होने पर भी लाभ नहीं मिला, इस सम्बन्ध में - चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : ३७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में चान्दाणा बंध की मंजूरी होने पर भी कार्य चालू नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

३८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में सिंचाई साधनों कमी तथा पुराने बांध व नये बांध बन्धवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ३९. मांग संख्या २६, शीर्षक ४४—सिंचन, नौलाचन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व भाखरा नहरों द्वारा तहसील नोहर में सिंचाई पर चर्चा के लिये ।

४०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र मोघों में सर्किट लगाना अनुचित है, इस पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ - सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच से पोहेद के माइनर पर पानी टेल पर पहुंचाने पर चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच से बिर काली माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंचता, इस पर चर्चा के लिये)।

४३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच पर गांव गच्चेली के पास दो बुर्जी नहर को पक्का बनाने पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की मुख्य शाखा में से सरदारपुरा बिर माइनर में पानी नहीं चल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व भाखरा नहर की सिंचाई योजना असफल रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

४६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व भाखरा नहर में मोखा लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर में रामपुर माइनर को टेल तक पानी देने पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान व भाखरा नहरों से तहसील नोहर के ग्रामों को पीने का पानी नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व भाखरा नहर क्षेत्र में नहरों के निर्माण व सफाई में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

५०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर नदी डाइवर्शन आसपास की भूमि की सिंचाई पर चर्चा के लिए)।

५१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से कालो बंगा को पानी मिलना बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : ५२ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन कार्यों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ५३, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अलवर) जिले की रुपारेल नदी में बारा स्थान पर बांध में सिल्ट जमा हो गई है जिसको हटाने के बारे में चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपया कम दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

५५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६१—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई योजनाएँ मन्जूर करने में राज्य सरकार की संकुचित क्षेत्रीय भावनाओं पर चर्चा के लिए)।

५६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में साबी नदी पर बांध बांधने की योजना को क्रियान्वित करने पर चर्चा के लिए)।

Page No. 52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

५७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले की सिंचाई योजनाओं के प्रति सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में लोहरवाड़ी का बांध बन्धवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : ५९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपये कम कर दिया जाय (सरकार गंगकेनाल की Distributories पर unauthorised cuts को रोकने में असफल रही-इस पर चर्चा के लिये)।

६०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पंजाब सरकार से गंगकेनाल का पूरा share लेने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

६१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार, हरियाना सरकार से भाखरा का पूरा share लेने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

श्री आलम अली (फतेहपुर) : ६२ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सिंचाई साधनों के अभाव अभियोगों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

६३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई हेतु कूओं के लिए बोरिंग मशीन की उपलब्धि पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण (मंडावा) : ६४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन. नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपये कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की काटली नदी पर बांध की योजना पर चर्चा के लिये)।

६५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में सिंचाई के साधनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

६६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : ६७. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रु० कम

Page No. 53

(श्री केशरीसिंह हाडा)

कर दिया जाय (चम्बल नदी के पानी का समान वितरण न होकर उसमें अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

६८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १००) कर दिया जाय (पुराने छोटे बांधों को मरम्मत नहीं करवा कर नये बड़े बांधों पर व्यय करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

श्री फतहसिंह (ब्यावर) : ६९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जवाजा पंचायत समिति के शेरों का वाला फीडर को शीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : ७०. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट की नहरों के अपूर्ण निर्माण कार्यों पर चर्चा के लिये)।

७१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल नहरों द्वारा सीपेज के कारण दिन प्रति बढ़ने वाले अनउपजाऊ क्षेत्रफल की रोकथाम पर चर्चा के लिये)।

७२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल की नहरों के सीपेज के कारण ग्रामीण ग्राम रास्तों में रुकावट पैदा होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

७३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों की आबपाशी में व्याप्त अव्यवस्था से होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

७४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ओवरसियरों द्वारा आब-पाशी के समय बर्ता गया मनमाना हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ७५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक—४४ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि म १००) रुपया कम कर दिया जाय (लूनी इनन्डेशन योजना के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

७६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्ध आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी एवं भाटी नदी योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वित कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री गोकुलचन्द (खैरथल) : ७७. मांग

(श्री गोकुलचन्द)

संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नारथला शेरपुर से नौगावां के बीच में आने वाले नाले पर पुल बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमन्डी) : ७८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील में lift Irrigation को अधिक प्रोत्साहन देने व Check Dam लगाने को ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

७९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सिंचन योजनाओं आलनियों कालीसिंध में पानी की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : ८० मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जगर बांध की नहरों से काश्तकारों को पानी नहीं मिलने पर भी विभाग द्वारा पिलाई वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

८१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी २ बहु प्रयोजन नदी योजनाएँ सरकार की ढिलाई के कारण पूर्ण नहीं हुई इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

८२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जगर बांध की नहरों से पिलाई होने वाली जमीनों से अतिरिक्त लाभ पर चर्चा के लिए)।

८३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जगर बांध की नहरों में आई जमीन का किसानों को मुआवजा देने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्रीमती गोरी पूनिया (डेगाना) : ८४. मांग संख्या २६, शीर्षक ४४--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया दिया जाय (हरसौर तथा भैरुंदा बांध के कमांड एरिया में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : ८५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (योजनाओं में अलाभकर अधिक खर्च करने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) : ८६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया) कम कर दिया जाय (मेजा, सरसी तथा खारी बांधों के निर्माण से मांडल के पूरे

(श्री शिवचरण माथुर)

क्षेत्र में अब कोई भी सिंचन योजना को प्रारम्भ नहीं किया जा सकता, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का विकास अवरुद्ध हो गया है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४१

८७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से उत्पन्न बिजली पर वर्षा की अनिश्चितता के कारण निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसके बजाय राजस्थान में Thermal power की को क्षमता अधिक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

८८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में जहां एक तरफ बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है वहां बड़े पैमाने पर उनसे लाभ नहीं मिलता, इसके स्थान पर छोटी सिंचाई की योजनाओं पर अधिक धन व्यय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : ८६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नदी योजनाओं पर ठोस कदम न उठाने से पूंजी के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

९०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन कार्यों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

९१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन पानी शहरों में देने से फसलों को भारी नुकसान पर चर्चा के लिए) ।

९२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रशासनिक कमजोरियों के कारण सिंचन की योजना असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४१

९३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भाखुपुरा तालाब को पूर्ण कराने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : ९४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (मनोहरथाना पर्वत परियोजना के बाबत चर्चा के लिये) ।

श्री रामचन्द्र (खण्डेला) : ९५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन,

Page No. 56

(श्री रामचन्द्र)

नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में कुवों से लघु सिचाई योजना को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिए ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) :९६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बान्धों के पानी के वितरण में ग्रव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

श्री मोतीलाल (रेवदर): ९७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रणगौर बांध (जिला सिरोही) को पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : ९८ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्यो में सरकार द्वारा बर्ती जाने वाली ढिलाई पर चर्चा के लिये।।

९९. मांग संख्या २६, शीर्षक ४४ — सिंचन, नौचालन,तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाग्रों को कार्यान्वित करने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

१००. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८—बहु प्रयोजन नदी योजनाग्रों पर पूंजी की लागत ग्रादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाग्रों पर सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्चे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : १०१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में लघु सिंचाई के निर्माण कार्यो पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकुमार (सपोटरा) : १०२ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४— सिंचन,नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (माइनर सिंचाई सुविधाग्रों के लिए कम धनराशि दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

१०३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन. नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रुपया कम पर दिया जाय (गम्भीरी नदी के बांध का नहरों से होने वाला सीपेज तथा नहरों को पूरा कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

१०४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन ग्रादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रतापसागर बांध के क्षेत्र के डूब में ग्राने वाली भूमि के किसानों का ग्रभी तक पुनर्वास नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : १०५ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १) रु० कम कर दिया जाय (सिंचन व जल निकास निर्माण कार्यों में सरकार की असफलता के संबंध में नीति का अनुमोदन)।

श्री रतनलाल (चौरासी) : १०६ मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर में नदी योजनाओं को कार्यान्वित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

१०७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई के लिए डूंगरपुर में बिछीवाड़ा क्षेत्र के तालाबों से नहरें निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या २६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : १०८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तीन साल पहले टूटे हुए हरसोरा बांध (जिला अलवर) के निर्माण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : १०९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००) सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दिये जाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

श्री सहदेव (आमेर) : ११०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में लघु एवं मध्यम् सिंचाई योजनाओं के प्रारम्भ करने की अत्यधिक आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१११. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की दौसा तहसील के चान्दराना बांध को बंधवाने की परम आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ११२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचन योजनाओं के निर्माण से पूर्व से Estimates बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

११३ मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन योजनाओं में राजस्थान में Stand by thermal. power station की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : ११४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गोमती नदी ऊंटी के नाके

(श्री देवीलाल)

में तथा सलवाड़ा व बाणा के पास पिकप का निर्माण कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : ११५. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूँजी की लागत आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लगी पूँजी पर कितनी प्रतिशत आय हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ११६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हुरडा तहसील के गांवों को खारी के कमांड से हटाने हेतु चर्चा के लिये)।

११७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खारी बांध वर्षा की कमी से पूरा नहीं भरता, इसलिये इसमें किसी बड़ी नदी से नहर द्वारा पानी डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

११८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील के फूटे तालाबों को बंधवाने तथा कुछ अन्य तालाबों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

११९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में स २००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील में नेखाड़ी नदी पर बांध बंधवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : १२० मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तह० बहरोड, जिला अलवर, में शावी नदी का बांध बांधने का Survey कार्य चालू करने के उपरान्त भी बांध न बंधने पाये, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल (पाटन) : १२१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पाटन में सिचाई जल वितरण समस्या पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : १२२ मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि में १००) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सिचाई की कोई योजना न बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा !

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने सिचाई की मांगें इस सदन में प्रस्तुत की हैं। इस सम्बन्ध में·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन यह है कि सामान्यतः पिछले दिनों में जो भी अनुदान की मांगें इस सदन में प्रस्तुत हुई हैं उसमें कटौती प्रस्ताव के रूप में या अन्यथा भी साधारणतया जो डिबेट शुरु होती है वह अपोजीशन ग्रुप में से किसी एक सदस्य द्वारा होती हैं मैं समझता हूँ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि भूतकालीन परम्परा को अपनाया जाना चाहिए ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, परम्परा का सवाल है और कोई रूल्स की बात नहीं करूंगा । परम्परा की बात है वह ज्यादा अच्छा रहेगा कि अपोजीशन पार्टी का कोई भी मेम्बर उसको इनीशियेट करे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिमाण्ड आ गयी और अपोजीशन की तरफ से बोल लें यह अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा उचित सी है, स्वस्थ भी है लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह था कि माननीय सदस्य इधर से आरम्भ कर दें और उसके बाद चूंकि अपोजीशन को अधिक समय भी, अधिक रियायतें भी समय की अवधि में दी जाती ही है इस आशय से कि डिबेट को सक्रिय सहयोग उचित रूप से मिल सके । इसलिए इस दृष्टिकोण से यह किया है । बाकी परम्परा वह उचित है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (प्रासीद) : अध्यक्ष महोदय, एक और व्यवस्था करदी जाये कि बाद में एक सदस्य इधर से बोलें और एक सदस्य फिर उधर से बोले ।

श्री अध्यक्ष : यह डिस्क्रिशन पर है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत बात हैं ।

श्री अध्यक्ष : I cannot fetter my discretion please.

श्री गिरधारीलाल व्यास : सुझाव दिया है अध्यक्ष महोदय आपको ।

श्री अध्यक्ष : सारे सुझाव मस्तिष्क में रहा करते हैं उन्हींके आधार पर नियन्त्रण किया जाता है इस सदन का ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत बात हैं, अध्यक्ष महोदय । मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिलकुल सही बात है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । अपोजीशन को थोड़ा सक्रिय किया जाये तो कोई अनुचित नहीं हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : और ज्यादा सक्रिय कीजिए लेकिन ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, आप देवपुराजी के भाषण में व्यवधान डालना चाहते हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं । राजस्थान का क्षेत्रफल जैसा कि हमें सबको मालूम है ८ करोड़ एकड़ है और उसमें ६ करोड़ एकड़ भूमि काबिले काश्त है जिस पर काश्त की जा सकती है, इस प्रकार की है । सिंचाई की मांगें जो हमारे समक्ष आती है तो हमें देखना होगा कि ६ करोड़ एकड़ में से कितनी भूमि सिंचित क्षेत्र में ले पाये हैं

(श्री हीरालाल)

और आगे कितनी भूमि और सिंचित क्षेत्र में लेनी है, कितना हमारा वाटर पोटेन्शल है और कितना हमें यूटीलाइज करना है, यह आंकड़े जब मैंने देखे तो मैंने यह महसूस किया कि हमारा सिंचाई विभाग इस ओर जागरूक नहीं है। जितनी धनराशि की इस विभाग को आवश्यकता है राजस्थान के पोटेन्शल को देखते हुए उतनी धनराशि इसमें उपलब्ध नहीं की गयी। एक ओर जब हम देखते हैं तो यह हमारा एक महत्वपूर्ण विभाग है, राष्ट्र की जो खाद्य समस्या है उसको पूरा करने के लिए यही एक विभाग है जो हमारा पूरा सहयोग दे सकता है। काश्तकार जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा से ज्यादा भूमि पर पानी ले सकेगा उतना ही हमारा प्रोडेक्शन प्रोग्राम आगे बढ़ सकेगा।

खाद्यान्न की कमी को पूरा कर सकेंगे लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह भी अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जब अपना बजट भाषण सदन में रखा था तो उन्होंने एक संकेत हमको दिया, इस विभाग के अन्दर कटौती का संकेत दिया और वह संकेत इस प्रकार था कि करीब २४ लाख की कटौती सिंचाई विभाग में की जाएगी। जो प्रतिशत के हिसाब से हम देखते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कटौती करीब २२ प्रतिशत आती है। इसमें भी ऐसा लगता है कि वास्तव में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार इस ओर जागरूक नहीं है। राज्य सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। जब हम दूसरे विभागों के मुकाबले में इस विभाग में की जा रही कटौती का मुकाबला करते हैं तो उससे लगता है कि इस विभाग में ही सबसे ज्यादा कटौती की जा रही है और वह लगभग २२ प्रतिशत है। ५ डिविजन तोड़े जाने का विचार है एक चीफ इंजीनियर और एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट तोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कई अन्य विभागों में गवर्नमेंट जो कटौती करने जा रही है उसके मुकाबले में सिंचाई विभाग में जो कटौती की जा रही है वह बहुत अधिक है।

(१२. ४२. म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मेरा निवेदन है कि आज हमारे सामने प्रश्न तो यह है कि हमें कितनी भूमि पर पानी लाना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है और इसलिए मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि हमें इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे यहां पर जो छः करोड़ एकड़ भूमि है जिस पर हमें पानी लाना है और उसमें से सिर्फ एक करोड़ एकड़ भूमि को सिंचित कर पाये हैं। इसमें से २२ लाख एकड़ भूमि नहरी है, २८ लाख एकड़ भूमि कुओं के द्वारा सिंचित होती है और दूसरी कुछ हमारे केनाल हैं जैसे गंग केनाल, भाखरा प्रोजेक्ट, राजस्थान केनाल, गुड़गांव केनाल, इनसे लगभग ४२ करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होगी। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो कुछ हम अब तक सिंचाई के सम्बन्ध में कर पाये हैं वह कुल मिला कर एक करोड़ एकड़ के लगभग के लिए कर पाये हैं और अभी भी काफी भूमि हमें सिंचाई के क्षेत्र में लानी है। जो राजस्थान की नदियों में से पानी बह कर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जाता है उसमें करीब ७६० हजार मिलियन क्यूबिक ....

श्री रामकिशन : यह जो आप एक करोड़ एकड़ सिंचित भूमि की बात कह रहे हैं तो इसके फिगर को तो ठीक कर दीजिए। अगर एक करोड़ एकड़भूमि सिंचित हो जाय तो देश में अकाल ही नहीं रहेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बता रहा हूं उसे आप सुन लीजिए, उसके बाद जो कुछ आपको बताना हो वह बता दीजिएगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं, यह निवेदन कर रहा था कि ९७० हजार मिलियन क्यूबिक फिट पानी नदियों से होकर जाता है और उसमें से ४१० हजार मिलियन क्यूबिक फिट पानी को उस कर पाये हैं, इस पानी को रोक पाये हैं और इसके अलावा अभी बहुत कुछ काफी पानी हमें रोकना है और इसमें भी ९० हजार मिलियन क्यूबिक फिट पानी ऐसा है जिसको आसानी से रोका जा सकता है। तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह ९० हजार मिलियन क्यूबिक फिट पानी जो हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, जिसको आसानी से रोका जाना चाहिए। आज हमने जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये हैं उनमें जो आसानी से अप्रोचेबल है जो बहुत जल्दी सर्वे किए जा सकते हैं, जिनका अप्रोच आसान है उनको लेकर तो हमने बड़े २ बांध बांध दिए हैं लेकिन जो इण्टीरियर सोर्सेज हैं, जहां से नदियां निकलती हैं वहां जाकर सर्वे अभी तक नहीं किया गया है। छोटे छोटे बांधों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। छोटे छोटे क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं देने से काफी पानी ऐसे ही निकल जाता जाता है। एक समय आएगा जब यह हमारा पानी इस तरह से निकल जाता है उसके लिए हमारी बोर्डर स्टेट्स, जो हमारे पड़ौसी राज्य और पड़ौसी रियासतें हैं वे हमसे ईजमेंट क्लेम करेंगी, हमारे क्षेत्र से जो हमें सरफेस पानी दिखाई दे रहा है, जिसे हम रोक कर अपने सिंचाई के काम में ला सकते हैं उसका ही उपयोग नहीं कर सकेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पानी को जल्दी से जल्दी रोका जाय। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे राजस्थान में काफी अकाल पड़ा हुआ है और यह अकाल एक दो वर्ष का ही नहीं, राजस्थान में अकाल आए दिन पड़ता है और राजस्थान में आए दिन अकाल की स्थिति रहती है। अगर हमें अकाल की स्थिति का सामना करना है तो हमें इसका परमानेंट सोलूशन निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये परिस्थितियां यों हीं आती रहेंगी और हम इनके ऊपर इसी तरह से खर्चा करते रहेंगे। इसके लिए तो और भी जरूरी है कि सिंचाई विभाग में पूरा स्टाफ हो और अधिक से अधिक काम इसमें किया जाय। इस महकमे में कमी करने से काम नहीं चल सकेगा।

इसके अलावा हमारे यहां पर पहाड़ों के बीच में से जो नदियां बहती हैं उनको भी टैप करना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खेरवाड़ा तहसील में सोमनदी का पानी निकलता है, घरियावाड तहसील में एक और नदी का पानी निकलता है, कोठड़ा में जाडल नदी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

का पानी निकलता है। तो इन पहाड़ों में बहने वाली नदियों का पानी टैप करने की जरूरत है। बनास नदी को आपने टैप किया और कोठारी नदी को भी आपने टैप कर लिया है लेकिन जो पहाड़ों के बीच में ऐसे नदियां बहती हैं उनको अभी तक टैप नहीं किया गया है जो, इण्टीरियर में इर्रीगेशन के रिसोर्सेज हैं उनको टैप नहीं किया गया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो माईनर और मीडियम-स्कीम्स हैं, बनास फीडर की स्कीम हैं, मांडलगढ़ में जैतसर बांध का प्रोग्राम है उनको जल्दी से जल्दी टैप करें तो हम काफी पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हमें सब सोयल वाटर और अण्डर ग्राउण्ड वाटर को भी टैप करना होगा। आज हम देखते हैं कि खास तौर से काश्तकारों की यह प्रवृत्ति बन गई है कुए खुदवाने की और इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हो रहा है कि अंधाधुंध कुए खोदे जा रहे हैं और इससे कुओं का वाटर लेवल बहुत नीचे गिरता जा रहा है। वाटर लेवल के इतने नीचे चले जाने से खर्चा भी बहुत बैठ रहा है कुए खुदवाने में और जो राज्य सरकार की तरफ से ऋण दिया जाता है उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और दूसरे दूसरे जो साधन दिए जाते हैं उनका उपयोग भी पानी के अभाव में नहीं हो पाता है। इसलिए यह जरूरी है कि सब सायल वाटर और अण्डर ग्राउण्ड वाटर के लिए एक अलग से विभाग इसके लिए होना चाहिए या इसी विभाग में एक अलग से सैल बन जाना चाहिए जो इस बात का पता लगाए कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर और सब सायल वाटर कहां कहां पर है और उसके अनुसार ही कुए खोदे जावें तब तो इनका लाभ मिलेगा तभी हम सब सायल वाटर ग्राउण्ड वाटर का यूटिलाइ-जेशन कर सकेंगे। यह बहुत ही आवश्यक है। तो जब आपको सिचाई के लिए इतने सारे काम करने हैं तो फिर इस विभाग में जो आप कटौती करने जा रहे हैं वह नहीं करनी चाहिए बल्कि और भी जितने स्टॉफ की जरूरत हो जितने आफिसर्स की जरूरत हो उनको रख कर सिचाई के सारे कामों को पूरा करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ में इन बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो इस विभाग को और काम पूरे करने है उनको भी पूरा करना चाहिए। हमने अभी २ यह घोषणा की है कि राजस्थान के अन्दर छोटे भूखन्डों पर हम लगान की रियायत देंगे और यह कहा कि यह लगान नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटरमेंट लेवी बराबर उन भू-खण्डों पर भी वसूल की जाएगी जिनका लगान माफ किया है तो इससे छोटे छोटे भूखण्डों पर लगान माफ किया है उसका काश्तकारों को पूरा फायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए जो हमने लगान छोड़ने की राहत काश्तकार को दी हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो उससे पूरा लाभ उनको नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं सिचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इसके अन्दर किया है आप भी इस ओर ध्यान दें और जिन भूखण्डों पर आपने लगान माफ किया है उन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भूखण्डों की बेटरमेंट लेवी की छूट कराने का प्रयत्न करें।

इसके अलावा मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सिंचाई की दरों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां सिंचाई की दरें विभिन्न जिलों में विभिन्न रेट्स के आधार पर वसूल की जाती रही हैं। राजस्थान में जब हम सिंचाई की सुविधायें देना चाहते हैं तो सब जगहों पर समान सुविधायें होनी चाहिए। जो सिंचाई की दरें हैं वे सब रेशनल आधार पर होनी चाहिए। आपको मालूम है कि उदयपुर डिविजन में सिंचाई की दरें भिन्न २ हैं। यहां पर आपने कर रखा है कि एक पिलाई दी जाती है और एक से दूसरी पिलाई दी जाती है तो पूरी सिंचाई वसूल की जाती है जब कि अन्य कई जगहों में सिंचाई की दरें पिलाई के आधार पर नियत की गई हैं। एक पिलाई करते हैं तो उसके आधार पर वसूली की जाती है, दो पिलाई करते हैं तो उस आधार पर सिंचाई वसूल की जाती है और खास तौर से उन जगहों पर जहां पर कि वाटर सप्लाई अश्योर्ड है, काश्तकार को विश्वास है कि जितना पानी उसको चाहिए वह उसको मिलेगा, उसकी फसल सूख नहीं सकेगी, इसके विपरीत उदयपुर डिविजन में वाटर सप्लाई एश्योर्ड नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि तीन पिलाई मिल सकेगी फिर भी उससे पूरी सिंचाई की दर वसूल की जाती है। यह भेदभाव नहीं रहना चाहिए और इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारी सिंचाई की दरें जो सिंचाई का भार है, बेटरमेंट लेवी हैं और इर्रीगेशन सेस है वह इर्रीगेशन सेस सारे राजस्थान में एकसा होना चाहिए। इसके साथ साथ सिंचाई की दर पिलाई के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। अगर एक पिलाई दी जाती है तो एक के हिसाब से होनी चाहिए, अगर दो पिलाई दी जाती है तो दो के हिसाब से सिंचाई दर वसूल की जानी चाहिए।

लघु सिंचाई के सम्बन्ध में मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब एक बार मौका मिला था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद के समय तब मैंने कुछ निवेदन किया था कि इस ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये। बड़े बड़े प्राजेक्ट्स बनाये हैं तो बड़े प्राजेक्ट से जहां तक पावर प्राप्त करने का प्रश्न है तब तक तो लाभदायक हो सकते हैं, बाकी यदि सिंचाई की दृष्टि के साथ देखते हैं तो काफी लम्बे समय के बाद उनका रिटर्न मिल पाता है। जो छोटे छोटे प्राजेक्ट्स हैं, माइनर इर्रीगेशन की स्कीम है, उनको हाथ में लें तो तत्काल लाभ मिलता है, डाइरेक्टली सिंचाई का लाभ रहता है, उस क्षेत्र में हम जहां पर पानी निकालें, उस क्षेत्र में अन्डर वाटर लेवल को ऊंचा रख कर कुओं की संख्या बढ़ाते हैं तो कुओं में सेजा रहेगा और उससे हम अधिक सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे हमें इन्डाइरेक्टली फायदा मिलता है, छोटे छोटे बांधों का हमें वह लाभ मिलेगा। मैंने यह भी निवेदन किया था कि कई जगह ऐसे पुराने तालाब हैं, जहां पर मामूली खर्च कर दिया जाय, जैसे देवगढ़ तहसील में भीम तहसील में ऐसे पुराने तालाब हैं जो दस पन्द्रह वर्ष से टूटे पड़े हैं, उनको यदि रोक दिया जाता है, उनको ठीक कर दिया जाता है तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कम खर्च लगेगा और इर्रीगेशन का बहुत अधिक लाभ मिलेगा । इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए, इससे फायदा बराबर मिलेगा। अगर बड़े प्राजेक्ट बनायें तो वह पांच दस वर्ष में पूरे होंगे तब जाकर रिटर्न मिलेगा। उन पर एक्सपेंडीचर आज करते हैं और रिटर्न बाद में मिलता है। आज की पीढ़ी देखती है कि आज खर्च किया जा रहा है और दस पन्द्रह वर्ष बाद में जाकर यह फायदा देंगे। इसलिये आज के फायदे की दृष्टि से माइनर इर्रीगेशन की तरफ ध्यान दें, और माइनर इर्रीगेशन के वर्क हाथ में लें तो अधिक फायदा हमें इनसे मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, वह निवेदन करनी यह है कि हम जो सिंचाई के कार्यक्रम लेते हैं, उन कार्यक्रमों के ऊपर एक प्रतिबन्ध हमारे ऊपर लगा हुआ है, वह है, रिटर्न। जब किसी तालाब को बनाने का प्रश्न हाथ में लेते हैं तो देखना पड़ता है कि इसका क्या रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न में आता है, उससे सिंचाई के साधन प्राप्त होंगे, उसको रिटर्न का आधार मान कर रिटर्न का केलकुलेशन करते हैं। यह हो सकता कि मैदानी इलाके में मिट्टी का बांध बनायें तो रिटर्न पूरा पड़ सकता है लेकिन जैसा मैंने कहा, इस प्रकार के बांध आप बांध चुके हैं, इस प्रकार के काम आप पूरे कर चुके हैं। अब काम आपको इन्टीरिअर में करना है. पहाड़ी क्षेत्रों में करना है, जहां पोटेन्सियलिटी एक्सप्लोर नहीं कर पाये हैं, वहां करना है, वहां पर रिटर्न का प्रतिबन्ध रहे तो वह रिटर्न का प्रतिबन्ध योजनाओं को पूरा करने में मददगार नहीं हो सकता। पहाड़ी क्षेत्र में पक्का बांध बनाना पड़ता है और वहां जमीन कम उपलब्ध होती है। बांध में अधिक खर्चा और पिलाई के लिए जमीन कम तो उससे सिंचाई कर कम वसूल होगा। तो-रिटर्न का हिसाब लगायें तो वह नहीं बैठेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिटर्न का सिंचाई से केलकुलेशन न करके रिटर्न का केलकुलेशन जितना बेनिफिट और फायदा उससे होने वाला है, उसको दृष्टि में रखते हुए करना चाहिए। अब रिटर्न क्या है? कोई तालाब बनाया तो उस तालाबसे कितने कुओंमें सेजा रहेगा, उससे कुओं में कितना पानी बढ़ेगा, कितनी इर्रीगेशन होगी। और तालाब से इर्रीगेशन होती है उससे कितना अधिक प्रॉडक्शन होगा। आज प्राडक्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो वह भी रिटर्न है। सिंचाई में देख लें, जो पैसा खर्च किया उससे कितना मिलता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस महकमे को आप व्यापारिक महकमा मत बनाइये। उससे अधिक इन्कम हो—यह दृष्टि मत बनाइये। यह अत्यन्त आवश्यक महकमा है. इसमें व्यापारिक दृष्टि से मत चलिये और इसको नेशनल दृष्टि से चलाइये। जितना खर्च करना पड़े, उतना करिये। हमारा प्रॉडक्शन हमें बढ़ाना है, अधिक से अधिक जमीन को पानी पिलाना है। तो जो सिंचाई का तरीका केलकुलेशन का है, वह रिटर्न का है, यह पुराना है। जहां तक मुझे याद है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी आई तब से यह चला है। उसे तो हिन्दुस्तान से पैसा कमाना था, इसलिए उसने तरीका जारी रखा आज के युग में इस तरीके को बनाये रखना चाहते हैं तो यह नहीं कह सकते कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आप काश्तकार को राहत देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं............

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

हमारी राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि यह जो रिटर्न का तरीका है, इसको बदलना चाहिए और बेनिफिट के बेसिस से इस रिटर्न को केलकुलेट करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं सोचता हूं कि ऐसे भागों में भी, जहां पक्के बांध पड़ते हैं और कम जमीन सिचाई में आती है, वहां बांध बन जायेगा तो काश्तकारों को आप सुविधा दे सकेंगे। यह निवेदन करते हुए एक बार फिर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरे सुझावों के ऊपर अवश्य ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पृथ्वीसिंह !

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के विषय पर मेरा भी कटौती का प्रस्ताव है, अतः मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी ८० प्रतिशत जनता कादत के ऊपर निर्भर करती है और उसके लिए आवश्यक है कि उनको सिचाई की सुविधायें उचित मात्रा में उपलब्ध हों। सरकार ने यह सारी बातें विचार करके काश्तकारों को सिचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु कई प्रकार की योजनायें बनाई और उनका निर्माण भी किया है। इन निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में जवाई बांध का निर्माण किया गया, जो जोधपुर स्टेट के समय कार्य चालू कर दिया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में १९५५ में उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश जब से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है उसका काश्तकारों को उचित लाभ नहीं पहुंच सका है। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि काश्तकारों का दुर्भाग्यवश कहा जाय कि इन वर्षों में वर्षा की भारी कमी रही जिसके फलस्वरूप इस बांध में पानी की कमी रही और यह बांध आज दिन तक पूरा भरा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जोधपुर एवं पाली जिले के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के साथ-साथ मवेशियों के लिए भी पानी भेजा गया। इन दोनों कारणों से काश्तकार को उचित मात्रा में सुविधा उपलब्ध नहीं हुई और यहां तक कि कभी-कभी तो उन्हें (काश्तकारों को) आठ पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट, बारह पर्सेन्ट तक ही पानी दिया गया। इस वजह से काश्तकारों के द्वारा जो खेती की तैयारी की गई उन खेतों की तैयारी में किया गया व्यय भी उनके ऊपर पड़ा और फसल बढ़िया कभी नहीं हुई। इससे उनके द्वारा खेत में डाला गया खाद का भी वापिस रिटर्न नहीं हो सका। और इस तरीके से चलते-चलते आज स्थिति यह है कि इस वर्ष भी काश्तकारों को ८ पर्सेन्ट पानी दिया गया, इसमें से केवल तीन पानी दिये गये जिससे काश्तकारों को भारी हानि हुई और प्रॉडक्शन पर भी उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ा। इन सारी बातों को देख कर सरकार ने साही नदी, जो गुजरात के बोर्डर पर बहती है, उस का डाइवर्शन करके उसे जवाई बांध में डालने की योजना बनाई थी लेकिन वह योजना भी न मालूम कहां खटाई में पड़ी है और उस योजना का कार्य अभी

(श्री पृथ्वीसिंह)

तक चालू नहीं किया गया है हालांकि उसका सर्वे सरकार ने करवा लिया है और उसकी सेंक्सन भी मेरे ख्याल में सरकार द्वारा हो चुकी है। सरकार द्वारा काश्तकारों की सुविधा हेतु विशेष ध्यान नहीं रखा जाकर उनके उपर, आज सरकार जब कभी भी चाहती है, तो सरचार्ज

(१ म. प.)

लगा कर उनसे सरचार्ज वसूल कर सकती है, बैटरमेंट लेवी लगा सकती है, पानी की दर में वृद्धि कर सकती है और समय आने पर लेवी डिमाण्ड भी कर सकती है और न मालूम क्या-क्या मांग-मांग कर उनसे वसूली की योजना बनाती है। लेकिन आज काश्तकार अपनी सुविधाओं के लिए कोई मांग करता है तो उसकी सुनवाई सरकार नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष का जिक्र करूंगा कि पाली जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल था. इसके उपरान्त भी काश्तकारों ने कुओं में पानी कम होते हुए, जवाई बांध में कम पानी होते हुए, दूसरे बांधों में पानी कम होते हुए जैसे तैसे करके अपनी खेती की और फसल पैदा की। बड़ी मेहनत से की गई। तालाबों में, नदियों में खेती की गई थी और अचानक होली के दिन भारी वर्षा और ओला वृष्टि हुई। उस दिन मैं भी खेत में था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उस दिन की वर्षा से ओला वृष्टि से फसल को कितनी हानि हुई है, जिसको सरकार ने अपने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि केवल चार आना काश्तकारों की फसल को हानि हुई है। इसके लिए अर्ज करता हूं कि मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा कि कम से कम दस-बारह आना नुकसान काश्तकारों को हुआ है, जैसा कि मैंने देखा था, जिन काश्तकारों की फसल खलिहान से आ चुकी थी वह भारी वर्षा होने के कारण भीग गई और भीग कर आखिर में उसके दाने सड़ गये और तत्व सारा उसका नष्ट हो गया और फसल नष्ट हो गई। जो फसल कट कर खेतों में पड़ी थी वह जोर से हवा बहने के कारण या तो उड़ गई या वर्षा होने के कारण जो पूले बंधे हुए थे, जो दाने इकट्ठे हुए पड़े थे वह बह-बह कर नदी में चले गये या भीग कर बिल्कुल बरबाद हो गये। जो फसल खड़ी थी, ओला वृष्टि के कारण उसके दाने बिखर गये और वर्षा के कारण भीग कर खेत में आड़ी लेट गई और भीग कर सड़ गई। जो फसल नदियों में की गई थी, जो टमाटर और खरबूजे, गेंहू, जौ की खेती-वह नदी आने के कारण बह कर चली गई। आपको मालूम होना चाहिए कि काश्तकार नदियों के अन्दर जब खेती करता है तो कितना परिश्रम उसे उठाना पड़ता है। वह हल नहीं चलाता है। नदी है, उसे नदी में फावड़े और कुदाली से खोद-खोद कर मिट्टी निकाल कर और खाद डाल कर टमाटर और खरबूजे की खेती करनी पड़ती है। उसमें उनको अनाप शनाप पैसा बरबाद करना पड़ता है। उनका खर्च किया हुआ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा व्यर्थ गया और उनके मुंह पर आने वाली कमाई बह कर चली गई और जो तालाब के अन्दर खेती की हुई थी, वह तालाब भर जाने के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई और खराब हो गई। काश्तकारों ने इस हानि के लिए सरकार को निवेदन किया कि हमको बहुत बड़ी हानि हुई है. हमको मुआवजा दिलवाया जाय (समय समाप्ति-सूचक घंटी) तो मुआवजे की व्यवस्था के बजाय सरकार ने उनके

(श्री पृथ्वीसिंह)

ऊपर लेवी थोपी । अब मैं सरकार से निवेदन करूं कि उन काश्तकारों के लिए लेवी देना बिल्कुल असम्भव है और मुश्किल है। लेवी के लिए उनके पास धान बिल्कुल नहीं बचा है। उन्होंने थोड़ा बहुत जो पैदा किया था, थोड़ा बहुत पानी में से निकाल कर इकट्ठा किया था, वह या तो खाने के लिए छोड़ रखा है या बीज, खाद या श्रीगोड़ी के लिए बेच कर जो पैसा इकट्ठा किया है वह उनके पास है। लेकिन सरकार उनके ऊपर डिमाण्ड निकालती है और अत्याचार करने के तरीके से उनसे लेवी वसूल करने की योजना बनाती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उन काश्तकारों के खिलाफ जो लेवी को डिमाण्ड बनाई गई है वह लेवी की डिमाण्ड माफ की जाय और लेवी वसूल नहीं की जाय ।

इसके आगे मैं अर्ज करूंगा कि काश्तकारों के लिए जो योजना साही नदी की बनाई गई है उसे तत्काल शुरू किया जाय और जवाई बांध में पानी डाल कर काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना को पूरा करे। इससे काश्तकारों के उत्पादन में वृद्धि होगी और सरकार को सिंचाई के आबयाने और रेवेन्यू की वसूली भी भारी होगी। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें और साही नदी की योजना है उसको तत्काल कार्यान्वित करके जवाई में उसका पानी पहुंचावे ।

इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहता हूं जवाई के लिये जो बेटरमेंट लेवी लगाई गई है, वह किसानों के लिए लगाई है....

श्री हरीदेव जोशी : कौनसा बांध ?

श्री पृथ्वी सिंह : जवाई बांध पर बेटरमेंट लेवी लगाई गई है वह केवल किसानों पर लगाई गई है जब कि इसका पानी है वह जोधपुर एवं पाली जिले के दूसरे गांवों को भी पीने के लिए दिया जाता है। मैं उनसे बेटरमेंट लेवी लेने के लिए अर्ज नहीं करता, यह निवेदन नहीं करता कि उनका पानी बन्द कर दिया जाय लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बांध से केवल काश्तकारों को ही लाभ नहीं पहुंचा है। कितने काश्तकारों को लाभ पहुंचा है, और कितना पीने वालों को लाभ पहुंचा है-इसका अनुमान और औसत निकालना मुश्किल है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जवाई बांध के काश्तकारों पर जो बेटरमेंट लेवी लगाई गई है वह बिल्कुल माफ कर दी जाय !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने मांग सख्या २५ और २६ पर अपने लगभग दस कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और उन्हीं विषयों पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आज यह मेरा सौभाग्य है कि जो सिंचाई मंत्री जी आज है, वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेअरमैन भी रह चुके हैं और इसलिए इस नाते में उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची और कुनबा परस्ती सिंचाई विभाग में देखने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

को मिली है, शायद दूसरे विभाग में उस प्रकार का दृष्टान्त देखने को नहीं मिले। कोई भी एक ऐसी योजना नहीं है कि जिसके ऊपर जो एस्टीमेट आंका गया था, उस एस्टीमेट के अन्दर वह काम पूरा हो गया हो। कोई ऐसा काम नहीं है, जिसके अन्दर गबन के केसेज नहीं हुए हों। कोई इस प्रकार का प्रमोशन नहीं जिसने फेवरिटिज्म नहीं किया गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान केनाल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान केनाल प्राजेक्ट एक ऐसा प्राजेक्ट है जिसकी सफलता के ऊपर राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है। अगर आज यह योजना सफल होती है तो राजस्थान के अन्दर उत्तर-पश्चिमी भाग, जो आज रेगिस्तान से ढका हुआ है, वह हरा भरा बनाया जा सकता है और स्वयं राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की कई घोषणा की कि जो राजस्थान आज रेगिस्तान से भरा हुआ है, उस रेगिस्तान को राजस्थान केनाल के द्वारा हरा भरा कर देंगे। ताज्जुब मुझे यह होता है कि १८४ करोड़ की कुल योजना और उस पर अभी तक लगभग ५० करोड़ खर्च किया जा चुका है, और फीडर का काम लगभग सम्पूर्ण है, आज योजना पर केवल छः करोड़ रुपया का इस वर्ष प्राबीजन रखा जाय और छः करोड़ में कोशिश की जाय कि हम इस क्षेत्र को हरा भरा कर सकते हैं, मैं सोचता हूं कि यह सरकार और सरकार के नारे अपनी जगह टिकते हैं। यह ठीक है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ठीक नहीं है। यह ठीक है कि राजस्थान की जनता पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष जो टैक्स लगाती है, उसको अब और नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि गत सत्र के अन्दर हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस योजना को लेकर कहा था कि केन्द्रीय सरकार इस योजना को अपने हाथ में लेने वाली है। आज क्या कारण है राजस्थान का मंत्रिमण्डल और राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस योजना के लिए, जिस योजना के साथ राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है, केन्द्रीय सरकार पर दबाव न डालें कि वह इस योजना को अपने हाथ में ले और इसके खर्च को केन्द्रीय सरकार वहन करे। यह हिम्मत केन्द्रीय सरकार की भी नही है और यह हिम्मत राजस्थान सरकार की भी नहीं है। राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री अपने दूसरे स्वार्थों को साधने के लिए तो दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली के मंत्रिमंडल पर दबाव डाल सकते हैं और कई बातें सेंटर में करवा सकते हैं पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव डालने में क्यों असफल रहे हैं कि राजस्थान केनाल के सारे खर्चे का दायित्व केन्द्रीय सरकार ले ले। इन बातों की ओर राजस्थान सरकार की निगाह नहीं जाती, राजस्थान सरकार की निगाह जाती है तो नॉन गजेटेड स्टाफ पर जाती है जिनको अभी अभी नियुक्त किया था। मैं सिंचाई मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ५-६ महिने पहिले इन लोगों को अपने डिपार्टमेंट में नियुक्त किया था, दूसरे प्रोविन्सेज से ये लोग भाग कर आपकी नौकरी करने के लिये आये थे उनको नोटिस दे दिये गये हैंकि १ जुलाई से आपकी नौकरी को समाप्त कर दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जायगा। और स्टेट्स से आने वाले ५०—६० व्यक्ति आपको इन नोटिसेज के कारण नौकरी से निकलने वाले हैं। क्या आपने जो इनकी नौकरी के लिये एड्वरटाइजमेंट किया था, इनकी नियुक्ति के लिये आपने जो खर्चा किया वह बेकार था? इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आपको क्या अधिकार था? ६ महिने पहले उनको अपने यहां नौकर रखते हैं और आज मितव्ययता के नाम पर, कटौती के नाम पर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। यह तो नॉन गजेटेड लोगों का मामला है, जिनके कोई जैक नहीं है।

दूसरी और चुनाव जीतने के लिये गजेटेड आफीसर्स की पदोन्नतियां की गई हैं। प्रोमोशन्स के लिये डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी की व्यवस्था है, बिना इसकी सिफारिश के कोई प्रोमोशन नहीं किया जाता, अगर किया जाता है तो ६ महीने के लिये एडहाक बेसिस पर किया जाता है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि इस विभाग मे कितने सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स हैं जिनको पांच, पांच, छः, छः साल से एडहाक बेसिस पर प्रोमोशन दिये थे पर बिना डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी की सिफारिश के कन्टिन्यू कर रहे है?

एक केस मैंने आरम्भ में रखा था, सिंचाई मन्त्री उस समय मौजूद नहीं थे। २८-१-६७ को, ५-६ साल से बिना डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी की सिफारिश के जिन लोगों को प्रोमोशन दिया है, उससे जो लोग प्रभावित हुए उनको रिप्रेजेन्टेशन करने पर एक कमेटी एस. ई. एन. के केसेज के स्क्रीनिंग के लिये बैठी, एक तो मिस्टर माथुर थे और दूसरे गुरुचरणसिंह गुरम, इन दो के केसेज कमेटी के सामने आये, माथुर के तो कागजात नहीं मिले और गुरुचरणसिंह गुरम एस. ई. एन. वह हैं जिनको चीफ इन्जीनियर राजस्थान कैनाल ने अयोग्य समझ कर ६ महिने तक आफिस में रखा, अयोग्य समझ कर प्रोमोशन नहीं दिया। ६१-६२, ६२-६३, ६३ ६४ और ६४-६५ लगातार इन चार साल तक भिन्न भिन्न इन्जीनियर्स द्वारा इनके खिलाफ एड्वर्स रिमार्क्स दिये हैं, जो रिप्रेजेन्टेशन दिया उसका फैसला नहीं हुआ। स्क्रीनिंग के लिये कमेटी के पास गया था उस कमेटी ने विचाराधीन रखा, कोई फैसला नहीं दिया पर बिना चिन्ता किये कि स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मामला विचाराधीन है गुरुचरनसिंह गुरम के खिलाफ एड्वर्स रिमार्क्स हैं, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने लिखा कि जो एड्वर्स रिमार्क्स हैं वे ठीक हैं, कोई कारण नहीं कि इन पर दुबारा विचार किया जाय, वह केस सेक्रेटरी के पास पड़ा रहा पर आपके विभाग के भूतपूर्व सिंचाई मन्त्रीजी और गंगानगर के उपमन्त्री ने १३-२-६७ को जो मोटिव इम्प्यूट करते हैं, वह प्रूव होते हैं २८-१-६७ को जो कमेटी स्क्रीनिंग के लिये बैठाई गई, उसने निर्णय नहीं दिया, उसके पास यह मामला पेंडिंग में था, गुरुचरणसिंह गुरम के खिलाफ आरोप स्टेन्ड करते हैं पर चुनावों से पूर्व १३-२-६७ के आर्डर में सुनने को मिला कि केवल गुरुचरणसिंह गुरम को एस. ई. एन. बना दिया है जब कि एस. ई. एन. के दो स्थान थे। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स थे चीफ इन्जीनियर्स के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिनको चीफ इन्जीजियर ने अयोग्य समझ कर प्रोमोशन नहीं दिया जिसके सम्बन्ध में डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी के सामने मामला विचाराधीन था उस गुरुचरणसिंह को सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर क्यों बनाया ? इसलिये बनाया कि गंगानगर चुनाव क्षेत्र में उसने खुल कर काम किया है, लगभग दस बारह लोग जो इस पद के लिये हकदार थे वे सुपरिन्टेंन्डिंग इन्जीनियर बनने का इन्तजार कर रहे थे, उनको उनके हक से महरूम किया गया।

तो एक तरफ तो नॉन गजेटेड स्टाफ जिनकी बिना रोजी की चिन्ता किये, बिना उनके परिवार वालों की समस्या की चिन्ता किये एक कलम से उनको नौकरी से अलग करने को बैठे हैं और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो प्रोमोशन के पात्र नहीं उनको आप बिना डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी की परवाह किये प्रोमोशन दे देते हैं। यह आपका तरीका है।

तो मैं राजस्थान केनाल के बारे में अर्ज कर रहा था, इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान की दूसरी योजना जिसका सम्बन्ध राजस्थान के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, उसकी तरफ, राणा प्रतापसागर प्रोजेक्ट की तरफ, आकर्षित करना चाहता हूं। गत सदन में भी मैंने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था।

इस प्रोजेक्ट पर १९।। करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है पर जिस बेरहमी के साथ रुपये का दुरुपयोग किया गया है उस ओर मैं इस सदन का ध्यान दुबारा आकर्षित करना चाहूंगा। राणा प्रतापसागर प्रोजेक्ट का मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को ४ करोड़ का ठेका दिया, एक करोड़ का उसमें घोटाला है, उस समय मुख्य मन्त्री जो हंस कर बोले कि ४ करोड़ में एक करोड़ का घोटाला कैसे हो गया, सारी बातें सामने रखीं, समय समय पर बातें रखी गई तो मुख्य मन्त्रीजी चुप रहे। रेखा, पत्थर, लाल मिट्टी और लीड के सवाल को लेकर इस कम्पनी को १ करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया है। ४ करोड़ में से १ करोड़ रुपये का नाजायज फायदा इस मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को पहुंचाया गया है। और ताज्जुब यह है कि राजस्थान सरकार का इस कम्पनी के साथ जो इकरारनामा हुआ है उसको अभी तक फाइनल शेप नहीं दी गई है। ६२ में प्रोविजनल एग्रीमेंट हुआ उसमें लॉ डिपार्टमेंट की आज तक सलाह नहीं ली गई है। जिस कम्पनी को ४ करोड़ रुपये का ठेका दिया जाय उसके साथ एग्रीमेंट किया जाय तो उस एग्रीमेंट के करने में लॉ डिपार्टमेंट को सलाह नहीं ली जाय, बिना एग्रीमेंट को फाइनल शेप दिये ही उस कम्पनी से काम आरम्भ करा दिया जाय तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कितनी गड़बड़ियां हुई होंगी।

गत सत्र में ४ करोड़ के जो चार्जेज थे वे अलग हैं। इस मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने राज्य सरकार के सामने ७०,४७,२२७) रु० के क्लेम्स पेश किए हैं। जो एक करोड़ का मुनाफा उठाया। राजस्थान सरकार ने और विभाग ने इस कम्पनी को मशीनरी के

Page No. 71

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लिए लाखों रुपए दिए जिनका एग्रीमेंट में कहीं प्रावधान नहीं। बिना व्याज के रुपया दे दिया गया है उस कम्पनी को लीड के नाम पर, इसको नाजायज फायदा पहुंचाया गया है। उस कम्पनी की एग्रीमेंट की खामी को देखकर मेरा चार्ज है कि एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पाया, जान बूझकर फाइनल नहीं कराया, जानबूझकर लॉ डिपार्टमेंट की सलाह नहीं ली गई और यही कारण है कि आज इस कम्पनी ने राज्य सरकार के समक्ष २६ क्लेम्स पेश किए हैं, उनके अगेन्सट ७०,४०,२२७) और क्लेम किये हैं और उस पर ४,६६,८१५) उस पर व्याज क्लेम किया है। इस प्रकार आज जो क्लेम्स सरकार के सामने पेश हैं वे लगभग ७५ लाख रुपए के हैं और इन क्लेम्स को निपटाने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, जिस प्रकार राजनैतिक फायदा पहुंचाया गया, उससे में सोचता हूं कि इससे अधिक दर्दनाक बात नहीं हो सकती। इन क्लेम्स को निपटाने के लिए आरबीट्रेटर नियुक्त किया गया था। उसके लिए तय था कि ४ महीने के अन्दर उसमें अवार्ड आना चाहिए लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि समय समय पर इस आरबीट्रेशन की मियाद बढ़ा चुके हैं। लगभग ४ बार इसकी मियाद बढ़ा दी गई है, आरबीट्रेशन चल रहा है, आरबीट्रेटर के सामने सुनवाई हो चुकी है। आरबीट्रेटर को अपना अवार्ड देना बाकी है, अवार्ड होने वाला है और सदन को ताज्जुब होगा और इसमें आश्चर्य नहीं कि जितना क्लेम पेश किया है लगभग उतना ही क्लेम राज्य सरकार इस अवार्ड के अनुसार मानकर इस कम्पनी को देना पड़ेगा।

उस आरबीट्रेशन के अन्दर राज्य सरकार ने अपने वकील नियुक्त किए सरकार की पैरवी करने के लिए। एक श्री एम. एम. व्यास वकील को २३०) रोजाना पर नियुक्ति की। इसके अलावा मानकचंद माथुर नियुक्त हुए १५०) रोज पर एज असिसटेंट। आप ताज्जुब करेंगे कि जब मानकचंद माथुर नहीं आया तो राज्य सरकार ने श्रीमती कांता खतुरिया को इस माथुर की जगह पर एपाइंट कर दिया १५०) रोज पर और एम० एम० व्यास को ३३०) रोजाना पर। समझ में नहीं आता कि यह राज्य सरकार आदमियों की चुनी हुई सरकार है या भाई भतीजावाद की सरकार है। माथुर साहब जब विधि मन्त्री थे तब माथुर को अपाइंट किया। जब माथुर नहीं आए, तो अपनी मिलने वाली श्री मती कांता खथूरिया को अपाइंट कर दिया। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार का सारे का सारा कुन्बा राजस्थान की जनता को चूसना चाहता है।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, इस मिलने वाली से आपका क्या मतलब है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उनके क्षेत्र से.......

श्री रामकिशन: मैं समझता हूं कि एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: आपकी तो महिलाओं में रुची है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज इस आरबीट्रेशन के लिए एक लाख रुपया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आरबीट्रेटर को देना पड़ेगा और श्री एम० एम० व्यास को लगभग ६३,१६५) का भुगतान किया जा चुका है और ६१४०) बकाया है। कुल ६६,३३५) श्री व्यास को पेमेंट किया जा चुका है। टी. ए. डी. ए. अलग है। इस प्रकार श्रीमती कांता खत्रिया को २५,१२५) का पेमेंट हो चुका है और ३७००) रु० देना बकाया है। इस प्रकार इस आरबीट्रेशन के लिये जो केवल माडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी के साथ चल रहा है, राज्य सरकार २८,८२५) श्रीमती कांता को देगी। लगभग ७० हजार खर्चा हुआ है श्री व्यास पर और लगभग ३० हजार रुपए खर्च हुआ श्रीमती कांता खतूरिया पर और एक लाख का खर्चा हुआ आरबीट्रेटर पर। इस प्रकार इस आरबीट्रेशन के लिए दो लाख रुपए वकीलों को और आरबीट्रेटर को दे दिए गए हैं।

मैं आज जानना चाहता हूं सिचाई मंत्री से कि आपने श्रीमती कांता को एपांइट किया, तो इस आरबीट्रेशन को जितनी सिटिंग्स हुई वे कहां पर हुई हैं? कोटा में, बम्बई में, जयपुर में, दिल्ली में। बीकानेर से क्या सम्बन्ध था कि आपने श्रीमती कांता को एपाइंट किया १५०) रोज पर? क्या कोटा के अन्दर कोई दूसरा असिसटेंट या जयपुर के अन्दर एसिसटेंट नहीं मिल सकता था? या क्या अनुभव के आधार पर श्रीमती कांता को एपाइंट किया था? यह दृष्टांत मैंने बताया कि किस तरह राजस्थान की जनता, जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्सेज के रूप में सरकार को देती है, उसको किस बेरहमी से अपने स्वार्थों के लिए सरकार खर्च करती है। आखिर यह आरबीट्रेशन की नौबत क्यों आई? आखिर क्लेम्स की नौबत क्यों आई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किन व्यक्तियों की लापरवाही के कारण ये क्लेम्स पैदा हुए? ये सारे के सारे लेकुनाज एग्रीमेन्ट में रहे कैसे? किस व्यक्ति के कारण एग्रीमेन्ट को पहले लॉ डिपार्टमेन्ट से इग्जामिन नहीं कराया गया? मैं ऐसा आश्वासन चाहता हूं सिचाई मन्त्री से कि अवार्ड आने पर अगर पाया गया कि जिनकी लापरवाही रही, जिनके निग्लीजेंस के कारण यह एग्रीमेंट लिखा गया जिनके कारण लाखों रुपये का नुकसान राज्य सरकार को हुआ उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा दी जायगी। राणा प्रताप सागर का यह पहला आरबीट्रेशन हो। ऐसी बात नहीं। मन्त्री जो दूसरे आरबीट्रेशन के लिए तैयार होकर बैठ जायें। दूसरा क्लेम सेन्टाक कम्पनी जो राणा प्रताप सागर पर काम कर रही है उसका क्लेम आपके सामने आने वाला है, वह क्लेम कोई हजारों में नहीं, कोई लाखों में नहीं। वह क्लेम है ८४, ७०, ०००) का। जो पावर स्टेशन बना रहे हैं, टनेल पर काम कर रहे है वह सैंटाक कम्पनी ८४ लाख का क्लेम आपके सामने पेश कर चुकी है। सरकार ने स्वीकार कर लिया उस एग्रीमेन्ट के कान्ट्रैक्ट के अलावा १४ लाख देने को तैयार हो गई है। इसके अलावा ७० लाख के क्लेम्स आपके सामने पेश कर दिए हैं और मुझे मालूम पड़ा है कि हमारी केन्द्रीय सरकार मानवता के नाम पर तैयार हो गई है इस सारे केस को भी आरबीट्रेटर को रेफर करने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि आज आपके जो बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग मौजूद हैं, आप उनको अच्छा बेतन दे रहे हैं, प्रेक्टीकल हैंड्स के नाम पर बाहर बुलाकर रखा

Page No. 73

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है, क्या करते हैं ? एस्टीमेट्स बने, एग्रीमेंट हुआ उसकी पालना नहीं हुई। एस्टीमेट्स एक तरफ रह जाय, एक्चूअल खर्चा दुगुना हो जाय और उसके बाद भी ये कम्पनियां लाखों रुपये के क्लेम्स राज्य सरकार के सामने पेश कर दें। क्या रहस्य है क्यों नहीं रोके जा सकते ? क्या इसके पीछे साजिश तो नहीं है, षडयन्त्र तो नहीं है कि अधिकारी जान बूझकर एग्रीमेंट में खामियां रखते हों ताकि कम्पनियों को मौका मिले लाखों रुपये के क्लेम्स सरकार के सामने पेश करने का ?

इतना ही नहीं, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के श्री आर. के. शर्मा जिनको लीएजन और प्रोक्यूअरमेंट आफिसर बनाकर दिल्ली में बिठा रखा है, वह आदमी ऐसा नहीं है जिसके पीछे ईमानदारी की छाप हो। एन्टी-करप्शन की इन्कुवायरी जिसके पीछे, जो उसके खिलाफ बोल रही हो कि यह भ्रष्टाचारी है, आज उस आदमी को ५००) महीने पर बिठा रखा है दिल्ली में। काम क्या है ? ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ एन्टी-करप्शन में इन्कुवायरी हो, भ्रष्टाचारी हो, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उसको दिल्ली में क्यों बिठा रखा है ? केवल इसलिए मन्त्री जाय, चीफ इन्जनीयर जाय दूसरे अधिकारी जाय उनकी हाजिरी करे, गाड़ी लेकर स्टेशन पर पहुंचाए, एरोड्राम पहुंच जाय, होटल में ठहराने का इन्तजाम करे और सबका इन्तजाम करे उसके लिए केवल ५००) रु० महीना खर्च करके एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को दिल्ली में बिठाया हुआ है। एन. जी. मलहोत्रा जो राणा प्रताप सागर के आदमी हैं उनसे साथ अटेच किया हुआ है। यह राजस्थान की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ है और यह आपके विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यह सारे प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र की ओर थोड़ा सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोटा बेराज के कारण जो सिंचाई क्षमता, जिस टारगेट को राजस्थान सरकार अचीव करना चाहती है उस प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग ४।। लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करना चाहिये था उसके एवज में केवल २ लाख एकड़ में ही सिंचाई हो रही है। वह आंकड़े अपनी जगह पर हैं। मैं तो केवल कहना चाहूंगा कि दो लाख केवल इसलिए मौजूद हैं आपके आंकड़ों में कि उस फसल को जितना पानी चाहिए उतना नहीं पिलाया गया। पांच वार पानी चाहिए जबकि केवल एक बार पानी दिया गया। इस कारण उस क्षेत्र में उत्पादन में कमी आयी है। आज उत्पादन में कमी आयी इस योजना से सीपेज और वाटर लोगिंग की समस्या बढ़ी है। उत्पादन क्षमता खत्म हो गयी है। किसान बांध के पानी से अभ्यस्त न होने के कारण इससे घबराने लग गये हैं। सिंचाई मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि क्या तरीका है आपका कि फिर उन पर बेटरमेन्ट लेवी का भार डाला जाय। इस सैद्धान्तिक रूप से बेटरमेन्ट लेवी के खिलाफ हैं। कोई कारण नहीं है सरकार उस क्षेत्र में विकास करती हो तो बेटरमेंट लेवी का भार डाले कि हमने किसान का विकास किया है उसको पानी का फायदा मिला है इसलिए उससे बेटरमेन्ट लेवी चाहते है, उस तर्क पर मैं कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के किसान की खेती की उत्पादन क्षमता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में कमी हुई है, उत्पादन कम हुआ है. वाटर लोगिंग हुआ है सीपेज हुआ है और चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई है फिर किस कारण से बेटरमेन्ट लेवी लें। किसान के खेत इस तरफ नहर बीच में और गांव उधर। उनको पांच मील का चक्कर काट कर वहां आना पड़ता है। सफल को उठा कर ले जाने, बीज लाने, खाद डालने और फसल के अनाज को मन्डी तक पहुंचाने में उसको बड़ी भारी दिक्कतों का सामना पड़ा है जिससे उसको काफी समय लगता हैं और उसके साथ साथ सीपेज के कारण, वाटर लोगिंग के कारण भी उत्पादन क्षमता में कमी आयी है। उस पर ऊपर से बेटरमेन्ट लेवी का भार डाले यह उचित नहीं हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि गंगानगर क्षेत्र से मुझे कोई वैर वैमनस्य नहीं है, वहां सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह ठीक हैं. गंगानगर क्षेत्र में बैटरमैन्ट लेवी की जांच के लिये अगर कोई वहां पर किसी प्रकार के साधन अपनाये जा सकते हैं तो कोटा क्षेत्र में क्यों नहीं ? कोटा क्षेत्र के किसानों की दिक्कतों की जांच के लिये अधिकारी क्यों नहीं नियुक्त किया जाय ? आज गंगानगर में लेवो ली जाय या नहीं, रेवेन्यू बोर्ड का अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है तो कोटा क्षेत्र में किसान के पास अनाज पैदा हो पाया है या नहीं, उसकी क्या स्थिति है उसकी जांच के लिये एक अधिकारी क्यों न जाय यह मेरी समझ में नहीं आता।

अन्त में कटौती प्रस्ताव के द्वारा सिचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पी. ए. सी के चेयरमैन रहे हैं और आपने आडिट रिपोर्ट्स को देखा है। कितने बड़े २ पैराग्राफ्स इर्रिगेशन को लेकर आये हैं उनको मद्देनजर रखकर पक्षपात न हो, पक्षपात के आधार पर अधिकारियों का प्रमोशन न हो, घोटाले न हो, अमुक कम्पनी को जायज फायदा न पहुंच जाय आप इस ओर दृढता के साथ कदम उठायेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हीं पर मैं अपना भाषण सीमित रखूंगा।

मेरा पहला प्रश्न है नेहरा बांध का। पाली के अन्दर बांधो नदी है इसका पानी आगे जाकर नेहरा बांध में जाता है। मैंने कई बार सोचा था कि इस नहर को बांधा जाय लेकिन आस पास की सर्वे हो जाने के बाद भी उस काम को अबतक राज्य सरकार ने शुरू नहीं किया है ! इस बांध के बन जाने से आस पास के गांव हैं जहां हजारों बीघा जमीन है उस जमीन में सिचाई हो सकती है और इस बांध से हमें लाभ हो सकता है। इसके लिये दो बार सर्वे हो चुकी है और सर्वे होने के बाद यह निर्णय हुआ था कि किसी न किसी रूप में इस बांध को बनवाया जायगा लेकिन आज तक यह नेहरा बांध नहीं बना। राज्य सरकार ने एक वर्ष पहले मनिहारी गांध का निर्माण किया। उसमें आज पानी की कमी रहती है। सुझाव आया है कि आस पास छोटा सा नाला बहता है उसको उस बांध में डाल दिया जाय तो उससे गांव

(श्री मूलचन्द डागा)

मनिहारी और आस पास भांवरी गांव में सिचाई हो सकती है न तो उस नाले का पानी उस बांध में डाला गया है और जो धनराशि राज्य सरकार ने खर्च की है उसका ही ठीक उपयोग हो पाता है।

पानी के वितरण के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न हर वक्त आता है। जब मीटिंग होती है तो या तो इरिगेशन इन्जीनियर कलेक्टर से दब जाते हैं या कुछ। जब मीटिंग खत्म होती है तो जो बात कलेक्टर के खिलाफ वहां कहनी चाहिये वह बाहर आकर कहते हैं। यह मैं कई बार देख चुका हूं। टैक्निशीयन को, इन्जीनियर को वहां बैठक में ही वह बात कहनी चाहिये। पानी के वितरण के लिये डिसिजन लिया गया। जवाई का पानी है उसके लिये एक बात यह है कि जवाई का सारा का सारा पानी पाली गांव और जोधपुर के लिये पीने के लिये दे दिया या उससे कुछ भूमि सिंचित भी की जानी चाहिये। यह कई बार प्रश्न आता है। जवाई बांध का निर्माण हुआ। सुमेरपुर और आस पास के एरिया की जमीन को सिंचित करने की योजना थी। लेकिन दुर्भाग्य है जब उस योजना पर पानी वितरण करना चाहते हैं तो कितना जोधपुर को पीने के लिये देना चाहते है और कितना रखना चाहते हैं उसका फैसला ही नहीं हो पाता है सिचाई मन्त्रीजी जितना ध्यान इस ओर देना चाहिये वह नहीं दे पाते। काश्तकार दौलत लगाता है और उसका उसको लाभ नहीं मिलता। इसलिये यह निर्णय होना चाहिये कि जवाई बांध से कितनी भूमि सिंचित करना चाहते हैं और कितना पानी जोधपुर के लिए रखना चाहते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कई गांवों में गांव वाले कुए बन्द कर रहे हैं। बांध बन जाता है तो पीने के लिये पहले देना चाहते है या जनता को सुविधा के लिये पहले देना चाहते हैं। शहर बढ़ते जाते हैं पापुलेशन बढ़ती जाती है और पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। आज कई गुना ज्यादा मांग करते हैं।

तो यह सवाल पैदा होता है कि हम लोग जो बांध बनवाते हैं और जिन पर धनराशि खर्च करते हैं वह केवल पीने के काम आवेगा या सिंचाई का काम भी उससे होगा।

जोधपुर में जवाई बांध नहीं बना था तब भी जोधपुर को जनता अपने पानी का प्रबन्ध करती थी। बड़े बड़े कुए थे। पर उनको आपने बन्द कर दिया। बन्द नहीं करना चाहिये था बल्कि उनको बढ़ाना चाहिये था। और सिंचाई के काम आने वाले पानी को सिंचाई के लिये रहने देना चाहिये था। अगर आपने सिंचाई के पानी को बांध के पानी के आस पास गांवों या शहरों में दे दिया तो सिंचाई की आपकी योजनाएं सफलीभूत नहीं हो सकतीं। ड्रिंकिंग पानी के लिये आपको अलग से प्रबन्ध करना चाहिये।

पहले साधन थे, पाली में थे। कुए थे। पर वहां भी आपने उनको बन्द कर दिया तो प्रश्न हमारे सामने यह है कि बान्धों के पानी को हम, पीने के लिये रक्खें या सिंचाई के लिये।

हेमावास पानी के वितरण का सवाल

Page No. 76

(श्री मूलचन्द डागा)

है। हेमावास के पास नहरी जमीन है, जहां पक्की नालियां बना रखी है पर वह मंडली धुनाई के आस-पास की जमीन सिंचित नहीं होती। पर उससे १५-१६ मील दूर का एरिया सिंचित होता है। जहां पक्की नालियां भी नहीं हैं, कच्ची नाली है, वहां तक जाते-जाते बहुत सा पानी खराब भी हो जाता है।

अब इसके लिये मीटिंगों में डिसीजन होता है कि इरिंगेटेड लैंड को और जहां पक्की नालियां बनी हैं उसको पानी देने में प्राथमिकता देंगे, बाद में बचेगा तो दूर गैर-सिंचित इलाके में ले जावेंगे, पर उन निर्णयों को आप नहीं मानते, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष पर आपको कृपा करनी है। गवर्नमेंट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पर निर्णय हो जाते हैं पर वे भी व्यक्ति विशेष के कारण बदल दिये जाते हैं। आप निर्णय लेते हैं कि पानी केवल उस भूमि को दिया जावे जो नहरी हो, जो अपने रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है, और उनसे पैसा भी सिंचित का लिया जाता है, और उनके पक्की नालियां भी बनी हैं। वहां पानी नहीं देकर कच्चे रास्ते पर कच्ची नहर पर मीलों दूर लेकर जाते हैं और वहां देते हैं। इसमें काफी पानी खराब होता है। आस-पास में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं उनको नहीं देते पानी और एक बड़े किसी प्लॉट के लिये पानी देना चाहते हैं। इससे बहुत कम एरिया सिंचित हो पाता है, अधिक एरिया सिंचित होने से रह जाता है। पानी का खराबा होता है। पर आज तक इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। चार-चार बार निर्णय हुए कि केवल उसी जमीन में पानी दिया जावे जो इरिंगेटेड हैं पक्की नालियां बनी हैं और अधिक एरिया है पर फिर भी वहां कोई व्यक्ति विशेष पहुंच जाता है और ऊपर से निर्णय बदल दिये जाते हैं। गरीब लोग बेचारे जो लैंड रेवेन्यू सिंचित भूमि का देते हैं उनको पानी नहीं मिलता।

श्री हरिदेव जोशी : आपका मतलब यह है कि कमाण्ड एरिया में जो जमीन नहीं है, उसको पानी दिया जाता है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप समझ लें एक बार हेमावास तक पानी ज्यादा आया तो एरिया बढ़ा दिया पर वह जमीन नहरी नहीं है। अनइरिंगेटेड लेंड है। भोपलान, माडिया, मण्डला आसपास के गांव हैं और पक्की नाली बनी है और उनको पानी नहीं देकर, जो १७-१८ मील दूर के गांव है जहां पक्की नाली भी नहीं बनी है, कच्चे धोरे है उनमें से होकर पानी जाता है, जिसमें बहुत सा पानी खराब होता है और इसके लिये कई बार निर्णय लिये कि पहले जहां पक्की नालियां बनी हैं जो नजदीक है आसपास के सिंचित इलाके हैं उनको ही पानी दिया जावेगा। पर उसको नहीं पाला जाता। निर्णय बदल दिये जाते है और जो नहरी लैंड नहीं है, बारानी को पानी दिया जाता है। और इस पर कई बार निर्णय हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक।

इसके अलावा जो आपका सरदार समन्द बान्ध है उसमें क्या हो रहा है ? वहां एच. एच. का फार्म है बड़ा सारा। उसमें सारा पानी सरदारसमन्द का करीब १।३ पानी मेरे ख्याल से उनको दे दिया जाता

Page No. 77

(श्री मूलचन्द डागा)

है और थोड़ा सा पानी गरीब काश्तकारों को दिया जाता है। आप समाजवादी व्यवस्था के नाम पर चाहते क्या हैं ? ज्यादा लोगों को फायदा नहीं मिले, केवल एक आदमी को मिले ? तो वितरण की इस गड़बड़ी को ठीक किया जाना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो निर्णय होते हैं उनको किस आधार पर ऊपर जाकर पलट दिया जाता है ? तो मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत गलत तरीका है।

भुमादा के पास बांडो नदी हेमावास में लाई जावे इसके लिये योजना आपने बनाई थी। उसे बने कम से कम तीन साल हो गये। बांडी नदी का पानी हेमावास में डाल दें तो इसमें इतना पानी हो सकता है कि हम काफी एरिया सिंचित कर सकते हैं। भुमादा के पास से नदी मोड़ी जाने को है। तीन साल से बराबर याद भी दिलाते आये हैं पर उसका क्या परिणाम निकला हमें नहीं मालूम हुआ आज तक।

लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। पर कई (समय-समाप्ति सूचक घंटी) बार ऐसा होता है पंचायत समितियों में बैठक होती है उसमें बड़े-बड़े इन्जीनियर लोग आते हैं, पर बाद में पता नहीं लगता तो इन छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिये।

पाली तहसील में ऐसे तालाब हैं जिनको सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। गूंदोज वाला राणक खण्डा का तालाब की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार के तालाब पर पंचायत समितियां कई बार आपस के गांव-गांव के झगड़ों के कारण ध्यान नहीं देती। मैंने चार तालाब बताये हैं गूदोज, गुडा, मेंदला, राणा, इनके द्वारा सिंचाई की जा सकती है। आशा है मेरे इन कटौती प्रस्तावों पर सरकार ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा !

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आज के लिये ३ कटौती प्रस्ताव हैं। मैं इन तीन कटौती प्रस्तावों के बारे में सिलसिलेवार आपसे निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा झुंझुनूं जिले का जहां तक सम्बन्ध है, हम १२ सालों से लगातार देखते आ रहे हैं कि किसी वर्ष भी वहां पूरी तादाद में फसल नहीं होती है। बारह सालों से लगातार मानसून कम पहुंचता है और कभी इस हिस्से में कभी किसी हिस्से में और कभी पूरे जिले में दुर्भिक्ष रहता है और जहां कहीं थोड़ी बहुत फसल भी होती है वहां भी पचास पर्सेन्ट से कम होती है इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव उपस्थित किया है कि झुंझुनूं जिले में नहरों द्वारा पानी दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि हमारे राज्य के अन्दर गंगानगर जिले को सबसे अधिक उपज देने वाला जिला मानते हैं, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि और किसी भी प्रकार से झुंझनूं जिले के अन्दर नहर लाई जावे तो झुंझनूं जिला गंगानगर से अधिक फसल दे सकता है, और इसका एक कारण है कि गंगानगर जिले में जो भूमि के नीचे का पानी है वह बहुत गहराई

(श्री मूलचन्द कटेवा)

पर है और खारा पानी है मैं भी गंगानगर जिले में काफी अरसे तक रहा हूं। यहां इस प्रकार की स्थिति है कि फसल एक तरफ पकने को तैयार होती है दूसरी तरफ नहर में बन्ध आ जाता है, और सारी फसल या फसल का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी के कारण नष्ट हो जाता है। उस जिले के सामने कोई दूसरा चारा नहीं। नहर बन्दी के बाद अपनी फसलों को बचाने के लिये। मैं निवेदन करूं झुन्झुनू जिले के अन्दर कई स्थानों पर ट्यूबेल्स लगे हैं, पम्पिग सेट लगे हुए हैं उससे यह सिद्ध हुआ है कि झुंझुनू जिले की भूमि के नीचे अपार पानी है। सैकड़ों पम्पिग सेट्स कुओं में लगे हुए हैं, और वे बराबर चलते हैं। किसी कुए के अन्दर दो मिनिट के लिये भी पानी की कमी नहीं आती। इससे मेरी यह मान्यता है कि झुंझनू जिले के अन्दर जहां पर कि उपजाऊ भूमि है वहां पर नहर लायी जाय तो नहर बन्दी के समय उन ट्यूबेवल्स का प्रयोग कर पूरी की पूरी फसल तैयार की जा सकती है। अगर इस तरह से फसल तैयार होती है तो मैं समझता हूं वह जिला सबसे बड़ी उपज दे सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले के बारे में एक बात और माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। झुंझुनू जिला अपने किस्म का एक ही जिला है। झुंझुनू जिले ने भारत की रक्षा के लिये बड़ा योगदान दिया है। जब-जब भी हिन्दुस्तान पर भारी हमले हुए झुंझुनू जिला और वहां के लोग सबसे बड़ी तादाद के अन्दर लड़ाई के अन्दर गये। जब-जब भी देश ने पुकारा और जितनी तादाद में सैनिकों को मांगा उतनी तादाद में सैनिकों को दिया है, और उन सैनिकों ने लड़ाई के मैदान में परम वीरता दिखाई है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूं। चीन की लड़ाई के समय झुझुनू जिले को देश ने पुकारा सैनिकों के अलावा झुझुनू जिले के किसानों ने और गांवों में बसने वाले लोगों ने २२ लाख रुपया लड़ाई के लिये भारत सरकार को दिया। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी वीर भूमि झुंझुनू जिला जहां की मातायें वीर पैदा करती है, गरीब होते हुए देश के लिये धन देती है उस जिले के प्रति राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है इसको राज्य सरकार पहिचाने। उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिला एक तरफ देश के लिये खून देता है और हमेशा खून देने के लिये तैयार रहता है दूसरी तरफ हमारी सरकार से वह जिला पानी की मांग करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करू इस प्रकार के जिले को उत्साहित करने के लिये अवश्य वहां नहर लायी जानी चाहिये और इस जिले की उपयोगिता बढ़ायी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि बारह साल से झुझुनू जिले का किसान इतना बुरी तरह से ऋण के नीचे दब गया है कि जिसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता। झुंझुनू जिले के अन्दर कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कम से कम दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह हजार के ऋण से दबा हुआ नहीं हो। उदाहरण स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होगई है कि

(श्री मूलचन्द कटेवा)

पंचायत समितियों द्वारा दिया गया ऋण आज तक वापिस नहीं दे पा रहे हैं। इस स्थिति से झुंझुनूं जिले को बचाने के लिये घग्घर नदी से असीड़िया के नाले से पानी लेकर उसे लिफ्ट से उठाकर झुंझुनूं जिले में नहर लानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय इसके लिये यह कह सकते हैं कि इस पर बड़ा भारी खर्चा हो सकता है और इससे आगे चलकर सिंचाई में भी ज्यादा खर्चा हो। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस बात को सोचे, कुछ खर्चा सरकार बरदाश्त करे और कुछ जिले के लोग बेटरमेन्ट लेवी की रेट ऊंचे रेट पर देने लिये तैयार हैं। जिस सिंचाई पर राज्य सरकार का खर्चा हो उसी स्तर पर वहां के लोग भी देने को तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं। मेरी समझ में राज्य में इस प्रकार के बहुत कम जिले होंगे जिनमें पम्पिग सेट २४ घन्टे चलते हों। कहां पर इतना अपार पानी जमीन के नीचे बह रहा होगा जितना झुंझुनूं जिले के अन्दर पाया गया है ? हम देखते हैं कि वहां कुए बनाने के लिये पम्पिगसेट के लिये जो कृषि-ऋण दिया जाता है उसमें झुंझुनूं जिले को प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता तो क्या मैं समझता हूं, क्योंकि यहां का सात साल तक प्रधान रहा हूं मुझे मालूम है कि दूसरे जिलों की अपेक्षा इस जिले को कम ऋण मिलता रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आप इस बात की व्यवस्था करें जिससे झुंझुनूं जिले को कृषि ऋण में प्राथमिकता मिल सके ताकि इस जिले की पैदावार बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से दो साल पहले की बात है हमारे साथ मुख्य मंत्री झुंझुनू जिले के दौरे पर आये थे और वहां पर इस बात का आश्वासन दिया था कि ढाई हजार क्युसेक पानी लसाड़िया के नाले से लाने के लिए भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं उस आश्वासन का क्या हुआ ? इसको कुछ स्टेज पर भारत सरकार ने मन्जूर किया या नहीं ? मैं इस बारे में भी मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। अगर इस प्रकार की कोई योजना थी तो इस योजना पर कार्य किया जाना चाहिये। ढाई हजार क्युसेक नहीं और आगे कदम रखकर और अधिक पानी लाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

तीसरी बात आपको यह निवेदन करना चाहूंगा मेरे पूर्व भी माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में लाये हैं कि इरिगेशन विभाग से बहुत से ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स हटाये जा रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार की जानकारी मिली है कि कुछ ओवरसियर्स और कुछ इन्जीनियर पी० डबल्यु डी० विभाग से स्थानान्तरित होकर सिंचाई विभाग में गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे अच्छा बात तो यह है कि राजस्थान कैनाल का काम किसी प्रकार से चालू रखा जाय और उन लोगों को न हटाया जाय। अगर काम चालू नहीं रहता है और उनको किसी प्रकार हटाना पड़ता है तो सार्वजनिक निर्माणविभाग में जितने स्थान खाली हैं कम से कम उन स्थानों पर सबसे पहले ऐसे

(श्री मूलचन्द कटेवा)

ओवरसियर और इन्जीनियर्स भेजे जाने चाहिये जो निर्माण विभाग से स्थानान्तरित होकर वहां गये हैं।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रॉयोरिट के अनुसार व्हिप्स ने नाम दिये हैं उसी प्रकार में बोल रहा हूं।

श्री रामचन्द्र (नोहर) : हमारी तरफ से भी नाम दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष । श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से श्री केदारनाथ जी मुख्य रूप से बोलेंगे। थोड़े समय में मैं भी दो बातें रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के कुछ प्रस्ताव सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में सब से पहले तो मुझे अफसोस है कि आज तक तीन योजनाओं के बाद सिंचाई क्षेत्र का जितना विस्तार करना चाहिये वह विस्तार नहीं कर सके। इस पर राज्य सरकार अफसोस जाहिर करे और अपनी असफलता स्वीकार करे। उल्टा इस विभाग से कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब प्रोजेक्ट पूरे हो गये और कर्मचारियों की संख्या अधिक थी तो जिन कर्मचारियों को दो महीने या चार महीने पहले भरती किया गया उसका तुक क्या था? क्या इसके लिये सरकार के पास योजना नहीं थी? मैं जानना चाहता हूं विभाग के पास यदि कर्मचारी अधिक हैं तो क्या योजना बनाने से पहले वे इस बात का अन्दाज नहीं लगा सकते थे कि वाटर सोर्सेज हमारे यहां है वे कितनी वाटर सप्लाई कर सकते हैं। इसका सर्वे या सर्वेक्षण कराया है? इस तरह से आज हो सकता है, प्रान्त की आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण या अन्य किसी कारण से कमी की जाती है तो उनको फिर उचित स्थान देने के लिए सरकार को गौर करना चाहिए। इस समय इस विभाग में उनको रखने में कठिनाई आ सकती है। सबसे पहले इस सम्बन्ध में ४६-४७ लाख की कटौती करके आप कहां जाना चाहते हैं यह दृष्टिकोण भी हमारे सामने साफ हो जाना चाहिये।

(२ म, प)

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सिंचाई के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इसी सदन में एक बार नहीं अनेक बार राजस्थान की सारी सिंचाई योजनाओं की असफलताओं और जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे उनकी पूर्ति नहीं करने के बारे में कह चुका हूं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। हमारी सिंचाई योजनाओं में हम सबसे ज्यादा राजस्थान नहर के बारे में चिंतित हैं। यह हमारी केवल राज्य की ही योजना नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय योजना है और मैं राज्य सरकार की असफलता समझता हूं कि यह चर्चा ही चलाती रही कि यह योजना केन्द्रीय सरकार ले रही है। इसी सदन में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने कई बार

(श्री रामकिशन)

घोषणा की लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसका लेना तो अलग बात रही पिछले वर्ष जितने फन्ड्स देने के लिए प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को भी नहीं निभा पा रही है। मैं तो समझता हूं कि हमारी सरकार का तो नेतृत्व ही दोषी है। यदि इस राजस्थान नहर की योजना का पहला फेज ही पूरा हो जाता और निश्चित अवधि के अन्दर ही काम पूरा हो जाता तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के और हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से से अकाल और भुखमरी का डर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम पड़ता है कि हम अपनी ही गलतियों की वजह से इस योजना को स्वयं ही नहीं छोड़ बैठे। इसलिए मैं राज्य सरकार और इस सदन से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि इसी मुद्दे पर अगर केन्द्रीय सरकार से टकराने का भी अवसर मिले तो हम टकरायें और केन्द्रीय सरकार के सामने यह बात जोरों से रखनी चाहिए कि यह राष्ट्रीय योजना है और राजस्थान नहर का केन्द्रीय सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए और अगर सरकार हाथ में ले सकती है तो हमारी योजना के सीलिंग से ज्यादा इसके लिए रकम का प्रावधान किया जाये अगर हम ऐसा नहीं कर पाये तो मैं नहीं समझता कि हम अकाल, बेरोजगारी और भुखमरी को कैसे मिटा पायेंगे। केन्द्र सरकार को इस सदन के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि आखिर वह उन्हीं राज्यों का ख्याल क्यों करती है जहां कि राजनैतिक नेतृत्व मजबूत है। हम यह मानते हैं कि हमारे राज्य का राजनैतिक नेतृत्व कमजोर है और यहां के लोग बड़े कमजोर हैं जिनका कार्य केवल चापलूसी करना है और गलत ढंग से कुर्सियों पर बैठना है। लेकिन मेरा कहना है कि इस प्रश्न पर इन्दिरा जी को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। यह लाखों लोगों की भलाई का प्रश्न है। तो राजस्थान का नेतृत्व कमजोर है इसलिए लाखों और करोड़ों लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। वैसे इस बार राजस्थान की जनता ने तो प्रयत्न किया था नेतृत्व को बदलने का लेकिन चापलूसी और दम्भबाजी से सरकार द्वारा वह प्रयत्न असफल कर दिया गया और यदि यहां का नेतृत्व बदल जाता तो हम केन्द्र सरकार पर दबाब डाल सकते थे लेकिन वह नहीं डाल पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि मैं एक सीमित उद्देश्य के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन में आम तौर से चर्चा चलती रहती है कि सरकार जो भी काम करती है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से करती हैं। मुझे अफसोस है कि जब हम देखने लगते हैं चाहे किसी वकील की नियुक्ति के बारे में आरोप हो, चाहे और कोई आरोप हो, उस समय हमारे मन्त्री महोदय इस तरह से मुस्करा जाते हैं जैसे गेंडे पर असर नहीं होता है उसी प्रकार से मन्त्री महोदय के ऊपर किसी आरोप का असर नहीं होता है। यानी वाणी के कार्य में गेंडे हैं और कर्म के कार्य में कछुए बन गये। सब बातों को सुनकर मुस्करा जायेंगे और ऐसा आभास होगा जैसे कि उनकी गल्ती ही नहीं है। याने आरोपों पर तो यह हंस जायेंगे गेंडे बन जायेंगे और जब राजस्थान को

(श्री रामकिशन)

बनाने का मौका आयेगा, राजस्थान को मजबूत बनाने का मौका आयेगा और केन्द्रीय सरकार पर दवाब डालने का मौका आयेगा तो कछुए की तरह शक्ल छिपा जाते हैं। तब तो ऐसा सोचेंगे कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी और चाव्हाण जी नाराज नहीं हो जायें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार करें लेकिन जैसा कोटा से आने आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि यहां प्रमोशन्स भी चुनावों की दृष्टि से होते हैं, ट्रान्सफर्स भी चुनावों की दृष्टि से होते हैं। राज्य के कोष में एक एक पैसे की कमी है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं कि इस बात पर एक कटौती का प्रस्ताव आया है कि भीलावाड़ा जिले में सरकार ने चुनावों के दिनों में कुछ तालाब खरीदे। अब उपाध्याक्ष महोदय, इसके दो तीन मुद्दे हैं। एक तो यह है कि भूतपूर्व जागीदारों को खुश करने लिए कि सरकार की सम्पत्ति थी, सरकार के पास रहनी चाहिए थी उस समय चुनाव के दिनों में जागीरदारों को खुश करने के लिए तालाबों को निजी सम्पत्ति घोषित कर दिया गया। जब बनेड़ा के जमींदार आपने देखा कि चुनावों में, दूसरे चुनावों में, तीसरे, चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में हमेशा कांग्रेस की खिलाफत करते रहे तो अब की बार सिचाई मन्त्री महोदय ने सोचा कि इनका समर्थन कैसे प्राप्त किया जाये, हां अगर मण्डल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको ५० हजार रुपये दे देते तो अच्छा था क्योंकि शांतिप्रसाद का पैसा यदि बनेड़ा के जमींदार के पास चला जाये तो क्या फर्क पड़ता है लेकिन राज्य की जनता कर के रूप में एक एक पैसा देती है, यहां अकाल पड़ा फिर भी जनता ने पैसा दिया है और १७ दिसम्बर को एक तालाब सरकार ने खरीदा बनेड़ा के जमींदार से ५० हजार रु० का और उसके लिए एक चिट्ठी जिस तरह से लिखी गयी है सेंक्शन की. उसमें लिखा है कि ५० हजार रुपये तक इस तालाब को खरीद सकते हैं। और वह तालाब उपाध्यक्ष महोदय, किसी उपयोगिता का नहीं क्योंकि तालाब यदि किसी काम का होता तो जो चिट्ठी भेजी गयी है एजीक्यूटिव इन्जीनियर भीलबाड़ा से उसमें लिखा है कि सेंक्शन दी जाती है और आप इसकी मरम्मत का भी एस्टीमेट भेज दीजिए। इसका मतलब यह है कि यहां का वह तालाब काम का नहीं था। लेकिन चूंकि वहां के जमींदार को एक विशेष लाभ देना था और उनको वह लाभ पहुँचाकर वोट्स लेने थे उस टूटे तालाब को भी ५० हजार रुपये में खरीदा गया। उस तालाब से सिंचाई नहीं हो सकती ऐसे तालाब को खरीदा गया......

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप कैसे कह सकते हैं कि उससे सिंचाई नहीं हो सकती।

श्री रामकिशन : यह चिट्ठी है मेरे पास। आप मेरे सन्दर्भ को समझिये जरा। सुनने में थोड़ा कष्ट हुआ है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह तालाब चालू हालत में होता—मैं नहीं कहता कि उसकी उपयोगिता नहीं है लेकिन जो खरीदा गया है उसके लिए चिट्ठी साफ में लिखा है क्योंकि यह चिट्ठी अंग्रेजी में है और उसे मजबूरी में मुझे पढ़ना ही पड़ेगा

(श्री रामकिशन)

क्योंकि जिस देश में करोड़ों लोगों की भाषा हिन्दी हो वहां भी अंग्रेजी काम काजमें लाई जाती है यह लज्जा की बात है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं बात निवेदन करनी है लेकिन इस चिट्ठी में जो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने लिखा है उसमें साफ लिखा हुआ है।

'Executive Engineer Irrigation for necessary action. He should also submit estimate for repairs of the above works." याने उसमें साफ है कि वह बन्धा टूटी हुई हालत में था जिसको खरीदा गया उस समय वह तालाब उपयोगी नहीं था लेकिन एक हो तीर से दो शिकार मर गये। पहले तो उसको जमींदार की प्राईवेट प्रोपर्टी बनाया गया जो कि गलत था और गलत इसलिए था क्योंकि हमारी सरकार के जो जागीरदारों से दोस्ताना के ताल्लुकात हैं। लेकिन अब की बार देखा कि हम लोग चुनावों में साफ हो जायेंगे. भीलवाड़ा से साफ हो जायेंगे, डूंगरपुर से साफ़ हो, जायेंगे, उदयपुर से साफ हो जायेंगे तो चाहे अकाल का मामला हो, चाहे बांधों का मामला हों सिंचाई का मामला हो, सड़कों का मामला हो हर चीज पर राजनैतिक दृटिष्कोण से सोचा गया। मैं मानता हूं कि आप कांग्रेस की गन्दी राजनीति से नहीं निकल सकते। आपके बस की बात नहीं है लेकिन आप पुराने आन्दोलनों के कार्यकर्त्ता रहे हैं लेकिन आप सोचिये कि जिस तरह की परम्परायें आप कायम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। उसके परिणाम दो ही हो सकते हैं या तो धीरे धीरे लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा या कभी ऐसा भ्रष्ट शासन आ सकता है कि जो आप की स्थिति में खुश नजर आते हैं उन दिनों में आपकी स्थिति और भी बुरी हो जायेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात चाहता हूं कि ऐसे तालाब जो खरीदे चुनावों के दिनों में और अगर इनको खरीदने की जरूरत ही थी तो इस साल जब कि हमारे यहां फण्ड्स की हालत सबसे ज्यादा खराब थी अगर इन तालाबों की उपयोगिता होती तो ६४ या ६५ में खरीद लेते। लेकिन आप जानते हैं कि बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने कि मुख्य मन्त्री के खिलाफ कुछ बातें कहीं थीं। और वहां पर १७ दिसम्बर को तालाब खरीदा जाता है इसलिए कि जागीरदारों के परिवार का समर्थन प्राप्त कर लिया जाये। तो मैं समझता हूं कि कैसे यह सिंचाई की योजना चलेगी। यहां तो यह देखते हैं कि किस तरह से वोट मिलें। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि मैंने करीब करीब १० स्कीम्स भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र की सिंचाई विभाग को भेज रखी हैं। यह दो इलाके ऐसे है कि जो उत्पादन को दृष्टि से सबसे आगे हो सकते हैं। मैंने सिंचाई विभाग को लिखा था कि इनकी सर्वे कराई जाये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूसरी तरफ १४ तारीख को सेंक्शन मिलती है तालाब खरीदने की और १७ तारीख को खरीद का काम पूरा हो जाता है। मैंने भरतपुर की दस स्कीमों के लिए चीफ इन्जीनियर से लेकर दरोगा तक लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं है। लेकिन सरकार को वहां से राजनैतिक लाभ नहीं है इसलिए वहां कोई कार्य

(श्री रामकिशन)

नहीं किया जायेगा। मैं जब विभाग के किसी आदमी से इस सम्बन्ध में मिला तो वह कहने लगा कि साहब किसी मन्त्री से कहला दो। अच्छा है। जिस हिस्से में पानी है, जमीन है, श्रम है खेती है उसमें यह सब चीजें नहीं होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव भी है खरीब में तो आपने गड़बड़ की है लेकिन मेजा और सरेरी बांध से पानी देने में भी गड़बड़ की गई है। जो क्षेत्र आपको वोट देने वाले थे उनको पानी दिया गया और जहांसे आपको वोट नहीं मिलने वाले थे उन क्षेत्रोंको पानी तक नहीं दिया गया और उन लोगों की फसलें सूख गई। यह ठीक है कि इससे आपको क्षणिक लाभ मिल गया। हो सकता है कि आपको इससे वोट भी मिल गए हों लेकिन जो इसके मौलिक और व्यापक परिणाम हैं वे आपको भुगतने पड़ेंगे मैं इन्हीं शब्दोंके साथ कटौती केप्रस्ताव पेश करते हुए राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार पर दवाव डालने की कोशिश करे कि राजस्थान नहर को वह अपने हाथ में ले, उसके लिए अधिक रकम के लिए सरकार पर दबाव डाले और दूसरे जो छोटे २ ओवरशियर वगैरा हैं उनको हटाने के लिए जो आपने निर्णय लिया है तो जब आपको केन्द्रीय सरकार फण्ड नहीं दे रही है, तब आपका काम वहां पर नहीं चल रहा है तो फिर आपने यह बोर्ड का हाथी क्यों बैठा रखा है। जब पी. डब्लू. डी. में छः करोड़ की सड़कों का एलोकेशन बगैर बोर्ड के हो सकता है और वहां का काम चल सकता है तो फिर पचास लाख का खर्चा इस बोर्ड पर करके ४७ लाख की बचत इन नौजवान कर्मचारियों को निकाल कर क्यों की जा रही है। आप इस बोर्ड को खत्म करके इन कर्मचारियों को रखें ताकि वे राजस्थान की सेवा कर सकें और राजस्थान का अच्छा काम कर सकें। मैं देखता हूं कि आपका हर काम जल्दबाजी में होता है। जब चाहा तब ही एक ओर बढ गए। जब कटौती करने लगे तो बजट में एक साथ ही इतनी कटौती करदी कि इसका मतलब यह हुआ कि पिछले पन्द्रह सालों से अमुक २ अनइकोनोमिक वर्क करते चले आ रहे थे और उन पर फालतू खर्चा करते चले आ रहे थे। अब जब कि फण्ड खत्म हो गया, रिसोर्सेज समाप्त हो गए तो दूसरी दिशा में भागने लगे। आपकी कोई योजना नहीं है, आप योजनाओं की बातें तो करते हैं लेकिन योजना नाम कोई चीज आपके जीवन में ही नहीं रही है। न आपने योजनाओं का कोई अध्ययन ही किया है। एक तरफ चले तो उस ओर ही चल देते हैं। कभी सिंचाई की ओर बढे तो उधर ही बढते चले गए, कभी सड़कों की ओर गये तो सडकें ही सड़कें बनने लगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब बातों पर सिंचाई मंत्रीजी से गम्भीरता से विचार करेंगे और जब जवाब देंगे तो वह जवाब जवाब के लिए नहीं होगा, जैसा कि कल योजना मंत्रीजी कह रहे थे कि जीपें जनता के कल्याण के लिए खरीदी गई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब जवाब दें तो सही जवाब दें कि इस तालाब को खरीदने की क्या उपयोगिता है। इन सब बातों पर ईमानदारी से जवाब दें। आज तो इस कांग्रेस के राजतंत्र में यह हालत हो गई है कि ३६५ दिनों में से ३६४ दिनों

Page No. 85

(श्री रामकिशन)

तक असत्य बोलना पड़ता है। तो कम से कम आप एक दिन तो ऐसा निश्चित कर लें कि विधान सभा के बजट अधिवेशन में जो आरोप लगाये जाते हैं उनका जवाब साल में एक दिन में एक मंत्री तो सही उत्तर देगा, उस दिन तो कम से कम एक मत्री सच बोलेगा। इतना भी अगर आप निश्चय कर लें तो राजस्थान का काफी उद्धार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मा० श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव भीमसागर डैम के निर्माण के सम्बन्ध में है। यह भीमसागर डैम लगभग १५ साल पहले शुरू किया गया था और आज इतना अर्सा हो गया है इसमें थोड़ा सा काम हुआ है। एक नहर निकली है। इसके सिवाय अब तक योजना स्थगित है और इस भीमसागर डैम से लगभग १५ हजार की आबादी प्रभावित है। और २० गांव के लगभग डूब में आते हैं। इसके बारे में सरकार से वहां की जनता के द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका है परन्तु योजना अभी तक सफल नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ ही यह रेस्ट्रिक्शन भी हम लोगों पर, इन २० गांवों की जनता पर लगाया हुआ है कि आज पन्द्रह साल हो गया है, वहां पर हमारे मकान नहीं बन सकते, वहां पर कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकती, प्राईमरी हैल्थ सेंटर नहीं बन सकता। नल योजना के लिए रुपया जमा कराया हुआ है लेकिन वह योजना पूरी नहीं की जा सकती, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पन्द्रह हजार आदमियों के उपर यह पाबन्दी कितने सालों तक और रहेगी और क्या हमारी इसी तरह से उन्नति हो सकेगी? और दूसरी चीज साथ ही यह है कि योजनाओं के लिए जब पूछताछ की जाती है तो सरकार की ओर से उत्तर मिलता है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, बजट में पैसा नहीं रखा गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से यह निकम्मी योजनाओं के लिए और भ्रष्टाचार के लिए तो पैसा बाटने के लिए है, इन कामों के लिए तो रकम खर्च की जाती है परन्तु अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की यह जो योजना पेंडिंग पड़ी हुई है जिसमें चालीस हजार बीघा जमीन पिछले पन्द्रह सालों से पड़ी हुई है और जिस पर पिछले पन्द्रह सालों से खेती होती और अन्न की उपज होती तो जो लोग भूखों मर रहे हैं उनको राहत मिलती। इस योजना को कार्यान्वित न करने में सरकार का क्या दृष्टिकोण है यह मेरी समझ में नहीं आता है, मन्त्री महोदय, इसका स्पष्टीकरण देंगे।

दूसरी चीज यह है कि पन्द्रह गांवों के लिए जो योजना आपने बनाई थी इनको उठाने में सात साल तो लग गये। उनको कम्पन्सेशन देंगे। इसके लिए उनके मकानों का मेजरमेंट किया गया था, कुओं की लिस्टें बनी थी और वह जमीन जो डूब में आती उनकी लिस्टें भी बनी थी और उनका

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

मुआवजा जो दिया जाएगा उनके कागजात भी बने थे और इन गांवों को बसाने के लिए और खासकर असनावर का जो कस्बा है उसको बसाने के लिए सभी तरह के प्लान तैयार हो चुके थे परन्तु सात साल के बाद भी योजना खटाई में पड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि पहले यह योजना १८ लाख की थी, मगर सरकार की लापरवाही और सरकार की अकर्मण्यता के कारण यह योजना ७८ लाख की बन चुकी है इह मंहगाई की वजह से। मैं यह पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम के द्वारा कि खानपुरा की वह उपजाऊ भूमि जिसमें इस विभाग ने २५ मील लम्बी नहर निकाल दी और उसमें पानी आज तक नहीं आया, हजारों बीघा जमीन का इस तरह से सत्यानाश कर दिया, आज अगर उस जमीन पर अनाज पैदा होता तो मैं समझता हूं कि सारे क्षेत्र को इससे फायदा होता लेकिन वह योजना यों ही पड़ी हुई है, बांध बना नहीं है और इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन में २५ मील तक नहर निकाल दी गई. सरकार बराबर आश्वासन देती है कि इसमें पानी आएगा लेकिन पिछले १५ वर्षों में तो पानी आया नहीं और उल्टी जमीन और बेकार हो गई है, इससे भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो जमीन काश्तकारों की इसके लिए ली गई उसका पैसा भी आज तक बंटा नहीं है। जो मुआवजा उस जमीन का देना था वह भी इतना कम तय किया गया है कि ३०) रुपया पर बीघा मुकर्रर किया गया है। आज तहसीलदार एक बिस्वा जमीन पर अगर काश्तकार मकान बनवा ले तो उससे एक बिस्वा सौ रुपया बिस्वा के हिसाब से नोटिस दिया जाता है और जो उन गरीब काश्तकारों की इतनी उपजाऊ जमीन थी उसका आपने तीस रुपया पर बीघा मुआवजा तय किया है जो सरासर नाजायज है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह योजना १८ लाख की बनाई थी उसमें यह बांध ८० फिट बनाना चाहते थे और उससे ४० हजार बीघा जमीन की सिंचाई होने की आपकी थी, मगर प्लानिंग कमीशन में जब ये कागज गए तो ज्ञात हुआ कि चालीस हजार बीघा की सिंचाई करने के लिए ११० फिट का बांध बनाना पड़ेगा और ११० फिट का बांध बनाने के लिए बीस गावों को वहां से हटाना पड़ेगा और इस तरह से इन गांवों को वहां से हटाने की योजना बनी। आज वही योजना एक करोड़ की बन गई है आज के हिसाब से और उससे गवर्नमेंट को रिटर्न कतई प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए यह योजना खटाई में पड़ी हुई है, सरकार इसको बनाना नहीं चाहती है। वहां के काश्तकार और वहां की जनता चाहती है कि यह योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। मैं यह भी निवेदन करता हूं मन्त्री महोदय से कि ११० फिट का बांध जब बन जाता है तो चालीस हजार बीघा की सिंचाई होती है तो इस योजना को जरूर बनाना चाहिए। हम बीस गांव के लोगों ने यह लिखकर दे दिया है कि हम वहां से हटने को तैयार हैं और हम दूसरी जगह बसना चाहते हैं। परन्तु बावजूद इसके सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता; इसका क्या कारण है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह योजना गलत बनी है क्योंकि बांध से पहले ही २५ मील लम्बी नहर बन चुकी है वह सारी योजना ही गलत बनी है, इससे उतनी सिंचाई नहीं

Page No. 87

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

हो सकती और इसके कारण यह मामला खत्ते में पड़ा हुआ है।

दूसरी बात में मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने ८० फिट बांध बाधने का निर्णय लिया और उसमें बीस गांवों को वैसे ही रखा तो इस बारे में मेरा निवेदन है कि ये जो गांव है वे नदी के किनारे हैं और सन् ६३ में हाई फ्लड आया था तो भावी बांध आधे गांवों में और असनावर कस्बे में २०० घर पानी में डूब गए थे, पुलिस स्टेशन के अन्दर पांच फिट और स्कूल में ७ फिट पानी भर गया था। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल पैसे के पीछे इस तरह से लोगों के साथ अन्याय मत करिए और जो ११० फिट बांध की जो योजना है और जिससे चालीस हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई हो सकेगी, यह जो आपकी योजना है योजना को कार्यान्वित कराइए। दूसरी चीज यह है कि ८० फिट के बांध से करीब ८०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो ही सकेगी और जिस पर पचास लाख रुपया खर्च होगा। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह देखें कि ८०० एकड़ का मतलब है कि दो हजार बीघा की सिंचाई और इसके लिए इतना बड़ा खर्चा। अगर पम्पिंग सेट ही वहां पर लगा दिए जायें और लिफ्ट योजना में तो उससे ही इतनी जमीन की तो सिंचाई हो सकती है और उसमें केवल एक लाख रुपया खर्च होगा और यदि पचास लाख खर्च करके दो हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती है तो उससे कोई लाभ नहीं है मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसमें पुनः विचार करेंगे और यह योजना जैसे भी सफल हो जल्दी से जल्दी शुरू की जाय और इसके अलावा में आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने रेस्ट्रिक्शन्स लगा रखे हैं गांवों में उन्नति के कार्यों के लिए कि यहां सड़कें नहीं बन सकती, इमारतें नहीं बने। आज आबादी धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब बांधों की संख्या बढ़ेगी और अच्छी हालत रहेगी और लोगों को पानी मिलेगा तो अच्छी पैदावार होगी। जब पैदावार बढ़ेगी आपकी खाद्य स्थिति सुधरेगी। अच्छे मकान बनने चाहिये। पहले जो मन्त्री थे वे माननीय मन्त्री इस विभाग से बदल चुके है। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी जो नये आये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस पर विशेषतौर से विचार करें और पूरे प्रयत्न करके बांधों की योजना को पूरा करें और जो पाबन्दी लोगों पर लगाई हुई है कि वहां पर कोई मकान आदि नहीं बना सकते वह हटाई जावे। यह बांध गांव से ४ मील दूर है मगर यह नहीं कहा जा सकता कि यह बांध २० साल में भी बने। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए सारी बातों का स्पष्टिकरण हो। हो सकता है कि केवल एक राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण ही यह बांध रोक दिया गया हो। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकुमार।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांगों पर मेरे भी

(श्री भीमसेन)

कटौती के प्रस्ताव हैं । जिस इलाके से मैं आया हूं वह एक ऐसा इलाका है जो बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहां पीने के पानी के साधन नहीं है और दूर दूर तक गांव आये हुए हैं जहां ऐसा पानी मिलता है जिसको पीते हो इन्सान मर जाता है । ऐसा खारा और जहरीला पानी है और ऐसा क्षेत्र है जहां आये साल अकाल पड़ते रहते हैं । तो मैंने सरकार से मांग की कि राजस्थान नहर जो इस इलाके के पास निकलती है उस नहर से लिफ्ट से पानी साफ करके पीने को दिया जा सकता है और सरकार ने योजना बना ली है । सरकार बराबर आश्वासन देती है । वह इलका काफी उपजाऊ होते हुए भी अभी तक वहां की योजना बनाने के लिए सरकार की ओर से कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है । हम सरकार से कहते हैं तो सरकार बराबर हमें आश्वासन देती रहती है । मगर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की क्या हालत है उसको हम पिछले २० वर्षो से देखते आ रहे हैं और अकाल राहत कार्यो के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और लाखों रुपये लेन्ड रेवेन्यू के अकाल में माफ करने पड़े हैं । हम देखें कि यह १० करोड़ की योजना आज से अगर १० वर्ष या पांच वर्ष पहले शुरू की गई होती तो रिलीफ वर्क के पैसे बचत हो सकते थे । इसके बारे में बराबर सरकार का ध्यान सदन में और सदन के बाहर सरकार की आलोचना की जाती है कि २० वर्ष आजादी के बाद भी हमारी सरकार जनता के पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर सकती । आज जो वेलफेअर स्टेट कहलाती है वह आज लोगों को पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर सके तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ? इसलिये योजना के लागू होने से आये साल यहाँ पर अकाल पड़ता है उससे भी इस इलाके के लोगों का पिन्ड छुटेगा । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस इलाके में तत्काल इस योजना को हाथ में ले । जिससे ३।। लाख एकड़ भूमि उपजाऊ हो और तत्काल लोगों को पानी पीने को मिल सके । इससे आपकी खाद्य समस्या को हल करने में काफी सुविधा हो सकती है और आये दिन अकाल से लोगों को राहत मिल सकती है ।

राजस्थान नहर का जिस तरह से निर्माण का कार्य हो रहा है उसको देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि हम १९६८ से ७० तक इसका काम पूरा करेंगे यह हमारी सरकार कहती थी। लेकिन जिस गति से यह निर्माण कार्य हो रहा है और जितनी कम धनराशि खर्च करने के लिये दी गई है उससे ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान से इन्डो पाकिस्तान ट्रीटी हुई, इन्डस वेली के पानी के लिये जो प्रावधान किया था कि १९७० तक नहर का ट्रेल्ड पानी पावेंगे और १९७० तक नहीं बनी तो पाकिस्तान को इससे ज्यादा लाभ होगा और जो हमारा नहर का पानी मिलने वाला था पाकिस्तान ले जावेगा । फस्ट में इसके लिये ७५ करोड का बजट है । लेकिन अब तक ४७ लाख खर्च किया है । अभी तीन साल बाकी है और आपने तीन करोड़ का प्रावधान किया है । आप अन्दाजा लगाइये कि जहां इतना स्टाफ लगा हो कि १० करोड़ रुपयो एक साल में खर्च करता है उसके अगेन्स्ट में ३ करोड का प्रावधान

(श्री भीमसेन)

किया है वह क्या है । अगर राजस्थान सरकार को क्षमता नहीं है तो राजस्थान सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिये और प्रयत्न करना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार से कहे कि यह सेन्टर सेक्टर में हो और सेन्टर इसको अपने हाथ में ले। अगर नहीं हो तो मैं समझता हूं कि यह आउट आफ प्लान होना चाहिये जिससे यह प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राजस्थान का ही नहीं सारे हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या हल करने में फायदा होगा और जो गैर आबाद इलाका है उसमें जमीन लोगों को मिल सकेगी और आय का जरिया हो सकता है। इसलिये यह जो नेशनल स्कीम है उसके लिये राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि वह उसे अपने हाथ में ले । इसके लिये विधान सभा में बिल आने वाला था मगर किसी कारण से नहीं आया । ऐसा सुना जाता है कि साउथ वालों ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहा कि अगर सेन्टर राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को लेती है तो हमारे भी, प्रोजेक्ट को हाथ में ले। ऐसी जानकारी मिली है कि हमारी योजना जो सेन्टर में थी वह ड्रोप हो गई। इसलिये जहां तक राजस्थान केनाल और स्कीम का प्रश्न है ये दो अलग अलग चीजें हैं और राजस्थान केनाल की तरफ पंजाब और राजस्थान के लोग आबाद होंगे। इसलिये कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट लेने चाहिये। बाहर के लोग काफी आबाद हो सकते हैं इसके लिये राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहिये और इसको तत्काल सेन्टर में दी जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज।

श्री हंसराज (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन नहरों की चर्चा करना चाहता हूं जो संसार की गिनती की नहरों में से है। सबसे पहले मैं गंग कैनाल की चर्चा करूंगा कि जिस समय यह नहर आई थी उस समय की संसार की सबसे बड़ी नहरों में से एक थी और जो ८० मील तक कंकरीट की थी । आज उसकी हालत यह है कि बहुत से ऐसे चक हैं जो पानी के अभाव में यों ही सूखे पड़े रहते हैं, और फसल पैदा नहीं होती, मगर उस पर भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार उनसे लेवी मांग रही है। और सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि जहां २० हजार टन सारे राजस्थान में लेवी वसूल होगी वहां १४ हजार टन लेवी अकेले गंगानगर से वसूल होगी जहां पानी के अभाव से फसलें नष्ट हो गई। एक तरफ तो किसानों को पानी दिया जाता है और दूसरी तरफ आप भूमि का टैक्स बढ़ा रहे हैं और फिर किसानों से कहा जावे कि अधिक अन्न पैदा करो। यह बात बिल्कुल असम्भव है। जब किसानों के पास साधन नहीं हैं तो वे अधिक अन्न कैसे उपजा सकते हैं ? हमारी सरकार को यह तो मंजूर है कि वह दूसरे देशों से अनाज मंगाले। अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि देशों से अनाज मंगाले। दिल्ली वालों को मंजूर है बाहर से अनाज मंगाना मगर वह पैसा किसानों को सुविधा देने में खर्च करने को तैयार नहीं है।

एक और गंगानगर में गंग केनाल की बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद भाखरा नहर है जो सन् ५५-५६ में आई। भाखरा

Page No. 90

(श्री हंसराज)

पर २६ करोड़ के आसपास खर्चा हमारे जुम्मे आता है जिसका ६५ लाख सूद हर साल दे रहे हैं ! इसकी आज हालत यह है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको भाखरा भोन में शामिल किया, जमीन कमांड की। भाखरा सम्बन्धी रूल्स बने और किसानों को विश्वास दिलाया कि उनको ५० बीघा जमीन दी जावेगी क्योंकि उनको पानी मिलेगा और उनकी पैदावार बढ़ जावेगी। इसलिये तुम अपनी अधिक जमीन छोड़ दो। किसानों ने खुशी-खुशी अधिक भूमि छोड़ दी जो ५० बीघा से अधिक थी। पांच साल के बाद फिर रिवाईज चकबन्दी हुई। अमरसिंह व जसाना पर ३७ हजार एकड़ भूमि को कमान्ड से अनकमान्ड घोषित कर दिया गया। जिन लोगों के पास ५० वर्षों से जमीन का कब्जा था उनसे यह कह कर सरकार ने जमीनें लेली कि उनको पानी दिया जावेगा और उस आश्वासन के साथ किसानों ने अपनी भूमि जो ज्यादा थी छोड़ दी। आज उसको अनकमाण्डेड घोषित कर दिया है। इससे कमसे कम दो लाख किसानों पर असर पड़ा है। आज किसान जब अपने ऊपर आकर पड़ती है तो कहता है, हमने अनेक बार इसके लिये प्रार्थना पत्र दिये, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि सरकार लाभप्रद काम करे। हमें पानी दे और भूमि काटलें, हमें स्वीकार है। अगर सरकार के पास हमें पानी देने को नहीं है तो हमारी जो भूमि सरकार ने काटी है वह हमको वापिस दे दें। इसके लिये एक बार नहीं अनेकों बार कहा है। सरकार ने ३७ हजार किसानों की जमीन काटी और अनकमांड की। सरकार की तरफ से हमेशा आश्वासन मिलते रहे मगर सरकार ने, आपने न तो पानी दिया न जमीन किसानों को लौटाई !

(२. ३८ म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

सरकार ने उस भूमि को एक-एक करके बीघा नीलाम करादो। आज भी गोगामेड़ी के इलाके की सारी भूमि नीलाम करदी गई। आज किसान बेकार बैठा है। अगर राजस्थान सरकार के पास किसान को देने के लिये पानी नहीं है तो एक बीघा के बदले में तीन बीघा के हिसाब से अनकमांडेड जमीन देदी जावे ऐसा प्रावधान है तो उससे अनुसार ३७ हजार एकड़ अनकमांड से बदला जाए। सरकार ने राजस्थान केनाल में ५० बीघा जमीन दी है मगर पानी नहीं। इसलिये ३ गुणा भूमि ज्यादा दे तो किसान वहां रह सकता है, नहीं तो उनकी जिन्दगी बड़ी मुश्किल से बीतेगी।

भाखरा जोन में कई गांव ऐसे हैं जिनके रकबे में किसानों ने पानी के दर्शन नहीं किये। मगर भाखरा में आगये इसलिये वे खातेदारी राइट से भी वंचित हैं। जिन लोगों को बहुत पुराना कब्जा है उनको भी खातेदारी राइट नहीं दिये गये और यह कह कर नहीं दिये कि यह गांव भाखरा में आ गये हैं और टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ के तहत आपको खातेदारी राइट्स नहीं दिये जा सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसान इस बात की मांग करता है कि सरकार या तो पानी उनको दे। अगर हमें सरकार पानी नहीं देनी है तो खातेदारी से बंचित क्यों रखती हैं? अगर पानी नहीं देती हैं तो खाते-

(श्री हंसराज)

दारी राईट से और पानी से वंचित नहीं रखे। भादरा-नोहर तहसीलों के गांवों की एक लाख ७१ हजार बीघा भूमि है जो भाखरा जोन में आई है। अनकमांड है, मगर सरकार उनको खातेदारी नहीं देती। या तो उनको पानी दो या खातेदारी दो जैसा सरकार का नियम है उसके अनुसार कार्य करो। आज ३ हजार एकड़ सिंचित भूमि होती है जबकि वहां १।।। लाख एकड़ भूमि खातेदारी के राइट से वंचित है। जिसका नतीजा यह है कि हर साल किसानों को तावान की काफी रकम देनी पड़ती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर भी आप सरकार का समर्थन क्यों करते हो। जो सरकार अन्याय करती है।

एक माननीय सदस्य : सोच रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य : चैयरमैन महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री से निवेदन करूंगा कि किसानों के लाभदायक बात हो उसको स्वीकार करें। अगर सरकार पानी नहीं दे सकती तो खातेदारी के राइट दे दें। आज से कई वर्ष पहले सुप्रिन्टेन्डिग इन्जीनियर पावा साहब ने कहा था कि पानी नहीं दिया जावेगा खातेदारी राइट दे दिये जावें। उसमें मैनन की रिपोर्ट है कि खातेदारी राइट दे दिए जावें। मगर आज तक वह रिपोर्ट १० साल से दामोदर जी की टेबल पर पड़ी रही है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और आज किसान रो रहे हैं। उसके बाद भी हमने यही कहा कि या तो हमको पानी दीजिये। केबिनेट में रिपोर्ट पेश की कि कोई फैसला हो। इसके बारे में सिंचाई विभाग से २८-६ ६६ को रिपोर्ट मांगी। मुझे इसकी जानकारी है कि आज तक सिंचाई विभाग से रिपोर्ट नहीं आई है कि वह अपनी क्या राय देते हैं। यह गांव सिंचित रहना चाहिए या नहीं मेरा यह कहना है कि इन सारे गांवों के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। उदाहरण के रूप में देखा जावे तो गंगसिंहपुरा के साथ हुई है। पानी का वहां नामोनिशान नहीं मगर फिर भी ज़मीन के मालिकों से जमीन ले ली गई है। और शेष पर लाखों रुपया तावान का लिया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बात है कि हजारों बीघा जमीन अधिकारियों के रिश्तेदारों ने हड़प ली और उसकी कीमत बराये नाम को दी गई है।

श्री हंसराज आर्य : चैयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज किसान एक और ३७ हजार एकड़ जमीन के लिये रो रहा है। और दूसरी और भाखरा में लोगों को पानी नहीं मिलता। फिर भी बेटरमेंट ले लिया जाता है। सरकार किसान को पानी नहीं दे, उसके जमीन में फसल नहीं हो और फिर भी आप किसान से कहें कि लेवी दो और अधिक अन्न पैदा करो। सरकार आप उससे ऐसी आशा रख सकते हैं ? मैं कहूंगा कि यह असंभव है। इन तीस गांवों को या तो पानी दो या खातेदारी दो और जो लाखों रुपया हर साल लगान के रूप में लिया जा रहा है उसे बन्द करो !

(शेम, शेम)

श्री रामचन्द्र आर्य : इस सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा।

श्री हंसराज आर्य : चेयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक ओर गंगानगर जिले पर जो सीलिंग लागू की जा रही है। क्योंकि किसान पानी के लिए रो रहे हैं और उनसे लेवी वसूल की जा रही है। जहां पानी के बिना जमीन बेकार है और कहा जाता है कि हम सीलिंग लागू करेंगे। हमें सीलिंग स्वीकार है आज जितनी जमीन बची हैं वह सब को बराबर बांट दें। मगर पानी दीजिये और लेवी वसूल कर लीजिये। लेकिन गंगानगर जिले के किसान की पानी के अभाव में जो दुर्दशा हुई है और आज भी हो रही है उसे आखों से ओझल न कीजिये। इसके साथ ही चेयरमैन जी मैं अतः निवेदन करूंगा ?

हम यह आशा रखते थे कि गंगानगर जिले में जहां सिंचाई का का काम बढ़ता जा रहा है, वहां और अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे, जो मांगें टेम्परेरी हैं उनको बदला जायगा, राजस्थान केनाल जो संसार की सबसे बड़ी केनाल है, उसके लिए अमला बढ़ाया जायगा, इसके खर्च में और बढ़ोत्तरी की जायगी। पर बढ़ोत्तरी के स्थान पर इसमें कटौती की जा रही है। जो आज राजस्थान में फालतू डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया और यह जो सबसे अधिक आवश्यक सिंचाई विभाग है, जो पानी की व्यवस्था करता है, अधिक अन्न उत्पादन के लिए, अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए साधन जुटाता है उसमें कटौती करने की तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान गया है। मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग में तो और अधिक धन राशि दी जानी चाहिए। और अधिक अमला रखा जाना चाहिए और अधिक साधन देने चाहिये। सरकार वहां कटौती कर रही है, सरकार छोटे कर्मचारियों को कटौती करके उनके साथ ज्यादती कर रही है न्याय नहीं कर रही है।

इसके साथ ही साथ मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि गंगानगरसे लेवी वसूल नहीं की जाय,गंगानगरसे लेवी वसूल करने सम्बन्ध में जांच की जाय। उधर से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि गंगानगर जिलेमें लेवी की जांचके लिए कमेटी बैठा दी है और मेम्बर आफ रेवेन्युबोर्ड गंगानगर जा रहे हैं। अखबारों में पढ़ा पर अभी तक कोई गंगानगर में लेवी की जांच के लिए नही जा रहा है।

कलेक्टर की रिपोर्ट आ रही है कि लेवी का कोई झगड़ा नहीं है। किसान राजी खुशी लेवी दे रहे हैं। गांवों में जाकर देखें तो पता लगे कि किसानों में कितनी नाराजगी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषयान्तर न हों, इरिगेशन पर बहस चल रही है।

श्री हंसराज आर्य : लेवी इरिगेशन से सम्बन्ध रखती है, पानी नहीं देगें तो लेवी लेंगे कैसे ? वहां जो लेवी वसूल की जा रही है वह ज्यादती है। जिन किसानों के अनाज पैदा हुआ है, उनसे लेवी ली जाय। गंगा नगर के गांवों के लोगों ने राहत की मांग की है उनसे आप लेवी ले रहे हैं। ३७ हज़ार एकड़ भूमि अनकमांड की है। उनको पानी दीजिये, खातेदारी राइट्स दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगा नगर में लाखों

Page No. 93

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बीघा जमीन खातेदारी से महरूम की है, उसके लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री चुन्नीलाल इंदूलिया : माननीय हंसराज जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया उससे हमको भी जोश आ गया ।

श्री हंसराज आर्य : सरकार बड़ी-बडी बातें करती है पता नहीं घर में क्या हो रहा है, गोगामेड़ी में ३०० मुरब्बा जमीन पड़ी हुई थी, ६२ से ६५ तक के मुरब्बे काश्त होते रहे लोग फसल को खा गये लगान नहीं आया, तावान नहीं आया, किसी के नाम काश्त दर्ज नहीं हुई । पर उस जमीन का लगान नहीं लिया, तावान नहीं लिया गया लोग खा गये । मैं १० साल तक रोता रहा पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है ।

जहां एक ओर इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है और दूसरी ओर छोटी-छोटी बातों को लेकर किसानों तो रौंदा जा रहा है ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): सभापति,महोदय सिंचाई विभाग में जो कटौती की गई है उसका विरोध करने के लिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है । इस सदन में मैं एक बार से अधिक विरोध में बोल चुकी हूं । मैं इस कटौती प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि और विभागों के मुकाबले इस विभाग में जो कटौती की गई है वह जरूरत से ज्यादा कटौती की गई है । कांकरोली डिविजन को समाप्त करने की चर्चा चल रही है, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि वहां सारे के सारे उयदपुर डिस्ट्रिक्ट वाले इस चीज का विरोध कर रहे हैं । यह वह इलाका है जहां वैसे ही वर्षा की, पानी की कमी है, इस इलाके में कांकरोली डिविजन पड़ता है, इसके नीचे मेजा बांध बनाया है, आसींद बांध बनाया है, उनमें हमारे इस इलाके का पानी बह कर जाता है, हमारे यहां बांध नहीं बंधवाने देते । इस क्षेत्र में सैंकड़ों तालाब टूटे हुए पड़े हैं, उनकी मरम्मत नहीं करवाते । नीचे बांध बनाने से यह इलाका बिलकुल ही सूखा रह जाता है । कांकरोली डिविजन तोड़ा जाता है तो यह अन्याय है । इतना गड़ा सिंचाई विभाग, इसमें जो कटौती की जा रही है, इसका श्रेय या कुश्रेय हमारे सिंचाई मन्त्री जी को देना चाहती हूं, जिनको कमजोरी की वजह से इस विभाग में इतनी बड़ी कटौती हुई है ।

श्री हरिदेव जोशी : हीयर हीयर !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : हीयर हीयर नहीं, आप गम्भीरता से सोचें, दूसरे मंत्री मजबूती से अपने अपने विभाग को दृढ़तापूर्वक सम्हाले हुए हैं, आपने अपने हथियार क्यों डाल दिये । जिसमें लाखों लोगों की किस्मत का सवाल है, वैसे ही वहां लोग भूखों मर रहे हैं, उनको भूख को नहीं बढ़ायें, गरीबों के मुंह की रोटी को न छीनें ।

इसके साथ ही साथ इस विभाग के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी)

सम्बन्ध में मैं चन्द बातें कहना चाहूंगी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : रावतसर के सम्बन्ध में भी कुछ कहें ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : राजस्थान का नहर विभाग है, इसके टेकिनशियन्स बड़े ही एक्सपर्ट और एफिसियेन्ट टेक्निशियन्स हैं, भारत के टेक्निशियन्स का संसार के टेक्निशियन्स में ऊंचा स्थान है। जो मुल्क साइन्स में बहुत आगे बढ़े हुए हैं उनके मुकाबले में हमारे यहां के टेक्निशियन्स बहुत उच्च कोटि के हैं यही कारण है कि यू एन. ओ. के द्वारा संसार में जो भी बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं तो हमारे यहां के इन्जीनियर्स की सेवाएं ली जाती हैं। राजस्थान के टेक्निसियन्स जापान, बेंकाक और अमेरिका में काम कर चुके हैं। हमारे यहां के चीफ इन्जीनियर, श्री कंवरसेन थे। आज संसार प्रसिद्ध इन्जीनियर्स में उनकी गिनती है, टेक्निकली हमारे यहां का इस विभाग का स्टॉफ सुपीरियर स्टॉफ है। चम्बल में जब ग्राउडिंग का सवाल आया तो हमारे यहां के इन्जीनियर ने जिस तरह का कार्य निभाया वह एक उच्चकोटि की इन्जीनियरिंग स्किल की बात थी उस विभाग पर हथोड़े की चोट की जाती है तो बड़ा दुख होता है। दूसरे जिन विभागों में करप्शन है, जो विभाग सरकार पर वजन के रूप में पड़े हुए हैं उनको पाल-पोस कर बड़ा कर रहे हैं और जो विभाग हमारी खाद्य समस्या को हल करने के लिए नितान्त आवश्यक है, जो सरकार की आमदनी को बढ़ाता है, जो सारे राजस्थान का भरण-पोषण करता है, उसमें कटौती करके आप उसे कमजोर बना रहे हैं।

यह शासन की परम्परा रही है कि जो बुरा करते हैं उनको सजा नहीं दी जा सकती, जो अच्छा काम करते हैं उनको शाबासी नहीं दे सकता। इसीलिये हमारे यहां की सर्विस क्लास को इन्सेन्टिव नहीं मिलता। हमने पत्र लिखा कि पंचायत समिति, जिन सर्विस क्लास के लोगों ने अच्छा काम किया है उनका अभिनन्दन करना चाहती है. पर वह भी रेड टेपिज्म में पड़ा है। जब कोई अच्छी सेवा करते हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनका अभिनन्दन करें, उनको प्रोत्साहन दें, इन्सेन्टिव दें। इस तरह की बातें सरकार के यहां फिजूल की पूछ-ताछ में दब जाती हैं। मैं निवेदन करूंगी कि हम सर्विसेज का दिल बढ़ाना सीखें, दिल तोड़ना नहीं सीखें।

हमारे यहां सिंचाई विभाग में कटौती करने की जरूरत न हो कर बढ़ौतरी करने की जरूरत है। जरूरत इसलिये है कि इतना बड़ा मुल्क होते हुए सिंचाई में हम सबसे पीछे हैं। कन्क्रीट आंकड़े में सदन के सामने रखना चाहूंगी। हमारे राज्य में कुल ८ करोड़ एकड़ जमीन है, ८ करोड़ एकड़ में से खेती होती हैं तीन करोड़ एकड़ में, पर वह सिंचित नहीं है, वह बारानी है। हमारे यहां सिंचित जमीन कितनी है? आश्चर्य होगा सदन को यह सुनकर कि केवल २२ लाख एकड़ जमीन नहरों से सिंचित है और कुओं से २८ लाख एकड़ भूमि सिंचित है। कुल मिला कर ८ करोड़ एकड़ भूमि में से केवल ५० लाख एकड़ जमीन की ही सिंचाई होती है, यह कुल भूमि का १६ वां हिस्सा भी नहीं है। आप कहते हैं कि हम भाखरा ले आयेंगे, राजस्थान केनाल ले आयेंगे, माही ले आयेंगे, घग्घर ले आयेंगे, सतपुड़ा कर देंगे, पर सारे इनको बना लेते हैं। मुझे निकट में आशा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी)

नहीं कि आप बना पायेंगे, क्योंकि अबकी आपने सतपुड़ा को काटा है....

श्री हरदेव जोशी : सतपुड़ा को नहीं काटा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सतपुड़ा का नाम आ गया, घग्घर को काट चुके हैं, जितनी नहरें हैं बजट बराबर कटता जारहा है। मुझे उम्मीद नहीं कि निकट भविष्य में आप उनको बना सकेंगे। मान लिया कि इन सारी की सारी नहरों को बना भी सकेंगे तो भी २० लाख एकड़ भूमि को एक्स्ट्रा सिंचित कर सकेंगे। इसका मतलब यदि सारी की सारी योजना जब सफल हो जाय तो केवल ७० लाख एकड़ भूमि राजस्थान में सिंचित हो सकेगी जबकि जमीन है ८ करोड़ एकड़।

श्री रामकिशन : वह खेती लायक नहीं है, पहाड़ हैं, नदियां हैं........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : खेती योग्य कितनी है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपका बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान का है जिसमें पहाड़ नहीं है। सारे का सारा नहरों से सिंचित हो सकता है, ट्यूब वेल्स से हो सकता है मैं अब आपको कुछ आंकड़े बताती हूं कि हमारे राज्य में कुल बरसातों से पानी आता है ६० हजार मिलियन क्यूबिक फीट। चार हजार मिलियन क्यूबिक फीट के तालाब बन चुके हैं। २००० हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी के बांधों का होता है। उसको रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। हमारे पास जितना बड़ा इलाका है उसका सर्वे कराएं। अन्डर ग्राउंड वाटर का सर्वे कराकर हमको देखना है कि हमारे पास कितना पानी है, हम इस पानी का कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। जहां पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, जहां तालाबों के लिए पानी नहीं रोका जा सकता, वहां वह सफल हो सकते हैं केवल ट्यूब वेल्स।

श्री हरिदेव जोशी : अंडर ग्राऊंड वाटर बोर्ड और वेल इरिगेशन मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। वे एग्रीकल्चर से सम्बन्धित हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कहने का तो हक है हमें। अब सिंचाई के लिए काम किया जाता है तो यह सिंचाई में आता है।

आज आप इसके मन्त्री हैं कल उसके मन्त्री होंगे।

श्री हरिदेव जोशी : आप एग्रीकल्चर की डिमांड पर बात कहतीं तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नोट करते और जवाब देते।

श्री गिरधारीलाल व्यास ; उनको भी कहा गया। हम सब लोग चाहते हैं कि सिंचाई विभाग द्वारा इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

श्री रामकिशन : आपको इसलिए नहीं अर्ज कर रहे हैं कि यह आपका विभाग है। हम तो आपकी रणछोड़ता पर बोल रहे हैं, आप तो हथियार डालकर भाग गए और विभाग की कटौती करा दी।

Page No. 96

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : न जाने एग्रीकल्चर मिनिस्टर कब करेंगे । आपके हाथ में सिंचाई विभाग है, आपने जिस तरह से कटौती करवा दी, वह मेरी समझ में नहीं आती । आपने कैसे मन्जूर किया ? आपके दिल में भी कुछ न कुछ तो खयाल आया होगा । मैसोर सरकार ने पूरी सर्वे करा रखी है कि कितना पानी है । यहां भी उस तरह से सर्वे होना चाहिए । मन्त्री महोदय चाहते हैं तो मैं दूसरे विभाग से कहूंगी ।

अपने यहां पर जो पिलाई की दरें होती हैं उनमें समानता नहीं है । बिजली विभाग की तरह चाहे शहरों में चाहे गांवों में एक दर है लेकिन अफसोस है कि सिंचाई विभाग ने अलग अलग प्रकार की दरें कायम कर रखी हैं और कुछ इलाकों के साथ अन्याय हो रहा है । सिंचाई की दरों में जो फर्क है, मैं आपको बताती हूं । गंगानगर नहर से जो गन्ने के लिए पिलाई होती है उसके चार्जेज हैं २१ : २५ रु० लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो पुराने तालाब हैं वहां से गन्ने की पिलाई के लिए है २७) । कहां २१ कहां २७ ? कैनाल का पानी मिलता रहता है पूरा, लेकिन ये तालाब कभी भरे रहते हैं कभी नहीं मिलता है । उस पर चार्ज किया जाता है २७) रु. । यह असमानता क्यों ? गन्ने को सब लोग नहीं बोते होंगे लेकिन गेहूं सब जगह बोया जाता है । गंगानगर में गेहूं पर चार्ज किया जाता है ५ २५ रु० लेकिन वहीं चम्बल बांध में, उदयपुर, कोटा और झाला-वाड़ के जो तालाब की पिलाई होती है उस पर १० रु० । कहां ५ रु० कहां १० रु । इसके अलावा बाग के लिए पानी जो गंगानगर में दिया जाता है उस पर १३ : २५ रु० और जो दूसरे राजस्थान के हिस्सों में दिया जाता है उससे लेते हैं १७ रु० ६ महीने के लिए और ३४ रु० साल भर के लिए कहां १३ कहां ३४ ? यह असमानता क्यों बरती जा रही है ? आप देखेंगे कि नहरों पर दूर से पानी लाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में रमक खर्च होती है । तालाबों पर कम रकम खर्च हुई है । होता यही है कि जहां पानी सस्ता है वहां सस्ते दर पर चाहिए । इस प्रकार भेदभाव खेती को बढ़ावा देने के लिए उचित नहीं है ।

इसके साथ साथ सिंचाई विभाग के लिए मैं दो बातें और कहना चाहूंगी आज कल बहुत से ऐसे तालाब हैं जो बने हुए हैं लेकिन उनमें पूरा पानी नहीं आता । भरते नहीं इसके कारण जगह जगह मेड़बन्दी हो गई, रास्ते में जमीनों का एलीमेंट हो गया इसके बारे में मैं निवेदन करूंगी कि जो छोटे छोटे फीडर्स द्वारा जो पहाड़ों से पानी आता है, फीडर्स बनाकर तालाबों में डाला जाय और उनको भरा जाय ।

अफसोस तालाबों से जो नहरें निकाली जाती हैं उन नहरों से पानी का सीपेज होता है । कभी ऐसी नहर मैंने नहीं देखी जिसमें पानी की बरबादी न होती हो । नहरें टूटी रहती हैं । तो आप सीपेज होने वाली नहरों की ओर ध्यान दें और बजट में प्रावधान करें ताकि इस तरह पानी बरबाद न हो । कम से कम एक रुपये में से ४ आने इस प्रकार से पानी बरबाद होता है ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२, ५६ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो आप हथियार छोड़कर न जायं और अपने लिए बजट में पूरा इसके लिए प्रावधान रखें, मजबूती के साथ खड़े रहें, हम आपके साथ हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय सदस्या ने जो गंगानगर का उदाहरण दिया है, गंगानगर जिले का राजस्थान में शामिल होने की शर्त यह थी कि पंजाब जैसी सुविधायें होंगी....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सिंचाई के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव हैं, उनके बारे में मैं सुझाव पेश करना चाहता हूं। जयपुर रियासत के समय का तालत का बन्धा है। वह पुराना बंधा, है लेकिन उसकी नहर को तरफ देखेंगे तो ६ मील के नहर का जो हिस्सा है वहां नदो से पानी बेकार जाता है। हर साल ५०० बीघा जमीन में पानी बेकार जाता है। एक तरफ आप बड़ी-बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और दूसरी तरफ जो बंध बने हुए हैं उस पानी का सही उपयोग नहीं करते और आप कहते हैं कि बजट नहीं है।

(३.०० म. प)

इसके साथ-साथ इस बांध की दूसरी समस्या यह है कि यह बहुत पुराना बांध है। नदी नाले से पोछे से पानी आता था। मिट्टी भर जाने से नदियों का रुख बदल गया और इस कारण बहुत ही सस्ता बांध है, जिसमें बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ है, और पांच-सात हजार बीघा ही नहीं बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस हजार बीघा जमीन की इससे सिंचाई होती थी। आज यह स्थिति है कि दो साल और पांच साल में जाकर भरता है। पुराने जितने बांध हैं जिनकी आपने आवश्यकता महसूस नहीं की इसी का परिणाम आज हम भोग रहे हैं। हमारे छोटे २ बांध जिनसे हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होतो थी उनके सप्लाई कट की ओर ध्यान नहीं देते, नहरों की तरफ ध्यान नहीं देते, फिर आप ऊपर से यह कहते हैं कि सिंचाई रेट्स बढ़नी चाहिए। हमारे छोटे २ बांध हैं वे पुराने बांध हैं। जिनसे हमको कम पैसे में, कम लागत में बहुत लाभ मिलता है। उस तरफ आप ध्यान नहीं देते और रेट्स बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान में बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपया का खर्चा किया और उसका आज आप ब्याज देते हैं। यदि छोटा बांध है उससे दस बीघा की भी सिंचाई होती हो तो राज्य सरकार को उस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिये। आपने पंचायतों और तहसीलों के जिम्मे कर दिया। वे अपने कर्मचारियों को ही वेतन नहीं दे पाते हैं तो वे बांध की देख-रेख कैसे कर सकते हैं? इतने अच्छे-अच्छे बांध थे वे बिना देख रेख के ही बरबाद हो गये। मेरा यह सुझाव है कि चाहे छोटे बांध हों या बड़े बांध सब एक ही विभाग के अन्तर्गत रखे जाते चाहिये। आज यह है कि रेट कोई दूसरा विभाग वसूल करता है और देख-रेख कोई दूसरा। दोनों का मेल नहीं होने से सिंचाई की व्यवस्था असफल रहती है।

(श्री सुवालाल चौधरी)

सारी सिचाई योजना एक ही विभाग के जिम्मे होनी चाहिये, और रेट्स बढ़ाना चाहते हैं तो यह उन्हीं लोगों पर लागू होना चाहिये जो बड़ी योजनाओं से लाभ उठाते हैं, जिनके लिये करोड़ों रुपया खर्चा करके सरकार को लाखों रुपयों का ब्याज देना पड़ता है। मैना नदी को रोक कर इस बांध में लाया जाय तो २५ हजार बीघा की सिचाई हो सकती है। नहरों को आगे बढ़ा सकते है। थोड़े पैसों में ही अधिक लाभ मिल सकता है।

इसके साथ-साथ लघु सिचाई योजना के बारे में एक सुझाव है कि छोटे २ बांध बने हुए हैं, नदी नालों का पानी ऐसे ही चला जाता है उसके लिये एनीकट होकर उनको रोकना चाहिये। जहां बड़ी बड़ी योजना नहीं बना सकते, बांध नहीं बना सकते, गांव में हरएक के पास कुए हैं और नहीं है तो और बनवा दीजिये, वहां इस प्रकार के छोटे बांध बनने से कुओं मे पानी आवेगा। इसलिए जिस तहसील में और क्षेत्र में बड़ी योजनाओं से सिंचाई के लिये पानी नहीं ला सकते हैं तो सिंचाई विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से, इस प्रकार का सर्वे कराना चाहिये। इस तरह के आंकड़े होने चाहिये कि किस गांव में कुओं से सिंचाई बढ़ सकती है। छोटे २ बांध की नहरें बना देने से सिंचाई बढ़ सकती है। इस प्रकार का उसके लिये प्रावधान रखेंगे तो बहुत कुछ समस्या को हल कर सकेंगे और इन पर योग्य अनुभवी इन्जीनियर्स को लगावेंगे तो मैं कहता हूं कि करोड़ों रुपया बड़ी योजनाओं पर आपने खर्च किया उसके उपरान्त भी आपको यह कहना पड़ता है कि हमें सिंचाई के मामले में असफल रहना पड़ा है। जिससे शीघ्र ही लाभ मिलने वाला है उन पर तो ध्यान नहीं देते, यदि राम की महरबानी हो तो मिलेगा वरना टूट जाय। इसलिये उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं, कुए आदि बनाये, लघु सिचाई योजनाओं को तरफ विशेष ध्यान दें और इस तरफ आपका ध्यान गया तो अवश्य ही सफल होंगे।

इसके साथ-साथ यह भी सुझाव है कि एक हाईस्कूल के लिये आज कहा कि हमारे पास विज्ञान के लिये पढ़ाने वाले मास्टर नहीं मिलते। आप योग्य सिचाई विभाग के कर्मचारियों में कमी कर रहे हैं। कृषि और सिंचाई इन महकमों से तो आपको एक को भी कम नहीं करना चाहिये। इन दोनों महकमों में इस बजट में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये थी जबकि आप उनमें कमी कर रहे हैं। कल आप यह कह देंगे कि योग्य इन्जीनियर नहीं थे। इस बांध का अयोग्य इन्जीनियरों ने सर्वे कर लिया। उस जगह आप बजट में कमी कीजिये जिससे आपकी खाद्य-समस्या पर कोई असर न पड़ता हो। आपको कृषि के लिये तो हर साल बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। यदि आप यह खाद्य समस्या हल करना चाहते हैं तो सम्बन्धित मन्त्री की योग्यता और चतुरता पर निर्भर है कि वह बजट को किस प्रकार बनाये। योग्य इन्जीनियर और ऐसे व्यक्तियों को नहीं कम करना चाहिये। आप सम्बन्धित मन्त्री हैं, मैं आप को खास तौर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सारी जनता आपको पूछेगी कि आपके करोड़ों रुपया खर्चा करके ये योजनायें बनायीं और आज उन योजनाओं से कोई फायदा नहीं हुआ कि जिस से हमारी खाद्य-समस्या हल होती। उन

(श्री सुवालाल चौधरी)

करोडों रुपयों का आपने क्या किया ? तो न तो व्यासजी न माथुरजी आपके साथ होंगे और जनता आपको ही भला बुरा कहेगी। आपको योग्य इन्जीनियर्स को नहीं निकालना चाहिये। यदि दूसरी योजनाओं का काम समाप्त हो गया है तो आप उनको गांवों में सर्वे कराने के लिये भेजिये कि कहां-कहां छोटे २ बांध बना सकते हैं, नहरें बना सकते हैं। यह योजनायें आपकी सफल होंगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी।

इसके साथ-साथ दूसरा मेरा यह भी सुझाव है कि बड़ी योजना के लिये दूसरे क्षेत्र में बजट रखा है। जयपुर जिले को भी सरसब्ज करना चाहते हैं तो कम खर्च में योजना में पानी आ सकता है तो नहरें लाना चाहिये, और दूसरी जगह असफल रहे हैं तो इन छोटी सिंचाई योजनाओं से कभी असफल नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ, मेरे दूसरे साथी भी बोलेंगे, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डूंगाराम राजोरिया !

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो बड़ी सिंचाई योजना और छोटी सिंचाई योजना की डिमान्ड पर सदन में विचार हो रहा है उसके विषय में मेरे भी दो कट मोशन्स हैं। मैं भी उन पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहली बात तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सिंचाई के साधन हमारे यहां हैं वह बहुत ही कम हैं और सिंचाई साधनों के बारे में अभी-अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने आंकड़े भी दिये, उनको देखें तो हमारे यहां कोई खास सिंचाई के साधन नहीं हैं। दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि सिंचाई के साधन हमारे पास नहीं हैं पर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात मेरे यह भी देखने में आई है कि अकाल राहत कार्य पुस्तिका में सरकार ने यह लिखा कि जब तक हम प्रकृति पर नियमन और नियन्त्रण नहीं कर लेते तब-तक अकाल जो हर तीसरे साल राजस्थान में पड़ते हैं उनसे राजस्थान को मुक्त नहीं कर सकते।

मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रकृति पर नियन्त्रण कर लेंगे तो सारा देश यह चाहेगा कि वह भी कर ले, सारी दुनिया चाहेगी कि वह भी प्रकृति पर नियन्त्रण कर ले. तो सब आराम में हो जावेंगे जो पृथ्वी पर हैं। वह समय कब आवेगा, यह तो कोई नहीं कह सकता। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उससे पहले आप इतना ही कर लें कि कुदरत जो बरसात में पानी देती है उसमें से जो बरसात में काम आता है वह तो ठीक, बाकी जो बाहर निकल जाता है उसे ही आप रोक कर रख सकें तो अकाल पर आप रोक लगा सकेंगे।

यह अकाल आज की नई चीज नहीं है। राजस्थान में हर तीसरे साल यह पड़ता रहता है और उसका खामियाजा हम भुगतते हैं। तो आप लम्बी चौड़ी बातें करना

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

बन्द करके केवल बरसात के फालतू पानी को रोक सकें और सिंचाई के साधन पूरे कर सकें तो ही बहुत है।

अब आपके पास इसको पूरा करने के भी साधन नहीं हैं। पांच साल से राजस्थान नहर योजना की आप बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमन्त्री आज कहते हैं कि इस योजना को केन्द्र अपने हाथ में नहीं लेता। पर जब केन्द्र इसको लेना चाह रहा था तो उस समय राजस्थान सरकार ने नहीं देकर कम अकलो की बात की, इसे उसी समय दे देना चाहिये था। जिस योजना पर १८४ करोड़ खर्च करने जा रहे हैं उसको अगर हम बचाकर दूसरी छोटो बड़ी योजनाओं पर लगावें और उसे केन्द्र को सौंप दें तो काफी काम हो सकता है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी योजना हम बनावें और जिस बान्ध का हम निर्माण करना चाहते हैं उसका निर्माण काम आज हम इस तरह करते हैं कि बन्धने के साथ ही वह टूट जाता है तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

मेरी कॉन्स्टीट्यएन्सी दौसा में एक बान्ध बनाया था। वह करीब ५ लाख की लगात से बनाया और उससे एक बीधा भी जमीन सिंचित नहीं हुई कि वह टूट गया, और आजतक उसको दुबारा बनाने या ठीक कराने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। इसका नाम है रावास बान्ध। कुछ रुपया उस पर और लगाकर उसे ठीक करा दें तो लोगों को भी पानी के साधन मिल सकते हैं और राज सरकार को भी आमदनी हो सकती है।

इस एरिया में १५ हजार एकड़ भूमि जमुवा रामगढ़ के बान्ध के पानी से सिंचित होती थी, पर उसका पानी जयपुर शहर को अधिक देना पड़ गया इस कारण वह सिंचित भूमि सूखी रहने लग गई। इस कमी को पूरा करने के लिये चान्दना बान्ध की स्कीम बनाई थी। ६५ में बनी थी, १५ लाख की स्कीम थी। पर इसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि योजना बनाकर लोगों को विश्वास में लेते हैं और फिर उसको पूरी नहीं करके लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। इससे तो यही अच्छा है कि पहले जितना काम कर सकें उतना काम हाथ में लेना चाहिये और जो नहीं हो सके उसको हाथ में नहीं लेना चाहिये।

तो निवेदन करूंगा कि जो पहले से सिंचित एरिया था, जयपुर में पानी लेने की वजह से वह असिंचित हो गया है उसके लिये जो नये बान्ध की योजना बनाई है १५ लाख से उस ओर ध्यान देना चाहिये और जल्दी ही उसे कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करें और इसी साल से उसे लागू करने की कोशिश करें।

इसके अलावा एक मेंसरा खुर्द की भी पांच लाख की स्कीम बनाई गई है। सर्वे भी किया है। पर सर्वे करके ही छोड़ दिया है, तो कहना चाहूंगा कि इस बान्ध के बारे में भी ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा कुछ बांध और भी दौसा तहसील में है। और यह बान्ध बन जाए तो सिंचाई के साधन बढ़ सकते हैं और खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ सकता है। सरकार को भी आमदनी हो सकती है।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

और लोगों को भी राहत मिल सकती है ।

इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले में सरकार ने अकाल राहत कार्यों के सिलसिले में सिंचाई विभाग की ओर से सिंचाई के साधन देने चाहिये थे पर नहीं दिये । तो कहना चाहूंगा कि सरकार को जयपुर जिले की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । बड़ी योजनाओं में हम नहीं आते तो कोई बात नहीं पर छोटी योजनाओं में जरूर लेना चाहिये ।

दौसा के १७२ गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये पर वहां एक भी पैसे का काम बान्ध का या और कोई बात का नहीं किया । आपकी नीति गलत है । एक तरफ तो आप ज्यादा रुपया खर्च कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ नहीं करते है ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं मन्त्री महोदय उन पर गौर करेंगे और कार्य रूप में परिणत करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल और भाखरा के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है ।

भाखरा नहर आई उस वक्त हमें बड़ी खुशी हुई कि इससे काश्तकार को लाभ होगा और वे अच्छी तरह से अपनी रोजी कमा सकेंगे । लेकिन इसके परिणाम बड़े भयंकर निकले और उस इलाके के काश्तकार तबाह हो गये ।

वही हालत आज राजस्थान कैनाल क्षेत्र में होने जा रही है ।

मैं आपको नमूने के तौर पर बताऊं कि भाखरा क्षेत्रमें नहर आई और उसके बारे में श्री हंसराज आर्य ने जिस प्रकार बतलाया कि हजारों एकड़ जमीन बगैर सिंचाई के रह गई, और जिन काश्तकारों की जमीनें काटी गई उनको सम्बन्धित अधिकारियों ने व उनके रिश्तेदारों ने आपस में सस्ते दामों से हड़प लिया । इस मामले पर जांच कमीशन बिठाया जावे तो कोई भी आदमी बचकर नहीं निकल सकता । मेरे पास इसके पूरे रिकॉर्ड हैं । पर इस सरकार में न इस तरह की सुनवाई कभी हुई है और न आगे इस प्रकार की उम्मीद इस सरकार से की जा सकती है । इसकी चर्चा करना भी निरर्थक है ।

पर फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा क्षेत्र में जो सिंचाई योजना चली सिंचाई के बारे में सरकार की नीति बिल्कुल असफल रही है, और भी काश्तकार को जमीन बंजर जैसी पड़ी है । कीमत उस पड़त जमीन की पूरी पूरी वसूल की गई । आबयाना वसूल किया जाता है, हर प्रकार टैक्स लगाये जाते हैं और सिंचाई के लिये पानी मिलता नहीं है । पानी के बगैर जमीन प्यासी पड़ी रहती है ।

इस प्रकार से ही सरकार ने मोखा का सिस्टम बनाया कि पानी बेचा जाता है । कच्ची नाली सॉकेट का सिस्टम बना रक्खा । आज कोई सॉकेट निकाल देवें तो फिर रिश्वत का बाजार गरम हो जाता है । ५००) दे दो और सॉकेट इसमें दूसरे में फिट कर दो । इस प्रकार की प्रणाली राज-

(श्री रामचन्द्र आर्य)
स्थान कैनाल में भी मौजूद है।

जब कि यह कायदा है कि पांच इन्च का मोखा हैं तो उस पर सॉकेट लगाने की क्या जरूरत है आठ इन्ची की नाल लगाकर सॉकेट फिट करें। अधिकारी वर्ग इस प्रकार की धौंस देते हैं कि तुम रुपया नहीं दोगे तो सॉकेट फिट कर देंगे तो फिर पानी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इस सिंचाई क्षेत्र में अन्दर सॉकेट से नाम पर काफी रिश्वत चलती है या सॉकेट नाम की तलवार कच्चे धागे में बांध कर किसान के गले पर लटका रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सॉकेट सिस्टम हटा दिया जाय इसके द्वारा भ्रष्टाचार फैलता है। भाखरा क्षेत्र के अन्दर इसी सिंचाई के नाम से हजारों रुपया अधिकारियों ने इस कार्य में रिश्वत का लूटा। मोटी २ रकमें लेकर उनके मोखे लगाये। सिंचाई ठीक ढंग से न होने के कारण भाखरा क्षेत्र का किसान बिलकुल निष्फल रहा है।

राजस्थान कैनाल के बारे में मैं भी कहना चाहता हूं राजस्थान कैनाल में भी भाखरा जैसी ही स्थिति होने वाली है। हमारा रेतीला इलाका है चार-पांच माइनर जैसे रामपुरा माइनर, सरदारपुरा माइनर, रावतसर ब्रान्च से पाहेद के माइनर सरदारपुरा बी का मोरोना जो सूरतगढ़ तहसील में है। वहां माईनर मुख्य नहर से निकली है लेकिन वहां के लोगों को उससे पोने का पानी तक नहीं मिलता है। उसको काश्तकार साफ नही कर सकते। सरकार की तरफ से लाखों रुपया नहर की सफाई के लिये रखा जाता है। उसका खर्चा झूठे बिल बना कर बता दिया जाता है और उस रकम को हड़प लिया जाता है। नमूने के तौर पर मैं आपकी बताऊं बदवालिया गांव के पास नहर साफ की गई, कुदाली से ऊपर से खदाने साफ कर दिये गये। एक इंच मिट्टी भी नही निकाली गई। जब यह बात मैंने चीफ इन्जीनियर के सामने रखी तो वे यह कह कर टाल गये कि आप तो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हमारे अधिकारी जागरूक हैं, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कौन कितने पानी क अन्दर खड़ा है। राजस्थान नहर के महकमें के अन्दर भी मैं गया। राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर जो गड़बड़ी चल रही है वह इसी हिसाब से चलती रही तो जिस प्रकार भाखरा का काश्तकार उजड़ा उसी प्रकार राजस्थान नहर के काश्तकार को भी उजड़ना पड़ेगा। भाखरा की जमीन कट गई। उसको लोगों ने सौ और सवासौ रुपयों के हिसाब से खरीद ली। आज वही जमीन पांच सौ रुपया बीघा से बेच रहे हैं। राजस्थान नहर का भोला-भाला काश्तकार जिसको पहले खातेदारी मिल गई थी वह खातेदारी सरकार ने केन्सल कर दी अब जो अलॉटमेंट रूल्स बनाये जा रहे हैं उनमें किसीभी काश्तकारको पचास बीघासे ज्यादा जमीन नहीं मिल सकेगी अच्छी जमीन उसको अगर नहीं मिलती है और भाखरा क्षेत्र की तरह जमीन दी गई है तो ज्यादा जमीन वहां के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग या चालाक आदमी पहले ही हड़प लेगा। क्योंकि जो कर्मचारी भाखड़ा क्षेत्र में थे वही वहां पर भी हैं। आज उनकी हजारों मिसलें चल रही हैं वहां के लोगों को भूमि नहीं मिलती और जो पंजाब से लोग आते हैं उनसे दस रुपया बीघा लेकर एलॉट कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चाहता हूं कि सरदारपुरा माइनर, पाहेद के माइनर, विरकाली व रामपुरा माइनर इन चारो माइनर के टेल पर पानी नहीं पहुंचता। वह रेतीला इलाका है। उस ओर ध्यान देना चाहिये। सारी जमीन जो नहर के नीचे आयी है उसकी सिचाई होनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काश्तकारों ने हिम्मत के साथ रामपुरा माइनर को दस हजार रुपया जेब से खर्च करके ने कच्चा नाला बनाया लेकिन फिर भी पानी नहीं गया है। उन्होंने अपनी नहर खोदली। उसके लिये चीफ द्वारा कहा गया अगर आप नहर खोद लेंगे तो आपको पानी दे देंगे। उन्होने नहर खोदली, लेकिन पानी नहीं मिला। चारों माइनर मैंने आपको बताये हैं। उसमें सरदारपुरा माइनर से तो पानी पीने को भी नहीं मिलता। सरदारपुरा बी का पानी खारा है। पास में राजस्थान नहर बहती है लेकिन वहां के काश्तकारों को पीने का पानी तक नहीं मिलता। इस प्रकार की व्यवस्था से उत्पादन नहीं बढ़ेगा इस पर ध्यान देना चाहिये। राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर इतना गड़बड़ेशन चल रहा है कि जिसकी कोई हद्द नहीं। जमीन जो नीलाम की जाती है उनके सम्बन्ध में मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी माननीय मन्त्री ने गोलमाल दिया है। जो उन्होंने बात कही वह ऐसी ही बात नहीं हैं। उन्होंने यह कहा कि वहां पर बंजड़ भूमि नहीं पड़ी है। यह अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये। हजारों बीघा बन्जड़ भूमि नीलाम की गई है और आज भी बंजड़ पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : (सफेद झूठ) जो शब्द प्रयोग किया गया वह कार्यवाही से निकाला जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी इस तरह की नीति से उत्पादन बढ़ने वाला नहीं। रावतसर ब्रान्च का गांव गचोली के पास इतना ऊंचा बसाया है कि उससे नीचे जो गांव गचोली बसा है वह बरसात में अगर नहर टूट जाय तो गांव एक दम डूब जाय। पन्द्रह बीस घर एक साथ डूब गये थे हर साल बरसात के टाइम में वहां बीस बीस आदमी नहर पर गांव के रहते हैं। अगर रात को नहर टूट जाय तो नीचे आने वाली गांव गचोली बह जाय। इस नहर को पक्की नहीं बनाई गई तो इससे काश्तकार जो पास के गांव गचोली में रहते हैं उनको बड़ा नुकसान होने का अन्देशा है।

सफाई के नाम पर राजस्थान कैनाल के लिये बजट में लाखों रुपया रखा जाता है। करीब चार लाख रुपया सूरतगढ़-रावतसरपीली बङ्गा के लिये रखा उन पर कोई ध्यान नहीं देता कि वहां पर रुपया खर्च होता भी है या नहीं। इतनी बड़ी रकम रखते हुए भी सफाई नहीं होती। गांव वालों को कहा जाता है कि तुम लोग ही सफाई कर दो इससे सैकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं। एक साल कर दिया तो फिर दूसरा साल भी इन्हीं से सफाई करवाई जाती है और इनके नाम से खर्च हजम हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि सफाई के लिये जो रुपया जहां के लिये रखा जाता है वहीं पर खर्च किया जाना चाहिये। और निगरानी उस पर बराबर रहनी चाहिये। खाली आंकड़े कागजी दे देने से या कागजी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कार्यवाही कर देने से कोई फायदा पहुँचने वाला नहीं है । इस प्रकार मेरा १३ कटौती के प्रस्ताव हैं उनमें मैंने डिटेलवार बताया है । नमूने के तौर पर मोखा सिस्टम है वह एक तरह से बिजिनेस बन गया है जो मोखा बिज़िनेस के नाम से कहा जाता है । एक जगह से उखाड़कर मोखा दूसरी जगह लगा दिये जाते हैं इस तरह से ये टेम्परेरी मोखे हैं । इनसे काफी रुपया वहां के कर्मचारी लोग कमा लेते हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सिंचाई विभाग के डिप्टी मिनिस्टर मनफूलसिंह जी ने भदवारिया माइनर हैड की ठोकर गत वर्ष तुड़वाई थी और चुनाव के दौरान उस हैड की ठोकर को दुबारा चुनवा दिया गया । इस प्रकार की कार्यवाही चुनाव के दौरान मत प्राप्त करने के लिये को गई । इस प्रकार की हरकतें आये दिन होती रहती हैं । इस तरह की गड़-बड़ ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राजस्थान कनाल का काश्तकार पूरी तरह से मारा गया । उसकी खातेदारी छीन ली गई और जो रही-सही जमीन है उसको भी पानी नहीं मिलता है । उनको सताया जाता है । अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं होती । माननीय मन्त्री महोदय मौके पर जाते हैं पार्टी बाजी के आधार पर दरख्वास्तें दे दी जाती हैं और उसी पर फैसला दे देते हैं । चुनाव के वक्त में कई प्रकार की गैर-कानूनी बातें कर देते हैं । यह तो उप मंत्री महोदय का हमेशा से रवैया रहा है । जैसा श्री हंसराजजी ने कहा हजारों बीघा जमीन काटी गई और वह उन लोगों को दे दी गई जो अधिकारी लोगों के रिश्तेदार थे ।

इसी प्रकार से राजस्थान नहर क्षेत्र में मेरी आंखों के सामने हुआ है । आज भाखड़ा क्षेत्र के जो अधिकारी व कर्मचारी थे वही अमला सारा राजस्थान नहर पर लगा हुआ है । सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने मुकदमे चलते हैं ? इस विभाग में हजारों मिसलें खुलती फिरती हैं । खुले आम कहा जाता है कि पैसा दो तो काम करें । इस बारे में आपको सोचना चाहिये । करना तो सब आपको है । यह सरकार कुछ कर भी सकेगी या नहीं ? मेरा तो यह विश्वास है, कि कुछ भी करने की क्षमता सरकार में नहीं है क्योंकि प्रशासन इनके काबू में नहीं है । मैं इस प्रकार की गड़बड़ साबित कर सकता हूं । मैं आपको उदाहरण के तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रशासन इनके काबू में नहीं रहा । जो प्रशासन के अधिकारी हैं इनके हाथों में सारा कार्य है, और सरकार में कमजोरी है, इसलिए कोई भी इनके हुकम कीप रवाह नहीं करता । इसी मामले में किस तरह से आर्डर्स कलेक्टर के पास भेजे गये और हंस-राज जी ने कोशिश की, लेकिन उस हुकम को नहीं, माना और हंसराज जी मुंह देखते ही रहे गये । वह चीफ मिनिस्टर का हुकम नहीं मानते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह तो सिर्फ लोगों को राजी करने के लिए है । वह कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं । इसलिए यह जो प्रशासन में ढिलाई है यह मंत्रिमण्डल की कमजोरियों के कारण से है और मंत्रिमण्डल अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई ताकत नहीं कि यह लोग गड़-बड़ी करें । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य को बात है कि समय को समझते

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नहीं हैं, और यदि समय को समझकर आगे कार्य नहीं किया गया तो इसके परिणाम जरा खराब ही आया करते हैं और खराब ही आयेंगे ।

तो मैं अपने कटमोशन पर यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ और मैंने जो कटौती प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मानवता के नाते इन पर व्यवहारिक दृष्टि से कार्य करेंगे और सही तरीके से इस पर काम करेंगे। क्योंकि गांव सरदारपुरा बीका है वह मनफूलसिंह जी के भी इलाके में पड़ता है इसलिए आपको पूरे तौर से इसका कार्य करना चाहिए कि जिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और पास में राजस्थान की इतनी बड़ी नहर भरी बहती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो कटमोशन्स रखे हैं उनमें साफ लिखा है कि यह-यह कमियां हैं तो अच्छी तरह से इन कटौती प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहिए और आपको यदि यह काम पूरे करने हैं, तो मैंने यह सही स्थिति सामने रखी है । यह कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है । मैंने सही रूपरेखा आपके सामने रखी है और, आपका फर्ज हो जाता है वह काम पूरे करने का । तो मैं ज्यादा नहीं कहकर मेरा भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह !

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो सिंचाई-प्रणाली है उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारी भूमि को पानी उपलब्ध हो, और जो भूमि दरिया के जरिये कटती है उसको बचाया जाय । मैं आपको अर्ज करूं कि राजस्थान में पूरी सिंचाई की योजनायें लें तो आपको मालूम होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी योजनायें हैं वह पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में हैं । पूर्वी राजस्थान में जो ६६-६७ के आंकड़े बताये गये इनमें केवल हमारे भरतपुर के कुछ हिस्से को छोड़कर जिसमें कुछ फ्लड स्कीम हैं और कोई बड़ी योजना नहीं ली गई है, जो कि कार्य प्रशंसा के योग्य हो । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि कि हमारे यहां जब इर्रीगेशन की योजना बनाई जाती है तो इस बात को सर्वप्रथम दिमाग में रखना चाहिए कि इस योजना से हमारे यहां पर क्या लाभ मिलेगा । उसके साथ ही साथ सॉइल इरोजन कितना चैक होगा, कितना बैड कल्टीवेशन होगा—यह जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं यह राजस्थान कैनाल, भाखरा क्षेत्र और दूसरी अन्य योजनाओं पर लागू नहीं होता है लेकिन पूर्वी राजस्थान में जहां छोटे-छोटे तालाबों के जरिये और माईनर इर्रीगेशन के जरिये सिंचाई होती है वहां यह तीनों किस्म की योजनायें हमारे यहां लाभदायक होती हैं । हमारे यहां पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें जयपुर से भरतपुर का कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जयपुर डिस्ट्रिक्ट का है वहां पर पहले रियासतों के जमाने में, हजारों छोटे-छोटे बांध थे उनके मुकाबिले में इन २० सालों के समय में अगर आप अनुपात निकालें तो आपको मालूम होगा कि कितना धन इन माईनर इर्रीगेशन के ऊपर खर्च किया गया है । इस प्रकार का जो डेवलपमेन्ट के बारे में व्यवहार है, अगर पूर्वी राजस्थान पहले इर्रीगेशन के मामले में डेवलप्ड है तो इसके

(श्री शिवचरणसिंह)

यह माने नहीं हैं कि अब और आगे डेवलपमेन्ट नहीं किया जाये। मैं अर्ज करूं कि एक तरफ तो गम्भीरी नदी की फ्लड योजना के ऊपर २५ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ गम्भीरी नदी पर ही चलने वाले सर्वे का काम है जो कि आज पिछले ६ साल से चल रहा है उसको आप पूरा नहीं करते हैं। करौली के पास पिछ़ाना का बांध है उस नदी पर आपका सर्वे का काम चालू है जिससे कि आपकी फ्लड स्कीम भी लाभान्वित होगी। पहले रियासत के जमाने में जब सोमनाथ जी गुप्ता चीफ इन्जनियर थे उनकी योजनायें बनाई हुई हैं। वर्तमान सरकार द्वारा उन पर कोई सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट जो इतना अकर्मण्य है पुरानी योजनाओं को निकाल कर नहीं देखता। इसी प्रकार से पुराने बांधों की योजनाएं हैं जो कि बांदीकुई और महुआ की सड़क पर है। वह इतनी बड़ी योजना है कि जिससे लाखों एकड़ भूमि को लाभ मिलेगा, और हजारों बीघा बेड कल्टीवेशन होगी, और लाखों बीघा जमीन का सॉइल इरोजन चैक हो सकता है, लेकिन इस योजना पर किसी ने भी विचार करके नहीं देखा। भूतपूर्व रियासतों के जमाने में जो छोटे-छोटे टैंक थे, क्योंकि यहां रेनफाल का एवरेज अधिक था इसलिए छोटे छोटे बांध और तालाब बनाये जाते थे तो उस समय के हजारों बांध हैं, लेकिन पिछले ५-१० साल में, मैं अर्ज करूं कि कुछ बहुत थोड़ी राशि के अलावा कोई बड़ी योजना हमारे इस इलाके में चालू नहीं की गई। हमारे यहां जगत का बांध है, मामचारी का बांध है उसमें आज भी डेवलमेन्ट की बहुत बड़ी गुंजाइश है और दूसरे एनीकट्स बनाकर बहुत पानी वहां लाया जा सकता है जो कि आपके डिपार्टमेन्ट को आज भी काफी अच्छा रिटर्न देता है। मैं अर्ज करूं कि आपकी बड़ी बड़ी योजनायें है उनमें इतनी बड़ी धनराशि खर्च होती है और आपके डिपार्टमेन्ट की रिटर्न कम है। हमारे क्षेत्र में जितनी भी योजनायें हैं उनका सर्वे करायेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारी योजनाओं से १० परसेन्ट का प्रॉफिट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके डिपार्टमेंट की जो नेग्लीजेन्ट प्रवृत्ति है उसकी ओर ध्यान आपको देना चाहिए। आपका सर्वे और इनवेस्टीगेशन युनिट है और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो विभागीय अधिकार होंगे उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका यूनिट क्या कभी पूर्वी राजस्थान की तरफ इन छोटे छोटे नदी, नाले और एनीकट्स के जरिये है वहां पर बेड्स कल्टीवेशन के लिए आपको लाखों बीघा जमीन मिलेगी। तीनों डिपार्टमेन्ट्स का कोआर्डिनेशन बैठाकर ऐसी योजना बनायें कि जिससे लेण्ड इरोजन या माईनर इर्रीगेशन के वर्क्स का डिटेल्स सर्वे करायें। ठीक है जहां राजस्थान में बांध बन सकते हों बनाये जायें। इसके उपरान्त मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां इर्रीगेशन की आबपाशी की रेट्स हैं वह कहीं पर तो बयाना देकर, कहीं क्रॉप्स पर है और कहीं वार्टरिंग पर है। मैं अर्ज करूं कि हमारे इलाके में जब कभी वहाव होता है आप चाहे एक क्रॉप लें लेकिन पूरी फसल का टैक्स लिया जाता है। दूसरे, मैं अर्ज करूं कि हमारे इलाके में माईनर

Page No. 107

(श्री शिवचरणसिंह)

इर्रीगेशन की तरफ आपको विशेष ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि पुराने जमाने में कुओं का प्रचलन नहीं था। लेकिन अब आप देखेंगे कि १५ साल में वहां कुओं की तादाद आठ गुना हो गयी है, और इस कारण से वाटर लेवल नीचे ही नीचे जा रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं अर्ज करूंगा कि उस क्षेत्र में जो भी छोटी-बड़ी नदियां हैं उनके एनीकट्स के बंधाव के लिए एक सेपेरेट सर्वे होना चाहिये जिससे सॉइल इरोजन का भी चैकिंग होगा और वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसमें भी चैक होगा। क्योंकि इनडाइरेक्टली मैं अर्ज करूं कि आपको इर्रीगेशन का फायदा नहीं मिलेगा लेकिन यह जरूर है कि आपके दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कुएं के जरिये पानी प्राप्त करने में और आपको फ्लड कन्ट्रोल स्कीम में राहत पहुंचाने के लिए उन एनीकट्स से बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मैं आपसे निवदेन करूंगा कि सॉईल इरोजन, एनीकट्स का माइनर डिपार्टमेन्ट है और इर्रीगेशन का डिपार्टमेन्ट है इन सब को कोआर्डीनेट करके पूर्वी राजस्थान में जो ७-८ जिले हैं उनका डिटेल सर्वे करायें, और जहां कहीं भी बांधों की जरूरत है अगर आपके विभाग को दिलचस्पी होगी तो मैं कम से कम पचास जगह ऐसी बताऊंगा कि जहां थोड़ी ही धनराशि खर्च करने पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको दस प्रतिशत रिटर्न मिलेगा। बहुत ही कम लागत होगी और सर्वे पर भी अतुल्य धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, न कोई सर्वे का डिविजन ही खोलना पड़ेगा। बाकी आफिसरों को थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त राजस्थान कैनाल का प्रश्न भी मेरे सामने है। मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की जो कार्य की प्रगति है और जिसके बारे में डिपार्टमेंट की ओर से आंकड़े दिए गए हैं उनसे मालूम होता है कि हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो एचीवमेंट हमने किया है, जो आंकड़े विभाग ने दिए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि हमारे एचीवमेंट बड़े पूअर हैं। मैं यह निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि डिपार्टमेंट का या सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर या इंजीनियर चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर उनको दिया हुआ काम पूरा नहीं किया जाता है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने डिपाटमेंट के कितने ऑफिसरों को इनएफीसियेंसी की चार्जशीट दी है। आपकी सबसे बढ़ी गल्ती यह है कि जब कोई काम पूरा नहीं होता तो उसके अधिकारी को इनएफीशियेंसी की चार्जशीट नहीं दी जाती, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता कि जो काम तुमको दिया गया था उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? इस तरह से उन पर कोई कण्ट्रोल नही रहता और जो काम पूरा होना चाहिए वह काम भी पूरा नहीं होता। जिसका असर योजनाओं के अन्दर पड़ता है। इसका असर हमारे प्लानिंग पर पड़ता है और जब हमारे प्लानिंग पर असर पड़ता है और उधर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो प्लानिंग और पॉपुलेशन का रेश्यो है उस पर भी असर पड़ता है और इसी से यह हमारे देश में खाद्य समस्या पैदा होती है। मैं अर्ज करूं कि हमारे प्लानिंग में जो इर्रीगेशन प्रोजेक्ट के काम हैं उनके एचीवमेंट पूरे नहीं होते हैं। इसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी स्ट्रिक्ट-

(श्री शिवचरणसिंह)

नेस होनी चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोग यह समझें कि इस काम को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारा जवाब-तलब होगा, हमें जवाब देना पड़ेगा और जिसके ऊपर सीरियस से सीरियस एक्शन भी हो सकता है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं, अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर गम्भीरता से ध्यान दें और जो इरिगेशन की योजनाएं हैं उनकी डिटेल्ड सर्वे करावें और जो एनीकट्स हैं उनको बंधवाने की व्यवस्था करावें तो राजस्थान की जनता को काफी राहत पहुंच सकती है। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष.- श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर ज्यादा समय नहीं लगाया चाहता कि राजस्थान में जहां पर कि सिंचाई क्षेत्रफल बढ़ाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता थी, तीन पंच-वर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद इस क्षेत्र में हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं और मैं इस सम्बन्ध में देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विचार व्यक्त किये है उनसे सहमति प्रगट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान जो विशेष तौर पर अपने खाद्यान्नों के बारे में केवल वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमें इसके ऊपर काबू करना है तो यह आवश्यक हैं कि हम अपनी सिंचाई योजनाओं को प्रॉयरिटी देकर अपना इरीगेटेड एरिया बड़ी तेजी से बढ़ायें। बावजूद बड़े २ प्रोजेक्ट हाथ में लेने के यह अफसोस का मुकाम है कि राजस्थान सरकार उन योजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर सकी है और आज स्थिति यह है कि राजस्थान नहर परि-योजना जिससे कि हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर चलते थे, राजस्थान के भाग्य को पलटने की जिससे उम्मीद रखते थे, आज वही योजना एक कोल्ड स्टोरेज के रूप में रखी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस योजना के प्रथम चरण को ही समाप्त करके आज जो लगभग सारे काम को बन्द किया जाने का गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है, और जैसा कि माननीय भीमसेनजी ने जिक्र किया कि आपने केवल तीन करोड़ का प्रावधान रख कर यह साबित कर दिया है कि अब आगे जो राजस्थान की जनता को भविष्य दिखाया था कि ३६ लाख एकड़ जमीन की इससे सिंचाई होगी, वह सारा का सारा भविष्य एक स्वप्न की सी बात बन कर रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज कितने ही राज्यों से मिल कर यह राजस्थान बना और इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आज यह महसूस करते हैं राजस्थान के लोग कि राजस्थान का विकास उस हद तक तो हो ही नहीं पाया है जिस हद तक कि होना चाहिए था, यह बात तो है ही लेकिन जो तरीका अपनाया गया है उन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, उनको स्वीकृत करने के अन्दर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

संकुचित और क्षेत्रीय भावनाओं को ज्यादा आधार रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का पूरा विकास हो । जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस किस्म के भी हैं, उनका विकास हो ? इसमें मुझे आपत्ति नहीं और यही सही तरीका है विकास होने का, लेकिन यह बात हर्गिज नहीं हो सकती कि जिन क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज न हों और विकास करने के लिए जहां एक क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज का साधन न हों वहां पर भी विकास करने का मौका दिया जाय और जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पूरा मौका न दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज में सिंचाई योजनाओं तक ही सीमित रख कर यह जो भावना हमारे सारे विकास से सम्बन्धित है लेकिन यदि सिंचाई योजना तक ही हम सीमित रखें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि यह बात हर आदमी मानता है कि जहां नदियां हैं वहीं पर नदी घाटी योजनाएं बन सकती हैं; नहरें भी वहीं निकल सकती हैं और इसलिए जहां पर चम्बल है या भाखरा बांध है या राजस्थान कैनाल है जो सतलज से निकली है वहीं पर नहरें निकाली जा सकती हैं । जहां पर नदियां हैं पर नहरें निकल सकती हैं । उसमें यदि कहीं पर इस प्रकार की कोई बात भी न हो और किन्हीं क्षेत्रों में विशेष तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद किन्हीं क्षेत्रों पर विशेष तौर पर रुपया खर्च किया जाता है, और किन्हीं क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज के होते हुए भी उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो मैं यह कहूंगा कि यह डेमोक्रेटिक प्लानिंग नहीं है । यह डेमोक्रेटिक विकास का तरीका नहीं है, यह राजस्थान की जनता में एकता लाने का तरीका नहीं है, और राजस्थान के अन्दर एकताबद्ध विकास का रास्ता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यदि हम आंकड़े देखें, राजस्थान में सिंचाई की योजनाओं पर किस प्रकार से खर्चा किया गया है तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि इसमें यह क्षेत्रीय भावनाएं इस तरह से इस्तेमाल की गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दो बड़े कैनाल प्रोजेक्ट हैं, एक गंगानगर जिले में और एक कोटा-बूंदी में । यदि उनको हम छोड़ दें क्योंकि वहां पर नदियां हैं कैनाल नेचुरली उस एरिया में ही निकल सकती हैं । परन्तु अगर हम राजस्थान में अलग-अलग जिलों पर या अलग-अलग डिविजन्स पर जो खर्चा इस पीरियड में हुआ है उनको देखें तो हम यह पायेंगे कि इन पिछले बीस वर्षों में किन्हीं जिलों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है और किन्हीं पर खर्चा अधिक कर दिया गया है । मैं यह भी जानता हूं कि कुछ जिलों में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वहां पर खर्चा किया जाना चाहिए इससे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन उसमें भी तमाम क्षेत्रों में इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से, मैं कहूं कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तो राजस्थान में जितनी इर्रीगेटेड भूमि थी उसमें सबसे पहला नम्बर गंगानगर का था ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सबसे ज्यादा इर्रीगेटेड लेंड गंगानगर जिले में थी और दूसरा नम्बर था अलवर जिले का सारे राजस्थानके अन्दर इर्रीगेटेड भूमिक हिसाब से। और २० वर्ष के विकास के बाद, बीस वर्ष की हुकूमत के बाद यह स्थिति आज बन गई, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तक एक्सपेंडीचर का सवाल है, खर्च का सवाल है उसमें अलवर जिले का नम्बर २१ वां हैं खर्च के हिसाब से, केवल जालोर, सीकर, झुंझनूं, इस तरह के जिले उससे पीछे हैं और बाकी सब जिले अलवर से आगे हो गये हैं। मैंने सात साल के आंकड़े, उपाध्यक्ष महोदय, इकट्ठे करने की कोशिश की है। दोनों दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष के मुझे आंकड़े मिले हैं बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े सरकार की तरफसे देना बन्द कर दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मौजूद है उसमें डिस्ट्रिक्टवाइज आंकड़े नहीं हैं। इन्हें देखने से पता लगेगा कि इन सात वर्षों में अलवर जिले में केवल ६ लाख ५९ हजार रुपया खर्च हुआ है जब कि यह २१ वें नम्बर पर है। पहले नम्बर पर कोटा, दूसरे पर गंगानगर यह तो हैं ही, फिर उसके बाद तीसरे नम्बर पर उदयपुर आता है, चौथे नम्बर पर भीलवाड़ा आता है, पांचवें नम्बर पर है दूदू और छठे पर चित्तौड़गढ़ आता है। छठे में १ लाख ६४ हजार खर्च हुआ है, भीलवाड़ा में १ करोड़ ३० लाख ४१ हजार और जो छठे नंबर पर चित्तोड़गढ़ है उसमें १ लाख ६७ हजार खर्च हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे के सारे जिले हैं। यह एक ही डिवीजन के अन्दर सारे के सारे जिले स्थित हैं। क्या यह बात वास्तविक है कि अलवर जिले में नेचुरल रिसोंसिज और मीडियम इर्रिगेशन में प्रोग्रेस करने की सम्भावना नहीं है? अगर इस जिले में ज्यादा सम्भावना नहीं थी तो केवल अलवर के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो जब कि एक तरफ आपने सारे डिवीजन को ले लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में इस पीरियड में ३ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च हुआ है। पांच जिलों में वहां, जयपुर के अन्दर आठ जिले हैं उनमें केवल २ करोड़ ४१ लाख ६६ हजार रुपया खर्च हुआ है, जब कि क्षेत्रफल और आबादी को लें तो यह उदयपुर डिवीजन से, उपाध्यक्ष महोदय, कितनी ही गुनी अधिक रखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तोड़गढ में, बांसवाड़ा या डूंगरपुर में रहने वाले भाई हैं, वे भी हमारे भाई हैं और सबका विकास होना चाहिए—इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान को हम साथ लेकर चलें। यहां पर जो सम्भावनायें है, उनको भी आप मौका दें। अगर अलवर में नदी नहीं थीं, जयपुर में नदी नहीं थी तो यहां माइनर इर्रिगेशन के वर्क्स हो सकते हैं। क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यहां पर मीडियम इर्रिगेशन के वर्क्स हो सकते हैं? क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अलवर की साबी नदी की योजना पहली योजना में रखी? उसके लिए आपने ७५ हजार रुपया रखा? वह लेप्स रखा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रुपया रखा वह भी लेप्स रखा। थर्ड फाइव ईअर प्लान में जब फ्लड सेन्टर की तरफ दौड़ा तो १ करोड़ ७३ लाख रुपया की साबी नदी की योजना बनाई। उसके बाद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई: उसका सर्वे हो गया, टेण्डर वगैरह हो गये, फिर आपने उसमें लात मार दी और वह नहीं हुआ। इस बात को देख कर दुःख होता है। जो अलवर सैकिंड नम्बर पर था राजस्थान में मिलने के समय उसको आपने २१वें नम्बर पर पहुंचा दिया है। इस प्रकार से विक्टीमाइज करने की भावना से, बदले की भावना से राजस्थान आगे बढ़ने वाला नहीं है, राजस्थान में एकता पैदा करने वाला नहीं है। इस सदन को अजीब बात लगेगी यदि मैं कहूंगा कि शिक्षा की बात आये तो अलवर के साथ ही इस तरह का भेदभाव क्यों? कृषि की बात के अन्दर अलवर के साथ भेदभाव क्यों? सिंचाई की बात आये तो अलवर के साथ भेदभाव क्यों? हमें यह कहना पड़ेगा कि आखिर अलवर के साथ यह भेदभाव क्यों? आप ठण्डे दिमाग से इस बात पर सोचें। मैं चाहूंगा कि सब जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों पर जो अलग २ खर्चा हुआ है, जिस जिस प्रकार से जिन जिन डिपार्टमेंट से काम चलाये गये हैं, वह सब जानकारी सदन के सामने रखें। आपने इन तीन पंचवर्षीय योजना में यह किया कि इस बात को छुपाने के लिए आपने स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से कह दिया कि जलों के आंकडे मत छापो, यह गलतफहमी पैदा करते हैं, वास्तविक स्थिति सामने रखते हैं। सैकिंड पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट तक तो यह आंकड़े छपते रहे लेकिन थर्ड पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट छपी है उसमें यह आंकड़े गायब हैं। सीधी बात इसमें यह है कि आप असलियत को सामने नहीं आने देते कि यह डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान के आंकड़े हैं, यह स्टेट वाइज प्लान है और सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड प्लान हैं, जो कुछ जगह होते हैं उसको भी जोड़ा जाय तो यह बढ़ कर कहीं और जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह रीजनलिज्म, यह इनइक्वेटेबल डिस्ट्रिब्यूशन के द्वारा कुछ जगह का विकास करना एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है। यह बन्द होना चाहिए। आप राजस्थान का सारे का विकास करके चलें, उसके लिए हम आगे बढ़ें। आप माही योजना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आपने एक ऐलान किया है कि बन गई है। हमें खुशी हुई। मैं चाहूंगा कि आप एलान करें और सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर जोर डालें और विनय करें कि राजस्थान कैनाल को वह अपने हाथ में ले ले। राजस्थान कैनाल का पानी अलवर में नहीं आ सकता, लेकिन मैं यकीन दिलाऊंगा, एक-एक आदमी को अलवर के लोगों को बड़ी खुशी होगी। अगर राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा की कि राजस्थान परियोजना को छोटा नहीं किया जा रहा है और इसको केन्द्रीय सरकार के हम सुपुर्द करेंगे। मैं इतनी ताकत तो नहीं रखता, लेकिन मैं अपोजीशन की तरफ से विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले के अन्दर आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें, उसमें आपकी पार्टी का तो सहयोग होगा ही, पूरे अपोजीशन का भी उसमें आपको समर्थन मिलेगा। आप केन्द्रीय सरकार से कहें, राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है। इसलिए इसको नेशनल पॉइन्ट ऑफ व्यू से, डिफेन्स के व्यू पोइन्ट से और अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इस योजना को बाहर नहीं निकालना चाहिए, और सैन्ट्रल गवर्नमेंट को खुद इसको फाइनेन्स करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस नहर परियोजना को छोड़ने के कारण आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वहां जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके सामने जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह भी एक विशेष स्थिति है । आज, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस योजना के तहत उसको बन्द करके अपने इकोनॉमिक कट के तहत कुल्हाड़ी उन कर्मचारियों पर चलाई है जो इस नहर परियोजना में काम करते हैं। और वैसे तो कल सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि १-१०-६६ के बाद जितने लोग एप्वॉइन्ट हुए है, उन सब लोगों को वहां नौकरी से निकालेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है, एक सीरिअस बात है, और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इस राजस्थान नहर परियोजना में लगे लोगों में १७६६ लोगों की नौकरी टर्मिनेट करने का नोटिस उनको मिला है । १-७-६६ से जिन की नियुक्ति हुई है, १-७-६६ या इसके बाद, उन तमाम लोगों को नौकरी से हटाने का नोटिस मिल चुका है। और कुल ६८२ अफेक्टेड इससे हुए हैं। मैंने इस सम्बन्ध में एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था । माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि उस वक्त न बोल कर कट मोशन के वक्त में, मैं कुछ अधिक समय ले लूं । इसलिए मैं आपसे पांच मिनट और चाहूंगा ताकि इस बात पर तथ्य प्रगट कर दूं ताकि कल सरकार ने....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस तरह समय नहीं बढ़ना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उत्तर देते हुए घोषणा की है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : जितना समय मिला है उसमें ही बोलें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें कहा गया था कि १-१० ६६ के बाद जो लोग नौकरी में लगाये गये हैं उनको निकाला जायगा और पहले वालों को नहीं निकाला जायगा । मैं सिंचाई मन्त्री से यह पूछना चाहूंगा कि फिर इस नहर परियोजना के अन्दर यह भेदभाव क्यों बरता गया ? यह सरकार को नीति से असंगत बात क्यों है कि वहां १-७-६६ को नियुक्त सब लोगों को नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया गया है. पर कल अपने स्टेटमेंट में योजना मन्त्री ने यह भी कहा—यह लोग जो निकाले जा रहे हैं वह उन लोगों की जगह, जो ५५ साल के होने पर रिटायर हो रहे हैं, रख लिये जायेंगे, उनकी जगह पर इन लोगों को रख लिया जायगा । यदि वास्तविकता यह है तो मैं आपके जरिये यह कहना चाहूंगा, फिर तो गलत प्लानिंग आपका है । आपको अन्दाज लगाना चाहिए कि ५५ साल की उम्र में रिटायर होने वाले कितने लोग हैं । आपने घोषणा की है वह नौ हजार के करीब कर्मचारी होंगे । फिर तो कोई वजह नहीं है कि यह लोग निकाले जायं, क्योंकि १-७-६६ को और १-१०-६६ को नौकरी में लगे-वह सात हजार लोग उसमें एब्जॉर्ब-हो जायेंगे। जब तक इस का पूरी तरह से जायजा नहीं लगा लें............

(४ म० प०)

किसी को नौकरी पर से नहीं हटाया जाए । किसी की रोटी पर लात नहीं मारें । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नोटिस निकाला है उसको आप विधड़ा करें और जब तक कि पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट से आपके पास पूरे आंकड़े न आजावें कि कितने लोग रिटायर होने वाले हैं.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं अन्त में यही कहूंगा कि पहले इस तरह के कई निर्णय लिये हैं जिसमें सर्विसेज पर इफेक्ट पड़ा है । किसी एक भी कर्मचारी को काम से अलग नहीं किया जावेगा । उनको अनएम्पलॉयड नहीं रखा जावेगा । इस पद पर नहीं रहें तो किसी दूसरे पद में एब्जॉर्ब किया जावेगा । आज जिस तरह की महंगाई है उसको देखते हुए किसी नौजवान को रोजगार से निकालना यह सोशियलिज्म की दिशा नहीं है । लोगों निकम्मा बनाना, यह अच्छी सरकार का काम नहीं है । यह निकम्मी सरकार की दशा हो सकती है । इसलिये में निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री आप इन तमाम लोगों को जिनको आपने सर्विसेज टर्मानेट के नोटिस निकाले हैं उसको विधड़ा करें और दुबारा जारी नहीं करें जब तक आपके पास ५५ वर्षों पर रिटायर होनेवालों की पूरी लिस्ट नहीं आजावे और जिनको आपने सरप्लस डिक्लेअर कर दिया तो उसको गवर्नमेंट किसी न किसी जॉबमें ऐब्जॉर्ब करें । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कितने ही हजार लोग इससे इफेक्टेड होने वाले हैं और उससे लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन में असर पड़ने वाला है ।

इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री केदारनाथ : (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे मन्त्रीजी के समाने अपना एक निवेदन पेश करना चाहता हूं । जो पोर्टफोलियो हमारे मन्त्री महोदय ने लिया है पॉवर एण्ड इरिगेशन, इनको अच्छी तरह से संभालने की जरूरत है और, इसमें बहुत पॉलिटिकल इनसाइट की जरूरत है और यह बात सही है कि इसमें बहुत हार्डशिप और विकास की बातें आपके समाने आवेंगी । अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आज जो डिस्प्यूट हरियाणा के साथ है, जो हमारे मसले पंजाब के साथ हैं, कुछ गवर्नमेंट के साथ हैं, फेल रहे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ।

मान्यवर, राजस्थान कैनाल के बारे में मेरे से पहले बोलने वालों ने कुछ कहा और मैं भी उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान का पोलिटिकल इनडिसइज्ड प्रिविलेजड इसके बारे में रहा । जब इस हाउस में यह कहा गया कि यह राजस्थान कैनाल के बारे में पर फुटिंग पर हम इसमें विकास का काम करेंगे । मैंने राज्यपाल के एड्रेस को देखा । सन् ६५ के राज्यपाल के एड्रेस में सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम की बात मानेंगे यह बताया गया । उसके बाद कई बार माननीय मुख्य मन्त्री ने स्टेटमेंट दिये मीटिंगों में कि यह सारी चीजें तय हो गई है । उन्होंने एश्योरेन्सेज दिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि वह प्रिविलेज चाइल्ड निग्लेक्टेड बन गया । राजस्थान विकास के लिये आप ३ करोड़ रुपये लाये और वहां राजस्थान कैनाल पर करोड़ों रुपयों की मशीनरी है । जहां पर पानी का युटीलाइजेशन होता नहीं । पानी का फिकर करते नहीं । रिटर्न ऑफ एलॉटमेंट का प्रश्न नहीं । मैं आपका स्वागत करता अगर आप

(श्री केदारनाथ)

कॉलोनाइजेशन स्कीम करते। अगर आप ध्यान देते तो राजस्थान ५ लाख की सीढ़ी पर होता। आप ताज्जुब करेंगे कि काफी अनएम्पलॉयमेंट दूर होता और हमारे फेमिन के काम कितने कम होते? फार्मर की पर्चेजिंग पॉवर बढ़ती। मगर हमारे राजस्थान की सारी मशीनरी फेल रही है। रूरल इकोनॉमी, फाइनेन्शियल कन्डीशन्स या और कोई क्या हिन्डरेन्सेज ऐसी थी कि जिसके कारण यह ऐसा नहीं माना जा सका। मैं आपके मारफत निवेदन करूंगा कि अगर राजस्थान को पोलिटिकल हार्डशिप या और किसी कन्डीशन के कारण आप ईल्ड करें तो राजस्थान के लोग माफ नहीं करेंगे। गंगानगर इस बात का फैसला कर बैठा है कि हम एजिटेशन करेंगे डेमोक्रेटिक तरीकों से और अपनी बात को नहीं भूलने देंगे। दो साल पहले आपके प्रेडिसेसर ने एश्योरेन्स दिया था। छोड़िये पाकिस्तान की बात को। सन् ७१ में उनके साथ एग्रीमेंट समाप्त होगा। मैं यह कहूंगा कि आपने पहले ही दस्तखत कर दिये। आपने किसी से पूछा तक नहीं एग्रीमेंट पर। जब ट्रीटी होती है तो आपने दस्तखत कर दिये। गंगानगर ने सब कुछ आपको दिया। इरिगेशन लेन्ड थी उसको आप भूल बैठे हैं? मालूम नहीं क्यों। मैं यह कहूंगा कि वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आकर आयन्दा इस ट्रीटी को एक्सटेन्ड मत करना। पाकिस्तान की बात मैं नहीं कहता। आज पंजाब हमारा पानी पूरा शेअर नहीं देता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी मीटिंग होती है तो उसमें हमारे एग्जिक्यूटिव इंजीनियर भी जाये और उसमें भाग लें और हमको हमारा शेअर मिलने के लिये कहें ताकि सही पानी का बंटवारा हो जावे और हमें पूरा पानी सके। मगर यह सारी बातें करने की फुर्सत किसको है? कौन पंजाब जावे और उनको कहे और मैटर को परश्यू करे। इतनी यहां किसको फुर्सत है? मैं यह चाहता था कि आप इसमें पहल कदमी दिखाते। आज हरियाणा का झगड़ा भाखरा का है उसमें हमारा १५ परसेन्ट का शेअर है मगर वे हमें १० या ११ परसेन्ट के बीच में पानी देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा टारगेट पोइन्ट है उसके अनुसार हमको शेअर दो। इस तरफ भी आपको ध्यान देने होगा। अगर आप अपनी काश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पानी बढ़ाना होगा। जिस एक हजार एकड़ लेन्ड को दो क्यूसेक पानी देते हैं पानी बढ़ने से उनको तीन क्यूसेक पानी मिल सकेगा और जब पानी ज्यादा मिलेगा तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा और हमारा कमान्डेड एरिया है वह भी एक्सटेन्ड होगा।

अब मैं गंग केनाल के बारे में कहना चाहता हूं कि गंग केनाल की ऐसी हालत बन गई है कि वहां पर हमेशा डिसप्यूट्स रहते हैं। जो डेवलप्ड एरिया है वह प्लानिंग की प्रायोरिटीज में चलाया जाए उसको मैं चैलेंज नहीं करना चाहता, और उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मगर वहां पर जो इरिगेटेड एरिया है और डजर्ट रया है [illegible] में चलाना होगा। आज ऐसी स्कीम हमें एडॉप्ट नहीं करनी है जिससे उसकी पर एकड़ ईल्ड कम हो जाये। उनको पानी ट्यूब वेल्स से या अन्य किसी बड़े-बड़े बान्धों से मिले यह

(श्री केदारनाथ)

आप एटीच्यूड तय कर ली दीजिये । अगर आपके समझ में आता हो तो नेशनल पेटर्न रख ली लीजिये । आज वहां पर ड्रेनेज एक्ट में नित नई डिफिकल्टीज और कन्डीसन्स पैदा होती जा रही हैं । आप उसके लिये कोई एमेन्डमेंट पेश कर दें तो अच्छा होगा । इस एक्ट में वाटर वर्क्स के फैसले के खिलाफ अपील सुनाने का आपको कोई हक नहीं है, मगर आपने रूल्स ऐसे बनाये हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आप दे सकते हैं । मैं इस सिद्धान्त का नहीं हूं कि किसी ऑफिसर से पॉवर छीना जावे । आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स अपने हाथ लेवें, मगर कानून के अनुसार आपको रिव्यू और अपील उनके सुनने का हक नहीं है और आपको रिव्यू और अपील सुनने के अधिकार नहीं होते हुए भी आप टेम्पर करते हैं और डिस्टर्ब करते ही हैं । आप अफसरों को पॉवर कम दीजिये और अपने हाथ में पॉवर्स लीजिये हमें कोई एतराज नहीं है आप नॉरमल तरीकों से पॉवर लें ।

तीसरा बात गंग कैनाल का एरिया, ओरिजनल प्लान में भाखरा का कमान्डेड एरिया था, वह कम हो गया । मैं इसके लिये सबमिशन करना चाहता हूं कि वे सारे के सारे कार्य नेशनल झोन में हों । पानी लगता था नेचुरल फ्लोलाइन वह अब भी लग सकता है । आज भाखरा में २२००, २३०० एकड़ भूमि है आहिस्ता-आहिस्ता जब पानी का शेयर मिलेगा, जो कमान्डेड एरिया है, किसानों ने उसके लिये पैसे दे दिये हैं पर वे पेपर नहीं हैं, उन सब के राइट रेस्टोर कर दें ।

आज आपका स्टेटमेंट होना चाहिये कि उस एरिया को पानी दे दें । इसके अलावा दूसरी बातों के बारे में और न कहते हुए अगर माइनर इरिगेशन पर राज्य ने खर्चा किया उस पर थोड़ा सा विचार किया जाय कि कौनसी स्कीम्स हैं ? भारत सेवक समाज की तरफ से यह वर्क करवाया गया, समाज-कल्याण की मारफत यह कार्य करवाया गया । जो पब्लिक एजेंसीज है, मैं मानता हूं कि उनकी मार्फत स्कीम चालू हों काम चालू हों पर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उस रुपये का गलत इस्तेमाल हो । अगर लिफ्ट इरिगेशन पर यह खर्चा करते तो लाखों एकड़ जमीन का एरिगेशन बढ़ता और हमारे यहां कृषि की पैदावार बढ़ती ।

और कई मसले हैं, व्यास का झगड़ा चल रहा है, हमारे शेयर्स का खर्चा तय हो गया ५२ हमारा और ४८ पंजाब का पर, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा सके । हमारी इन्डिसाइज्ड लीडरशिप इतनी कमजोर है कि सैन्टर से इन्टर स्टेट मसले तय नहीं करा पाते ।

मैं आपको राजस्थान कैनाल के सवाल के बारे में, ओवरसियरों के बारे में यह कहूं कि दो साल पहले आप कहते थे कि हमें टेक्निकल हैंड्स नहीं मिलते, अब आप इनको निकाल कर टेक्निकल जीनियस को मार रहे हैं । दो साल से पोली टेक्निक स्टुडेन्ट्स निकले हैं, इन्जीनियर कालेजों से निकले हैं, उनकी आप एब्जोब नहीं कर पाये । आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, यह प्लानिंग आपके पास होना चाहिये कि कहां कितने निकलते हैं, कितने को एब्जार्ब कर पाते हैं किसानों को एब्जार्ब नहीं कर पाते कितनों को निकालते हैं,

(श्री केदारनाथ)

पर यह कुछ भी आपको मालूम नहीं। कितने आपको टेक्निकल परसोनल चाहिये यह आपके पास नहीं तो आप में लीडरशिप नहीं है ।

इन बातों का आप जवाब देंगे इस आशा के साथ में अपना कट मोशन रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजवल्लभ बोहरा !

श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां आलनियां और चम्बल दो नहरें चलती हैं । इस कट मोशन के जरिये में सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जब नहरों की खुदाई का काम चालू हुआ तो हमने सोचा था कि हमारे यहां हमें दो-तीन फसलें करने का मौका मिलेगा पर हमारे वे स्वप्न, स्वप्न-मात्र ही रह गये और आशा निराशा के रूप में परिवर्तित हो गई । ज्योंही नहरों का पानी चला सीपेज की समस्या खड़ी हो गई । नालों स पानी इतना बहने लगा कि सब रास्ते खराब हो गये और इस वजह से किसानों के खेती में खाद और बीज ले जाने के रास्ते बन्द हो गये । वहां माइनर, सब-माइनर बने उनके ऊपर फाल, प्रेस लेटर ऐसे लगाये कि किसान जहां से पानी लेना चाहता था वहां से पानी नहीं ले सका । खेतों के क्षेत्रफल को नहीं देखा और पाइप छोटे लगाये हैं ताकि किसान आपस में लड़ते ही रहें और अपने खेतों में पानी नहीं दे सकें । पानी चला तो इस तरह चला कि खेतों की सीप इतनी बढ़ गई है कि वाटर लेवल बढ़ गया, उससे कीचड़ पैदा हो गया, इससे सब खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो गई । किसानों को आशा थी कि नहरों से अपनी जमीन को सिंचित करके पैदायश को बढ़ायेंगे, खूब पैसा कमायेंगे और आराम से जिन्दगी बसर करेंगे, पर सब बातें विपरीत हो गईं ।

जब पानी देने का समय आता है तो वह अक्टोबर में आता है, पर कर्मचारी नवम्बर में पिलाई कराते हैं, इससे गेहूं बोने के समय में देरी हो जाती है और फसल के पकने के समय में पानी बन्द कर देते हैं । बीच में पानी जो देते हैं उसके लिये तारीखें निश्चित कर देते हैं कि यहां १० तारीख को देंगे, वहां २० तारीख को देंगे, इस तरह तारीखें नियत कर देते हैं, उन नियत तारीखों में जिनको पानी मिल जाय वहां वहां वाह वाह और जिसको नहीं मिला वह यों ही रह जाता है । पीछे ही पीछे जिनके खेत होते हैं उनके खेतों में पानी पहुंच ही नहीं पाता है और पानी देना बन्द कर दिया जाता है, इस तरह से वे गरीब लोग बरबाद हो जाते हैं ।

इन लोगों ने खेतों से माल लाने ले जाने के रास्ते भी बन्द कर दिये हैं । पुलिये नहीं होने से नहरों की मैन सड़क पर से माल लाना चाहते हैं तो कहते हैं कि यह नहर की मैन सड़क हमारे लिये है न कि तुम्हारे लिये ।

आलनियां नहर के पूर्व और पश्चिम दो तरफ पानी जाता है । पानी छोड़ते हैं तो प्रधान साहब सारा पानी लेकर बैठ जाते हैं । जब किसान उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग तो मिट्टी खोद करके पेट भर लोगे पर मैं तो यह करने से रहा । जामपुरा, रामनगर वालों को पानी बिलकुल

(श्री बृजबल्लभ बोहरा)

नहीं मिलता है, वे लोग मक्का वगैरह बोते हैं तो वह सूख जाती है। किसान लोग एक-एक, दो दो, पांच-पांच, दस-दस बीघा में खेती बोते हैं उनको पानी नहीं दिया जाता है, और उनके बिलकुल पैदायश नहीं होती वहां दूसरी ओर प्रधान लाख मन चावल पैदा कर लेता है। किसान पानी के लिये तरसते ही रह जाते हैं और प्रधानजी सारा पानी ले लेते हैं। उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो उच्च अधिकारी भी प्रधान की बात सुनते उन गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। गत वर्ष किसान लोग प्रधान के पास गये। अधिकारियों के पास गये पर उनको पानी नहीं मिला, चने की खेती करने के लिये भी उनको पानी नहीं दिया गया। कहीं दिया भी गया तो नवम्बर के आखिरी सप्ताह में पानी दिया, गया, दिसम्बर में गेहूं बोये तो एक दो पिलाव का पानी देकर बन्द कर दिया इसके परिणाम स्वरूप जहां १० मन फी बीघा की आस लगाये बैठे थे वहां वे अपने खेतों में पानी न मिलने के कारण आधा मन फी बीघा भी पैदा नहीं कर सके। उधर लेवी के लिये कहते हैं कि डेढ़ मन बीघा के हिसाब से लेवी लेंगे, जब उनके खेतों में आधा मन बीघा भी पैदा नहीं हुआ तो डेढ़ मन बीघा कहां से देंगे? किसानों की जगह शहरों की जनता होती तो आपका ध्यान उधर गया होता। बड़े बड़े नेता उनकी बात मान लेते पर किसानों की बात मानने वाला कोई नहीं है। सरकार रोज-रोज चिल्लाती है, बड़ी-बड़ी बातें करती है कि हम किसानों का भला करेंगे, पर किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। किसान कहीं मालदार नहीं हुआ है। किसान की इतनी शक्ति हुई है कि पहनने को कपड़ा मिला। जो किसान पहले १ हजार कर्जदार था वह आज १० हजार का कर्जदार हो गया है, इस तरह से किसान की कर्जदारी बढ़ी है, पहनने को कपड़ा जरूर मिला है। किसानों की आज कितनी तकलीफें हैं, वाटर लेवल बढ़ा है, सीपेज की समस्या है, उसके लिये ऐसे उपाय किये जायं कि सीपेज मिटे, रास्ते खराब हैं तो सम्बन्धित अफसरों को कहा जाय कि उन रास्तों को ठीक किया जाय। नाले, पुलिये आदि बनवाये जायं।

आलनियां नहर एक छोटी सी नहर है, सबको अनुपात से पानी दिया जावे, उन गरीबों को पहले पानी दिया जाय जो इस पर ही निर्भर हैं।

इसके अतिरिक्त जो पानी की लगान है हमारे इलाके में चाही की अलग होती है। कोरी जमीन पर पानी पिलाते हैं इसलिए ४ रुपया लिया जाता। जो पहले से सिचाई होती थी उस पर नहर का ८ रुपए और कुएं का ८ रु० इस तरह से ८ रुपए बीघा किसान पर होता है। इसमें समानता होनी चाहिए। बारानी जमीन की लगान की दर वही जमीन को पानी पिलाने के बाद होनी चाहिए जो नहर की सिंचित एरिया में आती है।

इसके अतिरिक्त उन किसानों से पानी की जो रेट बढ़ाई है वह नहीं बढ़ानी चाहिए।

श्री आलम अली (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं सीकर जिले में सिचाई और कुओं में ट्यूब वेल्स लगवाने के लिए। केन्द्रीय सरकार और

(श्री आलमअली)

राजस्थान सरकार एक दिन हाकों करें वह कौन सो दिन चुनाव को। बिजली दी जायगी कुओं के वास्ते नहर लाई जायगी, एक दिन जियां बरसाती मेंढक बरसात बरसताई ड्रडों डरडोबोलनों शुरू करें बीं भांति सरकार चुनाव के दिनों में मेंढकें की तरह करें। चुनाव के बादमें पतो कोना चाले कि कुणसी स्कीम है। आजादी से पहला लीडर भाषण दिया करता, जागीरदार राजा महाराजा जमीन को लगान ले तो बीज को दोनों कने बिको ले सके हैं। दोनों साइड में बिको नहीं लेनों चाहे तो भी पैदावार कोन बढ़ै। बेई लीडर आज जागीरदार और राजा महाराजा और करोड़पतियों से आगे निकल गया।

श्री मूलचन्द डागा : दुभाषिया रखना चाहिए। नहीं तो समझ में नहीं आता।

श्री आलम अली : सीकर जिले में पानी बहुत मीठा है। एक प्लान के सगे कुआं बनाके बिजली दी जाय और ट्यूब वेल्स पूरे कुओं में लगाई जाय। सीकर और झुंझुनूं जिलों अनाज और जवान दोनों देने लाग जाओ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कट मोशन क्या है ?

श्री आलम अली : सिंचाई का है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : समझने की कोशिश कीजिए।

श्री आलम अली : आप लोगों को सुनने की आदत नहीं तो अपना कान बन्द रखें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बोलियां जा ये सुनने का आदी नहीं हैं।

श्री आलम अली : एक साथ नहीं कर सकों पूरा जिला का काम तो २०-३० गांवों में पानी पीने का कुंआ और सींचने का कुंआ एक ही बनाया जाय। ताकि रकम जेको ज्यादा खर्च होवे वह न होवे और किसान ने भी फायदों होवे और राज्य को भी फायदों होवे। आपके लीडर कहा करता आजादी कूं पहले एक धुआं टैक्स जागीर-दार मामूली लोगों से लिया करता तो भी विरोध करता और आज बेमुरव्वाद टैक्स सरचार्ज और लेवी के नामों से किसान पर लादा जायरिया है।

एक ऊंट पर ४-५ मन की छांटी लगेगी और दूसरी ५ मन की और लादो तो १० मन बजन होता है। ऊंट चाल नहीं सकेगो। काश्तकार ऊंट की भांति काश्तकार हमेशा टैक्स अस्थाई जमीन को देतो आवे। ऊंट पर बजन भारी होने सेईं भांति काश्तकार पर टैक्सों को बोझ भारी पड़ेगो। काश्तकार न जवान दे सकेगो लड़ने के वास्ते न अन्न दे सकेगो। आप किसान ने टैक्स लगा के झूठा टैक्स लगाके सिंचाई का साधन न देके काश्तकार को दरोगो बनाना चाहो हो हमेशा थारी जी हुजूरी करे सरकार की हाथ फैलाकर मांगने जिस्यों रहे।

गांव में एक बड़ो चौधरी होवे बीका मोकला ठिकाना हा बीके लड़के को ब्याह हो। ढाढीने न्योतन बांटन दूर-दूर के ठिकानों में भेजे। ढाढी चालतो चालतो थक गयो और एक दरखत की छाया में बैठो। पर-मात्मा को कहतो तू ही परमात्मा हो तो मेरे खातिर सवारी भेज। इते में एक थाने-दार आ गयो घोड़ी पर चढ़यो। घोड़ी की

(श्री आलमअली)

सुबर बां क्या पड़ी । ढाढी ने बुलाया । यहां आओ कौन हो तुम, वह कहे अनदाता में तो ढाढी हूं । थानेदार बोले ये बछेरा उठाओ इसको थाने में ले चलो । ढाढी बछेरा उठा लियो कंधे पर और परमात्मा ने कहने लागो कि परमात्मा तू न्याय करन वालो तो को नी ईन्याई हीं । सवारी मांगी चढ़न ने भेज दी पर उल्टी भेज दी । चढ़ू हो मैं, चढ़ बैठी मेरे पर । आजादी मांगी आजादी आई लेकिन उल्टी आई । किसान और मजदूर पर करोड़पति चढ़ बैठो ।

मैं निवेदन करूं कि बावरी एक हिरन पाले वह हिरन के वास्ते नहीं पाले आपको पेट भरन पाले । किसान बो साइड में सत्ता साइड में वे दिखावती बावरी के हिरन के पालतू हिरन को काम करे । गरबो मत । सन् १९५२ में बराबर हां और बीच में भी एक दो का फर्क था । अब की बार विरोधी दल आगे निकलियो पर बुरे हथकंडा सूं थे थांरों राज्य बनायो है । आई हालत थारी रही तो अंग्रेज और राजा महाराजा जूं उड़ता नजर आया जूं थें भी उड़ता नजर आओगा ।

पण बराबर से आगे निकल गया । और अब कई भाई जी ब्याज की बात सोचे हैं । काश्तकार भी स्याणा हो गया । ब्याज की बात नी सिंचाई को बात करो और सीकर और झुंझुनूं इलाके में आपने दावा के साथ कहूं कि सबां ने एक साथ प्लान में लाणा है तो आप ई इलाका ने पूरा पाणी और बिजली सप्लाई करो । आपने यों इलाकों भरपूर अनाज और जवान सप्लाई करेगा। अब आपका झूंठा आंकड़ों पर विश्वास नी है । सांचा आंकड़ा म्हांके सामने आवेगा तो किसान और जवान मानेगा । आज तक भुलावा में रहया आंकड़ा सुण्या करया । आशा लगाय रखी । किसान समझया सिंचाई को साधन मिलेगा, दूसरी बातों को साधन मिलेगा वो न मिल्यो उल्टो मिल गयो । चढवो चाहयो ढाढी और चढ़ बैठी घोड़ली । 'आशा लगाय रखी अनाज मिलेगा जवानों ने कमजोर कर दिया । अमरीका सूं भीख मांग कर सिंचाई का साधन न कर बढ़िया अनाज आदि सप्लाई न कर जवानां ने कमजोर कर दिया । उपाध्यक्ष महोदय, हूं आपने आपका माध्यम से कहेबो चाहूं परमात्मा को प्रकोप नहीं है, सेक्रेरियेट को प्रकोप है । सेक्रेटेरियेट में बैठवा वाला खर्चा कम कर दे दूसरे साल उत्पादन बढकर दुनिया ने अनाज सप्लाई कर सका हां ।

(समय समप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय. सीकर जिले सारी एक बात बताऊं । मन्त्री जी ने थोड़े सो खटको लागे तो सीकर जिला में सांकड़े की नहर निकली तो सीकर की तरफ ऊंने कर दें । आन्दोलन में भाग लिया । गरीबी का मिटवारा वास्ते लम्बा चौड़ा भाषण दिया कहया म्हां लीडर हां । आज सब उल्टो हो गयो । मैं टूटा फूटा लब्जा मां देशी भाषा में बात रखी । अब मूं आपकी जगह बैठूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोतीलाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री विट्ठल प्रसाद !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण !

श्री रामनारायण (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । झुंझुनू जिले के सिंचाई साधनों के बारे में, इन प्रस्तावों द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव झुंझुनू जिले की काटली नदी के बारे में है । झुंझुनूं जिले में काटली नामक बहुत बड़ी नदी है और काफी तादाद में पानी आता है । बरसात के दिनों में वह नदी भयंकर रूप से आती है और बड़ी तादाद में अपने साथ पानी लाती है, खड़ी फसल और गांवों को नुकसान पहुंचाती है । जयपुर स्टेट के जमाने में काटली नदी पर बांध बांधने की योजना थी और उस योजना का सर्वे भी हुआ था । सर्वे होने के बाद जमीन एक्वायर करने के नोटिसेज भी जारी हुए थे और एक बड़ी योजना तैयार करदी गयी । उसके बाद जब से राजस्थान बना है उस योजना के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि यह योजना बनवा दी जाय तो बहुत बड़ी तादाद में सिंचाई के साधन काश्तकारों को उपलब्ध होंगे । पानी की सुविधा तो मिलेगी ही । इसके साथ साथ काटली नदी जो बड़े व्यापक रूप में बहती है, काफ़ी हजारों एकड़ जमीन को बेकार बना रखा है वह जमीन भी काश्त के काम आवेगी । उस बांध के बन जाने से झुंझुनूं जिले के काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी तो मिलेगा ही लेकिन काश्त करने के अतिरिक्त भूमि भी किसानों के लिये उपलब्ध होगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तीसरा लाभ और होगा उस बांध के बन जाने से और वह यह होगा कि उस इलाकेमें खेतड़ी के आस पास में कुओं के पानी का जो लेवल है वह भी अपनी जगह कायम रहेगा और पानी का लेवल ऊपर आवेगा । इस समय क्षेत्र में पीने के पानी की भी एक बड़ी समस्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित होने वाली है । सिंचाई के कुओं के पानी का तो लेवल नीचा जावेगा ही लेकिन पीने का पानी का लेवल भी नीचे जा नेकी आशंका पैदा हो गई है । वह कैसे ? उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे खेतड़ी में एक बहुत बड़ा कॉपर प्रोजेक्ट है । और बड़े भारी पैमाने पर वहां काम शुरू है । उस कॉपर प्रोजेक्ट पर बड़ी भारी तादाद में पानी की आवश्यकता है । खेतड़ी के आस पास उनको पानी की पूर्ति होना मुश्किल हो रहा है इसलिये वहां के अधिकारियों ने दलेलपुरा, पदेवा आदि गांवों के पास पास खेतड़ी के पास में ट्यूब वेल लगा कर नीचे से पानी खींचा है । तो नीचे से पानी खींचने के कारण क्या हुआ कि २४ घंटों के बाद कुओं के पानी का लेवल ८. ८ फीट नीचे चला गया । यदि लगातार उस तरह पानी खींचा जाता रहा तो इस बात की आशंका है कि वहां के जो सिंचाई के कुए हैं उनके पानी का लेवल तो नीचे चला ही जावेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन पीने के पानी की भी कठिन समस्या पैदा हो जावेगी । इस कटौती प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार के यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि इस बांध को बंधवा दिया जाय तोउस क्षेत्र के पानी का लेवल जहां कायम है वहां कायम रहेगा और उस कॉपर प्रोजेक्ट के लिये

(श्री रामनारायण)

पानी की आवश्यकता होगी वह भी उस बांध में से दिया जा सकेगा। यह मेरा कटौती प्रस्ताव है और इसके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर मैंने खींचा है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है झुंझुनूं जिले में लघु सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के बारे में। झुंझुनूं जिले में कोई बड़ी नहर आदि की योजना नहीं है। झुंझुनूं जिला राजस्थान का एक प्रगतिशील जिला कहा जा सकता है जिसके तथ्य हैं, उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले की आबादी ७.१९ हजार है। झुंझुनूं जिला राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के विकास में हिस्सा लेता रहा है। सब जिले लेते रहे हैं वैसे, लेकिन जिस जिले से मैं आरहा हूं उसकी विशेषता भी है, उपाध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि हमारा जिला राजस्थान में अल्प बचत योजना के अन्दर एक अजब जिला है और राजस्थान को प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ रुपया सालाना देता है। कभी ९९लाख तो कभी ९८ लाख और कभी ११० लाख तो कभी ११५ लाख, बराबर यह स्थिति हमारी रहती आई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और इस तरह से इस अल्प बचत के क्षेत्र में हम अग्रणी रहे हैं।

खेती के मामलों में भी हम पूरे सक्षम हैं। यदि सिंचाई के साधन हमें मुहय्या कर दिये जावें तो हम सिंचाई के मामले में भी आपको अच्छी प्रगति करके दिखा सकते हैं।

लघु सिंचाई योजना में मेरा सुझाव है कि कुएं बनाने के लिये सुविधाएं हमें दी जावें।

आपको मालूम है उपाध्यक्ष महोदय, कि झुंझुनूं जिले में हमेशा अकाल की छाया रहती है और लाखों की तादाद में राजस्थान सरकार को वहां रुपया खर्च करना पड़ता है। अनाज पहुंचाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिये सिंचाई के साधन बढ़ाये जावें और सिंचाई के लिये कुओं के बनाने के लिये ऋण दिया जावे। तकावी भी दी जावे और सबसिडी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जावे।

एक योजना, उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारी जिला परिषद् की मार्फत राज सरकार के पास भेजी थी जिसमें हमने यह सुझाव दिया था कि एक हजार की सबसिडी प्रति कुवे के हिसाब से दिया जावे। उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव, उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में ग्राम सिंचाई के बारे में है। करीब दो वर्ष पहले की बात है मुख्यमन्त्री महोदय झुंझुनूं से होते हुए रात की गाड़ी से दिल्ली पधार रहे थे। उस समय उनके मन्त्री मण्डल के वरिष्ठ सदस्य भी उनके साथ थे। झुंझुनूं स्टेशन पर मुख्य मंत्री महोदय ने झुंझुनूं जिले के जो लोग उनके स्वागत में आये हुए थे उनको आशीर्वाद दिया था कि वह दिन दूर नहीं है कि जब झुंझुनूं जिले को भी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

वह क्या योजना थी, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को मालूम नहीं, पर कितनी तादाद में

(श्री रामनारायण)
कितने क्यूसेक पानी देने की बात थी वह बताई थी और वह योजना नसावड़ा नामक नाला है उससे झुन्झुनू जिले को पानी देने की बात थी।

उसके बारे में, मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । और निवेदन करूगा कि हमें सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जावें ताकि हम भी आपके राजस्थान के अन्न-उत्पादन प्रोग्राम में बराबर का हिस्सा ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सिंचाई मन्त्री।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई से सम्बन्धित मांगों के सिलसिले में इस सदन के माननीय सदस्यों ने आज कटौती प्रस्तावों के जरिये अपने विचार व्यक्त किये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं अथवा जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन सबके बारे में चाहे कहा गया हो अथवा नहीं कहा गया हो मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उन सबकी ओर उचित ध्यान देगी और जो कुछ भी सम्भव है उस ओर किया जावेगा।

मैं प्रारम्भ में कुछ मुख्य मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो मुद्दे यहां खड़े किये गये हैं उनके बारे में दो तीन बातें मुझे कहनी हैं।

एक तो यह कि कुओं से जो सिंचाई होती है वह सिंचाई इस विभाग के तहत नहीं है। वह कृषि-विभाग से सम्बन्धित है। अतएव जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये है, चाहे ट्यूब वैल के जरिये सिंचाई की बात हो, अथवा दूसरे जरियों से होवे, उनसे सिंचाई जरूर होती है, किन्तु मैं तत्काल में उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकूंगा, अलबत्ता मैं उनकी भावनाओं को कृषि मन्त्रीजी तक पहुँचा दूंगा।

ठीक उसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने सिंचाई योजनाओं की तहत कॉलोनाइजेशन से सम्बन्धित कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है वैसे कॉलोनाइजेशन सिंचाई योजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों के अन्दर है किन्तु फिर भी दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं और दोनों अलग-अलग विभागों के द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान कॉलोनाइजेशन के द्वारा ही हो सकता है जिसमें एलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड, लैण्ड का डेवलपमेंट और दूसरी सारी समस्याएं आती हैं।

इसलिए जो भावनाए उन विभागों के समबन्ध में व्यक्त की गई हैं उनको भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो कॉलोनाइजेशन से सम्बन्धित हैं, उन माननीय मन्त्रीजी को पहुँचा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि आज हम हैं, विदित है कि यह विभिन्न रियासतों से मिलकर एक प्रदेश बना और यदि मैं भूलता नहीं हूं तो प्रारम्भ में ईरिगेशन नाम का विभाग यहां नहीं था। वह बिल्डिंग और रोड्स विभाग के तहत ही अपना काम करता था।

हमारे लिये यह खुशी की बात है कि राजस्थान बनने के बाद में सिंचाई का महकमा अलग से बना और उस विभाग ने इस हद तक डेवलप किया कि उसने बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाओं को हैंडल किया। आज हमारे इन्जीनियरों के लिये और राजस्थान के निवासियों के लिये यह गौरव की बात है कि राजस्थान के इन्जीनियरों ने, चम्बल जैसे बड़े नदी घाटी बान्धों की योजनाओं क

(श्री हरिदेव जोशी)

मल्टी-परपज योजना है, स्वयं ने पूरा किया। इस दृष्टि से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक नये राज्य के लिये यह क्रेडिट की बात है कि उसके अन्दर इतनी पोटेन्शियेलिटी की क्षमता है और राज्य सरकार स्वयंमेव इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले सकी। राजस्थान के अन्दर अगर हम राजस्थान बनने के पहले के आंकड़ों को देखें तो निरन्तर सिंचाई के क्षेत्र में विकास हुआ है।

अभी माननीय सदस्यों ने कई स्थानों के बारे में कहा कि हमारी अमुक योजना बननी चाहिये, हमारा अमुक बांध बनना चाहिये, अमुक कार्य अपूर्ण है वह पूर्ण होना चाहिये, मैं मानता हूं कि सिचाई एक ऐसा काम है जिसको जितना शीघ्र किया जा सके, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। अगर हम पांच साल के काम को दो साल में या तीन साल में पूरा करते हैं तो राष्ट्र के एक बहुत बड़े काम की हम पूर्ति करते हैं। इस दृष्टि से सिंचाई योजनाओं की किसी कदर भी अहमियत कम नहीं आंकी जा सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना कहता हूं कि यदि वे इन आंकड़ों की ओर अपना ध्यान देंगे तो वे यह पावेंगे कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र निरन्तर बढ़ा है।

मैं पहले की बात नहीं कहता, पिछले तीन-चार वर्षों की बात कहता हूं। ६४-६५ में २०१० हजार एकड़ एरिया में सिंचाई होती थी, वह ६५-६६ में बढ़कर २०२७ हजार हो गई और ६६-६७ में २०८५ हजार एकड़ तक पहुंच गई।

श्री रामकिशन : आंकड़े आपके गलत तो हैं ही, इनमें तुक भी नहीं बैठी है बोलने में।

श्री हरिदेव जोशी : १९६५-६६, २० लाख २७ हजार एकड़।

१९६६-६७ २० लाख ८५ हजार एकड़।

१९६०-६१ २५ लाख ४० हजार एकड़।

१९६१-६२ ३० लाख ५४ हजार एकड़।

श्री रामकिशन : पहले वाले भी गलत हैं, और यह भी गलत बता रहे हैं। प्रतिवर्ष क्षेत्रफल बढ़ा है।

श्री हरिदेव जोशी : प्रतिबर्ष बढ़ा हुआ ही क्षेत्रफल कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने इर्रिगेटेड लैन्ड बताई है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : पिछले इन वर्षों के अन्दर बढ़ी है। ६५-६६ के अन्दर लगभग बराबर रही है और उससे पिछले वर्षों के अन्दर बढ़ी है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्ष वर्षा से खराब रहे हैं। इन तीन वर्षों के अन्दर बरसात कम होने के कारण जो भी माइनर इर्रीगेशन या मीडियम इर्रीगेशन वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हैं उनमें पानी नहीं आया। इस कारण सिंचाई कम होनी चाहिये थी। जो फीगर्स मैंने आपके सामने रखे उनसे ऐसा मालूम होता है, सिंचाई बढ़ी है....

श्री दौलतराम सारण : आपके यहां सिंचाई, पानी लगने से नहीं बढ़ती, किताबों में बढ़ती है।

श्री हरिदेव जोशी : पहले आप मेरी बातें सुनने की कोशिश करें फिर अर्थ निकालने का प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर इन पिछले वर्षों में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना बढ़ा, कितना परसेंन्टेज बढ़ा वह बतला दीजिये ?

श्री विजयसिंह रावल : What is the percentage ?

श्री हरिदेव जोशी : You will please listen me first.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप परसेन्टज बतादें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछना हो वे जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर समाप्त कर दें, उसके पश्चात पूछ सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रथम योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना के मार्फत राज्य सरकार ने वह प्रयत्न किया कि राजस्थान का सिंचाई का क्षेत्र बढ़े। अभी माननीय सदस्यों ने सिंचाई के साथ में चलने वाली अमुक-अमुक समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कुछ कठिनाइयां इस प्रकार की बताई जहां पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध की गई हैं वहां सीपेज हुआ है। वहां पर वाटर लेवल ऊपर उठा है। इस प्रकार सिंचाई की जो व्यवस्था की गई है वहां पर पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी शिकायतें हैं। राज्य सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को किसी न किसी प्रकार से हल करने की कोशिश की है। आज सिंचाई की एक नहर बनती है, पहले वर्ष के अन्दर सीपेज होता है जब वह नहर ठीक हो जाती है या तो साल्ट जम जाती है, परमानेन्ट हो जाती है, किसी तरह से सीपेज फिर नहीं होता है। अगर वह होता रहे तो उसको लाइन करना होता है इस प्रकार राज्य सरकार योजना-बद्ध तरीके से बढ़ती जा रही है।

वाटर लेवर के ऊँचा उठने की समस्या जहां-जहां इर्रीगेशन सिस्टम डवेलप हुआ है वहां पर चलता आ रहा है। राजस्थान के सिवाय पंजाब की ओर आंख उठाकर देखें तो जहां पंजाब इर्रीगेशन के मामले में राजस्थान से डेवलप्ड है। वहां पर वाटर लॉगिंग और सीपेज की प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ी हुई है। इसी तरह चम्बल क्षेत्र में होने वाली कठिनाइयों को रखा है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने अपनी ओर से निरन्तर प्रयत्न किया है और कर रही है। सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन भी इस ओर जागरूक है। यू० एन० ओ० की टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है और यह प्रयत्न कर रही है कि जो नेचुरल ड्रेनेज है और अब दूसरी प्रकार की सीपेज वगैरह हो रहा है उनको कनेक्ट करके वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम का सर्वे किया जाय। पिछले वर्षों में वाटर लॉगिंग का प्रौब्लम था। उसको कन्ट्रोल करने के लिहाज से ड्रेनेज

(श्री हरिदेव जोशी)

खोदी जा रही है और दूसरे दूसरे काम किये जा रहे हैं। निरन्तर जो क्षेत्र एक वर्ष भर या दूसरे अरसे तक खेती के काम में नहीं आते उनको प्रयोग में लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार इस दिशा में जागरुकता से कोशिश करना चाहती है इसको जितना ज्यादा से ज्यादा कन्ट्रोल किया जा सके करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां कही गई कि राजस्थान सरकार वृहद् योजनाओं को ज्यादा अहमियत देती है और जो छोटी-छोटी योजनायें है उन पर कम ध्यान देती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में काफी लोग इस विचार के हैं और कुछ लोग यह सोचते हैं कि बड़ी योजनायें अधिक स्थायी अधिक बड़े पैमाने पर लाभ देने वाली होती हैं। मगर जितनी बड़ी योजनायें होती हैं उसमें इनवेस्टमेंट भी उतना ही बड़ा होता है और रिटर्न्स भी देरी से मिलते हैं। जब कि छोटी योजनायें जल्दी पूरी हो सकती हैं और रिटर्न भी जल्दी देती हैं, क्योंकि वह अपने सीमित क्षेत्र के अन्दर लाभ जल्दी से देने लगती हैं। राजस्थान सरकार इस दिशा में बेलेन्स्ड व्यू लेकर चलती है ....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही का समय जब तक यह मांगें पास नहीं हो जाती हैं तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे राजस्थान के अन्दर वृहद् योजनाओं की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जो साधन हमारे पास में थे उनको पिछले वर्षों में टेप करने की कोशिश की गई। राज्य सरकार द्वारा जो मिडियम साइज की योजनाएं थीं उनका भी सर्वे किया गया उनको भी अपने हाथ में लिया है और जो छोटी योजनायें हैं उनकी अहमियत को हम किसी कदर कम आंक कर नहीं चले हैं। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पहली योजना में दूसरी योजना में और तीसरी योजना में स्माल स्केल इर्रीगेशन के अन्दर ज्यादा धन राशि रखी गई है। जितने काम इन योजनाओं के अन्दर किए गए सात योजनाओं को छोड़कर सारी योजनाओं कम्पलीट हो चुकी हैं। दो वर्ष के बाद ये सारी योजनायें पूरी होकर उन किसानों को लाभ मिलने लगेगा। इर्रीगेशन के लिहाज से ये वर्ष कुछ कठिनाइयों के जरूर हैं क्योंकि हमने राजस्थान केनाल, राणा प्रतापसागर, जवाहर सागर चम्बल की और राजस्थान केनाल की बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने हाथ में लिया। राजस्थान सरकार शुरू से यह मानकर चली आ रही है कि राजस्थान केनाल जैसी बड़ी योजना एक प्रकार से राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार की जाय। उसके लिए भारत सरकार को शुरू से लिखते रहे हैं।

(५ म.प.)

पिछले वर्षों में माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि केन्द्र के तत्कालीन वित्त मन्त्री जी इन सारी चीजों की चर्चा करने के लिए राजस्थान में आए थे उन्होंने उस क्षेत्र का भी दौरा किया था और उन्होंने विस्तार से हमारी कठिनाइयों को सुना था। उन्होंने यह अनुभव किया था कि राजस्थान के लिए सीमित साधनों के अन्दर इतने बड़े

(श्री हरिदेव जोशी)

काम को पूरा कर सकना कठिन हो जाता है और जब एक बहुत बड़ी योजना हम अपने हाथ में लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से दूसरी छोटी योजनायें सेकन्डरी हो जाती हैं और उनके ऊपर इच्छा होने के बावजूद भी जितना धन का प्रावधान होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है । इसलिए उन्होंने उस समय स्वीकार किया था कि राजस्थान कैनाल अॉथोरिटी के रूप में एक अॉथोरिटी की स्थापना की जाये । भारत सरकार उसके लिए पूरे धन का प्रावधान करे और वह सारे का सारा काम इर्रीगेशन के कन्स-ट्रक्शन का काम, लैण्ड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम, बैटरमेन्ट लेवी के उगाने का काम, वहां पर रीहेबिलीटेशन का काम, सॉइल कन्जर्वेशन का काम, मन्डियों के डेवलेपमेन्ट का काम यह सारे काम उस अॉयोरिटी के तहत हों । हम खुश थे इसके लिए और माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री महोदय की चर्चा का भी उल्लेख यहां पर किया । मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो डेवलेपमेन्ट्स इस सिलसिले में हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया और उनको अवगत कराया । किन्तु हमारे दुर्भाग्य से इस देश के ऊपर चीन का आक्रमण हुआ, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ और उससे हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर एक प्रकार का झटका लगा । उन स्थितियों के अन्दर केन्द्र सरकार भी अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों से जो उनके ऊपर जिम्मे-दारियां थीं उन्हीं तक सीमित रहना चाहती थी, और उन्होंने इसको लेने से इन्कार किया, और उन्होंने चाहा कि जिस प्रकार से आज हम कार्य कर रहे हैं, आइन्दा भी उसी प्रकार से काम करते चलें । मगर मैं उपा-ध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आज भी यह प्रयत्न है कि केन्द्र सरकार इस योजना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । यदि वह स्वयं ले सके । सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के रूप में बहुत अच्छी बात है, और अगर वह नहीं ले सकती है तो कम से कम वह यह करें कि ओवर एण्ड एबव प्लान सीलिंग इसके लिए प्रावधान किया जाय । जब तक यह नहीं किया जाता मैं माननीय सदस्यों की इस राय से और भावनाओं से सहमत हूं कि राजस्थान कैनाल का इस रूप से डेवलेपमेंट बहुत मुश्किल हो जायेगा । इस-लिए मैं माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की भावनायें व्यक्त कीं । मैं यह आशा करके चलता हूं कि राजस्थान सरकार के प्रयत्न इस दिशा में सफल होंगे और आज नहीं तो अगले वर्ष में या उससे आगे केन्द्र सरकार इस योजना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय सदस्यों ने कुछ दूसरी बातें कहीं उनकी तरफ दिलाता हूं कि जिस समय उन्होंने राजस्थान कैनाल की व्यवस्था के बारे में, राजस्थान कैनाल के एलॉटमेन्ट के बारे में कहा है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान कैनाल के अन्दर कुछ बातें जो कही गई हैं वह चीजें तो मूल रूप में कॉलोनाइजेशन की प्रॉबलम्स हैं लेकिन अभी पिछले दिनों जब मैं गंगानगर गया था तो वहां के निवासियों ने कुछ समस्यायें मेरे सामने रखी थीं । केन्द्र के सिंचाई और विद्युत मंत्री जी भी आये थे और उनके सामने भी उन्होंने कुछ बातें की

Page No. 127

(श्री हरिदेव जोशी)

थीं उसमें जो हमारे पानी का हिस्सा है वह हमें बराबर नहीं मिलता, यह कहा गया था। और उसमें कभी तो पानी ज्यादा आता है और कभी पानी कम आता है। इस प्रकार की शिकायतें थीं। उपाध्यक्ष महोदय, उन सारी चीजों को एक बार नहीं, कई बार पंजाब सरकार से और केन्द्रीय सरकार से डिसकस किया गया है और उनका बराबर समाधान भी निकाला गया है। लेकिन यह रेगुलर प्रोसेस है क्योंकि हमें एक चीज देखने की है। एक भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है वह इन सारी चीजों को कन्ट्रोल करता है। केन्द्र सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा भी उस कन्ट्रोल बोर्ड में रिप्रेजेन्टेशन हो और जो पानी का हिस्सा देने में जिस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है उसमें हमको कॉन्फीडेन्स में लिया जाना चाहिये, उसमें प्रगति हुई है और मैं आशा करके चलता हूं कि उसमें आइन्दा भी प्रगति होगी। जो वहां पर मेमोरेन्डम दिया गया है केन्द्रीय मंत्रीजी ने यह विश्वास दिलाया है कि वह पंजाब सरकार के अधिकारियों से चर्चा करके इस बारे में कुछ समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं इसके विगत में नहीं जाकर यही कहूंगा कि जो चीजें यहां पर उठाई गई हैं उनका संतोषजनक समाधान निकल सकेगा, ऐसा प्रयत्न किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा की गई चम्बल प्रोजेक्ट के तहत राणाप्रताप सागर के कन्सट्रक्शन में लगी हुई एक कम्पनी के बारे में उसमें दिये कॉन्ट्रेक्ट के बारे में, कॉन्ट्रेक्ट के अन्दर आर्बीट्रेशन के बारे में और उसमें लगाये गये लाइयर्स के सिलसिले में। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जब हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हाथमें लेते हैं चाहे हम छोटे प्रोजेक्ट को हाथमें लें तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो मुहायदे का अंग होती हैं और कई काम ऐसे होते हैं जो मुहायदे के बाहर काम के रूप में चले आते हैं। उनको इन्जीनियर्स तत्काल देखकर उनको आॅर्डर्स देते हैं अथवा बाज मर्तबा जो एग्रीमेन्ट होता है उस एग्रीमेन्ट के इन्टरप्रिटेशन के ऊपर कॉन्ट्रेक्टर्स अपनी बात को कहते हैं। माननीय सदस्य जो कोटा से आते हैं उन्होंने एक वक्तव्य विधान सभा में रखा था, उसके सिलसिले में इन सारी चीजों का अध्ययन मैंने करने का प्रयत्न किया था और आज भी उनका कटमोशन है इसके ऊपर। उपाध्यक्ष महोदय चम्बल राणाप्रताप सागर का काम इतना बड़ा काम था कि जिसके लिये पूरे देश के स्तर पर टेन्डर्स इनवाइट किये गये थे और यह जो कम्पनी यहां पर आई उसको यह कॉन्ट्रेक्ट दिया गया। मैं इस सिलसिले में एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यह टेन्डर्स कोई एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर अथवा सुप्रिन्टेन्डिग इन्जीनियर अथवा चीफ इन्जीनियर स्वीकार नहीं करता बल्कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड जिसमें केन्द्र सरकार का और सेन्ट्रल पॉवर एण्ड वाटर कमीशन के प्रतिनिधि भी होते हैं वे इन सारी चीजों के इम्पलोकेशन्स को देखकर उसको स्वीकार करते हैं। राजस्थान सरकार के तो चीफ इन्जीनियर और प्रतिनिधि उसमें होते ही हैं मगर मध्य प्रदेश के भी जो हमारे इसके अन्दर शेयरर्स हैं वह भी इसमें होते हैं और इस प्रकार से मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि बैठकर के सारी चीजों को डिसकस

(श्री हरिदेव जोशी)

करते हैं और इनके इम्पलीकेशन्स को सोचते हैं और उसके बारे में छोटे से छोटे मुद्दों पर विचार विनिमय करके इन फैसलों को लेते हैं। तो जो चर्चा का विषय है कान्ट्रेक्ट वह इस प्रकार की एजेन्सी की मार्फत एप्रूव होने के बाद यह कान्ट्रेक्ट साइन किया गया....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एग्रीमेन्ट किस ने ड्राफ्ट किया था ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपना पूरा कर दूं उसके बाद में कहें तो मैं जवाब दे दूंगा। जब कॉन्ट्रेक्ट साइन हुआ तो उसके बाद में काम हुआ और काम के बाद में जब पेमेन्ट का सवाल आया तब सरटेन इश्यूज़ खड़े हुए, उन इश्यूज़ के अन्दर कॉन्ट्रेक्टर की बात एक प्रकार की थी। उन्होंने कुछ ज्यादा बातें मांगी, चीफ इन्जीनियर ने उन बातों को टर्न-डाउन कर दिया। वे उस कन्ट्रोल बोर्ड के पास गई और उसके बाद में कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों के अनुसार आर्बीट्रेटर को रेफर करने का फैसला हुआ और आर्बीट्रेटर नियुक्त हुआ और वह आर्बीट्रेटर जो फैसला देंगे वह फैसला दोनों पार्टीज़ को स्वीकार होना चाहिए........

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री हरिदेव जोशी : किन्तु यदि आर्बीट्रेटर........

श्री उपाध्यक्ष : ठहरिये, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ऐसा है कि सदन की यह परम्परा रही है कि जो मैटर एक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिवेल कर रहा हो या उसके सामने हो उस पर हाउस में चर्चा नहीं की जाये। यह मैटर जैसा कि सदन को सूचना दी गई एक आर्बीट्रेशन के सामने पेंडिंग है और आर्बीट्रेशन भी कोर्ट की परिभाषा में आता है। आर्बीट्रेशन इस संबंध में अपना फैसला देने को है। मिनिस्टर अपना कोई व्यू पाइन्ट रखें और सदन में कोई गलत सूचना दे जायें तो वह फिर अपने आपको एक ऑक्वर्ड पोजीशन में पायेंगे और गवर्नमेन्ट का रिप्लाई भी दिस वे, और देट वे, उस आर्बीट्रेशन के फैसले को अदरवाइज़ इफेक्ट कर सकता है। तो मेरा सब्मीशन यह है कि जब यह मैटर आर्बीट्रेशन के सामने है जिसका असर स्टेट एक्सचेकर पर पड़ने वाला है और जब कि वह फाईन्डिंग देने वाला है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा वाद-विवाद चालू नहीं रखा जा सकता।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल एक प्रश्न के रूप में सदन में आ चुका है, इस बारे में माननीय सदस्य बोल चुके हैं मैं यही कर सकता हूं कि जो सेफगार्ड्स को ले करके..........

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्त्री महोदय, जो क्लेम्स हैं और जिन क्लेम्स के आधार पर आर्बीट्रेशन के सामने केस हैं उन क्लेम्स को डिफेन्ड कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपना व्यू पॉइन्ट सामने रख रहा हूं।

श्री मुकुट विहारीलाल : अगर आप क्लेम्स को.......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! जो मामले आर्बीट्रेशन के सामने हैं उन क्लेम्स के औचित्य के बारे में मन्त्री महोदय कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन किन परिस्थितियों में

(श्री उपाध्यक्ष)

आर्बीट्रेटर मुकर्रर किया गया है। उसके बारे में कह सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं उन स्थितियों को सामने रख रहा हूँ, और मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर्बीट्रेशन के समक्ष कॉन्ट्रेक्टर ने आपने केस को रखा और गवर्नमेंट ने अपने केस को डिफेंड किया। सवाल यहां पर यह आया कि कॉन्ट्रेक्टर ने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ क्लेम्स हुए उनके, उससे राजस्थान सरकार को नुकसान पहुँचेगा। मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि आप एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत यदि एक पार्टी जिसमें गवर्नमेंट भी है उसको अगर संतोष न हो तो उसको आर्बीट्रेटर के पास में जाने का अधिकार है। इसमें एक्सीडेंटली गवर्नमेंट आर्बीट्रेशन से नहीं गई कॉन्ट्रेक्टर आर्बीट्रेशन में गया है। उसको अस्वीकार करना किस हद तक स्वाभाविक है यह सदन के विचार करने की बात है।

अब रहा सवाल अपने केस को डिफेंड करने का। मेरे सामने यह सारी चीजें नहीं है। क्या-क्या इश्यूज वहां पर आए थे, वे भी मेरे सामने नहीं हैं; यह भी चीजें नहीं है। कि उनके ऊपर गवर्नमेंट की ओपिनियन क्या थी और कॉन्ट्रेक्टर की ओपिनियन क्या है, किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब केस आर्बीट्रेशन में चला गया था उसके बाद में गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने केस को डिफेंड करे। कॉन्ट्रेक्टर ने एक तरफ लायर्स को ऐन्गेज किया जिन्हें पांच सौ रुपया महीना और साढ़े तीन सौ रुपया रोज देना स्वीकार किया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने केस की अहमियत को स्वीकार कर शायद तीन सौ रुपया और डेढ़ सौ रुपया रोज देना अपने लायर्स को स्वीकार किया। जो कुछ भी इस केस की अहमियत थी जो कुछ भी इस केस की अहमियत हो सकती थी, मैं ऐसा समझता हूं कि इस केस की अहमियत को ध्यान में रखते हुए योग्य लायर्स को ऐन्गेज करना जरूरी था........

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : योग्यता को क्या परिभाषा है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह बहुत ही बेसिक सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट है कि.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! डिस्क्रीशन तो गवर्नमेंट का ही होगा किसी लायर को ऐंगेज करने में। आपकी राय इसमें यह हो सकती है कि यह वकील योग्य नहीं था और दूसरा और कोई योग्य था लेकिन आखिर में तो सरकार ही तय करेगी कि इस लायर को एंगेज करना है और उसी को ऐंगेज करेगी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार के समक्ष इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के इस केस में जो भी जरिये, राय लेने के हो सकते थे उन जरियों से राय ली गई, और उन जरियों की सहमति से उन विभागों

(श्री हरिदेव जोशी)

की सहमति से लायर्स को ऐंगेज किया गया। इसलिये मैं इसके अन्दर........

श्री कृष्णकुमार गोयल : लॉ डिपार्टमेंट से परामर्श लिया था ?

श्री हरिदेव जोशी : जिन-जिन से राय लेने की जरूरत थी उनसे राय ली गई। उसमें लॉ डिपार्टमेंट भी आ जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो श्रीमती कान्ता कथूरिया को लायर ऐंगेज किया गया तो उनको इस प्रकार के कितने केसेज का अनुभव था ? कितने आर्बीट्रेशन के केसेज में वे एपियर हो चुकी थीं, जिससे कि वे अपने आपको जस्टीफाई कर सकती, इस केस में एपियर होने के लिए ? कितने उन्होंने सेशन केसेज की पैरवी की थी और वेल्यूएशन के कितने केसेज को उन्होंने प्लीड किया था ? क्या उन्होंने कभी एक लाख से ऊपर के वेल्यूएशन के केस को लड़ा है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने मेरी चर्चा करते हुए कहा, कि चेयरमैन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी को हैसियत से मैंने इस प्रकार के कई केसेज के बारे में अमुक प्रकार को ओपिनियन दी है। उन्होने यह कहा कि मैं यह देखूं कि इस केस के अन्दर कोई फेवरटिज्म या नेपोटिज्म अथवा करप्शन तो नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सारे केस को देखा है और इसका अध्ययन करने की कोशिश की है और मैं ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेंट को यह जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट इतने बड़े केस के लिए योग्य वकील को रखे। उसके लिए सामने वाली पार्टी जिस प्रकार से खर्चा कर रही है उसी प्रकार से इसके अन्दर उसके मुकाबले में काम करना था और इसीलिए मैंने इसके अन्दर कहीं भी यह नहीं पाया कि इसमें कोई फेवर किया गया हो। लायर को एंगेज करने में अथवा किसी प्रकार से व्यर्थ का पैसा खर्च करने चेष्टा की गई हो ......

श्री भैरोंसिह : अच्छा तो आप एक बात बता दीजिए कि अब फाइल तो आपने देख ही ली है आप यह बता दीजिये कि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको कभी रिकमण्ड किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : क्या फरमाया ?

श्री भैरोंसिह : आप यह बतला दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा डिपार्टमेंट कन्सर्न्ड ने ही कभी इस केस के मामले को रिकमण्ड किया है, या लॉ डिपार्टमेंट ने रिकमण्ड किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे बीच में ही क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि यह केस कितनी अहमियत का था और गवर्नमेंट ने कोशिश न की होती और अगर कॉन्ट्रैक्टर की चल गई होती तो यह शायद और भी गम्भीर बात होती और गवर्नमेंट के ऊपर और भी ज्यादा खर्चा आता। इस लिहाज से गवर्नमेंट ने

(श्री हरिदेव जोशी)

यह चाहा कि आर्बीट्रेटर अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करे और........

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन सबका कारण यह था कि डिफेक्टिव एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया था, क्योंकि उस पर लॉ-डिपार्टमेंट की राय नहीं ली गई और इसीलिए ये सारे सवाल पैदा हुए।

श्री हरिदेव जोशी : आरम्भ में माननीय सदस्य का सवाल यह था कि लायर को एंगेज करने में फेवर किया गया.......

श्री भैरोंसिंह : यह तो दिख ही रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मामला था राणा प्रतापसागर और बीकानेर के वकील को एंगेज किया गया, यह क्या है ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सत्य निष्ठा से और ईश्वर को हाजिर-नाजिर रख कर कसम खाई है कि वे सत्य बोलेंगे और मैं आज, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उस कसम की फिर से याद दिलाता हूं आपके केरेक्टर को कसौटी पर कसने के लिए और राजस्थान की दो करोड़ जनता के सामने आप अपना क्या केरेक्टर रिफ्लेक्ट कराते हैं। आप कहिए कि ईमानदारी से कि यह केस योग्यता की कसौटी पर कस कर ही दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी . बिल्कुल योग्यता की कसौटी पर दिया गया है और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई फेवर नहीं किया गया है, इसमें कोई फेवरटिज्म नहीं किया गया है। योग्यता के आधार पर और आवश्यकता को महसूस करके ही यह एपॉइन्टमेंट किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुछ बातें माननीय सदस्यों ने अभी यहां पर कही हैं और यह केस आर्बीटेशन में है इसलिए मेरे लिए यह लाजमी हो जाता है कि कौन से केस में, कौनसा सैक्शन एग्रीमेंट का ऐसा था अथवा किसके बारे में क्या ओपीनियन थी उन मुद्दों पर मैं नहीं जाऊं, और इसलिए अब मैं इस बारे में आगे नहीं कहना चाहता।

श्री पी० के० चौधरी : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने सदन के एक माननीय सदस्य के ऊपर यह आरोप लगाया कि वह योग्य नहीं है........

श्री हरिदेव जोशी : Nothing like that.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। आप इसके बारे में प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये तो भाषण से ही आनन्द लेना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : Nothing like that.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्त्री महोदय कृपया यही बता दें कि श्रीमती कान्ता कथूरिया क्या वही हैं, जो इस समय विधान सभा की सदस्या हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में में एक रहे हैं इसलिए मैं ऐसा मान करके चलता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी महिलाओं से सम्बन्ध नहीं हैं अच्छे !

श्री हरिदेव जोशी : ""कि उनकी जानकारी मेरी जानकारी से किसी कदर कम नहीं है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : महिलाओं के बारे में कम जानकारी है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी तरह से अपने से कम योग्य उन्हें नहीं मानता हूं । इसलिए मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रेक्ट के अमुक सेक्शन के बारे में, या उनके बारे में, कुछ नहीं कहकर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । यह कॉन्ट्रेक्ट किसी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने एक्जीक्यूट किया हो-ऐसी बात नहीं है । यह कान्ट्रेक्ट राजस्थान स्टेट के ऊंचे से ऊंचे दर्जे के अधिकारी, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के ऊंचे दर्जे के अधिकारी और मध्य प्रदेश के ऊंचे दर्जे के अधिकारी के सामुहिक विचार-विमर्श के बाद ड्रॉ आउट किया गया है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने लॉ डिपार्टमेन्ट की एडवाइस क्यों नहीं ली ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : क्योंकि यह आर्बीट्रेशन में है इसलिए किस लेवल पर क्या ओपीनियन थी इसकी विगत में, मैं नहीं जाना चाहता । मैं यह कहना चाहता हूं कि निम्नस्तर के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती हो ऐसी कोई बात नहीं है ।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं । स्टॉफ का मुद्दा, जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा, स्टॉफ के ७० लाख का क्लेम उन्होंने किया है और क्लेम हमको देना पड़ेगा । यदि उचित होगा तो राजस्थान सरकार देगी और यदि उचित नहीं होगा तो जो कानूनी जरिये हमारे पास में उपलब्ध हैं उन कानूनी जरियों का राजस्थान सरकार उपयोग करेगी और जनता का जो पैसा है, ट्रेजरी का जो पैसा है उसको भरसक बचाने का प्रयत्न करेंगी । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर बीसियों कॉन्ट्रेक्ट प्रति वर्ष होते हैं और उन कॉन्ट्रेक्ट में पिछले वर्षों के अन्दर, माननीय सदस्य जानते हैं, जो पहले सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रेक्ट था, उसमें आज इम्प्रूवमेन्ट हुआ है । पहले जमाने में जो लोएस्ट लेवल के ऊपर जो टेण्डर इन्वाइट करते थे, वह अधिकारी अपने स्तर पर अपने कॉन्ट्रेक्ट कर लिया करते थे, मगर मोडल कॉन्ट्रेक्ट का प्रोफार्मा तैयार करके सभी अधिकारियों को दे दिया गया है जो लीगली साउन्ड प्रूफ है और हर तरह से ठीक है । राज्य सरकार यह प्रयत्न करती है कि किसी प्रकार का लेकूना नहीं रहे जिससे राज्य सरकार को किसी तरह नुकसान में उतरना पड़े । इस दृष्टि से मैं इन दोनों कैसज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक स्टॉफ का सवाल है, क्योंकि यह आर्बीट्रेशन में नहीं है, पार्टी के....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप एग्री हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : छोटे-छोटे जो भी क्लेम आज की स्टेज के ऊपर में हैं उसमें फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और लॉ डिपार्टमेन्ट जिसको स्वीकार करते हैं, उन क्लेम्स का तो भुगतान किया जाता है। मगर जो क्लेम उनके द्वारा नहीं होते हैं, अथवा वह उचित नहीं समझते हैं, उनका पेमेन्ट नहीं किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं समझा जाना चाहिये....

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल: फाइनेन्स और लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन तो टेलिफोन के इशारे पर आया करती है। आप कहें तो हम २९ ओपिनियन दे दें किसी मामले पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस आर्बीट्रेशन में कुल १० लाख का पेमेन्ट टेलीफोन पर हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : यदि माननीय सदस्य ऐसा मानते हैं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं ऐसा समझता हूं, जब किसी एक बहुत बड़े मामले के अन्दर अपनी ओपिनियन देते हैं तो वह अपनी रेस्पान्सिबिलिटी समझते हैं। वह रेस्पान्सिबिलिटी समझते हैं तो फाइल पर कोई ऐसी ओपिनियन देते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आर्बीट्रेशन के लिए जो चीजें हैं उनकी वह रह गई हैं, जो बहुत कम हैं। मगर वह ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में सभी स्तर पर स्क्रूटिनी होकर फैसला होगा। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक केस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बारे में बताया था....

श्री हरिदेव जोशी : ऐं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बारे में एक केस बताया था मिस्टर गुरल का प्रमोशन किया।

श्री हरिदेव जोशी : उस पर आरहा हूं। एक-एक केस करके कहूंगा तो सबका जवाब दे सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह चर्चा भी चली कि जहां-जहां पानी की सिंचाई की व्यवस्था की गई है, क्योंकि किसानों की अमुक प्रकार की कठिनाइयां हैं, अमुक प्रकार की स्थितियां हैं इसलिए अमुक–अमुक क्षेत्र के अन्दर बैटरमेंट लेवी नहीं ली जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बैटरमेंट लेवी का तात्पर्य क्या है ? राज्य सरकार आज अमुक-अमुक प्रकार की भूमि उत्पादन क्षमता के जरिये बढ़ाती है, उससे किसानों को अमुक-अमुक प्रकार का लाभ होता है और उसका उत्पादन बढ़ता है। राज्य सरकार कर्जों के जरिये रुपया लाती है और राज्य में सिंचाई–क्षमता बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करती है। जब वह इन्वेस्ट करती है तो उन कर्जों के इन्स्टॉलमेंट को भी उसको पे करने होंगे। जब उसको पे करने होंगे तब या तो वह एक प्रकार से राजस्थान के, पूरे राजस्थान के लोगों के ऊपर टैक्स लगा कर उन इन्स्टालमेंट को पे करे, अथवा वह भूमि जो सिंचित हुई है, जहां-जहां जमींदार और किसानों को फायदा हुआ है, उनसे लेकर उस इन्स्टालमेंट को पे करे। यह इस

(श्री हरिदेव जोशी)

सदन के विचारने का विषय है कि वह क्या चीज पसन्द करेगा, आया वह यह पसन्द करेगा कि इमीजियेटली बेटरमेंट लेवी के आल्टरनेटिव के रूप में कोई टैक्स लगा कर पूरे राजस्थान से टैक्स वसूल किया जाकर, जो कर्जा लिया जा चुका है, उसको चुकावे या जिसको लाभ हुआ है, उनसे बेटरमेंट लेवी लेकर उस कर्ज को चुकावे....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बीच में, मैं एक बात पूछ लूं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं पूरा कर लूं, उसके बाद में माननीय सदस्य पूछ लें। इसमें इसलिए राज्य सरकार........

श्री उपाध्यक्ष : (श्री दुर्गादास बाढ़दार बोलने के लिए खड़े होने पर) आप बाद में पूछ लीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं अभी पूछ लूं तो जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी।

श्री हरीदेव जोशी : राज्य सरकार की यह मान्यता है............

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिन किसानों का लगान माफ किया है ... .

श्री हरिदेव जोशी : मैं सारी चीजों पर आ रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिनका लगान माफ करा है, क्या सरकार उनकी लेवी भी माफ करेगी ? इस पर आप प्रकाश डाल दें।

श्री उपाध्यक्ष : लेवी का इस मांग से सम्बन्ध नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार लगान माफ कर रही है तो यह नीति विषयक मामला है, इसको एक्स्प्लेन कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस राय की है कि जिन किसानों को भूमि की सिंचाई से लाभ हुआ है, उनके ऊपर वजन डालना चाहिए, गो कि किसान खुश होंगे इस बात से, यदि बैटरमेंट लेवी नहीं लगाई जाय। किन्तु आज हम उस स्थिति में नहीं हैं, कि इसको हम छोड़ सकें। राजस्थान के सोर्सेज की जो हालत हैं, राजस्थान की जो स्थितियां हैं उनमें बैटरमेंट लेवी एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है ? और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उन क्षेत्रों के अन्दर घूमा हूं और गया हूं मुझे भी मौका मिला है इस बात का कि जहां-जहां पर बैटरमेंट हुआ है वहां के लोगों से मिल सका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गांवों के अन्दर, अभी पिछले दिनों गंगानगर गया था, तो लोग कहते थे कि पैसा ले लो, किन्तु पानी दो। लोग कहते थे कि अनाज की लेवी ले लो मगर सेंट पर्सेन्ट पानी दो। कहना यह चाहते हैं कि वह उपज करें, वह पैदावार बढ़ावें मगर

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार दे दे।

श्री हरिदेव जोशी : मगर उनको पानी मिलना चाहिए और इनपुट्स मिलने चाहिए.... ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह दे नहीं पायेंगे।

Page No. 135

श्री हरिदेव जोशी : वहां पर किसान बेंटरमेंट लेवी देने के अन्दर एक जमाने में पंजाब के अन्दर आन्दोलन हुआ था, गंगानगर के अन्दर भी इस मुद्दे को लेकर हुआ था, लेकिन आज, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काफी बड़े, मुझे ठीक फिगर याद नहीं है मगर अब पीसफुली बेंटरमेंट लेवी के इन्स्टालमेंट वसूल किये जा रहे हैं, वसूली हो रही है, लोग दे रहे हैं और लोगों ने महसूस किया है कि बेंटरमेंट लेवी का अंश है उसकी अपेक्षा पानी का अंश बढ़ा है। पानी मिलना चाहिए यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए बेंटरमेंट लेवी के बारे में जो बात कही जाती है, मैं नम्रतापूर्वक उससे असहमति प्रकट करता हूं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : जरा जल्दी-जल्दी।

श्री हरिदेव जोशी : जो माननीय सदस्य ने और कुछ माननीय सदस्यों ने बात उठाई थी कि किसानों से अनाज लेवी वसूली नहीं करनी चाहिए....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका सब्जेक्ट नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : लेवी का सब्जेक्ट मेरा नहीं है इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ऐसा समझते तो जब खाद्य विभाग की मांग थी तब उठाते।

श्री हंसराज आर्य : सबके लिए नहीं कहा गया है। जहां पानी लगा है वहां के लिए कहा है।

श्री हरिदेवी जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा यहां पर वाटर रेट्स और सिंचाई की दरों की भी आई। माननीय सदस्यों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, गंगानगर के वाटर रेट्स के बारे में चर्चा यहां पर की। मैं एक्सपर्ट होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन, उपध्याक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी वाटर रेटस अलग-अलग हैं। अलग-अलग योजनाओं के लिये अलग-अलग रेट्स हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की अलग अलग वाटर रेट्स हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल हैं, यहां पर बहुत सी विषमताएं थी। अलग-अलग रियासतों ने अलग-अलग ढंग से अपने रेट्स तय किये थे। एक कैबीनेट सब-कमेटी, शायद मैं भूलता नहीं हूं तो, १९५५ में कायम की थी....

श्रीमती लक्ष्मकुमारी चूंडावत : १९५२ में।

श्री हरिदेव जोशी : १९५२ में होगी। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा रेट्स हैं। वाटर रेट्स का एकीकरण करने के लिये और समानता लाने के लिये राज्य सरकार फिर भी विचार करेगी और फिर से उनको रेशनेलाइज करने के लिये अथवा एक दूसरे के नजदीक लाने के लिये प्रयत्न किया जाय इस दिशा में राज्य सरकार और विचार करके जो कुछ भी कर सकेगी वह करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मन्त्रीजी ने कहा कि वाटर रेट्स के बारे में एक्सपर्ट नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

भूगोल का भी ज्ञान नहीं रखते। अगर आप चाहें तो मैं चौथे दर्जे की भूगोल की किताब माननीय मन्त्री महोदय को भेंट करु ताकि उनको राजस्थान के भूगोल का तो ज्ञान हो जाये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवा यहां पर यह भी कहा गया है कि आज जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनको अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, और बड़ी योजनाओं को कम देना चाहिये अथवा छोटी योजनाओं को ज्यादा देनी चाहिये, इस सिलसिले में मैं निवेदन कर चुका हूं। एक माननीय सदस्य बोले कि जवाई बांध से- और दूसरे माननीय सदस्य दूसरे बांध के लिये बोले और उन्होंने उन सिंचाई की योजनाओं से पीने के पानी लेने के बारे में ऐतराज किया।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने ऐतराज नहीं किया है। मैंने तो यह कहा कि उस पर सीलिंग लगाना चाहिये ताकि काश्तकार को मालूम रहे कि कितना पानी मिलेगा। मैंने ऐतराज नहीं किया।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरे जो माननीय सदस्य बोले उनकी तरफ शायद आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : ऐतराज मैंने भी नहीं किया।

श्री हरिदेव जोशी : आपने कहा कि पीने के लिये पानी नहीं देना चाहिये।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा ही सुना और ऐसा ही नोट किया। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार बढ़ते हुए आदमियों के लिए और बढ़ते हुए शहरों के लिये जो पीने के पानी की अवश्यकता है उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती। जोधपुर में पीने के पानी की आज से पहले क्या समस्या थी उसको हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। उदाहरण के तौर, पर हम आज रामगढ़ के बन्धे को लेलें, तो उसको अगर सिंचाई के लिये छोड़ दें तो जयपुर शहर की क्या स्थिति होगी वह हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की योजनाओं से हम पानी न लें पीने के लिये, चाहे वह मेजा बांध हो चाहे जवाई बांध हो, चाहे रामगढ़ बांध हो, ऐसा निर्णय हम नहीं ले सकते। अलबत्ता यह निर्णय करना होगा कि सिंचाई को प्राथमिकता दी जावे या पीने के पानी को प्राथमिकता दी जावे। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य यह मानेंगे कि कठिनाई के समय में पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इसलिये राज्य सरकार ने पीने के पानी को जहां आवश्यकता थी वहां देने की स्वीकृति दी है। जैसे-जैसे हमारा औद्योगीकरण बढ़ता जाता है, आवश्यकता होती जाती है और इस प्रकार पीने के पानी की पूर्ति के लिये निर्णय किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कितना पानी दिया जाता है और कितना सिंचाई कम होती है। इसके लिये मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अभी तक

(श्री हरिदेव जोशी)

चार या पांच बड़े बड़े बांधों से पानी दिया जाता है। चार बांधों से पानी दिया जाता है। चम्बल, जवाई, मेजा और रामगढ़।

चम्बल से पानी दिया जाता है उससे १४ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। उतना पानी लिया है।

इसी प्रकार जवाई से ३२००० एकड़, मेजा बांध से १६००० एकड़ और रामगढ़ से भी १६००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो उतना पानी लिया जाता है। इसलिये जो पानी मेजा, चम्बल, जवाई और रामगढ़ में जिस प्रकार देने की आवश्यकता है उसको कम नहीं आंक सकते हैं और पीने के लिये पानी देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि पाली जिले में भयंकर आंधी आई और ओलावृष्टि हुई उससे खेतों को नुकसान हुआ और लोगों को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं निवेदन करूं कि ओलावृष्टि और भयंकर आंधी से जो नुकसान होता है वह मेरे विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता है और मेरे विषय में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल में कई प्रोमोशन के बारे में चर्चाएं आई। माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और नहीं हो सकी हो तो भी एडहॉक प्रमोशन देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो सीनीयर मोस्ट आदमी होता है उसको।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एडहॉक बेसिस पर प्रोमोशन दे सकते हैं चाहे उसके खिलाफ कई एडवर्स रिमार्क्स हों और चार सालों के रिमार्क्स स्टेन्ड करते हों। उसके बावजूद भी आप उसको प्रोमोशन देते हैं इसका क्या कारण है? इसके अलावा दो पोस्टें थीं उनमें से आपने एक को ही प्रोमोशन क्यों दिया और दूसरी को खाली क्यों रखा?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने श्री गुराम, आर. के. शर्मा, और एक कोई मलहोत्रा हैं उनके बारे में कुछ चर्चाएं कीं। क्योंकि मेरे सामने यह सारी डीटेल्स नहीं हैं इसलिये मैं यह कहने की पोजिशन में नहीं हूं मगर मैं यह कह सकता हूं कि कोई आदमी डी.पी.सी. के सामने जायेगा तो सारा रेकार्ड सामने आवेगा और इन सारी चीजों से बच नहीं सकता। उसकी मीटिंग थोड़े ही अर्से में हो रही है। अगर वह नहीं जावेगा तो उतार दिया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने कहा कि उनकी फाइल आपके सामने नहीं है इस लिये कुछ नहीं कह सकते। एडहॉक बेसिस पर भी ६ महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चार साल के एडवर्स रिमार्क हैं और एडवर्स रिमार्क होते हुए भी उनको प्रोमोशन दिया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : उसको कमेटी में रेफर नहीं किया गया होगा।

श्री हरिदेव जोशी : डी.पी.सी. के फैसले के एबसेन्स में दूसरा कोई चारा नहीं था कि सीनियर मोस्ट आदमी को प्रोमोट करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यदि इस प्रकार से एडवर्स रिमार्क होते हुए भी लोगों को चान्स मिलता रहा तो ईमानदार ऑफिसर तो रोते ही रहेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : एक माननीय सदस्य ने भीमसागर बांध के बारे में चर्चा की और कनस्ट्रक्शन आदि में पाबन्दियों के बारे में जिक्र किया । मैं जानता हूं कि काफी दिन हुए हैं मगर बड़े प्रोजेक्ट में देरी होती है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वह जल्दी हो सकता हो और पोसिबल हो तो उसको हाथ में लिया जाकर कन्सट्रक्शन के बारे में जो पाबन्दी लगाई है वह जारी रखेंगे और बांध के बनाने में ज्यादा समय लगता है तो वहां के लोगों के लिये पाबन्दियां बहुत दुखदायी साबित होंगी और उनको उठा लिया जावेगा । यह देखा जावेगा कि बांध पंचवर्षीय योजना में बन सकता है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सीलिंग के बारे में चर्चा हुई । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो सीलिंग के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो सीलिंग कोई नया विषय नहीं । राजस्थान सरकार ने और राजस्थान विधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया है अतः इस सदन के द्वारा केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही नहीं....

एक माननीय सदस्य : आप जवाब को लम्बा कर रहे हो ।

श्री हरिदेव जोशी : सीलिंग को केवल कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं पर अपोजिसन ने भी स्वीकार कर लिया है, जो १७ सूत्री प्रोग्राम संयुक्त दल का था उसमें सीलिंग भी स्वीकार कर लिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस का अपोजिशन का सवाल नहीं सदन ने स्वीकार कर लिया है । पर सरकार इतनी निकम्मी है कि इसे लागू नहीं करना चाहती ।

श्री हरिदेव जोशी : हम लागू करना चाहते हैं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल : हमने माना है तो आप में करेज होनी चाहिये कि इसको इम्प्लीमेंट करें ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्यों ने हमारी इरिगेशन पोटेन्शियलिटी बढ़ाने की चर्चा करते हुए कहा था कि रीजनल बेसिस पर फैसले राजस्थान में हुआ करते हैं । कुछ उदाहरण दिये । यदि सारे कामों की विगत देखें जो राजस्थान भर में हुए हैं तो वे पायेंगे कि किसी डिविजन में, डेजर्ट को छोड़ दीजिये, दूसरे हिस्सों में कम काम नहीं हुआ है । गोर्धन ड्रेनेज के काम को ले लीजिये, उन सारी चीजों को ले लीजिये जो दूसरे जिलों में हो रही है तो आप पायेंगे कि मिकदार कम नहीं है ।

शाबी नदी के बारे में चर्चा को । मैंने देखने की कोशिश की, यह योजना सेंट्रल वार्टर एण्ड पॉवर कमिशन के पास है, यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा और राजस्थान की मिली जुली योजना है हरियाणा से क्लीयरेंस नहीं मिला है, हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा से क्लीयरेंस मिले और जल्दी से जल्दी इस योजना को हाथ में ले सकें ।

(श्री हरिदेव जोशी)

जो बड़ी योजनाएं हैं. जिनमें दो अथवा तीन स्टेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनमें क्लीयरेंस में बड़ी दिक्कत आती है। माही की चर्चा की, मैं चाहता हूं, राजस्थान सरकार चाहती है पर अभी भी क्लीयरेंस नहीं मिला है, राजस्थान में काफी प्रयत्न किये गये, चाहे हम कितनी ही उत्सुकता रखें, कुछ चीजें ऐसी हैं, इन्टर स्टेट स्कीम्स हैं, सेंट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमिशन से स्वीकृत होती हैं इसमें कई दिक्कतें आती हैं , वहां से स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक हाथ में नहीं ले सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माही पर काफी खर्चा कर गये पर शाबी की योजना तीनों पंच वर्षीय योजनाओं में आने के बाद भी टेन्डर मांगने के सिवा कुछ नहीं हुआ है। एक चीज में इन्टेरेस्टेड होते हैं तो वह योजना हो जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माही कहां है और शाबी कहां है, यह बता दीजिये सब साफ हो जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : माही भीलवाड़ा में है और शाबी अलवर में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, तो अन्तर सबको मालूम हो गया।

श्री हरिदेव जोशी : जो जहां है वहीं रहेगी, मैं उसको उठा कर इधर नहीं ला सकता। माही की योजना टेक्निकली सेंट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमिशन से एप्रूव हो चुकी है जब कि शाबी की टेक्निकली एप्रूव नहीं हुई है। हमारे सामने यह कठिनाइयां हैं। इस प्रकार की योजनाएं जो सेंट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमिशन के पास पड़ी हैं उनको निकलवाने की कोशिश करेंगे।

राजस्थान में अन्डर ग्राउण्ड वाटर की सर्वे कराने के बारे में कई बातें कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास आज भी ३०० से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल किया जा चुका है पर उन्हें धनाभाव के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका है। सैकड़ों ऐसी स्कीम्स हैं जिनका सर्वे हो चुका है पर एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें एप्रूव नहीं किया है, क्योंकि पैसे का अभाव है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले में जागरूक है कि राजस्थान में जितना पानी उपलब्ध हो उसका उपयोग किया जा सके पर पैसा कब मिलता है, कैसे मिलता है, इस पर यह सब निर्भर करता है।

देवगढ़, भीम से आने वाली माननीय सदस्या ने और दूसरी जगह से आने वाले माननीय सदस्यों ने सिंचाई में कटौती की चर्चा की। एक भ्रम यह है कि कोई बहुत ही ऐसी बात की जा रही है जिसको नहीं किया जाना चाहिये था, मैं ऐसा नहीं मानता। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को समय के अनुसार दूसरे डिपार्टमेंट्स की लाइन में खड़ा होना चाहिये था। हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी राजस्थान केनाल को ३ करोड़ से ज्यादा रुपया नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिला इस पर वित्त मंत्री जो बजट भाषण में मौको पर चर्चा कर चुके हैं। ५ करोड़ के आकार पर हमने स्टॉफ रखा है, काम नहीं है। और स्टॉफ ज्यादा है तो क्या किया जायगा....

एक माननीय सदस्य : सर्वे और इन्वे-स्टिगेशन में डाल दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे क्षमा कीजिये, ३०० से ऊपर स्कीम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुका है, सर्वे हो चुका है। ऐसी स्कीम्स को सर्वे और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर मुकर्रर करके उसके सुपुर्द किया जा चुका है।

एक चीज है, इस चीज को शायद आवश्यकता थी, मुझे जोश दिलाने की कोशिश की कि यह सारी चीज है, मेरी किसी कमजोरी के कारण हुई है इसलिये मैं ताकत लाऊं, शौर्य अपने में पैदा करूं।

एक माननीय सदस्य : वह है नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : और कांकरोली डिविजन को बचाया जा सके। चाहे कांकरोली सब डिविजन हो चाहे कोई दूसरा डिविजन हो, सारे डिविजनों की उपयोगिता है····

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप डिपार्टमेंटल काम शुरू करदें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी सुन लें तो कहूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग और फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने ४३ लाख·· ····

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कह दिया कि ओवरसीयर कम करेंगे, ५ करोड़ रखे थे और ३ करोड़ ही मिले हैं। आप बताइये कि नवम्बर में आपने एडवरटाइजमेंट निकाल कर लोगों को बुलाया था, उस समय राजस्थान सरकार को पता नहीं था कि हमें ३ करोड़ रुपया ही मिल सकेगा। फिर जिन लोगों ने आपके यहां नौकरी करली और ओवर एज हो गये उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आपको क्या अधिकार है ?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार चाहती थी, और प्रयत्न किये, एक हद तक प्रयत्न सफल भी हुए कि राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी कायम करके भारत सरकार अपने ऊपर राजस्थान कैनाल की सारी जिम्मेदारी लेगी पर वह नहीं हो तो पिछले वर्ष से कम अलोकेशन नहीं हुआ था, अधिक से अधिक जितना कर सकते थे उसका प्रावधान रखा था, यह प्रोग्राम बनाया था पर अकाल के कारण हमारे रिसोर्सेज कम हो गये और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की स्ट्रिक्ट पालिसी हो गईकि ओवर ड्राफ्ट नहीं लेंगे तो हमारे पास अपने साधनों में ही सीमित रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्या का....

श्री भैरोंसिंह : उन लोगों को एपाइन्ट-मेंट आपने दे दिया. वे ओवरऐज हो गए, किसी सर्विसमें नहीं जाकर,आपने धोखा करा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहा है। जब ६ महीने पहले पता नहीं लगा कि आर्थिक स्थिति क्या है. हमने ओवरड्राफ्ट कितना ले लिया, कितना खर्च करने जा रहे हैं, क्यों उन लोगों को बुलाकर उनको एपोइन्ट किया और आज एक साथ धोखा दे दिया ?

(श्री खेतसिंह के बोलने पर)

ये तो मन्त्री बनने के फिराक में हैं, हमेशा

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार की तरफ से बोलते रहते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मन्त्री बनने के फिराक में तो आप भी थे । जो राजनीति में आता है वह मंत्री बनने की कोशिश करता है । तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य मन्त्रिमण्डल खत्म करने के फिराक में हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जेब में हैं मन्त्रिमण्डल खत्म करने की बातें । तो उपाध्यक्ष महोदय, हमें इन बातों की कोई खुशी नहीं । आज जो टेम्परेरी लोग भर्ती किए गए उनको निकालना पड़ रहा है । प्रोजेक्ट्स पर टेम्परेरी भर्ती होती है और अमुक काम के लिए होती है । जब उन लोगों की आवश्यकता नहीं होती है तो छंटनी करनी ही पड़ती है, और कोई चारा नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : सब पहले टेम्परेरी हो कर आते हैं, बाद में परमानेन्ट होते हैं । टेम्पोरेरी का यह मतलब नहीं कि स्पेसीफिक पीरियड के लिए अपने किया ।

श्री हरिदेव जोशी : जब जरूरत हो तो ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इनको रिट्रेंच करने के बजाय आप डिपार्टमेंट वर्क क्यों नहीं करवाते कि २५ प्रतिशत इधर बच जायेंगे और उधर उनको काम में लिया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार के सामने यह कठोर निर्णय है लेकिन इसके सिवा दूसरा चारा नहीं था । प्लानिंग विभाग ने लगभग ४४ लाख के कटौती प्रस्ताव किए हैं । सिंचाई विभाग ने आल्टरनेटिव प्रस्ताव दिए हैं वे ३७ लाख के हैं ।

श्री भैरोंसिंह : माही प्रोजेक्ट में क्या हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : उसमें भी कटौतियां हो गई । उसमें तो केवल ५ लाख का प्रावधान किया है । सिंचाई विभाग ने ३७ लाख के आल्टरनेटिव प्रोपोजल्स दिए हैं । वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी, जिनके पास ये आल्टरनेटिव प्रोपोजल्स हैं, वे इन सारी चीजों को देखेंगे और देखकर निर्णय लेंगे । मुझे खुशी होगी, जो सदन ने भावनायें व्यक्त की हैं, उनको मैं मुख्यमन्त्री और वित्तमन्त्री तक पहुंचाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि यह माननीय सदस्यों की राय है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनका कुछ असर पड़ेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कम से कम उनको नोटिस देने को तो रोकें । उनकी नौकरी १-७-६७ से खत्म हो जायगी । यदि आपकी यही भावना है तो आप इस नोटिस को पोस्टपोन करें ताकि उनकी १-७-६७ को नौकरी खत्म न हो जब तक यह विषड़ा न हो ।

श्री हरिदेव जोशी : एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे । अगर इस प्रकार का फैसला होता है और

(श्री हरिदेव जोशी)

लोगों को रिलीफ होता है तो नोटिसेज विथड्रा किये जा सकते हैं लेकिन यदि वह संभावना नहीं है तो सरकार एक तरफ सदन के सामने कटौतियों के प्रस्ताव लेकर सामने आये और दूसरी तरफ वह इम्पलीमेंट न हों, तो उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : सिंचाई विभाग में कई लोग ५५ की उम्र के कारण रिटायर होंगे वैकन्सीज तो वैसे ही होने वाली हैं, प्रमोशन होने वाले हैं........

श्री हरिदेव जोशी : उसके प्रोपोरशन में थोड़े हैं। खैर लाभ तो मिलेगा ही ! ५५ साल करने से जो रिटायर हो रहे हैं अथवा डीमोट हो रहे हैं उनको संतोष हो सकेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ९ हजार की संख्या आपने ५५ साल में रिटायर होने वालों की बताई। तो कितने रिट्रेंच होने वाले हैं ? क्या गुना है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास कोई आंकड़े नहीं कि रिटायर कितने होने वाले हैं, छंटनी कितने होने वाले हैं। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव आए उन सबका जबाब दे चुका हूं और जिनका जवाब नहीं दिया है उनके लिए प्रयत्न करूंगा कि उनको लिखित रूप में उत्तर भेजे जायं। अब मैं निवेदन करता हूं सिंचाई विभाग की मांगों को स्वीकार करें।

श्री रामकिशन : मैंने जो तालाब के बारे में कहा था....

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने बनेड़ा के तालाब खरीदने की चर्चा की। मैंने देखने की कोशिश की है और यह कह सकता हूं कि वह तालाब साबित हालत में था। जागीरदार मेन्टेन नहीं कर रहे थे। हालत यह थी कि कुछ बरसात हो जाती तो तालाब टूट जाता तो उन गांवोंके किसानों के, जो वहां रहने वाले हैं, उनके खेत नष्ट हो जाते। इसलिए एक तरफ हमारे सामने था कि एक सिंचाई का सोर्स जो खराब होता जा रहा था। दूसरी तरफ लोगों की शिकायत का सवाल था। इसलिए सरकार ने यह उचित समझा कि तालाब को खरीदा जाय। सरकार ने उसके एस्टीमेट्स बनाये थे।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेट्स नहीं बने। आर्डर में साफ लिखा है कि ५० हजार रुपए तक खरीदा जाय।

श्री हरिदेव जोशी : अगर ऐसा किया जाता तो ऐसी हालत में काफी गुना ज्यादा कीमत होती। इसलिए ५० हजार रुपए में जो तालाब खरीदा गया जस्टीफाइड और आवश्यक था, उपयोगी था।

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसी आशा थी, वह इससे अच्छा जवाब नहीं देंगे। लेकिन आप में यदि विवेक, ईमान और ज्ञान बाकी रह गया है तो....

श्री हरिदेव जोशी : I take objection of it. माननीय सदस्य अपने आपको ईमानदार समझते हैं और जिसके सामने वह बोलते हैं हरेक को बेईमान समझते हैं,

(श्री हरिदेव जोशी)

में इसको उचित नहीं समझता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस मामले में इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाय फिर आपकी बोनाफाइडी देखेंगे कि आपने जो काम किया है बोनाफाइडी किया है या नहीं ।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी निगाह में हो सकता है ! मगर माननीय सदस्य कोई काम करने हैं मैं उसको अनुचित नहीं समझता । आप कहते हैं, उसके अन्दर में ईमानदारी महसूस करता हूं । मगर जब मैं आपको जानकारी देता हूं जो मेरी बेस्ट नॉलेज में है, वह अदरवाइज प्रूव हो न जाय, मैं किसी को बेईमान कह कर एक्यूज करने की कोशिश नहीं करता ।

श्री रामकिशन : बेईमान इस सेन्स में नहीं कहा । अगर ऐसा समझा हो तो मुझे क्षमा करें, बेईमानी तो आपने नहीं की, आप बेईमान नहीं हैं लेकिन बेईमानी वाला आचरण बता रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश करें । आप कहते हैं कि तालाब साबित था । आज तक आपने ऑर्डर किया है, सरकार ने नहीं देखा, आपने इस तालाब को ५०,००० रु० में खरीदा । उसका एस्टीमेट नहीं था, एकड़ेज का पता लगाना चाहिए था, छोटा तालाब था तो पंचायत समिति खरीदती । यह प्रोसीज्यर बना हुआ है । यह पुराना तालाब था । इसको दिसम्बर में खरीदने की जरूरत कैसे पड़ गई । जिस उद्देश्य से आपने यह काम किया वह राजनैतिक लाभ के लिए किया । अगर नहीं किया तो इससे पहले क्यों नहीं खरीदा ? १९६५, ६४, ६१, ५२ या ५३ में क्यों नहीं खरीदा ? दूसरा इसमें साफ लिखा है कि खरीदने से पहले रिपेयर का एस्टीमेट पेश कर दिया जाय । मैं नहीं समझता कि आप बेईमान हैं लेकिन ईमानदारी का सबूत तो आप दे दें कि कौनसे मामले में आपने ईमानदारी बरती है । आप जवाब देते समय एक जिम्मेदारी का व्यवहार करें ऐसी आशा मैं करता हूं । आप जो काम करते हो राजनैतिक दृष्टि से करते हो । आप ५० हजार में खरीद लो ।

(६.०० म० प०)

पता नहीं दो हजार का था । इसका मतलब यह हुआ कि वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने आपका एस्टीमेट पांच हजार का था उसमें गड़बड़ कर दिया हो । पता नहीं क्या हुआ ? आप इसकी दुबारा जांच करें । राजनैतिक लाभ उठाना था वह उठा लिया इस तरह के आचरण को बन्द करें आगे के लिये तो राजस्थान और आपके विभाग दोनों का कल्याण होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : मै पहले ही स्पष्ट कह चुका हूं । आपने पहले एक माननीय सदस्य का नाम लिया बनेड़ा से चुनाव लड़ने वाले थे और बनेड़ा में यह तालाब है । इसमें राजनैतिक लाभ उठाने की बात की मैंने आपको विश्वास दिलाया कि इसमें राजनैतिक लाभ उठाने की बात नहीं थी । लाभ किसानों का ही था जागीरदार इसको मेन्टेन नहीं कर सकते थे और यह टूटने की हालत में था ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दिसम्बर में टूटने की हालत में था ? कितना पानी था ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दिसम्बर में क्या टूटने की स्थिति थी ? कितना पानी था ? इसका जबाब दीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : इसके सम्बन्ध में नेगोशियेशन्स पहले भी चल रहे थे । ७० हजार का कूंत हुआ था । सरकार ने कहा ५० हजार में देने लिये तैयार हो तो हम उसको लेने के लिये तैयार हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि तालाब के मामलों में किस किस जागीदार के प्रोप्राइट्री राइट्स हैं इस संबन्ध में राज्य सरकार ने अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे नहीं मालूम है । स्पेसिफिकेली यही कट मोशन था इसलिये इसको इसी रूप में मैंने देखने की कोशिश की । माननीय सदस्य मेरे साथ बैठ जायं । मैं उनको सेटिस्फाई कनने की कोशिश करूंगा । इसमें कोई किसी तरह का पोलिटिकल मोटिव नहीं था । एक ही मोटिव था किसान को लाभ पहुंचाया जाय ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसे अनेक जागीरदारों के तालाब हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : जहाँ ऐसे होंगे वहां ऐसा किया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने असर्टेन कर लिया था कि प्रोप्राइटरी राइट्स जागीदारों के थे ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था । आपको इन्फोर्मेशन मिली वह सही नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : कई जगह जागीदारों के तालाब लेने की बात चली आ रही थी वहां क्यों नहीं लिये ?

श्री रामकिशन : इस तालाब से कितनी सिंचाई होती है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरे साथ बैठ जायं मैं बता दूंगा ।

श्री रामकिशन : २० साल पीछे बैठे थे आपके साथ । अब मेरी आपके साथ बैठने की इच्छा नहीं है । इसे पाण्डुलिपि के साथ मिलाया जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री रामकिशन : एक ही मामला है । सीमित उद्देश्य से लिये खड़ा हुआ हूं । बिना आपके पास बैठे ही आप जानकारी करा दें तो अच्छा है । दूसरे ढंग से राज्य सरकार इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से लेगी तो उसके हो सकते हैं वैसे ही राजनैतिक कारण हों ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) एक कटौती प्रस्ताव मैंने रखता था खारी नदी की नहरों के सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कटौती प्रस्ताव का जबाब लिखित में आपके पास आ जावेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज तर्क लिखित में आया नहीं । डिपार्टमेन्ट ने खुद ने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रिकमेन्ड किया है कि कमान्ड एरिया को निकाल दिया। कब तक मन्त्री महोदय, उसको निकाल देंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी** : इसकी सारी डिटेल्स को देख कर जो भी करने का होगा वह करने की कोशिश करूंगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री **उपाध्यक्ष** : आपका कटौती प्रस्ताव है क्या ?

श्री **विजयसिंह रावत** : मुझे वह कह कर गये थे।

श्री **हरिदेव जोशी** : मैंने माननीय सदस्य जो भी बोले हैं उनको नोट कर लिया है। झुंझुनूं जिले में केनाल लाने की बात थी।

श्री **विजयसिंह रावत** : आपने प्रकाश डाला नहीं उस पर। दो वर्ष पहले मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह घग्घर नदी का पानी ला दिया जावेगा। उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहे हैं।

श्री **हरिदेव जोशी** : घग्घर का प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है। मुझे जानकारी नहीं है मुख्य मन्त्री ने क्या कहा था। मैं कोई बिना जानकारी के बात कहूं यह मेरे लिये उचित नहीं होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : माननीय मंत्रि महोदय, सदन की जानकारी के लिये....

श्री **उपाध्यक्ष** : एक सदस्या। रानी श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने कहा एक सदस्य वह सदस्या हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं सदस्य तो हूं ही। आप सदस्य नहीं मानते, तो मेरा यह प्रिविलेज का प्रश्न है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड में इन दिनों में कुछ प्रगति हुई है ? प्रगति हुई है तो क्या प्रगति हुई है ? ९ साल पहले नोट भेजा था उसके बाद क्या-क्या प्रगति हुई ? हमारा हिस्सा कितना है और कितना हमको कम मिलता है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : यह सारी चीजें सरकुलेट की गई हैं। माननीय सदस्या इसको देख लें तो सेटिस्फेक्शन हो जायगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप सेटिस्फाई कीजिये। एक घण्टे भर तक।

श्री **हरिदेव जोशी** : जो चीजें यहां कहीं गई हैं या कहने की कोशिश की गई हैं, वह पहले ही सरक्युलेट हो चुकी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जो हिस्सा मिलना चाहिये उससे कम मिल रहा है क्या ?

श्री **हंसराज आर्य** : ३७ हजार एकड़ अन कमान्ड नहीं हो सकी। ३५ गांवों को

(श्री हंसराज आर्य)

पानी नहीं मिलता । टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत खाते दारों से वंचित है ।

श्री हरिदेव जोशी : यह कोलोनाइजेशन की बात है । कमाँन्डमें आयीं और अनकॉमन्ड में क्यों गई ? वह वन्डर एक्जॉमिनेशन है और गवर्नमेन्ट का डिसिजन होते हो वहां के लोगों को कनवें कर दिया जावेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सवाल था ।....

श्री विजयसिंह रावत : सदन के माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स पर बोलते हुए ध्यान आकर्षित किया था कि जो तालाब अधूरे छूट गये हैं, छोटे २ तालाब बनाये लेकिन अधूरे छूट गये उनको पूरा करने के लिये जोर दिया गया लेकिन उन पर आपने कुछ नहीं बताया ।

श्री हरिदेव जोशी : कई तालाब अधूरे पड़े हुई हैं । में इस वेकार बात के लिये कुछ नहीं कह सकता । जब तक स्पेसिफिक तालाब के लिए न कहें । जनरल तौर पर कह चुका हूं कि प्रायोरिटी उनको देनी चाहिये जो इनकम्पलीट हैं । कम्पलीट हो जाय तो नहरों के काम को हाथ में लेना चाहिये और मेक्सिमम जितना युटिलाइजेशन कर सकें करना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : में एक सवाल पूछना चाहता हूं । राजस्थान में ३ करोड़ एकड़ जमीन है ।

श्री. पी. के. चौधरी : On a point of order Sir, तीन सदस्य एक साथ खड़े हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि ३ करोड एकड़ भूमि बिना पानी के पड़ी हुई है । जो-जो रिसोर्सेज पानी के हैं उनका सर्वे करवा लिया जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : में पहले कह चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके सुझाव लम्बे चौड़े हैं, बाद में दे सकते हैं इनको । Order please.

मांगों पर मतदान ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बहुत महत्वपूर्ण है यह उपाध्यक्ष महोदय । सारे राजस्थान का सवाल है इसमें उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रोशनलाल शर्मा : राजस्थान में अकाल पड़ा है । उसको देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव तो मेरा नहीं है, पर आज्ञा हो आपको तो एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और वह राजस्थान कैनाल के संबंध में मेरा निवेदन है ।

एक तरफ तो आपने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि हम ओवर ड्राफ्ट नहीं लेंगे । दूसरी तरफ आपने एक व्हाइट ऐलीफेण्ट बांध रखा है राजस्थान कैनाल का,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जिसके द्वारा आपकी दूसरी सारी योजनाएं पंगु बन गई हैं ।

राजस्थान कैनाल आज राजस्थान के हित की ही नहीं सारे राष्ट्र के हित की योजना है । लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की समस्या का हल इसमें निहित है. सारे राष्ट्र के खाद्यान्न के उत्पादन की समस्या का हल इसमें है तो फिर क्या राजस्थान सरकार यह नहीं समझती कि राजस्थान कैनाल का पूरा भार अपने स्वयं के कन्धों पर नहीं लेकर केन्द्र को कहा जावे कि वह इसका खर्चा वहन करे ? केन्द्र द्वारा उस खर्चे को वहन न करके राजस्थान को कहना क्या यह घोर अन्याय नहीं है ? क्या यह सारे देश के लिए महत्व की योजना नहीं है ? क्या इस ओर राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती कि जिससे सारे राष्ट्र की महत्वपूर्ण सिंचाई की समस्याओं का हल होगा उस व्हाइट एलीफेन्ट को हमारे सिर पर क्यों डाल रहे हैं ? भाखरा नांगल आदि बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनको केन्द्र ने अपने हाथ में लेकर पूरा किया तो यह तो उससे भी बड़ी योजना है । क्यों नहीं आप केन्द्र से निवेदन करते कि हमारे पर इसको लादना हमारे साथ घोर अन्याय है ? हमारे हित और वेलफेयर इस पर इन्टरडिपेण्डेण्ट है । यह एक राष्ट्रीय केरेक्टर की योजना है । इसे राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी समझ कर अपने पर ले । इसको केन्द्र अपने कन्धे पर लेकर इसका खर्चा खुद वहन करे तो करोड़ों रुपया हम अपना दूसरे राजस्थान के हित की योजनाओं की तरफ खींच सकते हैं और लगा सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके साथ ही में....

श्री हरिदेव जोशी : मुझे दुःख हुआ कि राजस्थान की इतनी बड़ी योजना को व्हाइट एलीफेण्ट का विशेषण दिया गया है । माननीय विरोधी पक्ष के नेता द्वारा यह विशेषण देना कहां तक उपयुक्त होगा यह तो उपाध्यक्ष महोदय आप भी देख सकते हैं ।

राजस्थान कैनाल हमारे लिए बून बनकर आई है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : व्हाइट एलीफेन्ट यों कहता हूं कि राजस्थान सरकार इसको २०।२५ वर्षों में बना पावेगी तो केन्द्र इसको १०।१५ वर्षों में बना सकेगी, और फिर राजस्थान की दूसरी सारी योजनाएं ठप्प हो जावेंगी, इसलिए यह हमारे लिए व्हाइट एलीफेन्ट है ।

श्री हरिदेव जोशी : हिन्दुस्तान के लोगों के लिए और खास कर राजस्थान के लोगों के लिए यह एक बून है । मैंने शुरु में ही निवेदन किया है कि हम शुरु से ही यह मानते आरहे हैं कि भारत सरकार इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार करे और स्वीकार करके इसको जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले । अगर वह ले सके तो यह बहुत अच्छी बात है । यदि नहीं लेती है तो कम से कम वह ओवर एण्ड एबव दी प्लॉन सीलिंग जितना अपना खर्चा वह स्वयं वहन करे, इस दृष्टि से भारत सरकार से चर्चाएं हुई हैं हमारी ओर से कुछ निर्णय भी लिये गये हैं उसके अनुसार राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी का निर्माण किये जाने की बात सामने आई और बिल भी ड्रॉफ्ट हो गया । सारा फैसला होगया । मगर हम एक तरफा

(श्री हरिदेव जोशी)

तो कोई एक्शन लेने में सक्षम नहीं है। हमारी स्थिति यह है कि जब तक भारत सरकार स्वयं इसे स्वीकार न करे तो हम उसे फैंक कैसे दें ? और हमारी मजबूरी यह है कि भारत सरकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है । वहाँ आज हमारे कमिटमेन्ट्स हैं । इसलिए निश्चित रूप से आपने जो बात कही, वह मैं मानता हूं कि इसका भार केन्द्र को वहन करना चाहिये। राजस्थान केनाल के कारण से राजस्थान के दूसरे कामों में हम हाथ नहीं बटा पा रहे हैं। यह हमारी मजबूरी है, परेशानी है। इसके लिए पहले भी बहुतसे विचार व्यक्त किये गये हैं और भारत सरकार से चर्चा भी इसी को लेकर की गई थी। राजस्थान सरकार जो भी हो सकेगा इस बारे में प्रयत्न करेगी। आइन्दा भी करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीसरी योजना के अन्त तक आप द्वारा कितनी भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था और उसमें कितना शार्टफाल रहा यह जनरल जानकारी के लिए हमें आप दे दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब भी दिलवाया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे सामने टारगेट और फिगर्स तो हैं नहीं, मगर इनवेस्टमेन्ट का अमॉउन्ट है। खर्चा करने का फिगर जो था That has been exceeded.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खर्चे के फिगर की बात नहीं करता। मैं फिजिकल टारगेट पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लीजिए ताकि पूरी सूचना इसको मिल सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज्ञा पहले आपने प्रदान कर दी, मैंने प्रश्न पूछ लिया, अब मन्त्री महोदय के पास उसका उत्तर नहीं है तो वे ऐसा कहें।

प्रश्न इतना सा है, आपने ठीक फरमाया कि राजस्थान सरकार ने सारा रुपया खर्च कर दिया। चम्बल भाखरा वगैरह की ईरिगेशन की बात है। इसमें मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर उनके पास नहीं है तो, उसके आधार पर एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान केनाल से तीसरी योजना के अन्त में ४ लाख ८७ हजार एकड़ सिंचाई करनी थी जबकि वास्तविक रूप में ७० हजार एकड़ तीसरी योजना के अन्त में हुई ? गलत हो तो बता दीजिए। आपके फिगर हैं ये तो। खर्च तो आपने सब कर दिया।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान केनाल में सन् ६४।६५ और ६५।६६ में ५८ हजार एकड़ सिंचाई हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज करता हूं ४ लाख ८७ हजार का टारगेट था आपका अनुमान था और वास्तविक सिंचाई होती है ५८ हजार एकड़ ही। इससे सदन यह अनुमान लगा सकता है कि कितने करोड़ रुपये आप बरबाद करते हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

चाहूंगी । मुझे माडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कोटा के लिए असिस्टेन्ट के रूप में मुकर्रर किया गया था । उसके बारे में मेरी व्यक्तिगत योग्यता और अयोग्यता को लेकर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है ।

इस बारे में मैं इतना निवेदन करूंगी कि जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे किसी भी तरह से इस हैसियत में नहीं हैं कि वे मेरी योग्यता और अयोग्यता के बारे में फैसला करें न यह उनकी हैसियत है न आगे भी रखते हैं ।

दर्द उनको इस बात का नहीं है कि मुझे असिस्टेन्ट क्यों मुकर्रर किया । दर्द इसलिए है कि कोटा में रहने वाले हैं, वकालत करते थे, पिछले पांच सालों से विधान सभा के सदस्य हैं, वकालत में कमजोरी आई हुई थी, तो उनको ऐसे वक्त वकील क्यों नही नियुक्त किया गया । यह इसके पीछे की बात है ।

एक बात यह भी मैं बता दूं उनको कि मैंने कितने केस लड़े हैं । मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती पर इतना जरूर कहूंगी कि रिकार्ड मेरा भी देख लिया जाय और कहने वाले सदस्य महानुभाव का भी देख लिया जाय । कितने केस मैंने कन्डक्ट किये हैं । आज भी सवालात हो सकते हैं । वे उनका ठीक जवाब दे पाते हैं या मैं जवाब दे पाती हूं । फैसला उससे हो जावेगा । योग्यता की जांच जिनको करनी थी उन्होंने करली थी और करके जिसको योग्य माना उन्होंने अपॉइन्ट किया । इस बात के लिये निवेदन करूंगी कि व्यक्तिगत लांछन लगाना यह सुन्दर बात नहीं है ।

मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मुझे जिस तरह से अपॉइन्ट किया गया था, मुझे स्वयं को उससे नाराजी थी, मैं छोड़ना चाहती थी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order Sir,

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह पॉइन्ट ऑफ आर्डर का प्रश्न नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्या का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का प्रश्न है, वह, मैं समझता हूं, व्यक्तिगत तो आरोप लगाया नहीं, और अगर उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता । आप को अपॉइन्टमेन्ट मिला, टर्म्स ऑफ अपॉइन्टमेन्ट आपको ठीक नहीं लगीं, आप छोडना चाहती थीं, नहीं छोड़ना चाहती थीं इस सारी चीजों को सफाई देने के लिये यह सदन नहीं है । और इसलिये नहीं है कि आपके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन की गई है और उसमें यह सवाल था कि इस अपॉइन्टमेन्ट के कारण से ही आप डिसक्वालिफाइड थीं और वह क्वश्चन इसलिये इम्पोर्टेन्ट है कि उन्होंने कन्टोन्यू कबतक किया । छोड़ने का क्या मामला था और इस सारे मामले में उस इस्यू पर छोड़ना चाहती थी, छोड़ने का इरादा था, पर जबर्दस्ती रख दिया । यह सारा मसला सबजुडिस है । इलेक्शन पिटीशन केवल इस इस्यू पर आपके खिलाफ पेश की गई है ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सफाई दीजिये व्यक्तिगत आज दीजिये, कल दीजिये, मुझे इससे सरोकार नहीं, पर इस इस्यू पर आप कुछ नहीं कह सकतीं सदन में क्योंकि यह इस्यू सबजुडिस है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्षजी में एक मिनट से ऊपर नहीं लूंगी। जहां तक डिस्क्वालीफिकेशन का सवाल है वह होती है या नहीं। उसका फैसला तो हाई-कोर्ट करेगी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहती और न मुझे कुछ कहने का अधिकार है। उसका फैसला टोटली हाईकोर्ट करेगी। किन्तु सवाल यह था कि कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने अयोग्य व्यक्ति को अपॉइन्ट किया और यह व्यक्तिगत लांछन मेरे ऊपर लगाया और यह उनको कहना नहीं चाहिए था और न उनको ऐसा कहने का कोई अधिकार है। इसका फैसला करने का माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है। योग्यता और अयोग्यता का फैसला जिनको करना था उन्होंने कर दिया और जहां तक आर्बीट्रेशन का सवाल है मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सेन्ट्रल पी० डब्लू० डी० के खिलाफ कम से कम १० आर्बीट्रेशन केसेज में मैं एपियर हुई हूं और दुगम्ल जो बड़े से बड़े कॉन्ट्रेक्टर माने जाते हैं उनके केस में भी मैं एपीयर हुई हूं और यह मैं नहीं कह रही हूं। गवर्नमेंट का रेकार्ड बता देगा। आप उसको उठाकर देखलो माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है मेरी योग्यता और अयोग्यता के बारे में कहने का।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर इस पर अब कोई विवाद नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा.......

श्री हरिदेव जोशी : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्या को भी इसमें कोई फील होने की बात नही थी। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से यह निवेदन किया था कि हमने योग्य मानकर ही अपॉइन्ट किया है और उनको इस बात से सन्तोष हो जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जबर-दस्ती सिम्पेथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य जो उधर से कह रहे हैं, मैं निवेदन कर चुका हूं और मैं समझता हूं कि यह बात यहीं पर समाप्त होजानी चाहिए और खास तौर से मैं एक निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि किसी महिला.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। प्रश्न यह है कि जिस माननीय सदस्या के ऊपर कोई लांछन लगाया गया है उसका उनको स्पष्टीकरण करने का अधिकार है और उस अधिकार का उपयोग श्रीमती कांता कथूरिया ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से वह सवाल खत्म हो गया.......

श्री पी० के० चौधरी : उसमें कोई पर्सनल लांछन नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं है तो ठीक है। अगर है तो भी अधिकार उनको है क्लेरीफिकेशन का और उसका उन्होंने उपयोग कर लिया है। अब उसके बाद में मन्त्री महोदय जबरदस्ती पैरवी करके उनके दिमाग में कोई असर डालकर सहानुभूति लेना चाहें तो वह नहीं ले सकते।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो खेद है कि माननीय सदस्या को जो कुछ मैंने कहा उस पर उन्हें दुःख हुआ लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ प्रोसीडिंग्स में रेकर्ड हुआ है शायद उन्होंने उसको पढ़ा नहीं और दूसरी इनफार्मेशन उनको मिली है उन्हीं की पार्टी के लोगों से उसी आधार पर आपने बोल दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि उनकी योग्यता कम थी, न मैंने कोई चार्ज लगाया, न लांछन लगाने की मेरी इच्छा थी। प्रश्न केवल यह था कि कोटा के अन्दर आर्बीट्रेशन हो, बीकानेर से कोटा आने का खर्चा कितना होता है और उसके लिए कितना खर्चा सरकार को अधिक उठाना पड़ा और वह किसलिए उठाना पड़ा इस बात पर चर्चा थी। मैं माननीय सदस्या से कहना चाहता हूं कि जिस रोज ६२ के चुनावों में मैंने जीता और उसका परिणाम निकला, उसके पश्चात ही मैंने अदालत में पैर रखना बन्द कर दिया और राजनीति में आगया।

श्री मुकुटबिहारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। यह बहुत जरूरी है। मुझे एक मिनट का समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अब मतदान होगा।

श्री शिवचरणसिंह . उपाध्यक्ष महोदय (अश्रव्य)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No member should be permitted to exploit the situation.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मांगों पर मतदान।

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक मिनट में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत कुछ कह दिया। अब स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आज तो मैं बोला ही नहीं हूं आज मैं चुपचाप बैठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारी लाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह जानना चाहूंगा कि श्रीमती कान्ता कथूरिया के ऐंगेजमेन्ट के बारे में एज ए लॉइयर......

(व्यवधान)

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आवाज के अन्दर मेरी बात नहीं सुनी गई। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि श्रीमती कान्ता कथूरिया के ऐंगेजमेंट के बारे में एज ए लॉयर किस की तरफ से बहस की गई, आया उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे मुकद्दमे के लिए पैरवी के लिए दिया जाये यह एप्लीकेशन क्या श्रीमती कान्ता कथूरिया की तरफ से की गई, या गवर्नमेंट की तरफ से की गई या विभागीय अध्यक्ष ने यह पोस्ट उनको आॅफर की। दूसरा सवाल यह है कि इस ऐंगेजमेंट से पहले वह कितना इनकम टैक्स देती रही हैं ? तीसरा सवाल यह है कि इतनी जो फीस बड़ी तादाद में ली है उसका इनकम टैक्स आज तक दिया है या नहीं ? चौथी बात जो हाई कोर्ट की वकीलों की लिस्ट बनती है उस समय वह कितने लाइयर्स से नीचे हैं लिस्ट में। यह एक सवाल सामने आता है·······

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मुझे यह अधिकार है कि हमारे इलाके के लॉइयर्स को नहीं लिया गया ·········

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यही आरोप लगे तो प्रत्यारोप भी लगे और उनका स्पष्टीकरण भी हो गया अब मेरे ख्याल में यह तो बजट से कोई सम्बन्ध रखने वाला नहीं है आप तो डिमान्ड को केवल वोट करके इस पर कर टेन डॉउन कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट से तो ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बुजुर्गों से से तो बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं रखता।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर है। अभी माननीय सतीशचन्द्र जी ने कहा है कि बजट से तो ताल्लुक नहीं रखता लेकिन बुजुर्गों से तो बिलकुल ही ताल्लुक नहीं रखता तो इसमें बुजुर्ग वाली बात को हटवा दिया जाये क्योंकि आगे आने वाली संतति दूसरा अर्थ ले सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ जाये तो दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०७,०७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक—

४३—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा

(श्री उपाध्यक्ष)

जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४—सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८१,३६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक—

९८—बहु प्रयोजना नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत।

९९. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

१००—सिंचिन, नौचालन, तट बन्धन जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जागे वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,४९,१३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ६.३१ पर शनिवार दिनांक १७-६-६७ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५६१ का उत्तर देखिये)

तारांकित प्रश्न संख्या १२४/गृ० मं० द्वारा श्री प्रेमसिंह सिंगवी,

राजस्थान विधान सभा की पूरक टिप्पणी

कोटा जिले में दिसम्बर, १९६६ में कोई स्थानान्तर पुलिस निरीक्षक के नहीं हुए जनवरी, १९६७ से अप्रेल, १९६७ तक उप निरीक्षक के स्थानान्तर कहां-कहां किस-किस के हुए निम्न सूची से हालात अवगत होंगे।

क्रम सं०	नाम अफसर	मुकाम तैनाती	तबादला का कारण एवं तारीख माह व सन्	किस अफसर को कहां लगाया गया	कब लगाया गया	संक्षिप्त हालात स्थानान्तर
१.	श्री मुरारीलाल	एस. एच. ओ. बुड़ादोत	मेडिकल ग्राउण्ड पर अवकाश	श्री मोहम्मद अलादीन थाना बुड़ादीत	जनवरी, ६७	जनसंघ व कांग्रेस में चुनाव के कारण वाद-विवाद था अतः तबादला किया गया।

२.	श्री मोहम्मद अलादीन	एस. एच. ओ. बुड़ादीत	५८ साल हो जाने से रिटायरमेंट	श्री दुलीचन्द को बड़ादीत लगाया	२९-५-६७	रिटायरमेंट होने से तबादला किया गया।
३.	श्री इब्राहीम	कस्बा थाना एस. एच. ओ.	तबादला हो जाने से	श्री नारायणलाल को कस्बा थाना कोटा झालावाड़ से आये।	फरवरी, ६७	अपर महानिरीक्षक के आदेश से नारायण लाल तबदील होकर झालाबाड़ से आये इससे कस्बा थाना पर लगाया इब्राहीम का झालाबाड़ हुआ।
४.	श्री नाथूसिंह	एस. एच. ओ. शाहबाद	मेडिकल ग्राउण्ड पर अवकाश पर	श्री घनश्यामदास शाहबाद लगाया	जनवरी, ६७	नाथूसिंह के छुट्टी पर होनेसे घनश्याम-लाल एस. आई. एम. ए. बी. को शाहबाद लगाया।
५.	श्री घनश्यामलाल एस. आई.	एस. आई. एम. ओ. बी.	एस. एच. ओ. शाहबाद के छुट्टी पर होने से लगाये	श्री भवानीशंकर एस. आई. को एम. ओ. बी. में लगाया।	मार्च, ६७	श्री घनश्याम लाल को शाहबाद लगने से एम. ओ. बी. म जगह खाली होने से भवानीशंकर एस. आई. डी. एस. बी. को लगाया।

६.	श्री कुतुबुद्दीन	एस. एच. ओ. कनवास	आरजी तौर पर एस. पी. आफिस में स्पेशल ड्यूटी में लगाया।	—	जनवरी, ६७	स्पेशल ड्यूटी पर आरजी तौर पर लिये गये जो मार्च में वापस कनवास भेज दिये गये।
१७.	श्री विशनसिंह	एस. एच. ओ. थाना मनदाना	ट्रैप में पकड़े गये		अप्रेल, ६७	निलम्बित कर, लाईन पुलिस में लगाये गये।

उपरोक्त सूची से कारण विशेष्य ही स्थानान्तर होना अवगत है।

———

[redacted]

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये)

LIST OF MEMBERS OF ADVISORY COUNCIL FOR KOTA MASTER PLAN.

1.	Minister for Town Planning.	Chairman.
2.	Secretary Town Planning Department.	Vice-Chairman.
3.	Secretary Revenue Department.	Member.
4.	Secretary, Finance Department.	,,
5.	Secretary, Industries Department	,,
6.	Collector, Kota.	,,
7.	Director of Agriculture.	,,
8.	Chief Engineer, Public Works Deparment (B&R)	,,
9.	Chief Engineer, Health.	,,
10.	Development Commissioner.	,,
11.	Divisional Superintendent, Railway (WR)	,,
12.	Station Commanding Officer Military Kota.	,,
13.	Chairman, Mandi Committee Kotah.	,,
14.	President/Administrator, Municipal Council	,,
15.	President Chamber of Commerce and Industries Kotah.	,,
16.	Shri R. C. Dhariwal Advocate.	,,
17.	Shri Rameshwar Dayal Chairman Chamber of Commerce, Kotah.	,,

[redacted]

18. Shri Chandarbhan Srivastava, Representative of Labour Union. Member.

The Chief Town Planner Rajasthan, Jaipur will be member Secretary of the Council.

परिशिष्ट ३

समयाभाव के कारण समय में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों के लिए पर्याप्त स्थान

५६६. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वर्तमान रोगियों की संख्या को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस दृष्टि से क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

वर्तमान काल में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ८६७ रोगी शैयाएं हैं। गत ४ वर्षों में स्वीकृत रोग शैयाएं व दैनिक औसतन इन्डोर व भरती किये रोगी निम्न प्रकार हैं :—

सन्	स्वीकृत शैयाएं	रोगी दैनिक औसत इनडोर	दैनिक भरती रोगी	औसतन किए गए।
१९६३	७८१	७६६	४९	
१९६४	७९२	७१२	५१	
१९६५	८१६	७७१९	५०	
१९६६	८६७	८०४	५६	

उपरोक्त सारणी के अनुसार वर्तमान काल में सवाई मानसिंह अस्पताल में पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।

विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न--पत्र

५६७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६७ में होने वाली परिक्षाओं में कौन कौन सी कक्षा के कौन-कौन से विषयों के पेपर आउट हुए या समय पर नहीं मिल सके जिसके कारण विद्यार्थियों को दुबारा परीक्षा देनी पड़ी ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) पेपर समय पर नहीं मिलने या आउट हो जाने में किसी की गलती थी ? क्या इसकी कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(३) क्या सरकार उन छात्रों व छात्राओं को मुआवजा देना चाहती है जिनको विभाग की गलती के कारण दूर-दूर से दुबारा परीक्षा देने आना पड़ा ? यदि हां तो कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान बोर्ड सैकण्डरी एज्यूकेशन के सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के निम्न विषयों के पेपर आउट हुए।

१. नागरिक शास्त्र २. संस्कृत ३. इतिहास ४. भूगोल ५. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र ६. गणित ७. रसायन शास्त्र ८. व्यापार पद्धित ज्ञान ९. आर्थिक और व्यापारिक भूगोल के अलावा राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला (सवाई माधोपुर की दसवीं कक्षा के होम एक्जॉमिनेशन में अर्थशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी के पर्चे भी आउट हुए। जिसकी एनक्वायरी चल रही है।

(२) राजकीय सैकण्डरी स्कूल, खेड़ली (अलवर) के यू० डो० सी० व एक चपरासी प्रश्न पत्र चुराने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए लेकिन बाद में जमानत पर छूट गए। उन पर मुकद्दमा लक्ष्मणगढ़ अदालत में चल रहा है। जो जो इस मामले में जुम्मेवार थे उन सबको मोअत्तिल करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(३) यह सम्भव नहीं हैं।

गऊघाट बपावर (कोटा) सड़क का निर्माण

५६८. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में गऊघाट से बपावर १२ मील कच्ची सड़क को पक्की सड़क में परिवर्तित करने हेतु मंजूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब हुई ?

(२) इस सड़क के लिए कितनी रकम मंजूर हुई ?

(२) इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरु हो जायेगा।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें

५६६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) की प्रमुख सिफारिशों और सुझावों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इन सिफारिशों को अमल में कब तक लाने का विचार है ?

उत्तर

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है। आयोग के सुझावों पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् ही उनको कार्यान्वित करने की कार्यवाही सम्भव होगी ?

हमामपुर-डाबला (सीकर) सड़क निर्माण कार्य

५७० श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हमामपुर से डाबला (जि० सीकर) तक सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो कार्य अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या सरकार हमामपुर से डाबला तक सड़क को जल्दी बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को पूर्ण कराने का इरादा है ?

उत्तर

(१) जी हां। भूमि अवाप्तिगी को कठिनाई के कारण।

(२) आशा है चतुर्थ योजना में।

फिदूसर व देवरिया पत्थर उद्योग (जोधपुर) हेतु प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

५७१. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ग्रोमदत्त)

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में स्थित फिदूसर व देवरिया,पत्थर उद्योग स्थल के ग्रासपास कोई राजकीय प्राईमरी हैल्थ सेण्टर का प्रवन्ध नहीं है ?

(२) ग्रगर हां, तो सरकार का इरादा कब तक पत्थर उद्योग स्थल के ग्रास पास केन्द्र स्थापित करने का है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) इस स्थान के पास एक राजकीय उप-केन्द्र कालोवेरी है ग्रौर फिदूसर स्टेशन के पास ही राजकीय सूरसागर एड पोस्ट कार्य कर रहा है। ग्रतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

सेकेन्डरी स्कूल कठूमर का भवन निर्माण

५७२. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सेकेन्डरी स्कूल, कठूमर के भवन निर्माण के लिए २५,०००) रु० जनता की ग्रोर से दिये जाने पर शेष धन राशि सरकार ने ग्रपनी ग्रोर से लगा कर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ली थी ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने स्कूल भवन निर्माण कार्य ग्रभी तक पूर्ण क्यों नहीं कराया ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल भवन निर्माण कार्य में जनता की ग्रोर से लगभग ५०,०००) रु० का योगदान दिया जा चुका है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं। जनता ने २५,०००) रु० दिये व ग्रपना श्रमदान भी किया जिससे ६ कमरे तैयार हो गये।

बकानी-झालावाड़ बस सर्विस सुविधाए

५७३. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(१) बकानी से झालावाड़ तक जाने आने के लिए कितनी बसें चलती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि २।। बजे दोपहर बाद बकानी से झालावाड़ आने के लिए और सुबह १०।। बजे से पहले झालावाड़ से बकानी जाने के लिए कोई बस नहीं चलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सुबह शाम आने जाने के लिए बस चलाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो कब कब ? क्या उन्हें परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस को ?

उत्तर

(१) बकानी झालावाड़ मार्ग नहीं है बल्कि कोटा झालावाड़ बकानी मार्ग है जिस पर पांच (५) बसें पास हैं।

(२) यह सही है कि बकानी से झालावाड़ आने के लिए २।। बजे बाद बस नहीं है किन्तु यह सही नहीं है कि सुबह १०।। बजे से पहले झालावाड़ से बकानी जाने के लिए बस नहीं है।

(३) ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं अतएव परमिट दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय दौसा का भवन निर्माण

५७४. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार महा विद्यालय दौसा के भवन निर्माण के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या देखते हुए यह भवन बहुत छोटा है और भवन निर्माण के लिए ६ साल पूर्व दौसा नगरपालिका ने २५ हजार रुपया बतौर सहायता के जमा करा दिये थे ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि में सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर सकी ?

उत्तर

(१) भवन निर्माण के लिए ५७ बीघा १४ बिस्वा जमीन (Acquire) अवाप्त करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम (Land Acquisition Act.) की धारा ४ के अन्तर्गत नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है।

(२) जी हां। लेकिन कालेज खोलते समय जनता ने ५०,००० रु० भवन निर्माण के लिए देने का वायदा किया था उसमें से अभी तक केवल २५,००० रु० ही जमा कराया है।

बाली में कचहरी रोड पुलिया का निर्माण

५७५. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गत ग्राम चुनावों के ठीक पहले बाली (जिला पाली) में कचहरी रोड पर एक नाले पर एक पुलिया के निर्माण का कार्य चालू किया गया था परन्तु चुनाव समाप्ति के पश्चात से निर्माण कार्य पूर्णतया बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह निर्माण कार्य बिना विभागीय स्वीकृति के चालू किया गया था ? यदि हां, तो अब इस निर्माण कार्य की पूर्ति हेतु विभागीय स्वीकृति दी जायगी या नहीं ? यदि दी जायगी, तो कब तक ?

उत्तर

(१) सही नहीं है।

(१) जी नहीं। काम पूरा हो गया है।

१९६७-६८ में दूदू में हाई स्कूल

५७६. श्री **सुवा लाल चौधरी** (दूदू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दूदू जहां पंचायत समिति का मुख्यालय और हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है, क्या वहां सन् ६७-६८ में हाई स्कूल खोली जा सकेगी ?

उत्तर

जी नहीं !

हायर सेकेन्डरी कक्षा तक निशुःल्क शिक्षा

५७७. श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भगवानदास शास्त्री)

क्या सरकार सभी सरकारी अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों में हायर सेकेण्डरी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

शुद्धि पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १६ जून, १९६७)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
३	अन्तिम से ६	श्री ब कतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
,,	अन्तिम	गवर्नगेन्ट	गवर्नमेन्ट
५	१८	प्रोजीशन	पोजीशन
,,	अन्तिम	नियुक्त	नियुक्ति
६	६	समाने	सामने
१०	१७	दिला	दिखा
१६	१७	जो प्रश्न में	जो प्रश्न में
१८	३	अच्छा होगा	अच्छा होता
,,	६	दिया	किया
२१	अन्तिम से १०	सकता	सकता है
२६	६	श्री विजहसिंह	विजयसिंह
,,	१२	श्री विजयसिंह रावत	५४८ श्री विजयसिंह रावत
२७	१२	रूपसिंह राजवी	५४१ श्री रूपसिंह राजवी
२६	अन्तिम पंक्ति	श्री मोहनलाल सुखड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
३१	शीर्षक	ता ांतक	तारांकित
३३	११	बरारद हुआ	बरामद हुआ
३४	६	पचोली	पंचोली

१	२	३	४
३६	अन्तिम से ३	मिन्नव्ययता	मित्तव्ययता
४२	५	कनने	बनने
४५	३	इसक	इसका
,,	,,	में दिय ।	में दिया
४६	११	श्री चुन्नीलाल इदांलिया	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
,,	अन्तिम	,,	,,
४७	२०	मन्त्री मोहदय	मन्त्री महोदय
४६	अन्तिम से ३	दे सकें । तो	दे सकें तो
,,	,, से २	में आ जा	में आ
५२	१६	(पिपलाखूंट :	(पिपलखूंट) :
५३	अन्तिम से ५	दुरुपयाग	दुरुपयोग
६२	,, से ११	हाइ स्कूल	हाईस्कूल
६५	१	विरिष्ठता	वरिष्ठता
,,	११	विणिज्य	वाणिज्य
,,	१३	अतावर्तक	अनावर्तक
६६	अन्तिम से ४	आमतौर	आमतौर से
६६	१५	आई की	आई कि
७०	अन्तिम से ८	सालहकार	सलाहकार
७१	७	सलाकार	सलाहकार
,,	अन्तिम से ८	श्री रामप्रसाद बोहरा झालरापाटन	श्रीरामप्रसाद बोहरा(झालरापाटन)

१	२	३	४
८०	६	अन्यापूर्ण है	अन्यायपूर्ण है
८१	६	ग्रार	अगर
८३	शोर्षक	—१३—जून १९६७—	१६ जून, १९६७
८३	८, १३ व २८	श्री बाघसिंह	श्री बालसिंह
८४	अन्तिम से ७	श्री बाघसिंह	श्री बालसिंह
८५	६	बातजीत	बातचीत
१०६	अन्तिम से ६	तटबन्ध	तटबन्धन
११४	अन्तिम से ७	Thernal. Power	Thermal Power
११५	शोर्ष	(श्री देवोलाल)	(श्री देवीलाल)
१२१	३	श्रा रामकिशन	श्री रामकिशन
१२५	१०	सुविवायें	सुविधायें
,,	१३	मैं	में
१२९	१६	अतः में	अतः मैं
१३०	अन्तिम से ६	पड़ा।	पड़े ।
१३३	,, ४	करक	करके
१३४	,, ३	इस नाते में	इस नाते मैं
१३५	५	एस्टीशेट	एस्टीमेट
,,	१०.	में	मैं
१३७	१४	दूसरी और	दूसरी ओर
१३८	६	६३ ६४	६३-६४

१	२	३	४
१३८	१६	स्क्रीनिंक	स्क्रीनिंग
१४६	१४	में	मैं
१५१	११	पान‌ी	पानी
१५२	१०	हएिया	एरिया
१५५	२१	ट्यू बेवेल्स	ट्यूबवेल्स
१६१	१	घोषाएां	घोषणा
१६३	२०	करने लिए	करने के लिए
१६६	२३	१० स्मीम्स	१० स्कीम्स
१६७	८	खरोर्द	खरीद
१६८	७	एक ग्रौर	एक ग्रोर
१७१	१०	इह	इस
१७२	ग्रंतिम से १४	यह योजता	यह योजना
१७३	१२	इसलिएं में	इसलिएं मैं
१७४	ग्रंतिम से २	श्री मीमसेन : (लूणकरणसर)	श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :
१७५	१४	वह इलका	वह इलाका
१७६	ग्रंतिम से २	खर्च करता	खर्च करना
१७८	४	नहरी की	नहरों की
१८०	६ व ७	एक एक करके बीघा नीलाम	एक एक बीघा करके नीलाम
,,	१३	प्राधधाम	प्रावधान
,,	१४	उससे ग्रनुसार	उसके ग्रनुसार

१	२	३	४
१८०	२४	लोगों को	लोगों का
,,	अन्तिम से २	नहीं देती है	नहीं देती है.
१८२	१६	एक ओर	एक ओर
,,	२०	दूसरी ओर ।	दूसरी ओर ।
१८३	१५	करूंगा ?	करूंगा..........
,,	१७	सिंचाई का का	सिंचाई का ।
१८५	११	किसानों तों	किसानों को
१८६	२०	इतना गड़ा	इतना बड़ा ।
१८७	२	श्रा रामचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
,,	५.६	टेकिनशियन्स	टेक्निशियन्स
१८८	२४	खेती होती ।	खेती होती
,,	अन्तिम से ४	ले आयेंने	ले आयेंगे
१९२	१०	में रमक	में रकम
१९५	६	बड़ा सकते है ।	बढ़ा सकते हैं ।
१९६	अन्तिम से ६	तौर निवेदन	तौर से निवेदन
,,	,, ४	कि आपके ।	कि आपने
२०३	८	क्षेत्र में	क्षेत्र के
,	अन्तिम पंक्ति	आपको	आपको—
२०४	६	पानी क	पानी के
२०५	१०	करके ने	करके

१	२	३	४
२०६	१४	आने वाली	आने वाला
,,	२२	सरपीली बङ्गा	स्र-पीली वङ्गा
२०७	२	मेरा १३	मेरे १३
,,	७	मोखा दूसरी	मोखे दूसरी
२०८	२१	कोप खाह	की परवाह
२१०	१२	करू कि कि	करू कि
२११	१०	काम चाल है	काम चालू है
२१२	१८	अधिकार	अधिकारी
,,	२७	का डिटेल्स	का डिटेल्ड
२१३	अन्तिम से ७	थोड़ो ही	थोड़ी ही
२१४	१८	सबसे बढ़ी	सबसे बड़ो
२१६	३	भूमिका	भूमि के
२२१	अन्तिम से ६	जलो के	जिलों के
२२५	१६	निकम्मा	को निकम्मा
,,	२०	टर्मनिट	टर्मिनेट
२२६	१	के समाने	के सामने
,,	८	समाने	सामने
,,	अन्तिम से ८	चाइज्ड	चाइल्ड
२२७	६	ओर कोई	और कोई
२२८	३	पानी सके ।	पानी मिल सके

१	२	३	४
२२८	१४	देने होगा	देना होगा
२२८	अन्तिम से ५	रया है	एरिया है
२२६	३	रख लो	रख
,,	१३	हाथ लेवें	हाथ में लेवे
,,	२२	तीसरा बात	तीसरी बात
२३०	७	तरफ ले	तरफ से
,,	११	बादश्त	बर्दाश्त
,,	१३	इरिगेशत	इरिगेशन
,,	अन्तिम से ६	उनकी आप एब्जोब	उनको आप एब्जोर्व
२३१	शीर्षक	६ जून १६६७	१६ जून १६६७
,,	२०	स पानी	से पानी
,,	अन्तिम से ६	की सीप	की सीपेज
२४१	शीर्षक	जून १६, १६६७	१६ जून १६६७
२४४	अन्तिम पंक्ति	योजनाओं क	योजनाओं के
२४७	१२	श्री विजयसिाह रावत	श्री विजयसिह रावत
२४८	१६	लेवर के ऊंचा	लेवल के ऊँचे
२५०	२	वर्षा	वर्षों
२५४	१६	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
२५७	१८	से नहीं	में नहीं
२६०	अन्तिम से ६	श्री हरिदेव जोशा	श्री हरिदेव जोशी
२६१	३ व १३	श्री कृष्ण कुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल

१	२	३	४
२७५	१५	सयय	समय
२७७	अन्तिम से ४	सट्ल	सेंटल
२८०	१४	अलोबेशन	अलोकेशन
२८१	अन्तिम से ८	अपने किया	आपने किया
२८२	१	राज्ज	राज्य
२८३	अन्तिम से ६	कितने होने वाले हैं	कितनी होने वाली है
२८५	६	करने हैं	करते हैं
२८७	११	जागीदार	जागीरदार
,,	१६	कनने	करने
२८८	१८	उद्देश्य से	उद्देश्य के
,,	२५	रखता था	रखा था .
२६०	१	माननीय मींत्र	माननीय मन्त्री
,,	३	एक सादस्या	एक सादस्य
२६७	१०	कि थे	कि वे
२६८	२१	को	की
३०३	अन्तिम पंक्ति	टेन	टन
३०६	५	वयं में	वर्ष में
,,	अन्तिम से २	१७-६-६७	१७-६-६७
३१३	स्कम्भ	११३	३१३
३१३	१०	पद्धित ज्ञान	पद्धति ज्ञान
,,	११	(सनाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
३१६	१७	कगेरे	करेंगे